Drishti IAS

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

जनवरी भाग-1

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

शासन व्यवस्था 4

- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 4
- पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना 4
- विकसित भारत संकल्प यात्रा और पीएम-किसान योजना 6
- मनरेगा योजना के तहत कार्यान्वित तकनीकी नवाचार 7
- भारतीय ज़िला न्यायालयों में स्वच्छता चुनौतियाँ 8
- भारतमाला चरण-1: समय सीमा बढ़ाई गई 10
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वर्षांत समीक्षा, 2023 11
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 12
- कोच्चि-लक्षद्वीप द्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना 14
- पृथ्वी विज्ञान योजना 15
- वर्ष 2024 में OTT का दृश्य 16
- मौजूदा परीक्षा प्रणाली पर चिंता 18
- हिट-एंड-रन कानून से संबंधित चिंताएँ 19
- सरकार द्वारा वेबसाइट ब्लॉक करना 22
- प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना 23
- अंग प्रत्यारोपण में सुधार 25
- शिमला विकास योजना 2041 27

भारतीय राजनीति 29

- सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति 29
- बिलकिस बानो मामला और परिहार 30
- गणतंत्र दिवस पर झाँकियों का चयन 32

भारतीय अर्थव्यवस्था 34

- भारत में मुद्रास्फीति: मांग बनाम आपूर्ति 34
- भारत का इस्पात क्षेत्र 36
- निष्क्रिय खातों और दावा न की गई जमाराशियों पर RBI के दिशा-निर्देश 37
- भारत का खिलौना उद्योग 38
- अडानी-हिंडनबर्ग मामले पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला 39
- ऋण स्थिरता और विनिमय दर प्रबंधन 41
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 पर चिंताएँ 43
- विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएँ रिपोर्ट, 2024 46
- GST संबंधी चुनौतियों का समाधान 48
- विश्व रोज़गार और सामाजिक आउटलुक: रुझान 2024 49
- वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट: विश्व बैंक 50

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 52

- लाल सागर और पनामा नहर 52
- भारत-इटली प्रवासन और आवाजाही समझौता 55
- भारत के लिये वैश्विक भू-राजनीतिक जटिलताएँ और अवसर 57
- विदेश में जेल में बंद भारतीयों का मुद्दा 59
- भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठापन सूचियों का वार्षिक आदान-प्रदान 60
- भारत मालदीव संबंध 62

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 65

- पेगासस स्पायवेयर 65
- वर्ष 2024 में अंतरिक्ष मिशन 66
- रोगाणुरोधी प्रतिरोध 69

जैव विविधता और पर्यावरण 72

- जलवायु लक्ष्यों और जैवविविधता संरक्षण का संतुलन 72

नोट :

- बायोडायवर्सिटी क्रेडिट 73
- स्वच्छ वायु लक्ष्य में विविध प्रगति 74
- प्रोजेक्ट टाइगर 75

भूगोल 78

- रॉक ग्लेशियर 78

कृषि 80

- सतत् कृषि 80
- कश्मीर में केसर उत्पादन में गिरावट 81
- भारत में मसूर उत्पादन 83

सामाजिक न्याय 85

- गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों को प्राथमिकता 85
- भारतीय जेलों में जाति आधारित भेदभाव 87
- पश्चिम बंगाल में बाल विवाह में वृद्धि 89
- WEF:वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 91

नीतिशास्त्र 93

- मनोविश्लेषण का सरलीकरण 93

भारतीय समाज 94

- अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 94

प्रिलिम्स फैक्ट्स 97

- अपतटीय क्रिप्टो फर्मों को PMLA नोटिस 97
- हटिंगटन रोग 98
- बैंकों के सकल NPA में 3.2% की गिरावट 99
- एक्स-किरण ध्रुवणमापी उपग्रह: ISRO 100
- अर्जेंटीना के साथ लिथियम-डील 101
- भारत में लीची की खेती का विस्तार 103
- एक MICE गंतव्य के रूप में भारत 104
- समुद्री पक्षी 104
- लाल सागर के विभाजन पर प्रस्तावित परिकल्पनाएँ 105
- गुजरात में कैद में प्रशिक्षित भेड़िये वन में छोड़े जाएँगे 106
- सिकल सेल रोग 107
- ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिये विस्तारित PLI योजना 107
- लघु बचत योजनाओं में ब्याज दर समायोजन 108
- बुक्सा टाइगर रिज़र्व 109
- लिक्विड नैनो यूरिया की प्रभावकारिता 110
- वेटलैंड सिटी प्रमाणन 110
- SKAO में भारत की पूर्ण सदस्यता 111
- पूर्वोत्तर अफ्रीकी चीता 112
- स्पेसएक्स के फाल्कन-9 रॉकेट द्वारा GSAT-20 (GSAT-N2) लॉन्च 113
- पेरेग्रीन मिशन-1 114
- 17 से अधिक उत्पादों के लिये जीआई टैग 115
- काउंटर-ड्रोन प्रौद्योगिकी और UAV विकास 118
- ISRO द्वारा पॉलिमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल का परीक्षण 118
- अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित चिंताएँ 120
- भारत ने सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पर हस्ताक्षर किये 121
- राष्ट्रपति ने प्रदान किये खेल और साहसिक पुरस्कार 2023 122
- हिम तेंदुओं के लिये संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम 123
- अटल सेतु न्हावा शेवा सी लिंक 124
- यूकेलिप्टस वनों को बचाने के लिये प्राकृतिक रोगजनक कवक 126
- सर्वाइकल कैंसर से लड़ने हेतु वैक्सीन ड्राइव 126
- IISc द्वारा विकसित ताप-सहिष्णु कोविड-19 वैक्सीन 127
- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150 वर्ष 129
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 130

रैपिड फायर 131

नोट :

शासन व्यवस्था

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने **आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY)** के संबंध में कुछ आँकड़े जारी किये हैं।

AB PM-JAY सांख्यिकी की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ?

- **आयुष्मान कार्ड:**
  - बनाए गए कुल आयुष्मान कार्डों में से लगभग 49% महिलाएँ हैं और कुल अधिकृत अस्पतालों में लगभग 48% प्रवेश हैं।
  - योजना की शुरुआत से दिसंबर 2023 तक लगभग 28.45 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें से लगभग 9.38 करोड़ आयुष्मान कार्ड वर्ष 2023 के दौरान बनाए गए हैं।
- **स्वास्थ्य कवरेज:**
  - इस योजना के तहत 12 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ व्यक्तियों को शामिल किया गया है तथा AB PM-JAY को लागू करने वाले कई राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी लागत पर लाभार्थी आधार का और विस्तार किया है।
- **अस्पताल में दाखिले:**
  - इस योजना के तहत अस्पतालों में 78,188 करोड़ रुपए की राशि की कुल 6.11 करोड़ दाखिले अधिकृत किये गए थे, जिनमें से 25,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के कुल 1.7 करोड़ दाखिले वर्ष 2023 (जनवरी-दिसंबर 2023) के दौरान अधिकृत किये गए।

आयुष्मान भारत-PMJAY क्या है ?

- **परिचय:**
  - PM-JAY पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
  - इसे 2018 में लॉन्च किया गया, यह माध्यमिक देखभाल और तृतीयक देखभाल के लिये प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है।
    - स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, चिकित्सा और डे केयर उपचार, दवाओं व निदान की लागत शामिल है।
- **लाभार्थी:**
  - यह एक पात्रता आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है।
    - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को शेष (अप्रमाणित) SECC परिवारों की पहचान करने के लिये समान सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल वाले गैर-सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) लाभार्थी परिवार डेटाबेस का उपयोग करने हेतु लचीलापन प्रदान किया है।
- **वित्तीयन:**
  - इस योजना का वित्तपोषण संयुक्त रूप से किया जाता है, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में केंद्र एवं विधायिका के बीच 60:40, पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड के लिये 90:10 और विधायिका के बिना केंद्रशासित प्रदेशों हेतु 100% केंद्रीय वित्तपोषण।
- **केंद्रक अभिकरण:**
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority- NHA) को राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से PMJAY के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में गठित किया गया है।
  - राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) राज्य में ABPMJAY के कार्यान्वयन के लिये ज़िम्मेदार राज्य सरकार का शीर्ष निकाय है।

पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना

चर्चा में क्यों ?

पूंजीगत व्यय/निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत केंद्र द्वारा आवंटित ₹ 1,67,518.6 करोड़ की विशेष सहायता (ऋण) में से सर्वाधिक हिस्सा विगत चार वर्षों में उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है।

- प्रदत्त पर्याप्त वित्तीय सहायता यूपी में विकास पहलों को बढ़ावा देने के लिये सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

नोट :

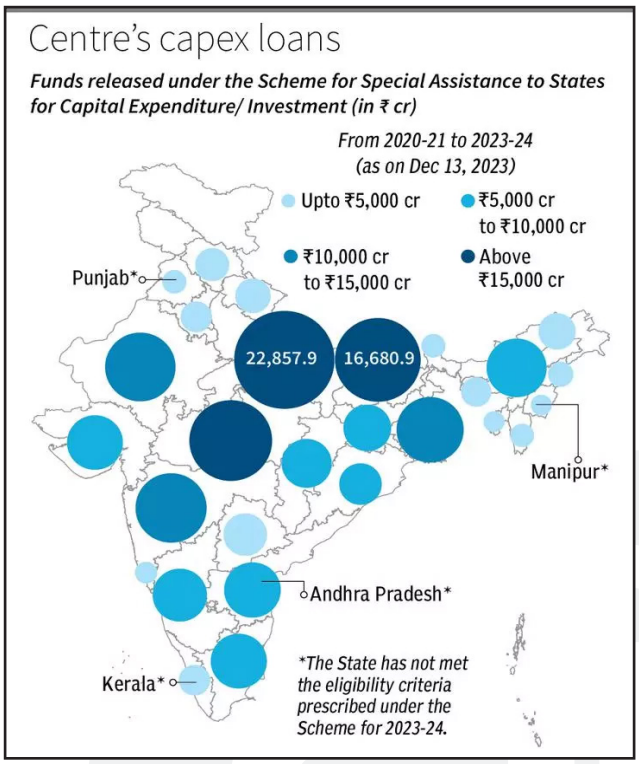

वित्त मंत्रालय के अनुसार पूंजीगत व्यय के रुझान क्या हैं?

- यूपी और बिहार शीर्ष दो राज्य हैं जिन्होंने पूंजीगत व्यय से संबंधित मानदंडों को पूरा किया है तथा विगत चार वर्षों में योजना के तहत अधिकतम आवंटन प्राप्त किया है।
- उत्तराखंड, हरियाणा, केरल एवं पंजाब उन राज्यों में से हैं जिन्हें योजना के तहत कुल आवंटित राशि का लगभग 1-2% प्राप्त हुआ है।
- आंध्र प्रदेश, केरल, मणिपुर एवं पंजाब को वर्ष 2023-24 में कोई आवंटन नहीं मिला है व वित्त मंत्रालय के अनुसार, इन राज्यों ने योजना के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं किया है।

पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना क्या है?

- **परिचय:**
  - यह योजना वित्त वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र शुरू की गई थी।
  - वर्तमान में इस योजना का विस्तार किया गया है तथा इसे ₹1.3 लाख करोड़ के आवंटन के साथ 'पूंजी निवेश के लिये राज्यों को विशेष सहायता योजना, 2023-24' के रूप में जारी रखा गया है।
- **भाग:**
  - इस योजना के आठ भाग हैं, भाग-I 1 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के साथ सबसे बड़ा है। यह राशि 15वें वित्त आयोग के निर्णय के अनुसार राज्यों के बीच केंद्रीय करों और कर्त्तव्यों में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में आवंटित की गई है।
  - योजना के अन्य भाग या तो सुधारों से जुड़े हैं या क्षेत्र विशेष परियोजनाओं के लिये हैं।
    - भाग- II पुराने वाहनों को हटाने और स्वचालित वाहन परीक्षण सुविधाओं की स्थापना के लिये राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करता है;
    - भाग-III व IV शहरी नियोजन और शहरी वित्त में सुधार के लिये राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करते हैं;
    - भाग-V शहरी क्षेत्रों में पुलिस स्टेशनों के भीतर पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के लिये आवास स्टॉक बढ़ाने के लिये धन प्रदान करता है।
    - योजना का भाग-VI यूनिटी मॉल परियोजनाओं के माध्यम से सांस्कृतिक विविधता और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय एकीकरण, मेक इन इंडिया एवं एक ज़िला एक उत्पाद के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।
    - भाग-VII के तहत, राज्यों को पंचायत और वार्ड स्तर पर डिज़िटल बुनियादी ढाँचे के साथ पुस्तकालय स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता के रूप में 5,000 करोड़ रुपए प्रदान किये जाते हैं, जिससे मुख्य रूप से बच्चों एवं किशोरों को लाभ होता है।
- **योजना के उद्देश्य:**
  - क्योंकि इससे मांग बढ़ने और नौकरियाँ उत्पन्न होने का अनुमान है, इस कार्यक्रम का अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा।
  - इस योजना का उद्देश्य राज्य के हिस्से को पूरा करने के लिये धन प्रदान करके जल-जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में परियोजनाओं की गति को बढ़ाना भी है।
  - यह योजना शहरों में जीवन की गुणवत्ता एवं शासन में सुधार के लिये राज्यों को शहरी नियोज़न और शहरी वित्त में सुधार करने के लिये प्रोत्साहित करने का भी प्रयास करती है।

भारत में पूंजीगत व्यय क्या है?

- **पूंजीगत व्यय (Capex):**
  - यह बुनियादी ढाँचे, भवन, मशीनरी और उपकरण जैसी भौतिक संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या सुधार के लिये सरकार द्वारा आवंटित धन को संदर्भित करता है।
  - इसे उत्पादक और विकास बढ़ाने वाला माना जाता है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है तथा भविष्य में आय एवं रोज़गार उत्पन्न करता है।

नोट :

- भारत सरकार अपने वार्षिक बजट के माध्यम से पूंजीगत व्यय आवंटित करती है, जिसे वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
  - पूंजी निवेश परिव्यय में लगातार तीन वर्ष की वृद्धि देखी गई है, जो 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% है, जो 33% (केंद्रीय बजट 2023-24) की महत्त्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है।

- **प्रभावी पूंजीगत व्यय:**
  - बजट में प्रस्तुत पूंजीगत व्यय में राज्यों और अन्य एजेंसियों को सहायता अनुदान के माध्यम से पूंजीगत संपत्ति बनाने पर सरकार द्वारा किया गया व्यय शामिल नहीं है।
    - इन अनुदानों को बजट में राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन वे सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल आदि जैसी अचल परिसंपत्तियों के निर्माण में भी योगदान देते हैं।
    - इसलिये केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक निवेश की वास्तविक सीमा को तक पहुँचने के लिये 'प्रभावी पूंजी व्यय' की एक अवधारणा पेश की गई है।
  - प्रभावी पूंजीगत व्यय को पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिये पूंजीगत व्यय और अनुदान के योग के रूप में परिभाषित किया गया है।
    - इसका बजट 13.7 लाख करोड़ रुपए या GDP का 4.5% (केंद्रीय बजट 2023-24) है।

विकसित भारत संकल्प यात्रा और पीएम-किसान योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के लाभार्थियों की संख्या में 20% से अधिक की गिरावट आई है, जो अप्रैल-जुलाई 2022 में 10.47 करोड़ से घटकर 8.12 करोड़ हो गई है।

- सरकार के सक्रिय उपायों, विशेष रूप से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शुरू किये गए "संतृप्ति अभियान" ने 34 लाख किसानों को लाभार्थियों की सूची में वापस जोड़ दिया है।

विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है ?

- **परिचय:**
  - यह सरकार की योजनाओं की संतृप्ति प्राप्त करने के लिये विस्तारित गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसके अंतर्गत पूरे देश में भारत की सभी ग्राम पंचायतें, नगर पंचायतें और शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं।
  - यह अभियान भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के संगठनों और संस्थानों की सक्रिय भागीदारी के साथ संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण अपनाकर चलाया जा रहा है।
- **उद्देश्य:**
  - यह अभियान कमज़ोर लोगों तक पहुँच प्रदान करता है, जो विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र हैं जिन्होंने इसका अभी तक लाभ नहीं उठाया है।
  - जानकारी उपलब्ध करवाना और योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
  - व्यक्तिगत आख्यानों और अनुभवों (stories/ experience) को साझा करने के माध्यम से सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्तकर्त्ताओं के साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव।
  - विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विवरण के माध्यम से संभावित लाभार्थियों का नामांकन।

PM किसान सम्मान निधि योजना (PM-किसान) क्या है ?

- **परिचय:**
  - इसे देश के किसानों की वित्तीय आवश्यकतों को पूरा करने के लिये शुरू किया गया था।
  - इसका संचालन दिसंबर, 2018 से शुरू हुआ है।
- **वित्तीय लाभ:**
  - इसके तहत प्रत्येक चार महीने में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6000/- रुपए का वित्तीय लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है।
- **योजना का दायरा:**
  - यह योजना प्रारंभ में 2 हेक्टेयर भूमि वाले छोटे तथा सीमांत किसानों (Small and Marginal Farmers-SMF) के लिये थी किंतु सभी भूमि धारक किसानों को लाभ प्रदान करने हेतु योजना का दायरा बढ़ा दिया गया।
- **वित्तपोषण तथा कार्यान्वयन:**
  - यह भारत सरकार से 100% वित्तपोषण प्राप्त एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
  - इसका कार्यान्वन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

नोट :

- **उद्देश्य:**
  - प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य तथा उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न आदानों की खरीद में छोटे व सीमांत किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना।
  - अमुक व्यय को पूरा करने के लिये उन्हें साहूकारों के चंगुल में फँसने से बचाना तथा कृषि गतिविधियों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करना।
- **PM-किसान मोबाइल ऐप:**
  - इसे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित तथा डिज़ाइन किया गया था।
- **वास्तविक रूप से सत्यापन की व्यवस्था:**
  - योजना में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वर्ष 5% लाभार्थियों का अनिवार्य रूप से वास्तविक सत्यापन किया जा रहा है।

PM-किसान से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- **अनिवार्य प्रावधान तथा आधार लिंकेज:**
  - अनिवार्य भूमि बीजारोपण प्रावधानों तथा आधार को सक्रिय बैंक खातों से जोड़ने की आवश्यकता ने इस योजना को जटिल बना दिया है, जिससे किसानों के लिये इन शर्तों का अनुपालन करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  - किसानों, विशेष रूप से दूरवर्ती क्षेत्रों के किसानों को आधार लिंकेज तथा भूमि बीजारोपण आवश्यकताओं को पूरा करने में तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे PM-किसान लाभों तक उनकी पहुँच में बाधा आ सकती है।
- **जागरूकता और आउटरीच:**
  - कई पात्र किसान अभी भी PM-Kisan योजना से अनजान हैं या उन्हें आवेदन प्रक्रिया के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होगी।
  - प्रयासों के बावजूद, आउटरीच पहल को कृषक समुदाय के सभी वर्गों तक पहुँचने में संघर्ष करना पड़ सकता है, विशेषकर दूरदराज़ या हाशिये पर रहने वाले क्षेत्रों में।
- **प्रौद्योगिकी पहुँच:**
  - स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित प्रौद्योगिकी पहुँच में असमानताएँ, किसानों की PM-Kisan नामांकन तथा अनुपालन के लिये आवश्यक ऑनलाइन प्रक्रियाओं से जुड़ने की क्षमता में बाधा बन सकती हैं।

आगे की राह

- सरलता और दक्षता के लिये अनिवार्य भूमि बीजारोपण प्रावधानों एवं आधार लिंकेज आवश्यकताओं की व्यापक समीक्षा की जानी चाहिये।
- निर्बाध अनुपालन हेतु उपयोगकर्त्ता-अनुकूल प्लेटफार्म बनाने के लिये प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने की आवश्यकता है।
- कमज़ोर किसानों तक पहुँचने के लिये समुदाय-स्तरीय सहभागिता कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिये।
- PM-Kisan के लाभों से अनजान पात्र किसानों की पहचान कर उनका समर्थन करने के लिये स्थानीय अधिकारियों, कृषि सेवाओं और गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है।

मनरेगा योजना के तहत कार्यान्वित तकनीकी नवाचार

चर्चा में क्यों?

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत के कमज़ोर वर्ग को कल्याणकारी लाभों से वंचित करने तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत मज़दूरी भुगतान में देरी के लिये प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से आधार के उपयोग से संबंधित चिंताओं का उत्तर दिया है।

- इन चिंताओं के संदर्भ में मंत्रालय ने मनरेगा के तहत कई तकनीकी नवाचारों पर प्रकाश डाला है, जिसका उद्देश्य इसके कार्यान्वयन में पारदर्शिता तथा दक्षता बढ़ाना है।

मनरेगा योजना क्या है?

- **परिचय:**
  - वर्ष 2005 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह योजना विश्व के सबसे बड़े रोज़गार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है।
  - यह योजना किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों के लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सौ दिनों का रोज़गार सुनिश्चित करते हुये विधिक गारंटी प्रदान करती है।
    - इस योजना द्वारा प्रतिभागी वैधानिक न्यूनतम वेतन अर्जित करने हेतु सार्वजनिक परियोजनाओं से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य संबंधी रोज़गार में नियोजित किये जाते हैं।
- **मनरेगा की वर्तमान स्थिति:**
  - इसके तहत वर्तमान में 14.32 करोड़ जॉब कार्ड पंजीकृत किये गए हैं, जिनमें से 68.22% सक्रिय जॉब कार्ड हैं तथा इसमें कुल 25.25 करोड़ श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें से 56.83% सक्रिय श्रमिक हैं।

नोट :

- **कार्यान्वित तकनीकी नवाचार:**
  - आधार एकीकरण:
    - इसके तहत वास्तविक लाभार्थियों के डी-डुप्लीकेशन तथा प्रमाणीकरण के लिये निरंतर आधार सीडिंग (आधार संख्या को प्राथमिक बैंक खाता संख्या से जोड़ना) की जाती है।
    - 14.08 करोड़ (98.31%) सक्रिय श्रमिकों की आधार सीडिंग पहले ही पूर्ण हो चुकी है। इन सीडेड आधार की तुलना में कुल 13.76 करोड़ आधार प्रमाणित किये गए हैं एवं 87.52% सक्रिय श्रमिक अब आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम (Aadhaar Payment Bridge System- APBS) के पात्र हैं।
  - APBS एक भुगतान प्रणाली है जो लाभार्थियों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी सब्सिडी और लाभ की राशि भेजने के लिये आधार संख्या का उपयोग करती है।
    - तकनीकी या आधार-संबंधी समस्याओं का सामना करने वाली ग्राम पंचायतें मुद्दों के समाधान होने तक मामले-दर-मामले आधार पर APBS से छूट मांग सकती हैं।
  - नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) का डेटा DBT के लिये आधार सक्षम होने पर 99.55% या उससे अधिक की सफलता दर का संकेत देता है।
    - मज़दूरी रोज़गार के लाभार्थियों के वेतन का भुगतान APBS के माध्यम से किया जाना है।
    - हाल की चिंताओं के अनुसार कुल पंजीकृत श्रमिकों में से 34.8% और सक्रिय श्रमिकों में से 12.7% अभी भी APBS के लिये अयोग्य हैं तथा उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।
  - क्योंकि APBS केवल तभी लागू होता है जब कोई पंजीकृत लाभार्थी मज़दूरी रोज़गार के अंतर्गत आता है।
  - राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड प्रबंधन प्रणाली (National Electronic Fund Management System-NEFMS):
    - लाभार्थियों को सीधे वेतन भुगतान करने के लिये वित्त वर्ष 2016-17 में NEFMS पेश किया गया था।
  - 99% से अधिक वेतन भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक/डाकघर खातों में जमा किया जाता है।
- **NMMS के माध्यम से रियल-टाइम निगरानी:**
  - राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (National Mobile Monitoring System) ऐप कार्यस्थलों पर लाभार्थियों की रियल-टाइम उपस्थिति को कैप्चर करता है।
    - लाभार्थी और नागरिक पारदर्शिता बढ़ाते हुए कार्यकर्त्ता की उपस्थिति का सत्यापन कर सकते हैं।
- **परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग:**
  - यह सिस्टम योजना के तहत बनाई गई परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग के लिये रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करता है।
    - रिमोट सेंसिंग किसी क्षेत्र के परावर्तित और उत्सर्जित विकिरण का दूरस्थ (आमतौर पर उपग्रह या विमान से) मापन कर उसकी भौतिक विशेषताओं का पता लगाने एवं निगरानी करने की प्रक्रिया है।
  - यह स्थान-विशिष्ट जानकारी प्रदान करके सार्वजनिक जाँच और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
  - जॉब कार्ड अद्यतनीकरण:
    - राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा नियमित रूप से जॉब कार्ड अद्यतित किया/हटाया जाता है-
    - यदि कोई जॉब कार्ड नकली जॉब कार्ड (गलत जॉब कार्ड)/डुप्लिकेट जॉब कार्ड है/परिवार काम करने के इच्छुक नहीं है/परिवार ग्राम पंचायत से स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया है/जॉब कार्ड में एकल व्यक्ति है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो उसे हटाया जा सकता है।
    - अप्रैल 2022 से अब तक करीब 2.85 करोड़ जॉब कार्ड निरस्त किये जा चुके हैं।
  - ड्रोन द्वारा निगरानी:
    - बेहतर निर्णय लेने, वास्तविक समय की निगरानी और डेटा संग्रह को बढ़ाने के लिये ड्रोन का पायलट परीक्षण किया जा रहा है।

भारतीय ज़िला न्यायालयों में स्वच्छता चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों ?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग द्वारा 'स्टेट ऑफ द ज्यूडिशियरी' शीर्षक से प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट ने देश भर के ज़िला न्यायालय परिसरों के भीतर लिंग-विशिष्ट सुविधाओं में असमानताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

- रिपोर्ट महिलाओं के लिये अलग शौचालयों के अपर्याप्त प्रावधान, सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों की कमी और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये शौचालयों की अनुपलब्धता पर प्रकाश डालती है।

नोट :

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

- **अपर्याप्त महिला-अनुकूल सुविधाएँ:**
  - कुल ज़िला न्यायालय परिसरों के लगभग पाँचवें हिस्से में महिलाओं के लिये पृथक शौचालयों का अभाव है।
  - केवल 6.7% महिला शौचालयों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें उपलब्ध हैं।
- **मौजूदा शौचालयों की चुनौतियाँ:**
  - मौजूदा शौचालयों के दरवाज़े प्राय: टूटे हुए होते हैं तथा विद्यार्थियों को अनियमित जल आपूर्ति की समस्या का सामना करना पड़ता है।
  - पुरुष और महिला न्यायाधीश के लिये साझा शौचालय गोपनीयता एवं समानता को लेकर चिंता उत्पन्न करते हैं।
  - न्यायालय के शौचालयों में साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिये न्यायाधीश व्यक्तिगत रूप से सफाईकर्मियों और स्वच्छताकर्मियों को नियुक्त करते हैं।
    - उदाहरण के लिये नगालैंड के पेरेन ज़िले में शौचालयों को साफ करने के लिये कोई रखरखाव की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। स्टाफ सदस्यों को स्वयं शौचालय का रखरखाव सुनिश्चित करना था।
- **समावेशी सुविधाओं का अभाव:**
  - अधिकांश ज़िला न्यायालयों में ट्रांसजेंडर कर्मियों के लिये शौचालय नहीं हैं।
  - प्रत्येक न्यायालय परिसर में "लिंग-समावेशी शौचालय" की आवश्यकता है।
    - केरल में ट्रांसजेंडर कर्मियों के शौचालय दिव्यांग कर्मियों के साथ साझा किये जाते हैं।
    - उत्तराखंड में ट्रांसजेंडर कर्मियों के लिये राज्य भर में केवल चार शौचालय हैं।
    - तमिलनाडु के केवल दो ज़िलों, चेन्नई और कोयंबटूर में ऐसी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।
  - ऐसे शौचालयों का उपयोग करना जो उनकी लिंग पहचान के अनुरूप न हों, ट्रांसजेंडर कर्मियों के लिये असुविधा और उत्पीड़न का कारण बन सकता है।

अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं से उत्पन्न चुनौतियाँ क्या हैं ?

- **स्वास्थ्य तथा स्वच्छता संबंधी जोखिम:**
  - अपर्याप्त शौचालय सुविधाओं के परिणामस्वरूप अस्वच्छता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे महिलाओं को स्वास्थ्य जोखिम का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें संक्रमण तथा हैजा, टाइफाइड एवं पेचिश जैसी बीमारियों के होने की संभावना शामिल है।
  - विशेषकर कम रोशनी वाले अथवा एकांत क्षेत्रों में पृथक शौचालयों की कमी,महिलाओं की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बढ़ा सकती है जिससे उनके उत्पीड़न की संभावना बढ़ जाती है।
  - गर्भवती महिलाओं तथा वृद्ध व्यक्तियों को साझा शौचालय सुविधाओं तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनकी आवाजाही की सुगमता प्रभावित हो सकती है।
- **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों का हनन:**
  - संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों के उपबंधों के अनुसार स्वच्छता के अधिकार के तहत प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वच्छता तक प्रत्यक्ष तथा सरल पहुँच का अधिकार है, जो सुरक्षित, स्वच्छ, संरक्षित और सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य है और साथ ही गोपनीयता प्रदान करता है एवं गरिमा सुनिश्चित करता है।
- **मौलिक अधिकार का हनन:**
  - वीरेंद्र गौड़ बनाम हरियाणा राज्य (1995) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की रक्षा करता है तथा उस अधिकार को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिये आवश्यक स्वच्छ स्थितियों तक विस्तारित करता है।

न्यायालयों में स्वच्छता सुविधाओं को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है ?

- **समर्पित संसाधनों का आवंटन:**
  - स्वच्छता रखरखाव के लिये पर्याप्त धनराशि का बजट तैयार करना तथा सफाई एवं रखरखाव के लिये ज़िम्मेदार कर्मचारियों का नियोजन करना। जागरूकता बढ़ाने व मानकों की निगरानी के लिये न्यायालय के अंतर्गत हाइजीन चैंपियन नियुक्त करने पर विचार करना।
    - न्यायालयों में स्वच्छता सुधार परियोजनाओं के लिये धन जुटाने हेतु एक केंद्रीय निकाय के रूप में एक समर्पित संस्थान, नेशनल ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NJIAI) की स्थापना का सुझाव पूर्व CJI द्वारा दिया गया था।
- **मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन:**
  - दिव्यांगजनों के लिये स्वच्छता, व्यावहारिकता तथा पहुँच सुनिश्चित करने के लिये शौचालयों का नवीनीकरण करना। उचित वेंटिलेशन, प्रकाश एवं स्वच्छता संबंधी आवश्यकताएँ जैसे सैनिटरी डिब्बे, साबुन, कागज़ के तौलिये आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करना।

नोट :

- **स्वच्छता संबंधी दिशा-निर्देश जारी करना:**
  - विभिन्न राज्यों तथा न्यायालय स्तरों पर स्थिरता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए न्यायालयों में स्वच्छता सुविधाओं के लिये राष्ट्रीय मानक निर्धारित करना। इसमें मूल सुविधाओं, पहुँच हेतु आवश्यकताओं तथा स्वच्छता प्रोटोकॉल के लिये दिशानिर्देश शामिल हो सकते हैं।
- **उपयोगकर्त्ता प्रतिक्रिया को प्रोत्साहन:**
  - प्रदत्त स्वच्छता सुविधाओं पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने, कमियों की पहचान करने तथा सुधार का प्रस्ताव देने के लिये न्यायालय में स्वच्छता सुविधाओं के उपयोगकर्त्ताओं के लिये तंत्र स्थापित करना। इसमें सुझाव बॉक्स, सर्वेक्षण अथवा सार्वजनिक बैठकें शामिल की सकती हैं।
    - सुझावों एवं शिकायतों पर त्वरित एवं समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करना।

भारत में शौचालय सुविधाओं की स्थिति क्या है?

- स्वच्छता राज्य के अंतर्गत एक विषय है और इसलिये शौचालय उपलब्ध कराने, व्यवहार परिवर्तन गतिविधियाँ शुरू करने, ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रदान करने एवं विभिन्न गतिविधियों को बनाए रखने का कार्य राज्यों का है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey- NFHS) के अनुसार, 69.3% घरों में बेहतर शौचालय सुविधाएँ हैं, जो साझा नहीं की जाती हैं।
  - 8.4% परिवारों के पास साझा शौचालय सुविधाओं तक पहुँच है और 2.9% के पास अविकसित शौचालय सुविधाओं तक पहुँच है।
- NFHS की रिपोर्ट से पता चला है कि 80.7% शहरी परिवारों और 63.6% ग्रामीण परिवारों के पास बेहतर शौचालय सुविधाओं तक पहुँच है।
  - वर्ष 2019-2021 में कुल 19.4% भारतीय परिवारों ने किसी भी शौचालय सुविधा का उपयोग नहीं किया।
    - शहरी क्षेत्रों में सभी घरों में से 6.1% घरों में खुले में शौच किया जाता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह संख्या 25.9% तक पहुँच जाती है।
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शौचालय की सुविधा तक पहुँच बिहार (केवल 61.2% घरों में उपलब्ध है) में सबसे कम है। बिहार के बाद झारखंड (69.6%) और ओडिशा (71.3%) का स्थान है।
  - लक्षद्वीप में शत-प्रतिशत घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है।

स्वच्छता से संबंधित पहल:

- स्वच्छ भारत मिशन
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) जल, स्वच्छता और स्वच्छता (WASH) - भारत
- कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (AMRUT)
- **स्वच्छता अभियान एप:**
  - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अभी भी मौजूद अस्वच्छ शौचालयों और उनकी सफाई से जुड़े हाथ से मैला ढोने वालों का डेटा हासिल करने के लिये इसे लॉन्च किया है।

भारतमाला चरण-1: समय सीमा बढ़ाई गई

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने प्रमुख राजमार्ग विकास परियोजना भारतमाला परियोजना चरण-I को पूरा करने की समय सीमा सत्र 2027-28 तक बढ़ा दी है।

- यह कदम मेगा परियोजना की अनुमानित लागत में 100% से अधिक की वृद्धि के बाद उठाया गया है और यह कार्यान्वयन की धीमी गति एवं वित्तीय बाधाओं को दर्शाता है।

भारतमाला परियोजना क्या है?

- **परिचय:**
  - भारतमाला परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) के तहत शुरू किया गया एक व्यापक कार्यक्रम है।
  - भारतमाला के प्रथम चरण की घोषणा वर्ष 2017 में की गई थी और इसे वर्ष 2022 तक पूरा किया जाना था।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - भारतमाला पहले से निर्मित बुनियादी ढाँचे की बढ़ी हुई प्रभावशीलता, बहुविध एकीकरण, निर्बाध आवागमन के लिये बुनियादी ढाँचे की कमियों को दूर करने एवं राष्ट्रीय व आर्थिक कॉरिडोर को एकीकृत करने पर केंद्रित है।
  - उक्त कार्यक्रम के छह प्रमुख घटक हैं:
    - **आर्थिक कॉरिडोर:** आर्थिक कॉरिडोर को एकीकृत करने से आर्थिक रूप से महत्त्वपूर्ण उत्पादन तथा उपभोग केंद्रों के बीच विस्तृत जुड़ाव/कनेक्टिविटी की सुविधा मिलती है।

नोट :

- **इंटर-कॉरिडोर और फीडर मार्ग:** यह प्रथम मील से अंतिम मील तक की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा।
- **राष्ट्रीय कॉरिडोर दक्षता में सुधार:** इसके माध्यम से मौजूदा राष्ट्रीय कॉरिडोर की क्षमता बढ़ाने और ट्रैफिक जाम को कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
- **सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कें:** बेहतर सीमा सड़क बुनियादी ढाँचे से अधिक गतिशीलता सुनिश्चित होगी और साथ ही पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा।
- **तटीय व पोर्ट कनेक्टिविटी हेतु सड़कें:** तटीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के माध्यम से बंदरगाह आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, जिससे पर्यटन एवं औद्योगिक विकास दोनों बेहतर होते हैं।
- **ग्रीन-फील्ड एक्सप्रेसवे:** उच्च यातायात सघनता और अधिक जाम वाले स्थान की उपस्थिति वाले एक्सप्रेसवे ग्रीन-फील्ड एक्सप्रेसवे से लाभान्वित होंगे।

- **स्थिति:**
  - नवंबर 2023 तक 15,045 किमी यानी 42% प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है।
- **चुनौतियाँ:**
  - कच्चे माल की लागत, भूमि अधिग्रहण लागत में वृद्धि, हाई-स्पीड कॉरिडोर का निर्माण और वस्तु एवं सेवा कर दरों में वृद्धि।

आगे की राह

- प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चा माल प्राप्त करने के लिये रणनीतिक खरीद विधियों की जाँच करना। अनुकूल दरें सुनिश्चित करने के लिये, विशेषकर बाज़ार में उतार-चढ़ाव के दौरान, आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ बातचीत में भाग लेना।
- मुआवज़ा संबंधी विवादों को कम करने के लिये कुशल और पारदर्शी भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को लागू करना। इस प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिये भूमि अधिग्रहण और सामुदायिक सहभागिता जैसे विकल्पों का पता लगाना।
- हाई-स्पीड कॉरिडोर को शामिल करने से पहले संपूर्ण व्यवहार्यता अध्ययन करना। लागत-प्रभावशीलता के साथ कार्यक्षमता को संतुलित करने के लिये गलियारे के डिज़ाइन को अनुकूलित करना।
- अनिश्चितताओं को कम करने के लिये स्थिर और पूर्वानुमानित GST नीतियों की वकालत करना। कर दर में बदलाव के प्रभाव पर उद्योग को अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिये सरकारी अधिकारियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वर्षांत समीक्षा, 2023

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वर्ष 2023 के लिये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (DEPwD) की वर्षांत समीक्षा जारी की गई।

पहल और उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ?

- **समावेश के लिये ऐतिहासिक सभाएँ और त्योहार:**
  - विभाग ने राष्ट्रपति भवन में एक विशेष सभा और गोवा में भारत के पहले समावेशन महोत्सव (Purple Fest) जैसे कार्यक्रमों की मेज़बानी की, जिसमें हज़ारों दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडर शामिल हुए, विश्व रिकॉर्ड स्थापित किये गए तथा अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया गया।
- **विकलांगता क्षेत्र में भारत-दक्षिण अफ्रीका सहयोग:**
  - केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और दक्षिण अफ्रीका सरकार के बीच दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग पर केंद्रित एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये।
- **दिव्य कला मेला:**
  - वर्ष भर विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाला दिव्य कला मेला 2023, विकलांग व्यक्तियों के लिये समग्र विकास और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
  - प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप दृष्टिकोण के साथ, सरकार का लक्ष्य भारत के समग्र विकास में दिव्यांग व्यक्तियों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना है।
- **विकलांगता जागरूकता दिवस:**
  - DEPwD ने 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस से लेकर 2023 में 3 दिसंबर, 2023 को दिव्यांगजन व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस जैसे विभिन्न विकलांगता जागरूकता के उपलक्ष्य में एक वर्ष तक चलने वाले उत्सव की शुरुआत की।
- **उपलब्धियों की पहचान:**
  - सरकार ने एबिलिंपिक्स विजेताओं को सम्मानित किया, भारतीय बधिर क्रिकेट टीम और पैरा तैराक श्री सतेंद्र सिंह लोहिया को सम्मानित किया, विकलांगता के क्षेत्र में उत्कृष्टता का जश्न मनाया तथा उनके योगदान को मान्यता दी।

नोट :

- **पहल और सुधार:**
  - सरकार ने वास्तुशिल्प कार्यक्रमों में सार्वभौमिक पहुँच पाठ्यक्रमों को एकीकृत करने, UDID (यूनिक डिसेबिलिटी आईडी) पोर्टल के माध्यम से गुमनाम डेटा जारी करने और कौशल प्रशिक्षण, रोज़गार के अवसरों तथा ऑनलाइन मामले की निगरानी के लिये पोर्टल पेश करने जैसे परिवर्तनकारी कार्यक्रम शुरू किये।
- **उद्यमिता के माध्यम से सशक्तीकरण:**
  - सरकार ने उद्यम पहल के माध्यम से 3,000 विकलांग व्यक्तियों को समर्थन और सशक्त बनाने, सरकार, कॉर्पोरेट तथा संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिये संस्थानों के साथ भागीदारी की।
- **प्रौद्योगिकी और सुलभ संसाधन:**
  - सरकार ने सुगम्यपुस्तकालय के माध्यम से सुलभ पुस्तकों को सुनिश्चित करने के साथ-साथ भारतीय सांकेतिक भाषा (Indian Sign Language-ISL) शब्दकोश शब्द, वीडियो रिले सेवा और भारतीय सांकेतिक भाषा में ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किये।
- **खेल और उच्च तकनीक प्रशिक्षण केंद्र:**
  - मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिये भारत के पहले हाई-टेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, जिसमें खेल और प्रतिभा निखारने में समान अवसरों पर ज़ोर दिया गया है।
- **कानूनी समर्थन और वित्तीय समावेशन:**
  - प्रभावशाली निर्णय दिये, दिव्यांगजन उधारकर्त्ताओं को ब्याज दर में छूट प्रदान की, एनडीएफडीसी ऋणों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया और पढ़ने के लिये सार्वभौमिक डिज़ाइन केंद्रों के लिये सहयोग किया।
  - दिव्यांगजन उधारकर्त्ताओं को ब्याज दर में छूट, NDFDC ऋण के माध्यम से वित्तीय समावेशन और सार्वभौमिक डिज़ाइन रीडिंग केंद्रों पर सहयोग सहित महत्त्वपूर्ण निर्णय दिये।
    - DEPwD ने NDFDC ऋण के तहत दिव्यांगजन उधारकर्त्ताओं को 1% ब्याज दर में छूट की घोषणा की है।
- **विकलांग व्यक्ति शिविर सहायता (ADIP) योजना:**
  - इस योजना में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं, जिसमें कुल 368.05 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान के साथ 2.91 लाख लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132

चर्चा में क्यों ?

न्यायमूर्ति के.एस.पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ, 2017 मामले में ऐतिहासिक निर्णय ने निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया। हालाँकि भारत में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 द्वारा दी गई अतिरिक्त-सांविधानिक शक्तियों के संबंध में चिंताएँ सामने आई हैं क्योंकि वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करती प्रतीत होती हैं।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 क्या है ?

- यह धारा वर्ष 1961 में आयकर अधिनियम, 1961 के भाग के रूप में, आय पर कराधान (अन्वेषण आयोग) अधिनियम, 1947 को प्रतिस्थापित करने के लिये प्रस्तुत की गई थी जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने सूरज मल मोहता बनाम ए.वी. विश्वनाथ शास्त्री (1954) मामले में रद्द कर दिया था क्योंकि न्यायालय के अनुसार इसमें करदाताओं के एक निश्चित वर्ग के साथ अन्य की तुलना में विशेष व्यवहार का प्रावधान था जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित एकसमान व्यवहार की गारंटी का हनन हुआ।
  - वर्ष 1922 में प्रस्तुत मूल आयकर कानून में खोज तथा ज़ब्ती शक्तियों का अभाव था।
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132, कर अधिकारियों को बिना किसी पूर्व न्यायिक वारंट के व्यक्तियों तथा संपत्तियों की खोज/तलाशी एवं ज़ब्ती करने का अधिकार देती है यदि उनके पास "संदेह करने का कारण" है कि व्यक्ति ने आय छुपाई है अथवा चोरी की है।
  - यह अधिकारियों को वित्तीय संपत्ति छिपाने के संदेह के आधार पर भवन, स्थानों, वाहनों अथवा विमानों की तलाशी लेने की शक्ति प्रदान करता है।
  - संबद्ध अधिकारी इस अधिनियम के तहत तलाशी अथवा सर्वेक्षण के दौरान किसी भी व्यक्ति के कब्ज़े में पाई गई ऐसी वस्तुओं को ज़ब्त कर सकते हैं। तलाशी के दौरान खोजी गई बहीखाते, धन, बुलियन, आभूषण अथवा अन्य मूल्यवान वस्तुओं को ज़ब्त करने की अनुमति देता है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 से संबंधित मामला

- **पूरन मल बनाम निरीक्षण निदेशक (1973):**
  - अमुक प्रावधान की सांविधानिकता को पूरन मल बनाम निरीक्षण निदेशक (1973) मामले में चुनौती दी गई थी।

नोट :

- सर्वोच्च न्यायालय ने एम.पी. शर्मा बनाम सतीश चंद्रा (1954) में अपने निर्णय का हवाला देते हुए कानून को बरकरार रखा और तर्क दिया कि खोज व ज़ब्ती की शक्ति सामाजिक सुरक्षा के बचाव के लिये आवश्यक है एवं विधि द्वारा विनियमित है।
- अदालत ने यह भी कहा कि संविधान तलाशी और ज़ब्ती के बारे में अमेरिकी चौथे संशोधन के समान निजता के मौलिक अधिकार को मान्यता नहीं देता है।
  - ❖ अमेरिकी चौथा संशोधन सरकार द्वारा अनुचित तलाशी और ज़ब्ती से बचाता है।
- यह निष्कर्ष निकाला गया कि तलाशी के लिये वैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 20(3) के तहत संवैधानिक सुरक्षा को पराजित नहीं करते हैं।

◆ एम.पी. शर्मा मामले में फैसला आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत तलाशी से संबंधित था, जबकि आयकर अधिनियम के तहत तलाशी के लिये न्यायिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है।

- एम.पी. शर्मा के फैसले को औपचारिक रूप से खारिज कर दिये जाने के बाद से कानून के बारे में न्यायालय की समझ बदल गई है। निजता का अधिकार अब संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्निहित माना जाता है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के संबंध में क्या चुनौतियाँ हैं ?

- **आनुपातिक सिद्धांत का उल्लंघन:**
  - ◆ आयकर अधिनियम की धारा 132, औपचारिक रूप से चुनौती नहीं दिये जाने के बावजूद, आनुपातिकता के सिद्धांत के संभावित उल्लंघन का सुझाव देती है।
    - तलाशी और ज़ब्त करने की राज्य की शक्ति को अब सामाजिक सुरक्षा के एक सरल उपकरण के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि यह आनुपातिकता के सिद्धांत के अधीन है। इसका मतलब यह है कि इसका उपयोग एक वैध उद्देश्य के लिये किया जाना चाहिये, तर्कसंगत रूप से अपने उद्देश्य से जुड़ा होना चाहिये, कोई वैकल्पिक कम दखल देने वाला साधन उपलब्ध नहीं होना चाहिये और चुने गए साधनों तथा उल्लंघन किये गए अधिकार के बीच संतुलन होना चाहिये।
    - सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य आयकर निदेशक बनाम लालजीभाई कांजीभाई मांडलिया, 2022 के मामले में "वेडनसबरी (Wednesbury)" अवधारणा पर निर्भरता प्रदर्शित की, जो ब्रिटेन की अदालत के फैसले से लिया गया प्रशासनिक समीक्षा का एक मानक है, जिसमें तलाशी को न्यायिक नहीं बल्कि प्रशासनिक माना गया है।
      - ❖ वेडनसबरी सिद्धांत कहता है कि यदि कोई निर्णय इतना अनुचित है कि कोई भी समझदार प्राधिकारी इसे कभी नहीं ले सकता है, तो ऐसे निर्णय न्यायिक समीक्षा के माध्यम से रद्द किये जा सकते हैं।
  - ◆ आलोचकों का तर्क है कि पुट्टस्वामी के बाद, वेडनसबरी मानदंड का कोई स्थान नहीं है, खासकर जहाँ बुनियादी अधिकार खतरे में हैं और किसी भी कार्यकारी कार्रवाई को वैधानिक कानून का सबसे सख्त अर्थ में पालन करना चाहिये।
- **निजता के अधिकार का हनन:**
  - ◆ निजता का अधिकार, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक बुनियादी अधिकार है, अनुचित तलाशी और ज़ब्ती के साथ-साथ गोपनीय रूप से व्यक्तिगत जानकारी से सुरक्षा प्रदान करता है।
  - ◆ हालाँकि आयकर की जाँच व्यक्तियों की सहमति के बिना उनकी गोपनीयता में हस्तक्षेप करती हैं, जो प्राय: अस्पष्ट आधारों पर आधारित होती हैं, जिससे संभावित दुरुपयोग होता है।
  - ◆ इसके अतिरिक्त, दुरुपयोग को रोकने और I-T जाँचों के अधीन व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिये पर्याप्त सुरक्षा उपायों तथा निरीक्षण तंत्र की कमी है।
    - कड़े सुरक्षा उपायों के अभाव के कारण व्यक्तियों को कर अधिकारियों द्वारा शक्ति के संभावित दुरुपयोग के लिये उजागर किया जाता है।
- जाँच की अवधि और शर्तें:
  - ◆ गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा उस छापेमारी पर सवाल उठाना जहाँ व्यक्तियों को कथित तौर पर उचित सुरक्षा उपायों के बिना कई दिनों तक आभासी हिरासत में रखा गया था, ऐसी खोजों की अवधि और शर्तों से संबद्ध चिंताओं को उजागर करता है।

आगे की राह

- धारा 132 के आवेदन की समीक्षा करने, वेंज़बरी सिद्धांत से हटकर कार्यकारी कार्यों की आनुपातिकता का आकलन करने के लिये अधिक कठोर जाँच मानक अपनाने में न्यायपालिका की भूमिका बढ़ाने की आवश्यकता है।

नोट :

- शिकायतों की जाँच करने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और शक्तियों के संभावित दुरुपयोग के मामलों में सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करने के अधिकार के साथ एक स्वतंत्र निरीक्षण तंत्र या लोकपाल स्थापित करने की आवश्यकता है।
- IT जाँच भी जाँचों की अवधि और सीमा के संदर्भ में सीमित होनी चाहिये।

कोच्चि-लक्षद्वीप द्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप के कावारत्ती में प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, जल संसाधन, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों को शामिल कर 1,150 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के बीच कोच्चि-लक्षद्वीप द्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन (KLI-SOFC) परियोजना का उद्घाटन किया।

KLI-SOFC परियोजना के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं ?

- **पृष्ठभूमि:**
  - लक्षद्वीप को डिजिटल कनेक्टिविटी की आवश्यकता थी, जिससे बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये अपर्याप्त बैंडविड्थ के कारण उपग्रह संचार में सीमाओं के कारण उच्च क्षमता वाली पनडुब्बी केबल लिंक को बढ़ावा मिला।
- **KLI-SOFC परियोजना:**
  - KLI-SOFC परियोजना से इंटरनेट की गति में वृद्धि होगी, नई संभावनाएँ और अवसर खुलेंगे।
  - यह परियोजना आज़ादी के बाद लक्षद्वीप में पहली बार सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल कनेक्टिविटी पेश करने जा रही है।
    - फाइबर ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल फाइबर, उस तकनीक को संदर्भित करता है जो ग्लास या प्लास्टिक फाइबर के साथ प्रकाश स्पंदनों के माध्यम से सूचनाओं का प्रसारण करता है।
  - यूनिवर्सल सर्विसेज़ ऑब्लिगेशन फंड (Universal Services Obligation Fund- USOF) द्वारा वित्त पोषित दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications- DOT) ने परियोजना को पूरा किया। भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) परियोजना इसकी निष्पादन एजेंसी थी।
  - KLI परियोजना ने मुख्य भूमि (कोच्चि) से ग्यारह लक्षद्वीप द्वीपों, कावारत्ती, अगत्ती, अमिनी, कदमत, चेटलेट, कल्पेनी, मिनिकॉय, एंड्रोथ, किल्टान, बंगाराम और बित्रा तक पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी का विस्तार किया है।

- **महत्त्व:**
  - यह परियोजना 'डिजिटल इंडिया' और 'नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन' के लक्ष्यों के अनुरूप है, जो लक्षद्वीप द्वीप समूह में विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन को बढ़ावा देती है।
    - इससे ई-गवर्नेंस, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वाणिज्य तथा उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा इससे द्वीप में लोगों के जीवन स्तर में और सुधार करने में भी मदद मिलेगी एवं इन क्षेत्रों में समग्र सामाजिक व आर्थिक विकास में तेज़ी आएगी।
  - लक्षद्वीप द्वीप समूह की आबादी को फाइबर टू द होम (FTTH) तथा 5G/4G मोबाइल नेटवर्क प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सुविधाजनक हाई-स्पीड वायरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
    - इस परियोजना द्वारा उत्पन्न बैंडविड्थ सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (Telecom Service Providers- TSP) के लिये सुलभ होगा, जो लक्षद्वीप द्वीप समूह में दूरसंचार सेवाओं को सुगम करेगा।

नोट :

लक्षद्वीप द्वीप समूह में अन्य परियोजनाएँ:

- **कदमत में निम्न तापमान थर्मल डिसेलिनेशन (Low-Temperature Thermal Desalination- LTTD) संयंत्र:**
  - यह प्रतिदिन 1.5 लाख लीटर स्वच्छ पेयजल का उत्पादन करता है। अगत्ती तथा मिनिकॉय द्वीप समूह में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (Functional Household Tap Connections- FHTC)।
    - अगत्ती तथा मिनिकॉय द्वीपों के सभी घरों में अब कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन हैं।
    - LTTD एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत गर्म सतह वाले समुद्री जल को निम्न दाब पर वाष्पित किया जाता है तथा वाष्प को ठंडे गहरे समुद्र के जल के साथ संघनित किया जाता है।
- **कवरत्ती में सौर ऊर्जा संयंत्र:**
  - यह लक्षद्वीप में पहली बैटरी समर्थित सौर ऊर्जा परियोजना है।
- **कल्पेनी में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा:**
  - कल्पेनी में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा के नवीनीकरण के लिये आधारशिला रखी गई।
- **मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र (नंद घर):**
  - एंड्रोथ, चेटलाट, कदमत, अगत्ती और मिनिकॉय द्वीपों में पाँच मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र (नंद घर) बनाए जाएंगे।

लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं ?

- 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश, लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है, जिसमें कुल 36 द्वीप शामिल हैं।
- इसकी राजधानी कावारत्ती है और यह केंद्रशासित प्रदेश का प्रमुख शहर भी है।
  - सभी द्वीप केरल के तटीय शहर कोच्चि से 220 से 440 किमी. दूर अरब सागर में स्थित हैं।
  - मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप नाम का अर्थ 'एक लाख द्वीप' होता है।
- लक्षद्वीप की जलवायु उष्णकटिबंधीय है और इसका औसत तापमान 27°C - 32°C रहता है।
  - चूँकि मानसून के दौरान जलवायु संतुलित होती है, इसलिये जहाज़ आधारित पर्यटन बंद हो जाता है।
- यह एक प्रशासक के माध्यम से सीधे केंद्र के नियंत्रण में है।
- संपूर्ण स्वदेशी आबादी को उनके आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन आदेश), 1956 के अनुसार, इस केंद्र शासित प्रदेश में कोई अनुसूचित जाति नहीं है।
- वर्ष 2020 में, लक्षद्वीप द्वीप समूह प्रशासन ने समुद्री खीरे के लिये दुनिया का पहला संरक्षण क्षेत्र डॉ. केके मोहम्मद कोया समुद्री खीरा संरक्षण रिज़र्व स्थापित किया, जो चेरियापानी रीफ में 239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।

पृथ्वी विज्ञान योजना

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना "पृथ्वी विज्ञान" (PRITHvi VIgyan- PRITHVI) को मंज़ूरी दी है।

- इस योजना में वर्तमान में चल रही पाँच उप-योजनाएँ शामिल हैं जिसका लक्ष्य पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में सुधार लाना तथा सामाजिक, पर्यावरण एवं आर्थिक कल्याण के लिये आवश्यक सेवाएँ प्रदान करना है।
- मंत्रिमंडल ने संयुक्त रूप से एक "लघु उपग्रह" विकसित करने के लिये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation- ISRO) तथा मॉरीशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल (MRIC) के बीच एक समझौते को भी मंज़ूरी दी।

नोट:

- भारत और मॉरीशस के बीच 1980 के दशक से सहयोग का इतिहास रहा है जब ISRO ने मॉरीशस में एक ग्राउंड स्टेशन की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य अपने प्रक्षेपण वाहन (Launch Vehicle) तथा उपग्रह मिशनों के लिये ट्रैकिंग व टेलीमेट्री संबंधी सहायता प्राप्त करना था।

"पृथ्वी विज्ञान (पृथ्वी)" योजना क्या है ?

- **परिचय:**
  - यह वर्ष 2021 से वर्ष 2026 की अवधि के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences- MoES) की एक व्यापक योजना है।
  - इसमें वर्तमान में चल रही पाँच उप-योजनाएँ शामिल हैं जो निम्नलिखित हैं:
    - अक्रॉस: वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान-प्रारूप निरीक्षण प्रणाली तथा सेवाएँ (Atmosphere and Climate Research-Modelling Observing Systems & Services- ACROSS)।

नोट :

- ओ-स्मार्ट: महासागर सेवाएँ, प्रारूप अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी (Ocean Services, Modelling Application, Resources and Technology-O-SMART)।
- पेसर: ध्रुवीय विज्ञान तथा क्रायोस्फीयर अनुसंधान (Polar Science and Cryosphere Research-PACER)।
- SAGE: भूकंप विज्ञान और भू-विज्ञान (Seismology and Geosciences)
  - ❖ इस योजना में छह गतिविधियाँ शामिल हैं, जिनमें भूकंपीय निगरानी और माइक्रोज़ोनेशन शामिल हैं। SAGE का लक्ष्य भूकंप की निगरानी और पृथ्वी के ठोस घटकों पर अनुसंधान को सुदृढ़ करना है।
- रीचआउट: अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और आउटरीच।

◆ PRITHVI योजना व्यापक रूप से भू-विज्ञान के पाँच घटकों: वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, हिममंडल और जीवमंडल की देखरेख करती है।
- इस समग्र दृष्टिकोण का उद्देश्य समझ को बढ़ाना और देश के लिये विश्वसनीय सेवाएँ प्रदान करना है।

● **उद्देश्य:**
- ◆ पृथ्वी प्रणाली और परिवर्तन के महत्त्वपूर्ण संकेतों को रिकॉर्ड करने के लिये वायुमंडल, महासागर, भूमंडल, हिममंडल तथा पृथ्वी के ठोस भाग के दीर्घकालिक अवलोकन को बढ़ाने एवं बनाए रखने के लिये।
- ◆ मौसम, महासागर और जलवायु संकटों को समझने, उनका पूर्वानुमान करने तथा जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को समझने के लिये मॉडलिंग सिस्टम का विकास।
- ◆ नई घटनाओं और संसाधनों के खोज की दिशा में पृथ्वी के ध्रुवीय तथा उच्च समुद्री क्षेत्रों की खोज;
- ◆ सामाजिक अनुप्रयोगों के लिये समुद्री संसाधनों की खोज और संधारणीय दोहन के लिये प्रौद्योगिकी का विकास।
- ◆ पृथ्वी प्रणाली विज्ञान से प्राप्त ज्ञान और अंतर्दृष्टि का सामाजिक, पर्यावरणीय तथा आर्थिक लाभ हेतु सेवाओं में रूपांतरण।

● **भारत के लिये लाभ:**
- ◆ PRITHVI चक्रवात, बाढ़, हीट वेव/ग्रीष्म लहर और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिये उन्नत चेतावनी सेवाएँ प्रदान करता है, जिससे त्वरित तथा प्रभावी आपदा प्रबंधन की सुविधा मिलती है।
- इसके अतिरिक्त, यह योजना भूमि और महासागर दोनों के लिये सटीक मौसम पूर्वानुमान सुनिश्चित करती है, सुरक्षा बढ़ाती है तथा प्रतिकूल मौसम की स्थिति में संपत्ति के नुकसान को कम करती है।
- ◆ PRITHVI ने पृथ्वी के तीन ध्रुवों, आर्कटिक, अंटार्कटिक और हिमालय तक अपनी पहुँच का विस्तार किया है तथा इन स्थानों के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई है।
- ◆ यह योजना पृथ्वी विज्ञान में आधुनिक प्रगति के साथ तालमेल बिठाते हुए समुद्री संसाधनों की खोज और टिकाऊ दोहन के लिये प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करती है।

वर्ष 2024 में OTT का दृश्य

चर्चा में क्यों ?

भारत में OTT मार्केट वर्तमान में मूल्य-संवेदनशील बाज़ार में विकास और लाभप्रदता के मध्य दुविधा से जूझ रहा है। वर्ष 2023 में, भारत में ओवर-द-टॉप (OTT) मार्केट ने महत्त्वपूर्ण व्यवधानों और चुनौतियों का अनुभव किया, जिससे इसके विकास में असंतुलन हुआ है।

ओवर-द-टॉप क्या है ?

● **परिचय:**
- ◆ OTT का मतलब "ओवर-द-टॉप (Over-The-Top)" है, यह शब्द पारंपरिक प्रसारण, केबल या सैटेलाइट टी.वी. प्लेटफार्मों को दरकिनार करते हुए दर्शकों को सीधे इंटरनेट पर सामग्री वितरण का वर्णन करने के लिये उपयोग किया जाता है।
- ◆ OTT बाज़ार उस उद्योग को संदर्भित करता है जो इंटरनेट के माध्यम से उपयोगकर्त्ताओं को स्ट्रीमिंग मीडिया सेवाएँ, फिल्में, टी.वी. शो, संगीत और अन्य सामग्री प्रदान करता है।
- ◆ उदाहरण: नेटफ्लिक्स (Netflix), डिज़्नी प्लस (Disney+), हुलु (Hulu), अमेज़ॅन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video), पीकॉक (Peacock), क्यूरियोसिटी-स्ट्रीम (CuriosityStream), प्लूटो टी.वी. (Pluto TV) और अन्य।

● **OTT के लाभ:**
- ◆ फ्लेक्सीबिलिटी और सुविधा:
  - उपयोगकर्त्ता विशिष्ट सुविधा प्राप्त करते हुए, कभी भी, कहीं भी, कई उपकरणों पर सामग्री को एक्सेस कर सकते हैं।

नोट :

- विविध सामग्री:
- OTT प्लेटफॉर्म विभिन्न पसंद और रुचियों को पूरा करने वाली फिल्मों, टी.वी. शो, वृत्तचित्र तथा मूल प्रस्तुतियों सहित सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं।

◆ वैयक्तिकरण:

- ये प्लेटफॉर्म देखने की आदतों, उपयोगकर्त्ता अनुभव और सामग्री खोज को बढ़ाने के आधार पर सामग्री की अनुशंसा करने के लिये एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं।

◆ लागत प्रभावशीलता:

- पारंपरिक केबल अथवा सैटेलाइट टी.वी. सब्सक्रिप्शन की तुलना में OTT सेवाएँ अमूमन अधिक किफायती मूल्य निर्धारण विकल्प प्रदान करती हैं, जिसमें विज्ञापन विकल्प अथवा सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने के साथ मुफ्त कॉन्टेंट/सामग्री की सुविधा प्रदान की जाती है।

◆ वैश्विक पहुँच:

- OTT प्लेटफॉर्म भौगोलिक बाधाओं का समाधान कर विश्व भर में उपयोगकर्त्ताओं को उनके मन चाहे स्थान पर सामग्री पहुँचाने में सहायता प्रदान करता है।

- **OTT की सीमाएँ:**

◆ इंटरनेट पर निर्भरता:

- OTT में निर्बाध स्ट्रीमिंग के लिये हाई-स्पीड इंटरनेट महत्त्वपूर्ण है। खराब कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में सामग्री तक पहुँच में बाधा का सामना करना पद सकता है।

◆ सामग्री की विविधता:

- विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर सामग्री संबंधी विशेषाधिकारों के परिणामस्वरूप दर्शकों की संख्या प्रभावित होती है जिससे विशेष शो अथवा फिल्मों तक पहुँचने के लिये उपयोगकर्त्ताओं को एकाधिक सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता हो सकती है।

◆ डेटा संबंधी चिंताएँ:

- OTT प्लेटफॉर्म सामग्री को उपयोगकर्त्ता के उपयुक्त बनाने के लिये उनका डेटा एकत्र करते हैं जिनका उपयोग अनुचित तरीके से किया जा सकता है अथवा उपयोगकर्त्ता सहमति के बिना तीसरे पक्ष के साथ डेटा साझा किया जा सकता है जिससे गोपनीयता संबंधी चिंताएँ बढ़ जाती हैं।

◆ सामग्री की गुणवत्ता तथा उपलब्धता:

- हालाँकि सामग्री की उपलब्धता अत्यधिक है किंतु सामग्री की गुणवत्ता भिन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त सामग्री की व्यापक उपलब्धता उपयोगकर्त्ताओं के लिये गुणवत्तापूर्ण सामग्री की खोज को अत्यधिक कठिन बना सकती है।

वर्ष 2023 में OTT की स्थिति तथा वर्ष 2024 हेतु इसका परिदृश्य क्या है?

- वर्ष 2023 में OTT परिदृश्य में निशुल्क प्रीमियम सामग्री की प्रस्तुति करने वाले प्लेटफॉर्म अन्य की तुलना में अत्यधिक प्रभावित हुए तथा निशुल्क प्रस्तुति करने के परिणामस्वरूप अंतत: उन्हें सब्सक्रिप्शन से प्राप्त आय में घाटे का सामना करना पड़ा।
- सामग्री संबंधी मुद्रीकरण की चुनौतियाँ बनी रहीं तथा उच्च सामग्री लागत के कारण कोई भी लाभ-अलाभ (break-even) की स्थिति में नहीं था।
- फ्रीमियम मॉडल की प्रस्तुति हुई जिससे पासवर्ड साझा करने तथा विज्ञापनों को एकीकृत करने पर अंकुश लगा। विनियामक चिंताएँ बनी रहीं किंतु सेंसरशिप को समर्थन नहीं दिया गया जिससे चयनात्मक डेटा साझाकरण को बढ़ावा मिला।
- वर्ष 2024 के परिदृश्य में प्रयोगात्मक सामग्री में गिरावट के साथ लागत-प्रभावशील सामग्री रणनीतियों की अपेक्षा है। Zee/Sony जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म के बीच विलय तथा RIL/Disney जैसे संभावित सहयोग बाज़ार की गतिशीलता को पुनर्गठित कर सकते हैं, जिससे सौदेबाज़ी की शक्ति एवं सामग्री लागत प्रभावित हो सकती है।
- मूल्य-निर्धारण रणनीतियाँ विज्ञापनों को साझा करने और एम्बेड करने पर संभावित तीव्र सीमाओं को विकसित करना जारी रखेंगी।
- धार्मिक या अल्पसंख्यक भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता पर बल देते हुए नियामक अनुपालन सख्त हो सकता है। दर्शकों के रुझान में पारदर्शिता बढ़ने से विज्ञापनदाताओं और रचनाकारों को मदद मिलेगी।

ओटीटी प्लेटफॉर्मों को विनियमित करने वाले कानून क्या हैं?

- ओटीटी प्लेटफॉर्मों को विनियमित करने के लिये, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology-MeitY) ने वर्ष 2022 में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 जारी किया।
- ओटीटी प्लेटफार्मों के लिये दिशानिर्देश एक सॉफ्ट-टच स्व-नियामक वास्तुकला स्थापित करते हैं, जिसमें आचार संहिता और तीन स्तरीय शिकायत निवारण प्रक्रिया शामिल है।
  - प्रत्येक प्रकाशक को 15 दिनों में शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिये भारत में स्थित एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना चाहिये।

नोट :

- इसके अलावा, प्रत्येक प्रकाशक को एक स्व-नियामक समूह में शामिल होना होगा। ऐसे संगठन को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ पंजीकृत होना होगा तथा 15 दिनों के अंदर प्रकाशन द्वारा हल नहीं किये गए मुद्दों का समाधान करना होगा।
- सूचना प्रसारण मंत्रालय और मंत्रालय द्वारा गठित अंतर-विभागीय समिति तृतीय-स्तरीय निरीक्षण तंत्र का गठन करती है।

- वे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की भागीदारी के बिना सामग्री के स्व-वर्गीकरण की सुविधा प्रदान करते हैं।

ओटीटी के बेहतर नियमन के लिये क्या किया जा सकता है?

- **स्व-विनियमन ढाँचा:**
  - पारंपरिक मीडिया के समान पारदर्शी सामग्री दिशानिर्देश और रेटिंग सिस्टम स्थापित करने के लिये ओटीटी प्लेटफॉर्मों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
  - उद्योग-आधारित स्व-नियमन रचनात्मकता को प्रभावित किये बिना चिंताओं को दूर कर सकता है।
- सहयोगात्मक निरीक्षण निकाय:
  - उद्योग विशेषज्ञों, हितधारकों और सरकारी प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए स्वतंत्र निकाय बनाना अनिवार्य है। ये निकाय सामग्री की निगरानी कर सकते हैं, शिकायतों की समीक्षा कर सकते हैं तथा उद्योग मानक निर्धारित कर सकते हैं।
- **स्पष्ट सामग्री वर्गीकरण और रेटिंग:**
  - उपयोगकर्त्ताओं को आयु-उपयुक्तता और सामग्री विषयों के आधार पर सूचित देखने के विकल्प चुनने में मदद करने के लिये मानकीकृत सामग्री वर्गीकरण प्रणालियों को लागू करने की आवश्यकता है।
- **डेटा शेयरिंग में पारदर्शिता:**
  - OTT प्लेटफार्मों को दर्शकों के रुझान को चुनिंदा रूप से निरीक्षण निकायों के साथ साझा करने, सामग्री मूल्यांकन में सहायता करने और दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये प्रोत्साहित कीजिये।
- **नियमित ऑडिट और अनुपालन जाँच:**
  - यह सुनिश्चित करने के लिये समय-समय पर ऑडिट करने की आवश्यकता है कि प्लेटफॉर्म स्थापित दिशा-निर्देशों का पालन करें, जवाबदेही और ज़िम्मेदार सामग्री क्यूरेशन को बढ़ावा दें।

निष्कर्ष

- OTT ने लचीलापन, विकल्प और सुविधा प्रदान करके लोगों के मनोरंजन के तरीके को बदल दिया है।
- तकनीकी प्रगति, बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं और मीडिया तथा मनोरंजन के गतिशील परिदृश्य के कारण बाज़ार का विकास जारी है।

मौजूदा परीक्षा प्रणाली पर चिंता

चर्चा में क्यों?

शिक्षा के निरंतर विकसित होते परिदृश्य में, परीक्षा प्रणाली अधिगम के परिणामों को आयाम देने और अकादमिक प्रमाण-पत्रों की विश्वसनीयता निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- हालाँकि, बार-बार होने वाले घोटालों, असंगत मानकों और रटकर याद करने पर व्यापक फोकस ने भारत में मौजूदा परीक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

भारत में मौजूदा परीक्षा प्रणाली के संबंध में क्या चिंताएँ हैं?

- **विश्वसनीयता और शैक्षिक मानक:**
  - परीक्षा सत्र के दौरान घोटाले परीक्षा बोर्डों की विश्वसनीयता पर असर डालते हैं।
  - विश्वसनीयता की कमी शैक्षिक मानकों को प्रभावित करती है क्योंकि शिक्षण परीक्षा पैटर्न के साथ संरेखित होता है, जो प्राय: रटने को बढ़ावा देता है।
- **अल्पकालिक स्मरण:**
  - मध्यावधि, सेमेस्टर परीक्षा और यूनिट परीक्षण एक लघु कार्यक्रम प्रदान करते हैं लेकिन अल्पकालिक स्मरण पैटर्न को प्रोत्साहित करते हैं।
  - छात्र प्राय: अंकों के लिये अध्ययन करते हैं और परीक्षा के तुरंत बाद सीखी गई पाठ/विषय वस्तु को भूल जाते हैं।
  - शिक्षा को अल्पकालिक स्मरणीय बनाने के बदले दीर्घकालिक अधिगम, आंतरिक ज्ञान के रूप में स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
    - शिक्षा प्रणाली को व्यावहारिक होना चाहिये, जिससे छात्रों की क्षमताओं का प्रभावी ढंग से परीक्षण किया जा सके।
- **मूल्यांकन गुणवत्ता:**
  - संस्थानों में योगात्मक परीक्षा की वैधता और तुलनीयता आज अर्थहीन है। ऐसी शिकायतें हैं कि परीक्षा बोर्ड केवल स्मृति का परीक्षण करते हैं, जिसके कारण छात्रों को उच्च-स्तरीय सोच विकसित करने के बदले उत्तर याद रखने के लिये प्रशिक्षित किया जाता है।
    - इसके अतिरिक्त, प्रश्न पत्रों में प्राय: भाषा की त्रुटियाँ, अप्रासंगिक प्रश्न और वैचारिकता में त्रुटियाँ जैसी गंभीर खामियाँ होती हैं।

नोट :

- परीक्षा प्रणाली नकल और कदाचार से ग्रस्त है, जैसे– नकल करना, लीक करना, प्रतिरूपण करना आदि।
  - यह मूल्यांकन और शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता को कमज़ोर करता है।
- **विकेंद्रीकृत प्रणाली:**
  - भारत में मूल्यांकन के विविध तरीकों के साथ कई उच्च शिक्षा परीक्षा प्रणालियाँ हैं, जिनमें 1,100 विश्वविद्यालय, 50,000 संबद्ध कॉलेज और 700 स्वायत्त कॉलेज शामिल हैं।
    - कुल छात्र नामांकन 40.15 मिलियन से अधिक है, जो उच्च शिक्षा क्षेत्र के विस्तार को दर्शाता है।
    - इसके अतिरिक्त, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये 60 स्कूल बोर्ड हैं, जो सालाना 15 मिलियन से अधिक छात्रों को प्रामाणित करते हैं।
  - गोपनीयता और मानकीकरण को अच्छे परीक्षा बोर्डों की पहचान माना जाता है, लेकिन उचित जाँच के बिना गोपनीयता घोटालों को जन्म देती है।
  - परीक्षाओं में एकरूपता, निरंतरता की मांग करते हुए, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम में प्रयोग में बाधा बन सकती है।
    - इससे शिक्षा की विश्वसनीयता पर बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। एक गतिशील और प्रभावी शिक्षा प्रणाली के लिये नवाचार की संभावना के साथ मानकीकरण को संतुलित करना आवश्यक है।
- **रोज़गार क्षमता पर प्रभाव:**
  - नियोक्ता उम्मीदवारों के मूल्यांकन के लिये संस्थागत प्रमाणपत्रों के बदले उनके मूल्यांकन पर भरोसा करते हैं।
    - उच्च स्तरीय शिक्षा पर ज़ोर रोज़गार के लिये महत्त्वपूर्ण है, फिर भी संस्थागत परीक्षाएँ प्राय: कम पड़ जाती हैं।
    - इसने बदले में प्रतियोगी परीक्षाओं और कौशल के लिये एक कोचिंग बाज़ार तैयार किया है।

परीक्षा प्रणाली में चुनौतियों का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

- **सीखने के परिणाम सुनिश्चित करना:**
  - स्पष्ट बेंचमार्क प्रदान करने के लिये सीखने के परिणामों के न्यूनतम मानक निर्दिष्ट किया जाए।
  - पाठ्यक्रम डिज़ाइन, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन प्रणालियों में योगदान करने के लिये सभी विषयों के शिक्षाविदों को प्रोत्साहित किया जाए।
- **विषय और कौशल-विशिष्ट मूल्यांकन:**
  - व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिये विषय-विशिष्ट और कौशल-विशिष्ट मूल्यांकन प्रक्रियाओं को शामिल किया जाए।
    - यह अपेक्षा की जाए कि विश्वविद्यालय की डिग्रियाँ और स्कूल बोर्ड प्रमाण-पत्र वास्तव में छात्रों की अधिगम की उपलब्धियों को प्रतिबिंबित किया जाए।
    - व्यापक और चुनौतीपूर्ण मूल्यांकन का समर्थन किया जाए जो छात्रों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर अलग कर सकें।
  - शिक्षक की भागीदारी और छात्र की भागीदारी के साथ पूरे पाठ्यक्रम में निरंतर मूल्यांकन पर ज़ोर दिया जाए।
  - नियंत्रण और संतुलन लागू करके योगात्मक मूल्यांकन और मूल्यांकन को पारदर्शी बनाए जाएं।
- **विश्वसनीयता हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएं:**
  - विश्वसनीयता बढ़ाने, प्रश्नपत्रों और मूल्यांकन को मानकीकृत करने के लिये मूल्यांकन में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए।
  - केंद्रीकृत और वितरित मूल्यांकन प्रणालियों दोनों के लिये बाज़ार में उपलब्ध सॉफ्टवेयर समाधानों का अन्वेषण किया जाए।
- **मूल्यांकन प्रणालियों का बाहरी ऑडिट:**
  - विश्वविद्यालयों और स्कूल बोर्डों में मूल्यांकन प्रणालियों का नियमित बाहरी ऑडिट किया जाए।
  - विश्वसनीयता और निरंतरता सुनिश्चित करते हुए ऑडिट रिपोर्ट के लिये बेंचमार्क सिद्धांत तथा मानक स्थापित किया जाए।
  - पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निरंतरता के आधार पर ग्रेड परीक्षा बोर्ड, ऑडिट रिपोर्ट में इन पहलुओं को दर्शाते हैं।
- **छात्रों के लिये पारदर्शिता उपाय:**
  - पारदर्शिता के लिये उपाय लागू किया जाए, जिससे छात्रों को मूल्यांकन प्रक्रिया तक पहुँचने और शिकायतों का समाधान करने की अनुमति मिले।

शिक्षा से संबंधित पहलें

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
- नई शिक्षा नीति 2020
- सर्व शिक्षा अभियान (SSA)
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)
- राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA)
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा

हिट-एंड-रन कानून से संबंधित चिंताएँ

चर्चा में क्यों?

महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल तथा पंजाब जैसे राज्यों में ट्रांसपोर्टरों तथा वाणिज्यिक ड्राइवरों के हालिया विरोध प्रदर्शन ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की विवादास्पद धारा 106 (2) पर प्रकाश डाला है।

नोट :

- यह धारा जो हिट-एंड-रन की घटनाओं के लिये गंभीर दंड का प्रावधान करती है, वाहनचालकों के बीच असंतोष का केंद्र बिंदु बन गई है।
- सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि वह हिट-एंड-रन के विरुद्ध विवादास्पद कानून क्रियान्वित करने से पूर्व हितधारकों से परामर्श करेगी जिससे पूरे देश के ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल समाप्त कर दी है।

हिट-एंड-रन कानून क्या है ?

- **उपबंध:**
  - हिट-एंड-रन उपबंध भारतीय न्याय संहिता (BNS) का हिस्सा है जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, 1860 को प्रतिस्थापित करना है।
    - BNS, 2023 की धारा 106 (2) में दुर्घटना स्थल से भागने तथा किसी पुलिस अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट को घटना की रिपोर्ट करने में विफल रहने पर 10 वर्ष तक की कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान है।
    - हालाँकि यदि ड्राइवर दुर्घटना के तुरंत बाद घटना की रिपोर्ट करता है तो उन पर धारा 106(2) के स्थान पर धारा 106(1) के तहत आरोप सिद्ध किया जाएगा। धारा 106(1) में गैर-इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आने वाली मौत (लापरवाही के कारण होने वाली मौत) के लिये पाँच वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है ।
- **आवश्यकता:**
  - यह नया कानून भारत में सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित चिंताजनक आँकड़ों की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया है।
    - वर्ष 2022 में भारत में 1.68 लाख से अधिक सड़क दुर्घटना मौतें दर्ज की गईं अर्थात् प्रतिदिन औसतन 462 मौतें हुई।
    - भारत में सड़क दुर्घटनाओं में 12% की वृद्धि तथा मृत्यु दर में 9.4% की वृद्धि देखी गई जबकि वैश्विक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में 5% की कमी आई।
      - भारत में सड़क दुर्घटनाओं के कारण प्रति घंटे औसतन 19 मौतें होती हैं जिसके अनुसार लगभग प्रत्येक साढ़े तीन मिनट में एक मौत होती है।
    - आधे से अधिक सड़क पर मौतें राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर हुईं, जो कुल सड़क नेटवर्क का 5% से भी कम है।
    - भारत, दुनिया के केवल 1% वाहनों के साथ, दुर्घटना-संबंधी मौतों में लगभग 10% का योगदान देता है और सड़क दुर्घटनाओं के कारण अपने सकल घरेलू उत्पाद का 5-7% वार्षिक आर्थिक नुकसान झेलता है।
- **विधि के अंतर्निहित सिद्धांत:**
  - राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2022 में 47,806 हिट एंड रन की घटनाएँ दर्ज कीं, जिसके परिणामस्वरूप 50,815 लोगों की मौत हो गई।
    - पुलिस या मजिस्ट्रेट को सड़क दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करना अपराधियों का कानूनी कर्त्तव्य है और इस कर्त्तव्य की चूक को आपराधिक बनाने के प्रावधान हैं।
  - हिट-एंड-रन कानून की धारा 106 (2) का अंतर्निहित तेज़ गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने को रोकना तथा उन लोगों को दंडित करना है जो पीड़ितों की सूचना दिये बिना या उनकी मदद किये बिना घटनास्थल से भाग जाते हैं।
  - यह कानून अपराधी पर पीड़ित के प्रति नैतिक ज़िम्मेदारी लागू करने की विधायी मंशा को दर्शाता है।
    - मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 134 जैसे मौजूदा कानूनों के साथ समानताएँ दर्शाते हुए, दुर्घटनाओं के बाद ड्राइवरों से त्वरित और ज़िम्मेदार प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिये सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया है।
      - मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 134 के तहत वाहन के चालक को घायल व्यक्ति के लिये चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने के लिये सभी उचित कदम उठाने की आवश्यकता होती है, जब तक कि भीड़ के गुस्से या उसके नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से यह संभव न हो।

प्रदर्शनकारियों की चिंताएँ क्या हैं ?

- **BNS, 2023 की धारा 106 (2):**
  - ट्रांसपोर्टर और वाणिज्यिक चालक BNS, 2023 की धारा 106 (2) को वापस लेने या संशोधन की मांग कर रहे हैं।
  - प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए जुर्माने सहित निर्धारित दोनों दंड अत्यधिक गंभीर हैं।
  - व्यापक रूप से प्रसारित यह विचार कि BNS की धारा 106 (2) दुर्घटना स्थल से भागने और पुलिस अधिकारी/मजिस्ट्रेट को घटना की रिपोर्ट करने में विफल रहने पर 10 साल तक की कैद तथा 7 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान करती है, पूरी तरह से गलत है।
    - हालाँकि इस धारा में अधिकतम 10 साल की सज़ा और जुर्माने की चर्चा है, लेकिन BNS में 7 लाख रुपए के जुर्माने के बारे में कोई वास्तविक उल्लेख नहीं है।

नोट :

नोट:

- मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 161 के तहत हिट एंड रन में पीड़ित की मृत्यु होने पर 2,00,000 रुपए के मुआवज़े का प्रावधान किया गया है।
  - मृत्यु पर मुआवज़ा 2 लाख रुपए और गंभीर चोट पर 50,000 रुपए है। BNS की धारा 106 (2) के विपरीत, इस मामले में मुआवज़ा ड्राइवरों से वसूल नहीं किया जा सकता है।
- **चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ:**
  - उनका तर्क है कि जुर्माना अत्यधिक है और ड्राइवरों की चुनौतीपूर्ण कार्य स्थितियों, जैसे लंबे समय तक ड्राइविंग तथा कठिन सड़कों पर विचार करने में विफल रहता है।
  - ट्रांसपोर्टरों का यह भी तर्क है कि दुर्घटनाएँ ड्राइवर के नियंत्रण से परे कारकों के कारण हो सकती हैं, जैसे– कोहरे के कारण खराब दृश्यता और दुर्घटना स्थलों पर सहायता के लिये रुकने पर ड्राइवरों के खिलाफ भीड़ की हिंसा का डर।
    - दुर्घटनाओं के बाद हिंसा का डर ड्राइवरों के लिये निर्णय लेने की प्रक्रिया को और जटिल बना देता है।
- **अनुचित दोष माना गया:**
  - ड्राइवरों का तर्क है कि वास्तविक परिस्थितियों के बावजूद, दुर्घटनाओं के लिये अक्सर उन्हें गलत तरीके से दोषी ठहराया जाता है।
  - कानून का दंडात्मक दृष्टिकोण अनुचित धारणा को बढ़ा सकता है और परिवहन उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
- अधिकारियों द्वारा संभावित दुरुपयोग:
  - उन्हें चिंता है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है और कठोर दंड से समग्र रूप से परिवहन उद्योग को नुकसान हो सकता है।
- **अनुचित व्यवहार और सीमित वर्गीकरण:**
  - वर्तमान कानून ट्रक चालकों और व्यक्तिगत वाहन चालकों पर लगाए गए दंड की निष्पक्षता के बारे में चिंता पैदा करता है।
    - उदाहरण के लिये जल्दबाज़ी या लापरवाही से काम करने की स्थिति में डॉक्टरों के लिये BNS की धारा 106 (1) के तहत एक अपवाद बनाया गया है, जहाँ जुर्माने के साथ दो वर्ष तक की सज़ा होगी।
  - यह सीमित वर्गीकरण समस्याग्रस्त है और समानता के सिद्धांतों के विरुद्ध है, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले विभिन्न प्रकार के लोगों के दायित्व को भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है।
- **विभेदीकरण का अभाव:**
  - धारा 106(2) में तेज़ गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के बीच अंतर का अभाव है, जो दायित्व के विभिन्न स्तरों के साथ दो अलग-अलग प्रकार के अपराध हैं।
    - उनका यह भी तर्क है कि इस अनुभाग में लापरवाह कृत्यों में योगदान देने वाले कारकों पर विचार नहीं किया गया है, जैसे कि यात्रियों का व्यवहार, सड़क की स्थिति, सड़क पर रोशनी की व्यवस्था और अन्य समान कारक, जो चालक की ज़िम्मेदारी को प्रभावित कर सकते हैं।
  - सभी स्थितियों में एक खंड लागू करने से विभिन्न परिस्थितियों में ड्राइवरों पर अनुचित पूर्वाग्रह हो सकता है।

आगे की राह

- चिंताओं को दूर करने और विविध दृष्टिकोण जुटाने के लिये हितधारकों, विशेष रूप से ड्राइवरों व परिवहन संघों के साथ व्यापक परामर्श शुरू किया जाना चाहिये।
  - आपातकालीन अनुक्रिया के लिये एक स्पष्ट और मानकीकृत प्रोटोकॉल स्थापित की जानी चाहिये, जिसमें संभावित हिंसा के लिये ड्राइवरों को उजागर किये बिना शीघ्र रिपोर्टिंग के महत्त्व पर ज़ोर दिया जाए।
- BNS की धारा 106 (2) के तहत मौजूदा हिट-एंड-रन कानून दुर्घटनाओं के विभिन्न प्रकारों और परिणामों के बीच अंतर/विभेद नहीं करता है।
  - कानून को देनदारियों के आधार पर विभिन्न पैमानों में वर्गीकृत किया जाना चाहिये, जैसे– मृत्यु, गंभीर चोट, साधारण चोट या छोटी चोटें तथा इसके लिये दंड अपराध के अनुरूप होनी चाहिये।
- कानून को रिपोर्टिंग प्रक्रिया और ड्राइवरों के लिये अपनी बेगुनाही या अपराध को कम करने वाले कारकों को साबित करने के लिये आवश्यक सबूतों को भी स्पष्ट करना चाहिये।
- सड़क दुर्घटनाओं में मामूली चोट आने को आपराधिक कृत्यों के बराबर नहीं माना जाना चाहिये बल्कि सामुदायिक सेवा, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना या अनिवार्य ड्राइविंग दोबारा परीक्षण जैसे वैकल्पिक उपाय लागू करने चाहिये।
- दुर्घटनाओं को कम करने और हिट-एंड-रन घटनाओं की संभावना को कम करने के लिये बेहतर सड़क बुनियादी ढाँचे, दृश्यता उपायों तथा सुरक्षा सुविधाओं में निवेश किया जाना चाहिये।
- प्रभावी हिट-एंड-रन कानून के साथ अन्य देशों के सफल मॉडल और सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन कर उन्हें भारतीय संदर्भ में अपनाने की आवश्यकता है।

नोट :

सरकार द्वारा वेबसाइट ब्लॉक करना

चर्चा में क्यों ?

सूचना का अधिकार (Right to Information - RTI) आवेदन के जवाब से पता चलता है कि वेबसाइट ब्लॉक करने के आदेश 2013 से अक्टूबर 2023 तक 100 गुना से अधिक बढ़ गए हैं।

भारत में वेबसाइट ब्लॉकिंग ऑर्डर के रुझान क्या हैं ?

- केंद्र सरकार ने 2013 में 62 और 2023 में अक्टूबर तक 6,954 वेबसाइट ब्लॉक करने के आदेश जारी किये।
- ये आदेश सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology - IT) अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत जारी किये गए हैं।
- वेबसाइट ब्लॉकिंग ऑर्डर में वृद्धि इंटरनेट के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ-साथ हुई है, खासकर 2016 में मोबाइल डेटा की कीमतों में पर्याप्त कमी के बाद से।
- ब्लॉक किये गए अधिकांश वेब पेज व्यक्तिगत पोस्ट, वीडियो या प्रोफ़ाइल होने की संभावना है।
- आवश्यकता पड़ने पर या यदि वे देश के कानूनों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं या अदालत के आदेशों के अनुसार उन्हें ब्लॉक करने की आवश्यकता है, तो तत्काल वेब/एप्लिकेशन सर्वर के स्थान का पता लगाया जाता है।

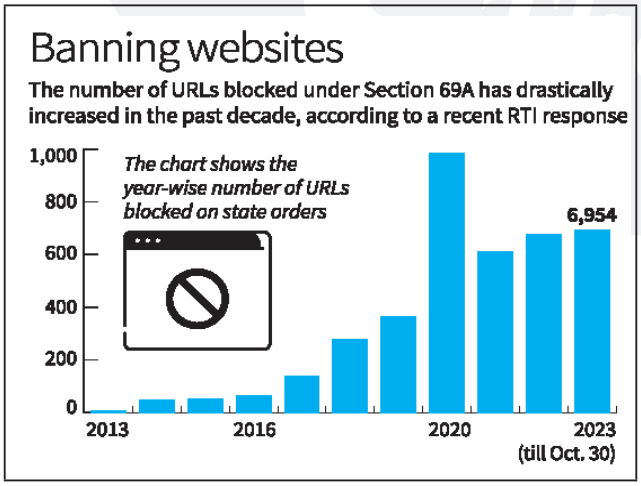

वेबसाइटों या ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने के लिये सरकार के भीतर कानूनी ढाँचा क्या है ?

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act), 2000:**
  - भारत में, IT अधिनियम, 2000, समय-समय पर संशोधित, कंप्यूटर संसाधनों के उपयोग से संबंधित सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
  - इसमें वे सभी 'मध्यस्थ' शामिल हैं जो कंप्यूटर संसाधनों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के उपयोग में भूमिका निभाते हैं।
    - IT अधिनियम 2000 के तहत इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 (Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021) मध्यवर्ती संस्थाओं तथा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों की सामग्री एवं आचरण को नियंत्रित करता है जिसके परिणामस्वरूप कथित तौर पर नियमों का उल्लंघन करने वाले चैनल व कई वेबसाइटें अवरुद्ध हो गई हैं।
- **IT अधिनियम की धारा 69:**
  - यह केंद्र तथा राज्य सरकारों को "किसी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, प्रसारित, प्राप्त अथवा संग्रहीत किसी भी जानकारी को रोकने, निगरानी करने अथवा डिक्रिप्ट करने" के निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
  - जिन आधारों पर इन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है वे हैं:
    - भारत की संप्रभुता अथवा अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य सुरक्षा हित।
    - विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध।
    - सार्वजनिक व्यवस्था अथवा इनसे संबंधित किसी संज्ञेय अपराध के लिये उद्दीपन को रोकना।
    - किसी भी अपराध की जाँच हेतु।

सरकार वेबसाइटों को ब्लॉक क्यों करती है और उन्हें ब्लॉक करने में क्या चुनौतियाँ हैं ?

- सरकारी वेबसाइट को अवरुद्ध करना मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और कानूनी नियमों से संबंधित चिंताओं से प्रेरित है।
- इसका उद्देश्य आतंकवाद, घृणास्पद भाषण अथवा विधि-विरुद्ध सामग्री जैसे खतरों का मुकाबला करना है।
- हालाँकि इस अभ्यास को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उपयोगकर्त्ता VPN जैसे टूल का उपयोग करके आसानी से ब्लॉक्ड चैनल अथवा साइट पर पहुँच सरल बना लेते हैं जिससे प्रवर्तन मुश्किल हो जाता है।
  - VPN का अर्थ "वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क" है तथा यह सार्वजनिक नेटवर्क का उपयोग करते समय एक संरक्षित नेटवर्क कनेक्शन उपयोग करने में सहायता प्रदान करता है।

नोट :

- वेब ब्राउज़र तथा फर्मों द्वारा उपयोग की जाने वाली एन्क्रिप्शन तकनीकों में विकास के कारण वेबसाइट ब्लॉक करना बहुत कठिन हो गया है जिससे इंटरनेट प्रदाताओं की अपने उपयोगकर्त्ताओं की गतिविधि पर निगरानी रखने में बाधा बढ़ती जा रही है।

सरकार द्वारा वेबसाइटों को ब्लॉक करने के क्या निहितार्थ हैं ?

- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव:**
  - वेबसाइट को अवरुद्ध करना, विशेषकर जब वह उचित न हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में चिंताएँ उत्पन्न कर सकता है। राष्ट्रीय हितों की रक्षा और नागरिकों के अपनी राय व्यक्त करने के अधिकारों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना महत्त्वपूर्ण है।
- **सूचना पहुँच पर प्रभाव:**
  - वेबसाइटों को ब्लॉक करने से बहुमूल्य जानकारी और विविध दृष्टिकोणों तक पहुँच में बाधा आ सकती है। इससे जनता की विभिन्न मुद्दों के बारे में सूचित रहने और सही निर्णय लेने की क्षमता सीमित हो सकती है।
  - यदि सरकार उचित परिश्रम के बिना वेबसाइटों को ब्लॉक कर देती है, तो यह अनजाने में ज्ञान के प्रसार को बाधित कर सकता है और जनता के सूचना तक पहुँचने के अधिकार में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- **आर्थिक परिणाम:**
  - वेबसाइटों को अवरुद्ध करने से हानिकारक आर्थिक परिणाम हो सकते हैं, विशेषकर यदि यह उन प्लेटफार्मों पर होस्ट किये गए वैध व्यवसायों के संचालन को बाधित करता है।
  - यदि व्यवसायों और उद्यमियों की वेबसाइटें अवरुद्ध कर दी जाती हैं, तो उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे न केवल उनके संप्राप्ति पर असर पड़ेगा, बल्कि संभावित रूप से नवाचार और आर्थिक विकास भी प्रभावित होगा।
- **सार्वजनिक धारणा और विश्वास:**
  - वेबसाइटों को ब्लॉक करने के सरकार के निर्णय लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने की क्षमता में जनता की धारणा और विश्वास को आकार दे सकते हैं।
  - यदि जनता वेबसाइट ब्लॉकिंग को मनमाना या अनुचित मानती है, तो इससे सरकारी संस्थानों में विश्वास की हानि हो सकती है, जो संभावित रूप से समग्र नागरिक सहभागिता को प्रभावित कर सकती है।

आगे की राह

- वेबसाइट ब्लॉकिंग की दक्षता को बेहतर करने के लिये अमेज़ॅन वेब सर्विसेज़, गूगल क्लाउड और क्लाउडफ्लेयर जैसे प्रमुख कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (CDN) के साथ सहयोग का पता लगाया जा सकता है। CDN सामग्री वितरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और विशिष्ट सामग्री को अवरुद्ध करने हेतु अधिक प्रभावी तंत्र प्रदान कर सकते हैं।
- जबकि सरकारें वेबसाइट ब्लॉकिंग के माध्यम से वास्तविक खतरों को संबोधित करना चाहती हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यवसायों और सार्वजनिक विश्वास पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिये सावधानीपूर्वक विचार एवं पारदर्शी, जवाबदेह प्रक्रियाएँ आवश्यक हैं।

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने प्रधान मंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) पर प्रकाश डाला, जो प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY), अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये विशेष केंद्रीय सहायता (SCA से SCSP) ,और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY) सहित तीन केंद्र प्रायोजित योजनाओं को मिलाकर एक व्यापक योजना है।

- वित्तीय वर्ष 2021-22 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य कौशल विकास, आय-सृजन योजनाओं और विभिन्न पहलों के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करके अनुसूचित जाति समुदायों का उत्थान करना है।

PM-AJAY की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ?

- **उद्देश्य:**
  - कौशल विकास, आय-सृजन योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से अतिरिक्त रोज़गार के अवसर पैदा करके अनुसूचित जाति समुदायों में गरीबी को कम करना।
  - भारत के आकांक्षी ज़िलों/अनुसूचित जाति बहुल ब्लॉकों और अन्य जगहों पर गुणवत्तापूर्ण संस्थानों में पर्याप्त आवासीय सुविधाएँ प्रदान करके साक्षरता बढ़ाना तथा स्कूलों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति के नामांकन को प्रोत्साहित करना।
- **PM-AJAY के घटक:**
  - अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों का "आदर्शग्राम" के रूप में विकास:

नोट :

- इस घटक को पहले प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) के नाम से जाना जाता था।
- इस घटक का उद्देश्य अनुसूचित जाति-बहुल ग्रामों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना है।

◆ सामाजिक-आर्थिक विकास आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त बुनियादी ढाँचा प्रदान करना।

◆ चिह्नित सामाजिक-आर्थिक संकेतकों (निगरानी योग्य संकेतक) में लक्ष्य सुधार।

- निगरानी योग्य संकेतक 10 डोमेन में वितरित किये गए हैं। इन डोमेन में पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें एवं आवास, ऊर्जा व स्वच्छ ईंधन, कृषि पद्धतियाँ, वित्तीय समावेशन, डिजिटलीकरण और आजीविका एवं कौशल विकास जैसे महत्त्वपूर्ण पहलू शामिल हैं।

◆ अनुसूचित जाति और गैर-अनुसूचित जाति आबादी के बीच असमानता को समाप्त करना।

◆ सभी अनुसूचित जाति के बच्चों के लिये कम-से-कम माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा पूरी करना सुनिश्चित करना।

◆ मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को बढ़ाने वाले कारकों का पता लगाना।

◆ विशेषकर बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की घटनाओं को समाप्त करना।

- उपलब्धियाँ:

◆ आदर्श ग्राम घटक के तहत, वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 1834 गाँवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है।

◆ ज़िला/राज्य-स्तरीय परियोजनाओं के लिये 'सहायता अनुदान':

- इस घटक को पूर्व में अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में जाना जाता था।
- इस योजना का लक्ष्य निम्नलिखित प्रकार की परियोजनाओं के लिये अनुदान के माध्यम से अनुसूचित जाति का सामाजिक-आर्थिक विकास करना है:

◆ व्यापक आजीविका परियोजनाएँ:

- ऐसी परियोजनाएँ जो अनुसूचित जाति के लिये स्थायी आय उत्पन्न करने अथवा सामाजिक उन्नति के लिये एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं, उन्हें ही शुरू किया जाएगा।
- ये परियोजनाएँ अधिमानत: निम्नलिखित में से दो या अधिक का संयोजन होनी चाहिये:
- **कौशल विकास:**

◆ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मानदंडों के अनुसार कौशल पाठ्यक्रम तैयार करना। सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास गतिविधियों के संचालन के लिये संबंधित सुविधाएँ तथा बुनियादी ढाँचा प्रदान करना। इसके अंतर्गत कौशल विकास संस्थानों को भी वित्त पोषित किया जा सकता है।

- **लाभार्थियों/परिवारों के लिये परिसंपत्तियों के निर्माण/अधिग्रहण हेतु अनुदान:**

◆ योजना के अंतर्गत एकल व्यक्तिगत परिसंपत्ति वितरण होगा। हालाँकि, यदि परियोजना में लाभार्थियों/परिवारों के लिये आजीविका सृजन के लिये आवश्यक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण का प्रावधान है तो ऐसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण के लिये लाभार्थी द्वारा लिये गए ऋण के लिये वित्तीय सहायता, प्रति लाभार्थी/घर 50,000 रुपए अथवा परिसंपत्ति लागत का 50 प्रतिशत तक जो भी कम हो, तक होगी।

- **बुनियादी ढाँचे का विकास:**

◆ परियोजना से संबंधित बुनियादी ढाँचे तथा छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों का विकास किया जाएगा।

◆ विशेष प्रावधान:

- अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये कुल अनुदान का 15 प्रतिशत तक विशेष रूप से व्यवहार्य आय उत्पन्न करने वाली आर्थिक विकास योजनाएँ/कार्यक्रम के संचालन का प्रावधान।
- बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये कुल अनुदान का 30 प्रतिशत तक उपयोग किया जाएगा।
- जो कौशल विकास के लिये कुल निधि का कम-से-कम 10 प्रतिशत हो।
- कौशल विकास के लिये कुल निधि का कम-से-कम 10% उपयोग किया जाएगा।
- उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा विपणन में लगी अनुसूचित जाति महिला सहकारी समितियों को बढ़ावा देना।

- उपलब्धियाँ:

◆ वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अनुदान सहायता घटक के तहत 17 राज्यों के लिये परिप्रेक्ष्य योजना को मंज़ूरी दी गई है।

◆ उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रावासों का निर्माण:

- यह अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने और स्कूल छोड़ने की दर को कम करने में सक्षम तथा प्रोत्साहित करता है, इसे राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों एवं केंद्रीय व राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

◆ छात्रावासों के निर्माण/विस्तार के लिये लागत मानदंड निम्नानुसार होंगे:

नोट :

- उत्तर पूर्वी क्षेत्र: प्रति कैदी 3.50 लाख रुपए।
- उत्तरी हिमालयी क्षेत्र: प्रति कैदी 3.25 लाख रुपए।
- गंगा के मैदान और निचले हिमालयी क्षेत्र: प्रति कैदी 3.00 लाख रुपए।
  - लड़कों के छात्रावासों के लिये भी 100% केंद्रीय सहायता - पहले यह राज्य के साथ लागत साझा करती थी।
    - सफलता:
  - वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 15 नए छात्रावासों को मंज़ूरी दी गई है।

अंग प्रत्यारोपण में सुधार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जीवित दाताओं से जुड़े अंग प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिये 6 से 8 सप्ताह की समय सीमा का प्रस्ताव दिया है।

- उच्च न्यायालय ने सरकार को मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम {The Transplantation of Human Organs and Tissues (THOT) Act },1994 और मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण नियम (THOT नियम), 2014 के अनुसार अंग दान आवेदनों के सभी चरणों के लिये विशिष्ट समय-सीमा स्थापित करने का निर्देश दिया।

मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम,1994 क्या है ?

- **परिचय:**
  - यह कानून भारत में मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण को नियंत्रित करता है, जिसमें मृत्यु के बाद अंगों का दान भी शामिल है।
  - यह स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और अस्पतालों को नियंत्रित करने वाले नियम बनाता है तथा उल्लंघन के लिये दंड निर्धारित करता है।
- **अंग दाता और प्राप्तकर्त्ता:**
  - प्रत्यारोपण या तो मृत व्यक्तियों के अंगों से हो सकता है जो उनके रिश्तेदारों द्वारा दान किया गया हो या किसी जीवित व्यक्ति से हो सकता है जो प्राप्तकर्त्ता को पता हो।
  - अधिकतर मामलों में, अधिनियम माता-पिता, भाई-बहन, बच्चों, पति-पत्नी, दादा-दादी और पोते-पोतियों जैसे करीबी रिश्तेदारों से जीवनयापन के लिये दान की अनुमति देता है।
- **दूर के रिश्तेदारों और विदेशियों से दान:**
  - दूर के रिश्तेदारों, ससुराल वालों या लंबे समय के दोस्तों से परोपकारी दान को अतिरिक्त जाँच के बाद अनुमति दी जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई वित्तीय विनिमय न हो।
  - भारतीयों या विदेशियों से जुड़े करीबी रिश्तेदारों से जीवित दान के साथ उनकी पहचान स्थापित करने वाले दस्तावेज़, परिवार और दाता-प्राप्तकर्त्ता संबंध साबित करने फोटोग्राफिक साक्ष्य की शामिल होने चाहिये।
    - दानकर्त्ताओं और प्राप्तकर्त्ताओं का भी साक्षात्कार लिया जाता है।
- **असंबद्ध व्यक्तियों से दान:**
  - असंबद्ध व्यक्तियों से दान के लिये प्राप्तकर्त्ता के साथ उनके दीर्घकालिक संबंध या मित्रता को साबित करने के लिये दस्तावेज़ों और फोटोग्राफिक साक्ष्य की आवश्यकता होती है।
  - अवैध लेन-देन को रोकने के लिये एक बाहरी समिति द्वारा इनकी जाँच की जाती है।
- **जुर्माना एवं दण्ड:**
  - अंगों के लिये भुगतान की पेशकश करना या भुगतान के लिये उनकी आपूर्ति करना, ऐसी व्यवस्था शुरू करना, बातचीत करना या विज्ञापन करना, अंगों की आपूर्ति के लिये व्यक्तियों की तलाश करना और झूठे दस्तावेज़ तैयार करने में सहयोग करने पर 10 साल तक की जेल तथा 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
- **NOTTO का गठन:**
  - राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (National Organ and Tissue Transplant Organization- NOTTO) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य तथा परिवार मंत्रालय के तहत स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है।
    - इसे मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 के अनुसार अनिवार्य किया गया है।
    - NOTTO का राष्ट्रीय नेटवर्क प्रभाग देश में अंगों और ऊतकों की खरीद तथा वितरण एवं अंगों व ऊतकों के दान और प्रत्यारोपण की रजिस्ट्री के लिये समन्वय तथा नेटवर्किंग की अखिल भारतीय गतिविधियों के लिये शीर्ष केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

नोट :

THOT नियम, 2014 क्या हैं ?

- **प्राधिकरण समिति:**
  - वर्ष 2014 के नियमों का नियम 7 प्राधिकरण समिति के गठन और उसके द्वारा की जाने वाली जाँच तथा मूल्यांकन की प्रकृति का प्रावधान करता है।
  - नियम 7(3) में कहा गया है कि समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ऐसे मामलों में कोई वाणिज्यिक लेन-देन शामिल नहीं है जहाँ दाता और प्राप्तकर्त्ता करीबी संबंधी नहीं हैं।
    - नियम 7(5) कहता है कि यदि प्राप्तकर्त्ता गंभीर स्थिति में है और एक सप्ताह के भीतर प्रत्यारोपण की आवश्यकता है, तो शीघ्र मूल्यांकन के लिये अस्पताल से संपर्क किया जा सकता है।
- **जीवित दाता प्रत्यारोपण:**
  - जीवित दाता प्रत्यारोपण के लिये नियम 10 आवेदन प्रक्रिया का वर्णन करता है, जिसके लिये दाता और प्राप्तकर्त्ता द्वारा संयुक्त आवेदन की आवश्यकता होती है।
  - नियम 21 के अनुसार समिति को आवेदकों का व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करना होगा और दान देने के लिये उनकी पात्रता निर्धारित करनी होगी।

प्राधिकरण समिति क्या है ?

- **परिचय:**
  - प्राधिकरण समिति अंग प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं की देखरेख और अनुमोदन करती है जिसमें दाताओं तथा प्राप्तकर्त्ताओं को शामिल किया जाता है जो करीबी संबंधी नहीं हैं।
  - यह अनुमोदन महत्त्वपूर्ण है, खासकर उन मामलों में जहाँ स्नेह, लगाव या अन्य विशेष परिस्थितियों के कारण अंगों का दान किया जाता है, ताकि नैतिक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और अवैध प्रथाओं को रोका जा सके।
- **संघटन:**
  - अधिनियम, 1994 की धारा 9(4) कहती है, "प्राधिकरण समिति की संरचना ऐसी होगी जो केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जा सकती है"।
  - राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश "एक या अधिक प्राधिकरण समिति का गठन करेंगे जिसमें ऐसे सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार तथा केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा नामित किया जा सकता है।"
- **शक्तियाँ:**
  - धारा 9(5) के तहत, समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्यारोपण अनुमोदन के लिये आवेदनों की समीक्षा करते समय गहन जाँच करेगी।
  - जाँच का एक महत्त्वपूर्ण पहलू दाता और प्राप्तकर्त्ता की प्रामाणिकता को सत्यापित करना है तथा यह सुनिश्चित करना है कि दान व्यावसायिक उद्देश्यों से प्रेरित नहीं है।
- **संसद की भूमिका:**
  - अधिनियम की धारा 24 केंद्र को अधिनियम के विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिये संसदीय अनुमोदन के अधीन नियम बनाने की अनुमति देती है।
    - ये वे तरीके तथा शर्तों से संबंधित हो सकते हैं जिसके तहत कोई दाता मृत्यु पूर्व अपने अंगों को प्रतिरोपित करने की अनुमति दे सकता है।
    - इसके अतिरिक्त इसमें मस्तिष्क को मृत घोषित करने की पुष्टि कैसे की जानी चाहिये अथवा दाता के शरीर से निकाले गए अंगों को संरक्षित करने के लिये क्या कदम उठाए जाने चाहिये इत्यादि जैसे विषय शामिल हो सकते हैं।

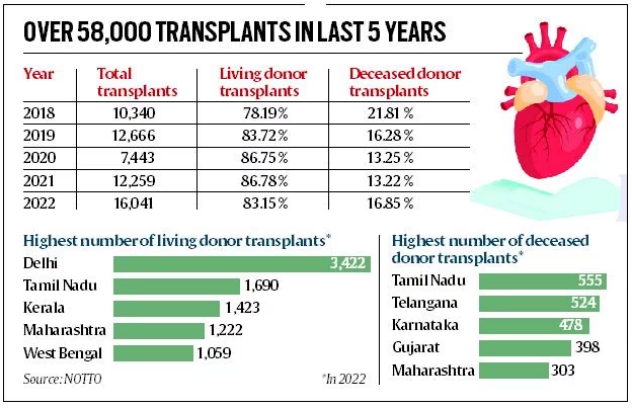

उच्च न्यायालय ने क्या निर्णय लिया ?

- **प्राधिकरण समितियों का गठन:**
  - उक्त अधिनियम राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों को नामांकित सदस्यों से युक्त एक अथवा अधिक प्राधिकरण समितियाँ गठित करने का आदेश देता है।
  - उच्च न्यायालय ने अंग प्रतिरोपण प्रोटोकॉल की अखंडता तथा प्रभावशीलता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।
- **जीवित दाता प्रतिरोपण आवेदन हेतु समय-सीमा:**
  - उच्च न्यायालय के अनुसार जीवित दाता प्रतिरोपण आवेदनों को संसाधित करने की समय-सीमा आवेदन की तिथि से 10 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिये।

नोट :

- अधिकतम 14 दिनों के भीतर न्यायालय द्वारा ग्राही/प्राप्तकर्त्ता तथा दाता की अधिवास स्थिति से संबंधित दस्तावेज़ों के सत्यापन का आदेश दिया जाता है।
- आवश्यक दस्तावेज़ पूरा करने के लिये दाता अथवा ग्राही को दिये गए किसी भी अवसर को नियमों के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचित किया जाना चाहिये।

- **निर्धारित साक्षात्कार तथा पारिवारिक बैठकें:**
  - आवेदन प्राप्त होने के चार से छह सप्ताह के बाद साक्षात्कार दो सप्ताह के भीतर निर्धारित किया जाना चाहिये।
  - साक्षात्कार तथा पारिवारिक बैठक का आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा और साथ ही इस समय-सीमा के भीतर लिये गए निर्णय से अवगत कराना चाहिये।
    - न्यायालय इस बात पर ज़ोर देती है कि पूरी प्रक्रिया की अवधि, आवेदन करने से लेकर निर्णय तक, आदर्श रूप से छह से आठ सप्ताह से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- **सरकार को अनुशंसाएँ:**
  - उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक हितधारकों से परामर्श करने के बाद अंगदान आवेदनों पर विचार करने के सभी चरणों के लिये समय-सीमा निर्धारित करने को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव को निर्णय प्रस्तुत करने को कहा है।

शिमला विकास योजना 2041

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिमला विकास योजना 2041 को मंज़ूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के राजधानी शहर में निर्माण गतिविधियों को टिकाऊ बनाने के साथ विनियमित करना है।

शिमला विकास योजना 2041 क्या है ?

- **परिचय:**
  - शिमला योजना क्षेत्र 2041 के लिये विकास योजना का मसौदा फरवरी 2022 में प्रकाशित किया गया था।
  - विकास योजना भारत सरकार की अमृत (कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन),उप-योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार की गई है।
    - योजना GIS (भौगोलिक सूचना प्रणाली) आधारित है। यह हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम, 1977 के प्रावधानों के अंतर्गत शिमला नगर निगम तथा इसके आसपास के क्षेत्रों को कवर करता है।
  - योजना में कहा गया है कि "नगर नियोजन NGT के दायरे में नहीं आता है"।
- **विधिक लड़ाई की पृष्ठभूमि:**
  - योजना की प्रारंभिक मंज़ूरी पिछली राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2022 में दी गई थी।
  - राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) के अनुसार, योजना को असंवैधानिक घोषित करने के साथ वर्ष 2017 में लगाए गए पहले के निर्णयों का उल्लंघन माना गया था, जिसने हस्तक्षेप किया और मई 2022 में स्थगन आदेश जारी किये।
    - NGT के वर्ष 2017 के निर्णय ने शिमला योजना क्षेत्र में दो मंज़िला तथा दो मंजिल से ऊपर की इमारतों के निर्माण पर रोक लगा दी थी।
  - NGT ने पाया कि योजना ने प्रतिबंधित क्षेत्रों में अधिक मंज़िलों के साथ नए निर्माण की अनुमति देकर प्रतिबंध का उल्लंघन किया है। NGT ने राज्य में जारी रहने पर कानून, पर्यावरण तथा सार्वजनिक सुरक्षा में हानि की चेतावनी दी।
  - राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की तथा मई 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को विकास योजना के मसौदे पर आपत्तियों का समाधान करने के साथ छह सप्ताह के भीतर अंतिम योजना जारी करने का निर्देश दिया।

क्या है सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ?

- शिमला विकास योजना 2041 को जनवरी 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने NGT के पहले के निर्णयों को पलटते हुए मंज़ूरी दे दी थी। न्यायालय ने तर्क दिया कि राज्य सरकार को विकास योजना का मसौदा तैयार करने के बारे में निर्देश देना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
- न्यायालय ने उल्लेख किया कि NGT राज्य सरकार को योजना तैयार करने का आदेश नहीं दे सकती है, लेकिन योजना की गुणवत्ता के आधार पर जाँच कर सकती है।
- न्यायालय ने माना कि वर्ष 2041 की विकास योजना संतुलित एवं सतत् प्रतीत होती है, लेकिन इस बात पर ज़ोर दिया कि पक्ष अभी भी योजना के विशिष्ट पहलुओं को उनकी योग्यता के आधार पर चुनौती देने के लिये तैयार हैं।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) क्या है ?

- यह पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम (2010) के अंतर्गत स्थापित एक विशेष निकाय है।

नोट :

- NGT की स्थापना के साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूज़ीलैंड के बाद एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया, साथ ही ऐसा करने वाला पहला विकासशील देश बन गया।
- सात निर्धारित कानून (अधिनियम की अनुसूची-I में सूचीबद्ध) जल अधिनियम 1974, जल उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 तथा जैवविविधता अधिनियम 2002 हैं। जिन्होंने विवाद के साथ NGT अधिनियम की विशेष भूमिका को जन्म दिया।
- NGT को आवेदन या अपील दायर करने के 6 महीने के भीतर अंतिम रूप से उसका निपटान करना अनिवार्य है।
- NGT की बैठक के पाँच स्थान हैं, नई दिल्ली बैठक का प्रमुख स्थान है और साथ ही भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई अन्य चार स्थान हैं।
- न्यायाधिकरण का अध्यक्ष, जो प्रधान पीठ की अध्यक्षता करते हैं, के साथ ही न्यूनतम 10 न्यायिक सदस्य तथा अधिकतम 20 विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं।
- न्यायाधिकरण के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। न्यायाधिकरण के पास अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्तियाँ हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तब 90 दिनों के भीतर निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (AMRUT) क्या है?

- प्रारंभ: जून 2015
- संबंधित मंत्रालय: आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs-MoHUA)
- **उद्देश्य:**
  - हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ सभी की नल तक पहुँच को सुनिश्चित करना।
    - मिशन का प्राथमिकता क्षेत्र सीवरेज के बाद जल आपूर्ति है।
  - हरियाली और अच्छी तरह से बनाए हुए खुले स्थानों (जैसे– पार्क) का विकास करके शहरों की सुविधा का मूल्य बढ़ाना।
  - सार्वजनिक परिवहन का कम उपयोग कर उसके बदले या गैर-मोटर चालित परिवहन (जैसे– पैदल और साइकिल चलाना) के लिये सुविधाओं का निर्माण करके प्रदूषण को कम करना।
- **घटक:**
  - क्षमता निर्माण, सुधार कार्यान्वयन, जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, बरसाती पानी की निकासी, शहरी परिवहन तथा हरित स्थानों एवं पार्कों का विकास।
    - सुधारों का उद्देश्य नागरिक सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करना, डिलीवरी की लागत को कम करना, वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार करना, संसाधनों को बढ़ाना और पारदर्शिता बढ़ाना है। इसमें स्ट्रीट लाइट के स्थान पर एलईडी लाइट लगाना भी शामिल है।
- **राज्य वार्षिक कार्य योजना (SAAP):**
  - AMRUT ने MoHUA द्वारा वर्ष में एक बार SAAP की मंज़ूरी देकर परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में राज्यों को समान भागीदार बनाया है तथा राज्यों को अपने अंत में परियोजना मंज़ूरी देनी होती है, इसलिये सहकारी संघवाद का एहसास होता है।
- **निरीक्षण:**
  - एक शीर्ष समिति (Apex Committee - AC), जिसकी अध्यक्षता सचिव, MoHUA करता है और जिसमें संबंधित मंत्रालयों तथा संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, मिशन की निगरानी करती है।

नोट :

भारतीय राजनीति

सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (Supreme Court Legal Services Committee - SCLSC) के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति क्या है ?

- **पृष्ठभूमि:**
  - विधिक सेवा समिति का विचार सबसे पहले 1950 के दशक में आया था, वर्ष 1980 में तत्कालीन SC के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति की स्थापना की गई थी।
  - विधिक सेवा समिति को लागू करने वाली समिति ने पूरे भारत में विधिक सहायता गतिविधियों की निगरानी शुरू कर दी।
- **परिचय:**
  - SCLSC का गठन शीर्ष अदालत के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले मामलों में "समाज के कमज़ोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएँ" प्रदान करने के लिये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 3A के तहत किया गया था।
  - अधिनियम की धारा 3A में कहा गया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority - NALSA) इस समिति का गठन करेगी।
  - इसमें एक सर्वोच्च न्यायालय (SC) का वर्तमान न्यायाधीश, जो अध्यक्ष है, के साथ-साथ केंद्र द्वारा निर्धारित अनुभव और योग्यता रखने वाले अन्य सदस्य शामिल होते हैं। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों दोनों को भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India - CJI) द्वारा नामित किया जाएगा।
  - इसके अलावा, CJI समिति में सचिव की नियुक्ति कर सकते हैं।
- **सदस्य:**
  - SCLSC में एक अध्यक्ष तथा CJI द्वारा नामित नौ सदस्य शामिल होते हैं। समिति CJI के परामर्श से केंद्र द्वारा निर्धारित अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है।
  - इसके अतिरिक्त NALSA नियम, 1995 के नियम 10 में SCLSC सदस्यों की संख्या, अनुभव तथा अर्हताएँ शामिल हैं।
  - 1987 अधिनियम की धारा 27 के तहत केंद्र को अधिनियम के उपबंधो को कार्यान्वित करने के लिये अधिसूचना द्वारा CJI के परामर्श से नियम बनाने का अधिकार है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 क्या है ?

- **परिचय:**
  - वर्ष 1987 में विधिक सहायता कार्यक्रमों को वैधानिक आधार प्रदान करने के लिये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम क्रियान्वित किया गया था। इसका उद्देश्य महिलाओं, बच्चों, SC (अनुसूचित जाति)/ST (अनुसूचित जनजाति) तथा EWS (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) श्रेणियों, औद्योगिक श्रमिकों, दिव्यांगजनों सहित पात्र समूहों को निशुल्क व सक्षम विधिक सेवाएँ प्रदान करना है।
- **NALSA:**
  - इस अधिनियम के तहत विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी व मूल्यांकन करने तथा विधिक सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु नीतियों के निर्माण के लिये वर्ष 1995 में NALSA का गठन किया गया था।
  - विधिक सहायता तथा सहयोग प्रदान करने के लिये अधिनियम के तहत एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क की परिकल्पना की गई।
  - यह विधिक सहायता योजनाओं तथा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं गैर-सरकारी संगठनों को निधि व अनुदान भी उपलब्ध कराता है।
- **राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण:**
  - इसके बाद, हर राज्य में NALSA की नीतियों और निर्देशों को लागू करने, लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएँ प्रदान करने एवं लोक अदालतों का संचालन करने के लिये राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) की स्थापना की गई।
  - SLSA का नेतृत्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं और इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ HC न्यायाधीश शामिल होते हैं। जबकि HC मुख्य न्यायाधीश SLSA के संरक्षक-प्रमुख हैं, CJI, NALSA के संरक्षक-प्रमुख हैं।

नोट :

- **ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण:**
  - इसी प्रकार, ज़िलों और अधिकांश तालुकों में ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authorities- DLSA) तथा तालुक कानूनी सेवा समितियाँ स्थापित की गईं। प्रत्येक ज़िले में ज़िला न्यायालय परिसर में स्थित, प्रत्येक DLSA की अध्यक्षता संबंधित ज़िले के ज़िला न्यायाधीश द्वारा की जाती है।
  - तालुका या उप-विभागीय कानूनी सेवा समितियों का नेतृत्व एक वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश करता है। सामूहिक रूप से ये निकाय अन्य कार्यों के साथ-साथ कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित करते हैं, मुफ्त कानूनी सेवाएँ प्रदान करते हैं और प्रामाणित आदेश प्रतियाँ एवं अन्य कानूनी दस्तावेज़ों की आपूर्ति प्राप्त करते हैं।

वे कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं जो भारत में कानूनी सेवाओं के प्रावधान को अनिवार्य बनाते हैं?

- भारतीय संविधान के कई प्रावधानों में कानूनी सेवाएँ प्रदान करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। अनुच्छेद 39A में कहा गया है, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देगा और विशेष रूप से, उपयुक्त कानून या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य विकलांगताओं के कारण न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित नहीं किया जाए।
- इसके अलावा, अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 22(1) (गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित होने का अधिकार) भी राज्य के लिये विधि के समक्ष समानता तथा समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली विधिक प्रणाली सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाता है।

बिलकिस बानो मामला और परिहार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात राज्य में वर्ष 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार तथा उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या में शामिल 11 दोषियों को दंड परिहार देने के गुजरात सरकार के निर्णय को रद्द कर दिया है।

बिलकिस बानो मामले की पृष्ठभूमि क्या है?

- वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उक्त गर्भवती महिला बिलकिस बानो के साथ क्रूर सामूहिक बलात्कार किया गया था तथा उसकी तीन वर्ष की बेटी सहित परिवार के सात सदस्यों को दंगाइयों ने मार डाला था।
- व्यापक विधिक कार्यवाही के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI) ने मामले की जाँच की।
- वर्ष 2004 में बिलकिस को जान से मारने की धमकियाँ मिलने के बाद SC ने मुकदमे को गुजरात से मुंबई न्यायालय स्थानांतरित कर दिया तथा केंद्र सरकार को एक विशेष लोक अभियोजक (Public Prosecutor) नियुक्त करने का निर्देश दिया।
- वर्ष 2008 में मुंबई की एक न्यायालय ने 11 व्यक्तियों को सामूहिक बलात्कार तथा हत्या में शामिल होने के लिये दोषी सिद्ध किया जो बिलकिस बानो को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था।
- हालाँकि अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने इन 11 दोषियों को परिहार/माफी दे दी जिससे उनकी रिहाई हो गई। इस निर्णय ने संबद्ध छूट देने के लिये उत्तरदायी प्राधिकरण तथा क्षेत्राधिकार के संबंध में चिंताओं के कारण विवाद एवं विधिक चुनौतियों को उजागर किया।

गुजरात सरकार की दंड परिहार अनुदान को रद्द करने वाला सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या है?

- **अधिकार की कमी और छुपाए गए तथ्य:**
  - न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि गुजरात सरकार के पास दंड परिहार के आदेश जारी करने का अधिकार या क्षेत्राधिकार नहीं है।
  - CrPC की धारा 432 के तहत, राज्य सरकारों के पास किसी दंड को निलंबित करने या क्षमा करने की शक्ति है। लेकिन न्यायालय ने कहा कि कानून की धारा 7(B) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उपयुक्त सरकार वह है जिसके अधिकार क्षेत्र में अपराधी को सज़ा सुनाई जाती है।
  - इसने बताया कि दंड परिहार देने का निर्णय उस राज्य के अधिकार क्षेत्र में होना चाहिये जहाँ दोषियों को सज़ा सुनाई गई थी, न कि जहाँ अपराध हुआ था या जहाँ उन्हें कैद किया गया था।

नोट :

- **दंड परिहार प्रक्रिया की आलोचना:**
  - न्यायालय ने यह उल्लेख करते हुए दंड परिहार प्रक्रिया में गंभीर खामियों को उजागर किया है कि आदेशों पर उचित विचार नहीं किया गया और तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया, जो न्यायालय के साथ धोखाधड़ी है।
- **सत्ता का अतिरेक और गैरकानूनी प्रयोग:**
  - न्यायालय ने गुजरात सरकार की अतिरेक की आलोचना करते हुए कहा कि उसने दंड परिहार के आदेश जारी करने में उस शक्ति का गैरकानूनी तरीके से प्रयोग किया जो महाराष्ट्र सरकार के पास थी।
- **स्वतंत्रता याचिका के निर्देश और अस्वीकृति:**
  - अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिये दोषियों की याचिका को खारिज करते हुए, न्यायालय ने उन्हें दो सप्ताह के भीतर जेल के अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

परिहार क्या है?

- **परिचय:**
  - परिहार (Remission) एक बिंदु पर किसी दंड या सज़ा की पूर्ण रूप से समाप्ति है। दंड परिहार फर्लो (Furlough) और पैरोल (Parole) दोनों से अलग है क्योंकि इसमें कारावास-जीवन से विराम के विपरीत दंड में कमी कर दी जाती है।
  - दंड परिहार में सज़ा की प्रकृति बदलती नहीं है, जबकि अवधि कम हो जाती है अर्थात् शेष सज़ा भुगतने की ज़रूरत नहीं होती है।
  - दंड परिहार का प्रभाव यह होता है कि कैदी को एक निश्चित तारीख दी जाती है जिस दिन उसे रिहा किया जाएगा और कानून की नज़र में वह एक स्वतंत्र व्यक्ति होगा।
  - हालाँकि दंड परिहार की किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में इसे रद्द कर दिया जाएगा और अपराधी को वह पूरी अवधि वापस कारावास में व्यतीत करनी होगी जिसके लिये उसे मूल रूप से सज़ा सुनाई गई थी।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को संविधान द्वारा क्षमा की संप्रभु शक्ति प्रदान की गई है।
  - अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सज़ा को क्षमा, लघुकरण, विराम या प्रविलंबन कर सकता है या निलंबित या कम कर सकता है।
    - यह सभी मामलों में किसी भी अपराध के लिये दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति हेतु किया जा सकता है:
  - सज़ा उन सभी मामलों में कोर्ट-मार्शल द्वारा होगी जहाँ सज़ा केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति से संबंधित किसी भी कानून के तहत अपराध को संदर्भित करती है और सभी मामलों में मौत की सज़ा होगी।
  - अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल सज़ा को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार दे सकता है या सज़ा को निलंबित, हटा या कम कर सकता है।
    - यह राज्य की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आने वाले मामले में किसी भी कानून के तहत दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति के लिये किया जा सकता है।
  - अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से अधिक व्यापक है।
- **परिहार की सांविधिक शक्ति:**
  - दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) जेल की सज़ा में दंड परिहार का प्रावधान करती है, जिसका अर्थ है कि पूरी सज़ा या उसका एक हिस्सा रद्द किया जा सकता है।
  - धारा 432 के तहत 'उपयुक्त सरकार' किसी सज़ा को पूरी तरह या आंशिक रूप से शर्तों के साथ या उसके बिना निलंबित या माफ कर सकती है।
  - धारा 433 के तहत किसी भी सज़ा को उपयुक्त सरकार द्वारा कम किया जा सकता है।
  - यह शक्ति राज्य सरकारों को उपलब्ध है ताकि वे जेल की अवधि पूरी करने से पहले कैदियों को रिहा करने का आदेश दे सकें।
- **परिहार के ऐतिहासिक मामले:**
  - लक्ष्मण नस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2000):
    - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन कारकों को निर्धारित किया जो परिहार के अनुदान को नियंत्रित करते हैं:
  - क्या अपराध बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित किये बिना अपराध का एक व्यक्तिगत कार्य है?
  - क्या भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति की कोई संभावना है?
  - क्या अपराधी अपराध करने की अपनी क्षमता खो चुका है?
  - क्या इस दोषी को अब और कैद में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य है?

नोट :

- दोषी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति।
- इपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006):
  - SC ने माना कि दंड परिहार के आदेश की न्यायिक समीक्षा निम्नलिखित आधारों पर उपलब्ध है:
- दिमाग का उपयोग न करना;
- आदेश दुर्भावनापूर्ण है;
- आदेश अप्रासंगिक या पूर्णत: अप्रासंगिक विचारों पर पारित किया गया है;
- प्रासंगिक सामग्रियों को विचार से बाहर रखा गया;
- आदेश मनमानी से ग्रस्त है।

नोट:

- क्षमादान: यह सज़ा और दोषसिद्धि दोनों को हटा देता है तथा दोषी को सभी सज़ाओं, दंडों एवं अयोग्यताओं से पूरी तरह से मुक्त कर देता है।
- संपरिवर्तन: यह सज़ा के एक रूप को कम सज़ा के साथ प्रतिस्थापित करने को दर्शाता है। उदाहरण के लिये, मौत की सज़ा को कठोर कारावास में बदला जा सकता है।
- राहत: यह किसी विशेष तथ्य, जैसे किसी दोषी की शारीरिक विकलांगता या किसी महिला अपराधी की गर्भावस्था, के कारण मूल रूप से दी गई सज़ा के स्थान पर कम सज़ा देने को दर्शाता है।
- दंडविराम: इसका तात्पर्य अस्थायी अवधि के लिये किसी सज़ा (विशेष रूप से मौत की सज़ा) के निष्पादन पर रोक लगाना है। इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से माफी या सज़ा में छूट मांगने के लिये समय देना है।

और पढ़ें:

https://www.drishtijudiciary.com/hin/editorial/Remission-in-Bilkis-Bano-Judgment

गणतंत्र दिवस पर झाँकियों का चयन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड में अपनी झाँकी प्रदर्शित करने हेतु राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) के लिये एक रोलओवर योजना का प्रस्ताव पेश किया है।

- यह प्रस्ताव तब पेश किया गया है जब कुछ राज्यों की सरकारों ने वर्ष 2024 गणतंत्र दिवस परेड झाँकी का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं देने के लिये केंद्र सरकार की आलोचना की है।

गणतंत्र दिवस परेड हेतु किन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को चुना गया है ?

- वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस परेड के लिये 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना तथा उत्तर प्रदेश का चयन किया गया है।
- रक्षा मंत्रालय ने उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये एक प्रावधान शामिल किया है जिन्हें गणतंत्र दिवस परेड हेतु भारत पर्व पर अपनी झाँकी दिखाने के लिये नहीं चुना गया है।
  - भारत सरकार गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में 26-31 जनवरी तक छह दिवसीय मेगा कार्यक्रम "भारत पर्व" का आयोजन करती है। यह वैकल्पिक कार्यक्रम ऐतिहासिक लाल किले पर होता है।
- सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये एक चक्रीय कार्यक्रम (rotational plan) को अंतिम रूप दिया है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को तीन साल के चक्र (2024-2026) के अंदर गणतंत्र दिवस परेड में अपनी झाँकी प्रस्तुत करने का अवसर मिले।
  - 28 राज्यों द्वारा सहमत चक्रीय पद्धति का उद्देश्य सभी क्षेत्रों को समान अवसर प्रदान करना, राजनीतिक पूर्वाग्रह के आरोपों को कम करना और अधिक समावेशी उत्सव को प्रोत्साहित करना है।

झाँकियों की चयन प्रक्रिया क्या है ?

- **परेड आयोजित करने के लिये ज़िम्मेदार मंत्रालय:**
  - रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence - MoD) परेड के संचालन और राज्यों तथा अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय व्यवस्था के लिये ज़िम्मेदार है।
  - राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति का पर्याय बन चुके इस समारोह की तैयारियाँ महीनों पहले से शुरू हो जाती हैं। इस प्रक्रिया में झाँकियों का चयन और सूचीबद्ध करना शामिल है।
  - संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Culture), झाँकी की सांस्कृतिक और कलात्मक प्रकृति को देखते हुए, सांस्कृतिक प्रदर्शनों के मूल्यांकन तथा प्रचार में सहायता करते हुए, चयन प्रक्रिया में रक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग करता है।

नोट :

- **चयन और सूचीबद्ध करना:**
  - परेड प्रतिभागियों के चयन के लिये एक मानक प्रक्रिया है। हर साल, आयोजन से कुछ महीने पहले, रक्षा मंत्रालय राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और विभागों को व्यापक विषय पर झाँकियों के लिये रेखाचित्र या डिज़ाइन प्रस्तुत करने के लिये आमंत्रित करता है।
    - उदाहरण के लिये वर्ष 2024 का विषय 'विकसित भारत' और 'भारत-लोकतंत्र की मातृका' (भारत-लोकतंत्र की माता) है।
  - स्केच या डिज़ाइन सरल, रंगीन, समझने में आसान होना चाहिये और सांख्यिकीय डेटा एवं अनावश्यक विवरण से बचना चाहिये।
  - इसके अतिरिक्त, मंत्रालय बुनियादी दिशा-निर्देश जैसे: पर्यावरण-अनुकूल सामग्री और प्रौद्योगिकी का उपयोग साझा करता है, जिन्हें प्रस्ताव में शामिल किया जाना चाहिये ।
  - झाँकी पर राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के नाम को छोड़कर लोगो लिखने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है, जो सामने हिंदी में, पीछे अंग्रेज़ी में और झाँकी के किनारों पर क्षेत्रीय भाषा में हो सकता है।
- **विशेषज्ञों की समिति:**
  - MoD प्रस्तावों की स्क्रीनिंग के लिये कला, संस्कृति, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला और कोरियोग्राफी सहित अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करता है।
    - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (ICCR) द्वारा अनुशंसित प्रसिद्ध कलाकारों की विशेषज्ञ समिति ने चार चरण की बैठकों के बाद वर्ष 2024 परेड के लिये 16 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों की झाँकी का चयन किया।
  - पहले चरण में, पैनल एक बुनियादी मूल्यांकन करता है और स्केच या डिज़ाइन में संशोधन का सुझाव देता है।
  - एक बार जब किसी संशोधन के बाद डिज़ाइन स्वीकृत हो जाते हैं, तो प्रतिभागी पैनल के सामने प्रस्तावित झाँकी का त्रि-आयामी मॉडल प्रस्तुत करते हैं।
  - अंतिम चयन के लिये विशेषज्ञों द्वारा इनकी जाँच की जाती है। केवल शॉर्टलिस्ट किये गए उम्मीदवारों को ही अगले राउंड के बारे में सूचित किया जाता है।

गणतंत्र दिवस क्या है ?

- 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ जिसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- गणतंत्र दिवस उस दिन की स्मृति में मनाया जाता है जब भारत ने एक लिखित संविधान प्राप्त किया तथा एक स्वतंत्र गणराज्य बन गया।
  - 'गणतंत्र' पद इंगित करता है कि भारत में एक निर्वाचित प्रमुख है जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है।
- भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया एवं 26 जनवरी 1950 को क्रियान्वित हुआ।
  - 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने के लिये चुना गया क्योंकि इसी दिन वर्ष 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस (Indian National Congress- INC) ने ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वराज अथवा भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की थी।
  - दिसंबर 1929 में आयोजित कॉन्ग्रेस के लाहौर सत्र के दौरान, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था। इस सत्र की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी।

नोट :

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत में मुद्रास्फीति: मांग बनाम आपूर्ति

चर्चा में क्यों ?

भारत की हालिया मुद्रास्फीति दर चिंता का एक विषय है, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की हालिया अवलोकन से आपूर्ति और मांग दोनों कारकों से प्रभावित होने वाली बाज़ार की बदलती प्रवृत्ति के संकेत मिलते हैं।

- जनवरी 2019 से मई 2023 तक की पूरी अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) हेडलाइन मुद्रास्फीति का लगभग 55%, आपूर्ति-पक्ष से संबंधित कारकों के लिये ज़िम्मेदार है जबकि मुद्रास्फीति में मांग चालकों का योगदान 31% था।

हाल के वर्षों में भारत में मुद्रास्फीति का क्या कारण है ?

- कोविड-19 की दोनों लहरों के दौरा आपूर्ति में व्यवधान मुद्रास्फीति का मुख्य कारण था।
  - महामारी की शुरुआत, लॉकडाउन के कारण उत्पादन और मांग में कमी से आर्थिक विकास में भारी गिरावट आई।
  - इस चरण में कम मांग के कारण कमोडिटी की कीमतों में भी कमी देखी गई।
  - टीकों के वितरण और नियंत्रित मांग जारी होने के साथ अर्थव्यवस्था में पुन: सुधार हुआ, आपूर्ति की तुलना में मांग में तेज़ी से वृद्धि हुई। इस असंतुलन के परिणामस्वरूप कमोडिटी/वस्तुओं की कीमतों पर दबाव बढ़ गया।
- वर्ष 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत ने आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियों को और बढ़ा दिया तथा कमोडिटी की कीमतों पर दबाव डाला।

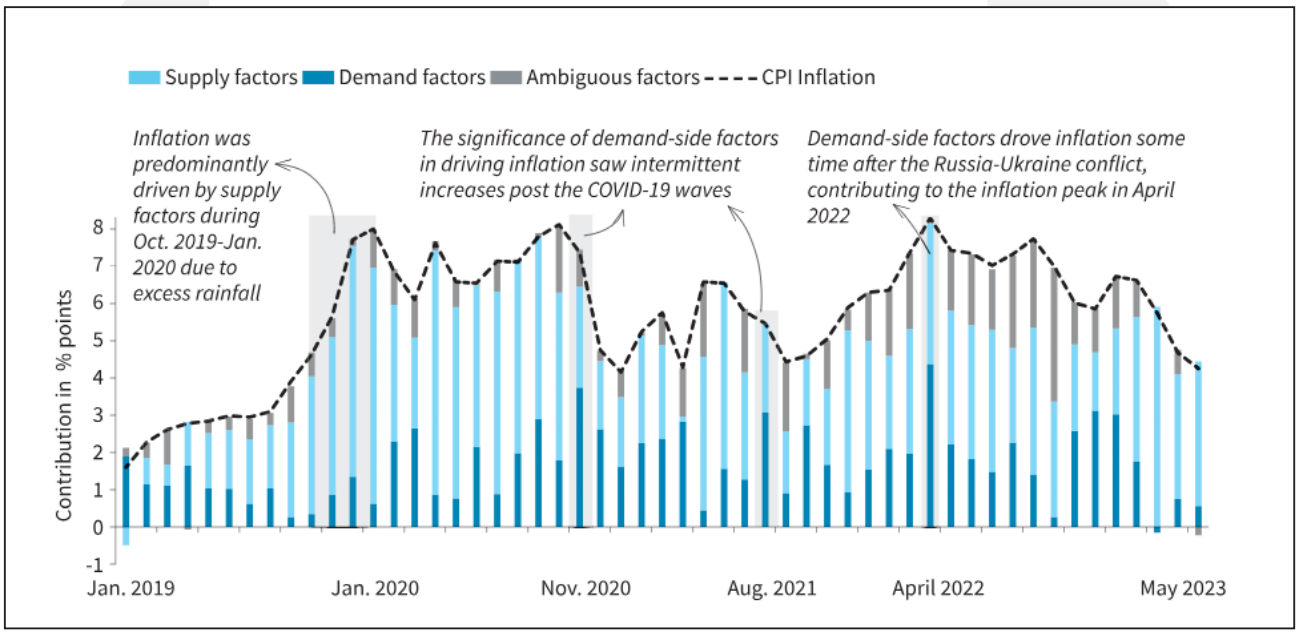

मुद्रास्फीति के कारणों का आकलन करने की पद्धति क्या है ?

- एक महीने के भीतर कीमतों और वस्तु की मात्रा (prices and quantities) में अप्रत्याशित बदलाव यह निर्धारित करते हैं कि मुद्रास्फीति मांगजनित (जब कीमतें और मात्राएँ समानुपाती होती हैं) या आपूर्तिजनित (जब कीमतें और मात्राएँ व्युत्क्रमानुपाती होती हैं)है।
  - मांग (demand) में वृद्धि से कीमतों और मात्रा दोनों में वृद्धि होती है जबकि मांग में कमी से दोनों में कमी आती है।
  - यदि कीमतों और मात्राओं में अप्रत्याशित परिवर्तन होता है जो एक-दूसरे के विपरीत बढ़ते हैं, तो मुद्रास्फीति को आपूर्ति-प्रेरित माना जाता है। आपूर्ति में कमी कम मात्रा लेकिन कीमत में वृद्धि से संबंधित है।
- समग्र हेडलाइन मुद्रास्फीति (overall headline inflation) का आकलन करने के लिये उप-समूह स्तर पर मांग और आपूर्ति कारकों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer price index- CPI) का उपयोग करके जोड़ा गया था।

नोट :

- हेडलाइन मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था की कुल मुद्रास्फीति की माप है, जिसमें खाद्य एवं ऊर्जा की कीमतें इत्यादि शामिल हैं, जो अधिक अस्थिर(volatile) होती हैं और इनसे मुद्रास्फीति के बढ़ने की संभावना होती है।
  - उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index- CPI), जो यह निर्धारित करता है कि वस्तुओं की एक निश्चित टोकरी (basket of goods) खरीदने की लागत की गणना करके पूरी अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रास्फीति हुई है, इसका उपयोग हेडलाइन मुद्रास्फीति के आँकड़े ज्ञात करने के लिये किया जाता है।

मुद्रास्फीति क्या है ?

- **परिचय:**
  - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund- IMF) द्वारा परिभाषित मुद्रास्फीति, एक निश्चित अवधि में कीमतों में वृद्धि की दर है, जिसमें समग्र मूल्य वृद्धि या विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं की व्यापक माप शामिल है।
  - यह जीवन यापन की बढ़ती लागत को दर्शाता है और इंगित करता है कि एक निर्दिष्ट अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में, वस्तुओं और/या सेवाओं की लागत का एक समुच्चय कितना महँगा हो गया है।
    - आर्थिक असमानताओं और बड़ी आबादी के कारण भारत में मुद्रास्फीति का प्रभाव विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है।
- **मुद्रास्फीति के विभिन्न कारण:**
  - मांगजनित मुद्रास्फीति (Demand Pull Inflation):
    - मांगजनित मुद्रास्फीति (Demand Pull Inflation) तब होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग उनकी आपूर्ति से अधिक हो जाती है। जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग अधिक होती है, तो उपभोक्ता उपलब्ध वस्तुओं तथा सेवाओं के लिये अधिक भुगतान करने को तैयार होते हैं, जिससे कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है।
  - उच्च उपभोक्ता व्यय वाली एक उभरती अर्थव्यवस्था अतिरिक्त मांग उत्पन्न कर सकती है, जिससे कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है।
  - **लागतजनित मुद्रास्फीति:**
    - लागतजनित मुद्रास्फीति (Cost-Push inflation) वस्तुओं तथा सेवाओं की उत्पादन लागत में वृद्धि से प्रेरित होती है। यह बढ़ी हुई आय, कच्चे माल की बढ़ी हुई लागत अथवा आपूर्ति शृंखला में व्यवधान जैसे कारकों के कारण हो सकता है।
  - **अंतर्निहित अथवा वेतन-मूल्य मुद्रास्फीति:**
    - इस प्रकार की मुद्रास्फीति को अमूमन मज़दूरी तथा कीमतों के बीच फीडबैक लूप के रूप में वर्णित किया जाता है। जब श्रमिक अधिक वेतन की मांग करते हैं तो व्यवसाय बढ़ी हुई श्रम लागत की पूर्ति करने के लिये कीमतें बढ़ा सकते हैं। यह श्रमिकों को अधिक वेतन की मांग करने के लिये प्रेरित करता है तथा यह चक्र जारी रहता है।
  - श्रमिक संघों द्वारा सामूहिक सौदेबाज़ी के परिणामस्वरूप उच्च मज़दूरी दर प्राप्त हो सकती है, जिससे उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है तथा बाद में वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं।

नोट :

भारत का इस्पात क्षेत्र

चर्चा में क्यों ?

पिछले कुछ वर्षों में इस्पात क्षेत्र में ज़बरदस्त वृद्धि देखी गई है और भारत इस्पात उत्पादन में एक वैश्विक ताकत व चीन के बाद विश्व में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनकर उभरा है।

भारत में इस्पात क्षेत्र की स्थिति क्या है ?

- **वर्तमान परिदृश्य:**
  - वर्ष 2023 में भारत में इस्पात का कुल उत्पादन(कच्चा इस्पात) 125.32 मिलियन टन और संसाधित इस्पात (finished steel) का उत्पादन 121.29 मिलियन टन रहा है।
- **महत्त्व:**
  - इस्पात विश्व में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली सामग्रियों में से एक है। लोहा और इस्पात उद्योग अन्य उत्पादक उद्योगों का आधार (bottom line producer) हैं।
    - इस्पात उद्योग निर्माण, बुनियादी ढाँचे, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और रक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में मुख्य भूमिका निभाता है।
  - इस्पात भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये एक प्रमुख क्षेत्र है (वित्तीय वर्ष 21-22 में यह देश की जी.डी.पी. का 2% हिस्सा था)।
- **उत्पादक राज्य:**
  - भारत के प्रमुख इस्पात उत्पादक राज्यों में ओडिशा अग्रणी है, इसके बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ हैं। इसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस्पात क्षेत्र के विकास के लिये सरकार की पहल क्या हैं ?

- PLI योजना में विशेष इस्पात (स्पेशलिटी स्टील) को शामिल करना:
  - सरकार ने निवेश आकर्षित करने वाले विशेष इस्पात के विनिर्माण और क्षेत्र में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिये 5 वर्ष की अवधि के लिये 6322 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंज़ूरी दी।
- **हरित इस्पात (ग्रीन स्टील) निर्माण:**
  - इस्पात मंत्रालय ने इस्पात क्षेत्र के डीकार्बोनाइज़ेशन के विभिन्न स्तरों पर चर्चा, विचार-विमर्श और सिफारिश करने के लिये उद्योग, शिक्षा जगत, थिंक टैंक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निकायों, विभिन्न मंत्रालयों एवं अन्य हितधारकों की भागीदारी के साथ 13 टास्क फोर्स का गठन किया।
  - नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy- MNRE) ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन एवं प्रयोग के लिये एक राष्ट्रीय हरित मिशन (National Green Mission) की घोषणा की है। इस मिशन में इस्पात क्षेत्र को भी हितधारक बनाया गया है।
  - इस्पात क्षेत्र ने आधुनिकीकरण और विस्तार परियोजनाओं हेतु विश्व स्तर पर उपलब्ध सर्वोत्तम प्रौद्योगिकियों (Best Available Technologies- BAT) को अपनाया है।
- PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ मंत्रालय की भागीदारी:
  - इस्पात मंत्रालय (Ministry of Steel) ने इस्पात उत्पादन सुविधाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिये 2000 से अधिक इस्पात इकाइयों के जियो-लोकेशन को अपलोड करते हुए, PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में BISAG-N की क्षमताओं को एकीकृत किया है।
  - यह जानकारी रेलवे लाइन विस्तार, अंतर्देशीय जलमार्ग, राजमार्ग, बंदरगाह और गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी की योजना बनाने में सहायता करेगी।
- **स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति:**
  - स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति (Steel Scrap Recycling Policy- SSRP) को वर्ष 2019 में अधिसूचित किया गया है जो जर्जर हो चुके वाहनों (End of Life Vehicles- ELV) सहित विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न लौह स्क्रैप के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और रीसाइक्लिंग के लिये देश में धातु स्क्रैपिंग केंद्रों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने एवं बढ़ावा देने के लिये एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017:**
  - भारत सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 तैयार की, जो वर्ष 2030-31 तक मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर भारतीय इस्पात उद्योग हेतु दीर्घकालिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिये व्यापक रोडमैप प्रदान करती है।
    - गति-शक्ति मास्टर प्लान, विनिर्माण क्षेत्र के लिये 'मेक-इन-इंडिया' पहल और सरकार की अन्य प्रमुख योजनाओं के माध्यम से बुनियादी ढाँचे के विकास पर सरकार का ज़ोर देश में स्टील की मांग एवं खपत को बढ़ावा देगा।

नोट :

- **इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश:**
  - इस्पात मंत्रालय ने इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश पेश किया है, जिससे उद्योग, उपयोगकर्त्ताओं और जनता के लिये गुणवत्ता वाले इस्पात की बड़े पैमाने पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये उत्पादित एवं आयात दोनों प्रकार के इस्स्पात से निम्नस्तरीय/दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश के अनुसार, यह सुनिश्चित किया गया है कि उपयोगकर्त्ताओं को प्रासंगिक BIS मानकों के अनुरूप गुणवत्ता वाला स्टील/इस्पात ही उपलब्ध कराया जाए।
- **लौह एवं इस्पात क्षेत्र में सुरक्षा:**
  - हितधारकों, शिक्षाविदों आदि के साथ व्यापक परामर्श के बाद, लौह और इस्पात क्षेत्र के लिये 25 सामान्य न्यूनतम सुरक्षा दिशानिर्देशों का एक सेट तैयार किया गया था।
  - ये सुरक्षा दिशा-निर्देश वैश्विक मानकों के अनुरूप हैं तथा लौह एवं इस्पात उद्योग में सुरक्षा पर ILO आचार कोड की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं।
  - "सुरक्षा व स्वास्थ्य सिद्धांतों और परिभाषाओं" पर विश्व इस्पात संघ के मार्गदर्शन दस्तावेज़ से भी इनपुट प्राप्त किया गया है।
- **नेशनल मेटलर्जिस्ट अवॉर्ड:**
  - यह पुरस्कार लौह तथा इस्पात क्षेत्र में धातुविज्ञानियों के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिये इस्पात मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है।

निष्क्रिय खातों और दावा न की गई जमाराशियों पर RBI के दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में वर्गीकरण तथा सक्रियण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से निष्क्रिय खातों (Inoperative Account) तथा अदावी/दावा न किये गए जमा (Unclaimed Deposits) के संबंध में दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है।

- संशोधित दिशा-निर्देश सभी वाणिज्यिक बैंकों तथा सभी सहकारी बैंकों पर लागू होंगे तथा 1 अप्रैल 2024 से क्रियान्वित किये जाएँगे।

निष्क्रिय खाते और अदावी जमा क्या हैं ?

- **निष्क्रिय खाता:**
  - दो वर्षों से अधिक समय तक कोई 'ग्राहक-प्रेरित लेन-देन' नहीं करने वाला खाता निष्क्रिय माना जाता है।
    - ग्राहक-प्रेरित विनिमय, बैंक अथवा तीसरे पक्ष द्वारा खाताधारक के अनुरोध पर शुरू किया गया अथवा पूर्व में किया गया वित्तीय लेन-देन, एक गैर-वित्तीय लेन-देन अर्थात प्रत्यक्ष रूप से अथवा डिजिटल माध्यमों जैसे इंटरनेट बैंकिंग अथवा बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन अपने ग्राहक को जानिये (Know Your Customer- KYC) के माध्यम से अपडेट हो सकता है।
  - निष्क्रिय बैंक खातों में लगभग ₹1-1.30 लाख करोड़ जमा होने का अनुमान है।
- **अदावी जमा:**
  - 10 वर्षों से निष्क्रिय बचत/चालू खातों में जमा राशि अथवा परिपक्वता के 10 वर्षों के बाद दावा नहीं किये गए मीयादी जमा (Term Deposit) को अदावी निक्षेप माना जाता है।
  - मार्च 2023 तक बैंकों में लगभग ₹42,270 करोड़ अदावी थे।

संशोधित RBI दिशानिर्देश क्या हैं ?

- **वार्षिक समीक्षा:**
  - बैंकों को उन खातों की वार्षिक समीक्षा करनी चाहिये जिनमें एक वर्ष से अधिक समय से कोई ग्राहक-प्रेरित विनिमय नहीं हुआ है।
    - सावधिक जमा को नवीनीकृत करने के स्पष्ट आदेश के अभाव में बैंकों को ऐसे खातों की समीक्षा करनी चाहिये।
    - ऐसी जमा राशियों को अन्क्लेम्ड/दावा न किये जाने (Unclaimed) से बचाने के लिये, बैंकों को उन खातों की जाँच करनी चाहिये जहाँ उपभोक्ताओं ने परिपक्वता अवधि पूरी होने पर अपनी आय की निकासी नहीं की है या उसे अपने बचत या चालू खाते में स्थानांतरित नहीं किया है।
- **संचार प्रोटोकॉल:**
  - बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे पिछले वर्ष में परिचालन की कमी के बारे में खाताधारकों को पत्र, ईमेल या SMS के माध्यम से सूचित करें।
  - यदि अगले वर्ष कोई परिचालन नहीं होता है तो अलर्ट संदेशों में खाते की आसन्न 'निष्क्रिय' स्थिति स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिये।
  - ऐसे मामलों में ग्राहकों को पुन: सक्रियण के लिये नए KYC दस्तावेज़ जमा करने होंगे।
- **निष्क्रिय खातों के लिये वर्गीकरण मानदंड:**
  - वर्गीकरण के लिये केवल ग्राहक-प्रेरित विनिमय पर विचार किया जाता है, न कि बैंक-प्रेरित विनिमय पर।
    - स्थायी निर्देश या बिना किसी अन्य परिचालन के स्वत: नवीनीकरण जैसे अधिदेशों को भी ग्राहक-प्रेरित विनिमय माना जाता है।
    - बैंक-प्रेरित विनिमय में भुगतान शुल्क, शुल्क, ब्याज भुगतान, जुर्माना और कर शामिल हैं।
  - किसी खाते का निष्क्रिय खाते के रूप में वर्गीकरण, ग्राहक के किसी विशेष खाते के संदर्भ में होगा न कि ग्राहक के।

नोट :

- **निष्क्रिय वर्गीकरण से छूट:**
  - सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और छात्रों के लिये खोले गए खातों (शून्य बैलेंस के साथ) को कोर बैंकिंग समाधान में पृथक किया जाना चाहिये।
    - यह सुनिश्चित करता है कि दो वर्ष से अधिक समय तक खाते का संचालन न होने के कारण 'निष्क्रिय' लेबल लागू नहीं किया जाएगा।
- **पुनर्सक्रियन प्रक्रिया:**
  - निष्क्रिय खातों को पुन: सक्रिय करने के लिये KYC दस्तावेज़ जमा करना आवश्यक है। यह प्रक्रिया गैर-घरेलू शाखाओं सहित सभी शाखाओं पर लागू होती है।
    - खाताधारक द्वारा अनुरोध किये जाने पर वीडियो-ग्राहक पहचान प्रक्रिया (Video based Customer Identification Process - V-CIP) का उपयोग पुन: सक्रियण के लिये भी किया जा सकता है।
    - निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने के लिये किसी शुल्क की अनुमति नहीं है।
- **दंड एवं ब्याज:**
  - निष्क्रिय खाते के रूप में वर्गीकृत किसी भी खाते में न्यूनतम शेष राशि न बनाए रखने पर बैंक दंडात्मक शुल्क लगाने के लिये अधिकृत नहीं हैं।
  - सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और छात्रों के लिये खोले गए खातों (शून्य बैलेंस के साथ) को कोर बैंकिंग समाधान में अलग किया जाना चाहिये।
    - यह सुनिश्चित करता है कि दो साल से अधिक समय तक संचालन न होने के कारण 'निष्क्रिय' लेबल लागू नहीं किया जाता है।
  - बचत खातों पर ब्याज नियमित रूप से जमा किया जाना चाहिये, भले ही खाता चालू हो या नहीं।
- **जमाकर्त्ता शिक्षा और जागरूकता कोष:**
  - बैंकों में खोले गए किसी भी जमा खाते में क्रेडिट शेष, जो दस साल या उससे अधिक समय से संचालित नहीं है, को बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए जमाकर्त्ता शिक्षा और जागरूकता (Depositor Education and Awareness- DEA) कोष में स्थानांतरित करना आवश्यक है।

भारत का खिलौना उद्योग

चर्चा में क्यों ?

भारतीय प्रबंधन संस्थान (Indian Institutes of Management- IIM) लखनऊ ने हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce & Industry- MoCI) के तहत उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) के आदेश पर "भारत में निर्मित खिलौनों की सफलता की कहानी (Success Story of Made in India Toys)" पर अध्ययन किया है, जिसमें एक पर प्रकाश डाला गया कि वित्त वर्ष 2014-15 की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में खिलौना निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

अध्ययन के अनुसार भारतीय खिलौना उद्योग की स्थिति क्या है ?

- **विकास की प्रवृत्तियाँ:**
  - भारतीय खिलौना उद्योग ने वित्त वर्ष 2014-15 और वित्त वर्ष 2022-23 के बीच उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जिसमें आयात में 52% की भारी गिरावट तथा निर्यात में 239% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
  - यह वृद्धि आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता की दिशा में बदलाव का संकेत देती है।
- **गुणवत्ता में सुधार:**
  - घरेलू बाज़ार में उपलब्ध खिलौनों की गुणवत्ता में समग्र वृद्धि हुई है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने और उपभोक्ता संतुष्टि तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्त्व पर बल देती है।
- **विकास वाहक:**
  - उन्नत विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र: सरकारी प्रयासों ने एक अधिक अनुकूल विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की सुविधा प्रदान की है। छह वर्षों में विनिर्माण इकाइयों की संख्या दोगुनी करना, आयातित इनपुट पर निर्भरता को 33% से घटाकर 12% करना, सकल विक्रय मूल्य में 10% CAGR की वृद्धि करना और श्रम उत्पादकता में सुधार करना उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हैं।
  - वैश्विक एकीकरण और निर्यात पर फोकस: खिलौना उद्योग में शीर्ष निर्यातक देश के रूप में भारत का उभरना वैश्विक खिलौना मूल्य श्रृंखला में सफल एकीकरण का संकेत देता है। संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख देशों में शून्य-शुल्क बाज़ार पहुँच ने इस विकास पथ में योगदान दिया है।

खिलौना उद्योग में विकास को बढ़ावा देने के लिये सरकारी पहल क्या हैं ?

- **खिलौनों के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan for Toys- NAPT):**
  - यह एक व्यापक योजना है जिसमें 21 विशिष्ट कार्य बिंदु शामिल हैं, जो DPIIT द्वारा समन्वित है और कई केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित है। यह योजना डिज़ाइन, गुणवत्ता नियंत्रण, स्वदेशी खिलौना समूहों को बढ़ावा देने आदि जैसे विभिन्न पहलुओं को सुनिश्चित करती है।

नोट :

- **मूल सीमा शुल्क (Basic Customs Duty- BCD) में वृद्धि:**
  - खिलौनों पर BCD में पर्याप्त वृद्धि (फरवरी 2020 में 20% से 60% और उसके बाद मार्च 2023 में 70% तक) का उद्देश्य घरेलू खिलौना उद्योग को सस्ते आयात से बचाना तथा स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है।
- **अनिवार्य नमूना परीक्षण (Mandated Sample Testing):**
  - वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय (Directorate General of Foreign Trade- DGFT) ने निम्न स्तरीय खिलौनों के आयात को रोकने तथा बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक आयात खेप/प्रेषण के लिये नमूना परीक्षण अनिवार्य किया है।
- **खिलौनों के लिये गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (Quality Control Order- QCO):**
  - वर्ष 2020 में जारी यह आदेश देश में निर्मित और बेचे जाने वाले खिलौनों की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने के लिये जनवरी 2021 से प्रभावी खिलौनों के गुणवत्ता मानकों पर ज़ोर देता है।
- **खिलौना विनिर्माताओं के लिये प्रावधान:**
  - भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards- BIS) द्वारा विशेष प्रावधान किये गए हैं जिसमें एक निर्दिष्ट अवधि के लिये परीक्षण सुविधाओं के बिना लघु इकाइयों को लाइसेंस देना, गुणवत्ता मानकों के अनुपालन की सुविधा प्रदान करना शामिल है।
- **BIS मानक चिह्न:**
  - BIS मानक चिह्नों के माध्यम से गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए घरेलू विनिर्माताओं को 1,200 से अधिक लाइसेंस तथा विदेशी विनिर्माताओं को 30 से अधिक लाइसेंस प्रदान किये गए हैं।
- **क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण:**
  - MSME मंत्रालय द्वारा पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जनन के लिये निधि की योजना (Scheme of Funds for the Regeneration of Traditional Industries-SFURTI) जैसी योजनाओं के माध्यम से घरेलू खिलौना उद्योग का समर्थन किया जा रहा है तथा वस्त्र मंत्रालय द्वारा विभिन्न खिलौना उत्पादन केंद्रों को खिलौनों का डिज़ाइन तैयार करने एवं ज़रूरी साधन मुहैया कराने में सहायता प्रदान की जा रही है।
- **प्रचार पहल:**
  - द इंडियन टॉय फेयर 2021 और टॉयकैथॉन जैसे आयोजनों का उद्देश्य स्वदेशी खिलौनों को बढ़ावा देना, नवाचार को प्रोत्साहित करना तथा खिलौना उद्योग में प्रदर्शन एवं विचार के लिये एक मंच तैयार करना है।

आगे की राह

- भारत को चीन तथा वियतनाम जैसे प्रमुख खिलौना विनिर्माण केंद्रों के प्रतिस्पर्द्धी विकल्प के रूप में स्थापित करने के लिये खिलौना उद्योग तथा सरकार के बीच निरंतर सहयोगात्मक प्रयास आवश्यक हैं।
- प्रौद्योगिकी को अपनाना, ई-कॉमर्स पर ध्यान केंद्रित करना, साझेदारी तथा निर्यात को प्रोत्साहन देना, ब्रांड निर्माण में निवेश करना एवं बच्चों के साथ प्रभावी संचार के लिये शिक्षकों व अभिभावकों के साथ जुड़ना प्रमुख पहचाने गए पहलू हैं।

अडानी-हिंडनबर्ग मामले पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

चर्चा में क्यों ?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका स्थित फर्म, हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित याचिकाओं की एक शृंखला पर अपना फैसला सुनाया।

- शीर्ष अदालत ने मामले को संभालने में SEBI के प्रति अपने विश्वास की पुष्टि करते हुए जाँच को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से अन्य निकायों में स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया।
- साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी को यह निर्धारित करने के लिये अपने जाँच अधिकार का उपयोग करने का निर्देश दिया कि क्या हिंडनबर्ग रिपोर्ट की कम बिक्री वाली कार्रवाइयों ने कानूनों का उल्लंघन किया है, जिसके परिणामस्वरूप निवेशकों को नुकसान हुआ है।

अडानी-हिंडनबर्ग विवाद और सेबी की जाँच के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति क्या है ?

- **पृष्ठभूमि:**
  - हिंडनबर्ग के आरोप: जनवरी 2023 में, हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी समूह पर स्टॉक हेराफेरी लेखांकन धोखाधड़ी और फंड के प्रबंधन के लिये अनुचित टैक्स हेवन तथा शेल कंपनियों का उपयोग करने का आरोप लगाया, जिससे शेयर बाज़ार पर काफी प्रभाव पड़ा।

नोट :

- **याचिकाएँ और तर्क:**
  - दायर की गई याचिकाएँ: राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का हवाला देते हुए अदालत की निगरानी में जाँच की मांग करते हुए विभिन्न याचिकाएँ दायर की गईं।
    - उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बाज़ार नियामक सेबी निष्पक्ष जाँच करने के लिये पर्याप्त सक्षम या स्वतंत्र नहीं है।
  - विपक्ष में तर्क: अडानी समूह ने आरोपों का खंडन किया और इसके लिये गलत सूचना तथा निहित स्वार्थों को ज़िम्मेदार ठहराया।
    - सेबी ने जाँच से निपटने में अपनी क्षमता और स्वतंत्रता का बचाव किया।
- **हालिया निर्णय:**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने जाँच को अन्य निकायों को स्थानांतरित करने से इनकार करते हुए अडानी समूह और सेबी के पक्ष में फैसला सुनाया।
    - अदालत ने माना कि जाँच स्थानांतरित करने की शक्तियों का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिये, न कि संज्ञान के लिये तर्क (cogent justifications) के अभाव में।
  - न्यायालय ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को अविश्वसनीय माना और इसका उद्देश्य चयनात्मक तथा विकृत जानकारी के माध्यम से बाज़ार को प्रभावित करना था।
    - सेबी की सत्यनिष्ठा को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने सेबी की जाँच को तीन महीने के भीतर तेज़ी से पूरा करने का निर्देश दिया।

नोट: शेयर मूल्य में हेरफेर तथा लेखांकन धोखाधड़ी के लिये अडानी समूह के विरुद्ध हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के बाद बाज़ार में अस्थिरता के कारण निवेशकों को नुकसान होने के बाद संभावित नियामक विफलताओं की जाँच के लिये सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2023 में न्यायमूर्ति सप्रे समिति का गठन किया।

शॉर्ट सेलिंग क्या है ?

- **परिचय:**
  - शॉर्ट सेलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें एक निवेशक किसी स्टॉक अथवा प्रतिभूति को उधार लेता है तथा उसका विक्रय खुले बाज़ार में करता है एवं भविष्य में कीमत में संभावित गिरावट का अनुमान लगाते हुए बाद में उसी परिसंपत्ति को कम कीमत पर पुनर्खरीद करने का लक्ष्य रखता है।
  - SEBI शॉर्ट सेलिंग को उस स्टॉक का विक्रय करने के रूप में परिभाषित करता है जिस पर व्यापार के समय विक्रेता का स्वामित्व नहीं होता है।

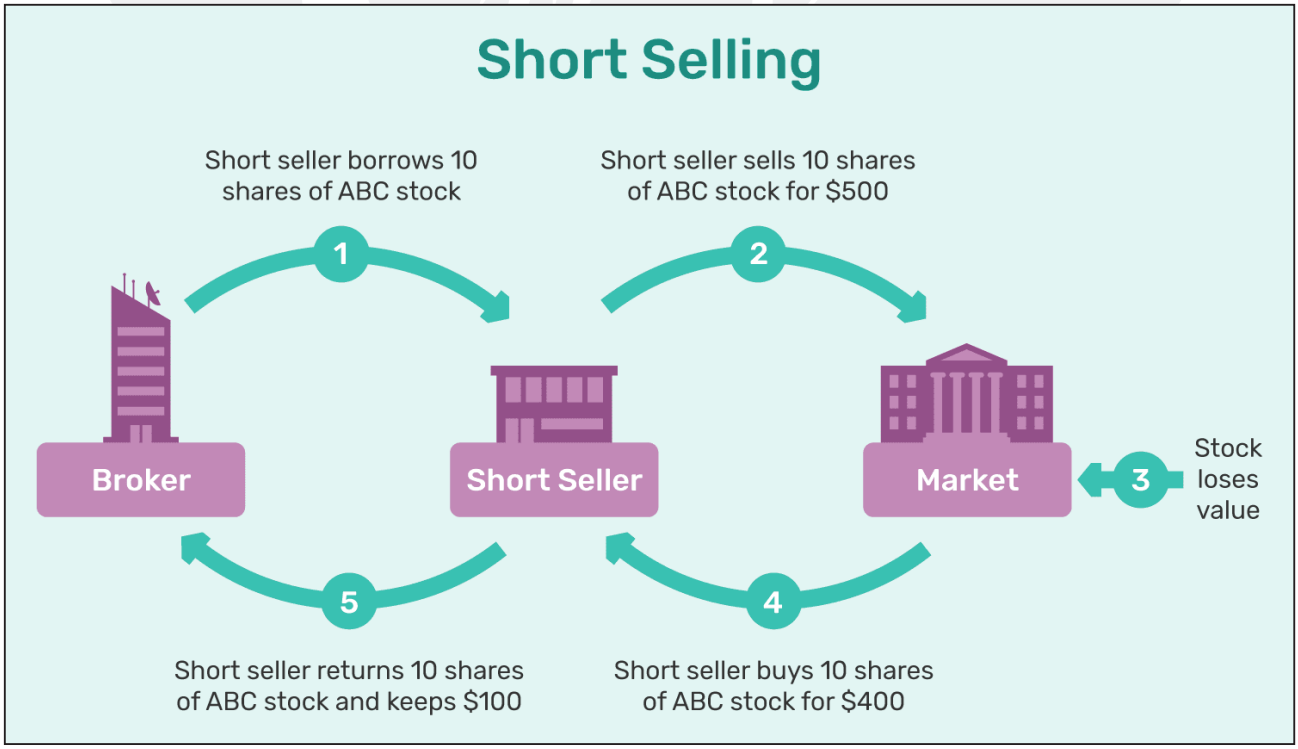

नोट :

- **भारत में शॉर्ट-सेलिंग का विनियमन:**
  - SEBI ने हाल ही में कहा है कि सभी श्रेणियों के निवेशकों को शॉर्ट-सेलिंग की अनुमति दी जाएगी हालाँकि नेकेड शॉर्ट-सेलिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
    - नतीजतन सभी निवेशकों को निपटान अवधि के दौरान प्रतिभूतियाँ वितरित करने के अपने कर्त्तव्य को पूरा करना आवश्यक है।
    - जब कोई निवेशक स्टॉक अथवा प्रतिभूतियों को उधार लेने की व्यवस्था किये बिना अथवा यह सुनिश्चित किये बिना बेचता है कि उन्हें उधार लिया जा सकता है तो इसे नेकेड शॉर्ट सेलिंग के रूप में जाना जाता है।
  - खुदरा निवेशकों के पास दिन के समापन से पहले लेनदेन की शॉर्ट-सेल स्थिति का विवरण देने का विकल्प होता है जबकि संस्थागत निवेशकों को पहले से ही यह सूचित करना आवश्यक होता है कि लेनदेन शॉर्ट-सेल है अथवा नहीं।
  - इसके अलावा, सेबी द्वारा पात्र शेयरों की आवधिक समीक्षा के अधीन, F&O (वायदा और विकल्प) खंड में कारोबार की जाने वाली प्रतिभूतियों के लिये शॉर्ट सेलिंग की अनुमति है।
    - वायदा और विकल्प (F&O) व्युत्पन्न उपकरण हैं। वायदा में असीमित जोखिम के साथ एक निर्धारित तिथि पर सहमत मूल्य पर संपत्ति खरीदने/बेचने का दायित्व शामिल होता है।
  - विकल्प एक निश्चित तिथि तक संपत्ति खरीदने/बेचने का अधिकार (लेकिन दायित्व नहीं) देते हैं, जिसमें प्रीमियम का अग्रिम भुगतान संभावित नुकसान को सीमित करता है।

भविष्य	विकल्प
एक खरीदार को डिलीवरी के समय स्टॉक खरीदना होगा चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो (भले ही वह कम हो रही हो)	स्टॉक में गिरावट होने पर खरीदार स्टॉक खरीदने का निर्णय छोड़ सकता है या बिल्कुल भी नहीं खरीद सकता है।
विकल्पों की तुलना में अधिक मार्जिन भुगतान की आवश्यकता होती है।	वायदा की तुलना में कम मार्जिन का भुगतान होता है।
इसमें असीमित लाभ है और जोखिम भी अधिक है।	उक्त तिथि पर स्टॉक खरीदने या न खरीदने के फ्लेक्सीबिलिटी के कारण नुकसान की सीमित संभावना और असीमित लाभ होते हैं।
कमीशन के अलावा किसी अग्रिम लागत की आवश्यकता नहीं है।	भुगतान करने के लिये एक प्रीमियम आवश्यक है।
वायदा में अंतर्निहित स्थिति विकल्पों से कहीं अधिक होता है।	अंतर्निहित स्थिति वायदा से कम होती है।

ऋण स्थिरता और विनिमय दर प्रबंधन

चर्चा में क्यों ?

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund - IMF) ने हाल ही में भारत पर अपनी वार्षिक अनुच्छेद IV परामर्श रिपोर्ट जारी की, जिसमें देश की ऋण स्थिरता और विनिमय दर प्रबंधन से संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दों का अवलोकन किया गया है।

भारत के आर्थिक आउटलुक से संबंधित IMF के अनुमान क्या हैं ?

- ऋण स्थिरता: IMF ने भारत की दीर्घकालिक ऋण स्थिरता के बारे में चिंता व्यक्त की।
  - इसने अनुमान लगाया कि भारत का सामान्य सरकारी ऋण, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों शामिल हैं, संभावित रूप से वित्तीय वर्ष 2028 तक विशेष रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों में सकल घरेलू उत्पाद के 100% तक बढ़ सकता है।
- ऋण प्रबंधन की चुनौतियाँ: रिपोर्ट में अधिक विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन प्रथाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें जलवायु परिवर्तन शमन लक्ष्यों को प्राप्त करने और प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ लचीलापन बढ़ाने के लिये वित्तपोषण की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता पर बल दिया गया है।
  - भारतीय वित्त मंत्रालय ने IMF के ऋण अनुमानों का विरोध किया और उन्हें आसन्न वास्तविकता के बजाय सबसे खराब स्थिति के रूप में खारिज कर दिया।
- विनिमय दर गतिशीलता: IMF ने दिसंबर 2022 से अक्टूबर 2023 के लिये भारत की वास्तविक विनिमय दर व्यवस्था को "फ्लोटिंग" से "स्थिर व्यवस्था (stabilized arrangement)" में पुनर्वर्गीकृत किया।
  - यह पुनर्वर्गीकरण RBI के हस्तक्षेप के कारण रुपए के मूल्य में नियंत्रित उतार-चढ़ाव के बारे में निष्कर्ष शामिल हैं।
- स्थिर क्रेडिट रेटिंग: सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में सराहना पाने के बावजूद भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग काफी समय से स्थिर बनी हुई है।
  - फिच रेटिंग्स और एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स जैसी एजेंसियों ने कमज़ोर राजकोषीय प्रदर्शन, बोझिल कर्ज़ और कम प्रति व्यक्ति आय के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए वर्ष 2006 से भारत की क्रेडिट रेटिंग को 'बीबीबी-स्थिर दृष्टिकोण के साथ' पर बनाए रखा है।

वैश्विक ऋण परिदृश्य क्या है ?

- बढ़ता वैश्विक ऋण: वैश्विक स्तर पर, सार्वजनिक ऋण में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2022 में 92 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर

नोट :

को पार कर गया है, जो कि वर्ष 2000 के बाद से चार गुना से अधिक की वृद्धि है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को पार कर गया है।
    - संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वर्ष 2022 में 3.3 अरब लोग ऐसे देशों में रहते हैं जो शिक्षा या स्वास्थ्य की तुलना में ब्याज भुगतान पर अधिक व्यय करते हैं।
    - विकासशील देशों की कुल हिस्सेदारी लगभग 30% है, जिनमें से लगभग 70% चीन, भारत और ब्राज़ील के लिये ज़िम्मेदार है, जो बड़े पैमाने पर महामारी, जीवन-यापन संकट और जलवायु परिवर्तन जैसे विविध कारकों से प्रेरित है।
- विकसित और विकासशील देशों के बीच ऋण विषमता: अफ्रीका सहित विकासशील देश, विकसित देशों की तुलना में काफी अधिक उधार लेने की लागत का सामना करते हैं।
    - उधार दरों में यह असमानता विकासशील देशों के लिये ऋण स्थिरता से समझौता करती है, जिससे सार्वजनिक राजस्व के सापेक्ष ब्याज खर्च में वृद्धि होती है।

भारत का वर्तमान ऋण परिदृश्य क्या है?

- सरकार का वर्तमान ऋण स्तर: मार्च 2023 तक केंद्र सरकार का ऋण ₹155.6 ट्रिलियन था, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 57.1% था। इस बीच, राज्य सरकारों पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 28% ऋण था।
    - वित्त मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2022-23 में भारत का सार्वजनिक ऋण-से-GDP (debt-to-GDP) अनुपात 81% है। यह, FRBM लक्ष्य द्वारा निर्दिष्ट स्तरों से कहीं अधिक है।
        - FRBM अधिनियम में वर्ष 2018 के संशोधन ने केंद्र, राज्यों और उनके संयुक्त खातों के लिये क्रमशः 40%, 20% तथा 60% पर ऋण-GDP लक्ष्य निर्दिष्ट किये।
- **भारत के बढ़ते ऋण स्तर से संबंधित परस्पर जुड़े कारक:**
    - उच्च राजकोषीय घाटा: सरकार लगातार अपनी आय से अधिक व्यय करती है, जिसके कारण घाटे को उधार के माध्यम से पूरा किया जाता है। यह घाटा निम्न कारणों से उत्पन्न हो सकता है:
        - उच्च व्यय प्रतिबद्धताएँ: सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, सब्सिडी और रक्षा व्यय सरकारी परिव्यय में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
        - धीमी राजस्व वृद्धि: कर सुधारों से राजस्व संग्रह में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है, जिससे राजस्व-व्यय में अंतर उत्पन्न हो गया है।
    - वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाएँ: रूस-यूक्रेन युद्ध और बढ़ती कमोडिटी कीमतों जैसी घटनाओं से आर्थिक व्यवधान एवं उच्च आयात लागत हो सकती है, जिससे सरकार को स्थिरता बनाए रखने के लिये उधार लेने हेतु मजबूर होना पड़ सकता है।
    - अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और कर रिसाव: भारत की बड़ी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था कुशल कर संग्रह के लिये चुनौतियाँ पेश करती है।
        - कृषि और छोटे व्यवसायों जैसे क्षेत्रों में कर चोरी तथा औपचारिकता की कमी राजस्व सृजन को सीमित करती है, जिससे संभावित रूप से सरकार को ऋण वित्तपोषण पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
    - गारंटी और आकस्मिकताएँ: सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा लिये गए ऋण या आकस्मिक देनदारियों हेतु सरकार की गारंटी, जैसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी से संभावित नुकसान, अप्रत्यक्ष रूप से ऋण में काफी वृद्धि करते हैं।
    - विनिमय दर में उतार-चढ़ाव: विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव विदेशी मुद्रा-मूल्य वाले ऋण की सेवा की लागत को प्रभावित करते हैं, जिससे संभावित रूप से समग्र ऋण बोझ बढ़ जाता है।
- **भारत में ऋण प्रबंधन हेतु विधान:**
    - राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (FRBM अधिनियम): FRBM अधिनियम एक भारतीय कानून है जो सरकार के राजकोषीय संचालन में वित्तीय अनुशासन लाने और देश के राजकोषीय घाटे को कम करने के लिये बनाया गया है।
        - FRBM का लक्ष्य केंद्र और राज्यों के लिये विशिष्ट ऋण-GDP लक्ष्य निर्धारित करना है।
    - हालाँकि महामारी से उत्पन्न व्यवधान ने निर्दिष्ट सीमा को पार करते हुए ऋण-GDP अनुपात को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
        - इसके अलावा इसके अधिनियमन के कई वर्षों के बावजूद, भारत सरकार FRBM अधिनियम के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये संघर्ष कर रही है।

अस्थाई विनिमय दर गतिशीलता को स्थिर व्यवस्था से क्या अलग करता है?

- **अस्थायी विनिमय दर:**
    - बाज़ार-संचालित: मुद्रा का मूल्य न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ, विदेशी मुद्रा बाज़ार में पूरी तरह से आपूर्ति और मांग से निर्धारित होता है।
    - उच्च अस्थिरता: आर्थिक समाचारों, घटनाओं या बाज़ार की धारणा के जवाब में विनिमय दर में काफी उतार-चढ़ाव हो सकता है।
    - लचीलेपन में वृद्धि: व्यवसाय और व्यक्ति बाज़ार-निर्धारित विनिमय दरों के माध्यम से बदलती आर्थिक स्थितियों के साथ तालमेल बैठा सकते हैं।

नोट :

- **स्थिर व्यवस्था:**
  - विशुद्ध रूप से अस्थाई से अधिक प्रबंधित: अत्यधिक अस्थिरता को दूर करने या मुद्रा के लिये लक्ष्य सीमा बनाए रखने हेतु सरकार या केंद्रीय बैंक कभी-कभी विदेशी मुद्रा बाज़ार में हस्तक्षेप कर सकता है।
  - मध्यम अस्थिरता: शुद्ध फ्लोट की तुलना में अधिक स्थिरता का लक्ष्य, लेकिन फिर भी कुछ हद तक उतार-चढ़ाव स्वीकार करना।
  - पूर्वानुमान की पेशकश: व्यवसाय और व्यक्ति अधिक स्थिर विनिमय दर वातावरण के साथ योजना बना सकते हैं।
- **स्थिर व्यवस्था का IMF का वर्गीकरण:**
  - IMF एक विनिमय दर व्यवस्था को एक स्थिर व्यवस्था के रूप में वर्गीकृत करता है जब यह निर्धारित करता है कि विनिमय दर 6 महीनों में 2% बैंड से आगे नहीं बढ़ी है और यह स्थिरता बाज़ार की स्थितियों के बजाय बाज़ार के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप हुई है।

सतत् ऋण प्रबंधन के लिये भारत क्या उपाय कर सकता है?

- **अल्पकालिक: राजकोषीय समेकन:**
  - लक्षित सुधार: सब्सिडी को सुव्यवस्थित करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सुधार करना तथा प्रशासनिक अक्षमताओं को कम करना एवं FRBM अधिनियम के लक्ष्यों का सख्ती से अनुपालन करना ऋण चुकौती व लाभकारी निवेश के लिये संसाधनों की बचत कर सकता है।
  - बेहतर कर दक्षता: कर प्रशासन को सुदृढ़ करने तथा कर चोरी की रोकथाम से अत्यधिक उधार लिये बिना राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
- **दीर्घकालिक: विकासोन्मुख रणनीतियाँ:**
  - कौशल विकास और शिक्षा: शिक्षा तथा कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से मानव पूंजी में निवेश करने से उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि होती है जिससे उच्च आर्थिक विकास होता है तथा कराधान में सुधार होता है।
  - निर्यात संवर्द्धन: निर्यात बाज़ारों में विविधता लाने, उच्च मूल्य वाले निर्यात को प्रोत्साहित करने तथा प्रतिस्पर्द्धात्मक चुनौतियों का समाधान करने से विदेशी मुद्रा आय को बढ़ावा मिल सकता है जिससे संभावित रूप से बाह्य ऋण की आवश्यकता कम हो सकती है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 पर चिंताएँ

चर्चा में क्यों?

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) कई उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये वर्ष 2016 में लागू हुई, जिसमें देनदार की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना, उद्यमिता को बढ़ावा देना, मामलों का समय पर समाधान सुनिश्चित करना और हितधारकों के हितों को संतुलित किया जाता है।

- हालाँकि, हाल के घटनाक्रमों ने इस संहिता की प्रभावशीलता और समाधान प्रक्रिया के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

IBC के साथ प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **न्यून पुनर्भुगतान प्रतिशत:**
  - वर्ष 2023 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) के अनुसार, रिज़ॉल्यूशन योजना अनुमोदन प्रक्रिया में आम तौर पर क्रेता द्वारा केवल 15% भुगतान शामिल होता है और पुनर्भुगतान में बैंकों द्वारा किसी भी अतिरिक्त ब्याज के बिना वर्षों लग सकते हैं।
    - इससे पुनर्भुगतान प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो गए हैं।
- **निपटान और पुनर्प्राप्ति:**
  - हाल के निपटान और समाधान, जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (RCIL) मामले ने कम निपटान राशि तथा विस्तारित समाधान अवधि के कारण चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
    - उदाहरण के लिये RCIL के निपटान की राशि ऋण का मात्र 0.92% थी और समाधान योजना को पूरा करने में चार वर्ष लग गए, जो निर्धारित अधिकतम 330 दिनों से कहीं अधिक था।
    - वित्तीय ऋणदाताओं (FC) को आदर्श रूप से मूलधन और ब्याज मिलना चाहिये।
  - चूक की पहचान करने और उसे स्वीकार करने में समय लेने वाली प्रक्रियाएँ पुनर्प्राप्ति दरों को कम करने में योगदान करती हैं। यह समाधान कार्यवाही को समय पर शुरू करने में बाधा उत्पन्न करता है, जिससे पुनर्प्राप्ति दर कम हो जाती है।
- **हेयर कट्स और पुनर्प्राप्ति दरें:**
  - "हेयरकट्स" की अवधारणा, जिसमें ऋण और अर्जित ब्याज को बट्टे खाते में डालना शामिल है, ने प्रमुखता प्राप्त कर ली है।

नोट :

- प्रमोटर अपनी कंपनी को शोधन कर्मचारियों के पास ले जाकर और बैंकरों/राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) से पर्याप्त छूट प्राप्त करके लाभ उठा रहे हैं।

- समाधान के बाद, उधारकर्त्ता और दिवाला पेशेवर (IP) अमीर/धनी बने रहते हैं, जबकि ऋणदाताओं को नुकसान होता है तथा बैंक देनदारी से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि केवल कंपनियों को दिवालिया घोषित किया जाता है, मालिकों को नहीं, जिससे जमाकर्त्ताओं को नुकसान होता है।
  - इसके परिणामस्वरूप वित्तीय ऋणदाताओं को प्राप्त होने वाली वसूली दर कम हो गई है तथा कुछ मामलों में बकाया ऋण का केवल 5% ही प्राप्त हुआ है।

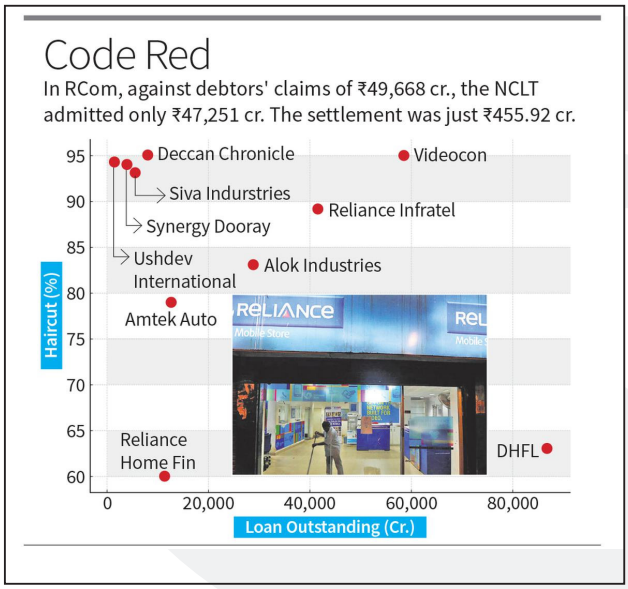

- **वसूली योग्य मूल्य:**
  - वर्ष 2023 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी FSR लेनदारों के लिये कम वसूली योग्य मूल्य प्राप्त होने के मुद्दे को उजागर करता है जिसमें बैंक अथवा वित्तीय लेनदार बड़े कॉरपोरेट्स के NCLT द्वारा निपटाए गए मामलों में औसतन केवल 10-15% की वसूली करते हैं। हालाँकि RBI का कहना है कि लेनदारों को परिसमापन पर प्राप्य मूल्य (Liquidation Value) का 168.5% तथा उचित मूल्य का 86.3% मिलता है।
    - FSR के अनुसार 597 परिसमापन में से ₹1,32,888 करोड़ के दावे की तुलना में वसूल हुई राशि स्वीकृत दावों का 3% थी।
    - जबकि बैंक किसानों, छात्रों, MSME तथा आवासीय ऋण पर नवीनतम ब्याज़ लेते हैं, जिसमें देरी की स्थिति में जुर्माना ब्याज भी शामिल है और साथ ही संबद्ध स्थिति कॉरपोरेट्स के साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाता है।
  - परिसमापन से प्राप्त राशि भी न्यूनतम रही है, जिससे पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया संबंधी चिंताएँ बढ़ गई हैं।
- **विनियामक चिंताएँ:**
  - विनियामक रिपोर्टें:
    - वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report- FSR) में कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (Corporate Insolvency Process- CIRP) संबंधी कई मुद्दे उजागर होते हैं।
  - रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृत दावे बकाया से कम हैं तथा बैंक अथवा वित्तीय ऋणदाता परिसमापन पर प्राप्य मूल्य व उचित मूल्य का केवल एक अंश ही वसूल कर पा रहे हैं।
- **संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट:**
  - वित्त पर संसदीय स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee) की 32वीं रिपोर्ट में कम वसूली दर से संबंधित चिंता को उजागर किया गया है जिसमें 95% तक की कटौती एवं 180 दिनों से अधिक समय से लंबित 71% से अधिक मामलों के साथ समाधान प्रक्रिया में देरी स्पष्ट रूप से संसद द्वारा संहिता के मूल उद्देश्य तथा रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल्स (RP) और इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स (IP) से संबंधित मुद्दों से विचलन की ओर इशारा करती है। ।
    - यह ऋणदाताओं की समिति (Committee of Creditors- COC) के लिये एक पेशेवर आचार संहिता की आवश्यकता और हेयरकट/मार्जिन की सीमा तय करने की भी सिफारिश करता है।
- **सीमित न्यायिक बेंच क्षमता:**
  - न्यायाधीशों की कमी के कारण IBC समाधान प्रक्रिया बाधित होती है जिसके परिणामस्वरूप मामले के निपटान में देरी आती है। जिसके परिणामस्वरूप मामले के निपटान में देरी लगती है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ?

- **परिचय:**
  - दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 कंपनियों, व्यक्तियों एवं साझेदारियों के दिवालियेपन को समयबद्ध तरीके से हल करने के लिये एक रूपरेखा प्रदान करता है।
    - दिवाला एक ऐसी स्थिति है जहाँ किसी व्यक्ति या संगठन की देनदारियाँ उसकी संपत्ति से अधिक हो जाती हैं और वह संस्था अपने दायित्वों या ऋणों को पूरा करने के लिये पर्याप्त नकदी जुटाने में असमर्थ होती है क्योंकि उनका भुगतान बकाया हो जाता है।

नोट :

- दिवालियापन तब होता है जब किसी व्यक्ति या कंपनी को कानूनी तौर पर उनके देय और देय बिलों का भुगतान करने में असमर्थ घोषित कर दिया जाता है।
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2021 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में संशोधन करता है।
  - इस संशोधन का उद्देश्य कूट के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के रूप में वर्गीकृत कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये एक कुशल वैकल्पिक दिवाला समाधान ढाँचा प्रदान करना है।
  - इसका लक्ष्य सभी हितधारकों के लिये त्वरित, लागत प्रभावी और परिणाम सुनिश्चित करना है।

- **उद्देश्य:**
  - देनदार की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना।
  - उद्यमिता को बढ़ावा देना।
  - मामलों का समय पर एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना।
  - सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करना।
  - प्रतिस्पर्द्धी बाज़ार और अर्थव्यवस्था को सुगम बनाना।
  - सीमा पार दिवालियापन मामलों के लिये एक रूपरेखा प्रदान करना।
- **IBC कार्यवाही:**
  - भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI):
    - IBBI भारत में दिवाला कार्यवाही की देखरेख करने वाले नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
  - इसमें पदेन सदस्य भी होते हैं।
- IBBI के अध्यक्ष एवं तीन पूर्णकालिक सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं तथा वे वित्त, कानून और दिवालियापन के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं।
  - कार्यवाही का निर्णय:
    - राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) कंपनियों के लिये कार्यवाही का निर्णय करता है।
    - ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) व्यक्तियों के लिये कार्यवाही संभालता है।
  - समाधान प्रक्रिया की शुरुआत को मंज़ूरी देने, पेशेवरों की नियुक्ति करने और लेनदारों के अंतिम निर्णयों का समर्थन करने में अदालतें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
  - संहिता के तहत दिवाला समाधान की प्रक्रिया:
    - डिफॉल्ट पर देनदार या लेनदार द्वारा शुरू किया गया।
    - दिवाला पेशेवर प्रक्रिया का प्रबंधन करते हैं, लेनदारों को वित्तीय जानकारी प्रदान करते हैं और देनदार परिसंपत्ति प्रबंधन की देखरेख करते हैं।
    - 180 दिन की अवधि समाधान प्रक्रिया के दौरान देनदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर रोक लगाती है।
  - ऋणदाताओं की समिति (CoC):
    - दिवाला पेशेवरों द्वारा गठित, CoC में वित्तीय ऋणदाता शामिल हैं।
  - CoC बकाया ऋणों के भाग्य का निर्धारण करती है, ऋण पुनरुद्धार, पुनर्भुगतान अनुसूची में बदलाव या परिसंपत्ति परिसमापन पर निर्णय लेती है।
    - 180 दिनों के भीतर निर्णय न लेने पर देनदार की संपत्ति परिसमापन में चली जाती है।
  - परिसमापन प्रक्रिया:
    - देनदार की संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय को निम्नलिखित क्रम में वितरित किया जाता है:
  - पहला दिवाला समाधान लागत, जिसमें दिवाला पेशेवर का पारिश्रमिक शामिल है, दूसरा सुरक्षित लेनदार, जिनके ऋण संपार्श्विक द्वारा समर्थित हैं और तीसरा श्रमिकों, अन्य कर्मचारियों का बकाया, अगला असुरक्षित लेनदार।

आगे की राह

- समाधान योजनाओं में उच्च पुनर्भुगतान प्रतिशत सुनिश्चित करने के उपाय लागू करें। इसमें योजनाओं को मंज़ूरी देने के लिये कठिन मूल्यांकन मानदंड, क्रेता द्वारा पर्याप्त अग्रिम भुगतान की आवश्यकता पर बल देना और समय पर भुगतान को प्रोत्साहित करना शामिल हो सकता है।
  - किसी एक कॉरपोरेट घराने के लिये ऋण की अधिकतम सीमा 10,000 करोड़ रुपए लागू करने का RBI का निर्णय बट्टे खाते में डालने के दौरान बैंकों के बोझ को कम करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- चूँकि मूल उद्देश्य पूरे नहीं हुए हैं इसलिये IBC और NCLT की पूर्ण समीक्षा की तत्काल आवश्यकता है।
- "हेयरकट्स" की अवधारणा का पुनर्मूल्यांकन करें और प्रमोटरों द्वारा दुरुपयोग को रोकने के लिये उपायों को लागू करें। ऐसे सुरक्षा उपाय पेश करें जो प्रमोटरों और वित्तीय ऋणदाताओं के बीच घाटे का उचित वितरण सुनिश्चित करें।
- मामलों की स्थिति और देरी के कारणों पर नियमित अपडेट सुनिश्चित करके समाधान प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाएँ।

नोट :

विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएँ रिपोर्ट, 2024

चर्चा में क्यों ?

वर्ष 2024 के लिये विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट(World Economic Situation and Prospects report) नामक संयुक्त राष्ट्र (United Nations-UN) की हालिया रिपोर्ट में वर्ष 2024 में वैश्विक मुद्रास्फीति में गिरावट का अनुमान लगाया गया है, लेकिन विशेष रूप से विकासशील देशों में खाद्य मुद्रास्फीति (food inflation) में एक साथ वृद्धि की चेतावनी दी गई है।

- इस घटना के निहितार्थ, जलवायु संबंधी चुनौतियों और भू-राजनीतिक तनावों के साथ मिलकर, खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास के लिये खतरा पैदा करते हैं।

वर्ष 2024 के लिये विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ?

- **वैश्विक जीडीपी वृद्धि:**
  - रिपोर्ट में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (global gross domestic product - GDP) की वृद्धि में गिरावट का अनुमान लगाया गया है, जो वर्ष 2023 में अनुमानित 2.7% से घटकर वर्ष 2024 में 2.4% हो जाएगी।
  - विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ, विशेष रूप से, महामारी से उत्पन्न नुकसान से उबरने के लिये संघर्ष कर रही हैं, जिनमें से कई को उच्च ऋण और निवेश की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
  - यह अनुमान लगाया गया है कि कई कम आय वाले और कमज़ोर राष्ट्र आगामी वर्षों में केवल मध्यम विकास का अनुभव करेंगे।
    - इसके कारण लगातार उच्च ब्याज दरें, बढ़ते भू-राजनीतिक संघर्ष, कम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और जलवायु संबंधी आपदाओं में वृद्धि हैं।
- **भारत का दृष्टिकोण:**
  - दक्षिण एशिया में वर्ष 2023 में अनुमानित 5.3% की वृद्धि हुई और 2024 में 5.2% की वृद्धि का अनुमान है, भारत में अधिक विस्तार से प्रेरित है, जो दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
  - घरेलू मांग और विनिर्माण तथा सेवाओं में वृद्धि से समर्थित, वर्ष 2024 में भारत की विकास दर 6.2% होने का अनुमान है।
- **मुद्रास्फीति:**
  - वैश्विक मुद्रास्फीति, जो पिछले दो वर्षों में एक प्रमुख चिंता का विषय रही है, कम होने के संकेत दिख रही है।
    - वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति वर्ष 2022 में 8.1% से गिरकर 2023 में अनुमानित 5.7% हो गई और वर्ष 2024 में घटकर 3.9% होने का अनुमान है।
  - हेडलाइन मुद्रास्फीति एक अर्थव्यवस्था के भीतर कुल मुद्रास्फीति को मापती है, जिसमें खाद्य और ऊर्जा की कीमतें जैसी वस्तुएँ शामिल होती हैं।
    - मुद्रास्फीति में गिरावट का कारण अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी कीमतों में जारी नरमी और संयुक्त राष्ट्र द्वारा मौद्रिक सख्ती के कारण मांग में कमी है।
  - हालाँकि खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति गंभीर बनी हुई है, जिससे विशेष रूप से विकासशील देशों में खाद्य असुरक्षा और गरीबी बढ़ रही है।
    - अनुमान है कि वर्ष 2023 में 238 मिलियन लोगों ने तीव्र खाद्य असुरक्षा का अनुभव किया, जो वर्ष 2022 से 21.6 मिलियन की वृद्धि है।
  - कमज़ोर स्थानीय मुद्राएँ, जलवायु संबंधी झटके और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से स्थानीय कीमतों तक सीमित अंतरण खाद्य मुद्रास्फीति में इस निरंतर वृद्धि का कारण होंगे।
    - अल नीनो का पुनरुत्थान जलवायु पैटर्न को बाधित कर सकता है, जिससे अत्यधिक और अपर्याप्त वर्षा दोनों ही खाद्य उत्पादन को प्रभावित कर सकती हैं।
- **जलवायु परिवर्तन:**
  - वर्ष 2023 में चरम मौसम की स्थिति का सामना करना पड़ा, जिससे दुनिया भर में विनाशकारी जंगल की आग, बाढ़ और सूखा पड़ा।
    - इन घटनाओं का प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव पड़ता है जैसे बुनियादी ढाँचे, कृषि और आजीविका को नुकसान।
  - अध्ययनों में जलवायु परिवर्तन के कारण महत्त्वपूर्ण आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाया गया है।
    - ग्रीनलैंड बर्फ शेल्फ ढहने जैसी घटनाओं को देखते हुए, अनुमान है कि वर्ष 2100 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 10% की कमी हो सकती है।
    - शमन के बिना, मॉडल 2100 तक औसत वैश्विक आय में संभावित 23% की कमी का संकेत देते हैं।
  - IPCC का अनुमान है कि अकेले तापमान के प्रभाव के कारण वर्ष 2100 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 10 से 23% की हानि होगी।
- **निवेश:**
  - आर्थिक अनिश्चितताओं, उच्च ऋण बोझ तथा बढ़ती ब्याज़ दरों के कारण वैश्विक निवेश संवृद्धि कम रहने की उम्मीद है।

नोट :

- विकसित देश हरित ऊर्जा तथा डिजिटल बुनियादी ढाँचे जैसे सतत् क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हैं।
- विकासशील देश पूंजी के बाह्य प्रवाह तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमी का सामना कर रहे हैं।
- भू-राजनीतिक तनाव क्षेत्रीय निवेश प्रवाह को प्रभावित करते हैं जिससे आर्थिक अनिश्चितताओं तथा बढ़ती ब्याज दरों के बीच कम वैश्विक निवेश वृद्धि में योगदान होता है।

◆ ऊर्जा क्षेत्र में, विशेष रूप से स्वच्छ ऊर्जा में निवेश बढ़ रहा है किंतु यह वृद्धि वर्ष 2050 तक शुद्ध-शून्य-उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने के के अनुरूप नहीं है।

- रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक ऊर्जा परिवर्तन एवं बुनियादी ढाँचे के लिये 150 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी जिसमें मात्र वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र के लिये वार्षिक रूप से 5.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी।
- इसके बावजूद जलवायु वित्त आवश्यकताओं को पूरा करने में अक्षम रहा है जो बड़े पैमाने पर विस्तार की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता पर बल देता है।
- रिपोर्ट में लॉस एंड डैमेज फंड के प्रभावी संचालन तथा जलवायु आपदाओं का सामना करने वाले कमज़ोर देशों की सहायता के लिये वित्तपोषण प्रतिबद्धताओं को बढ़ाने का आह्वान किया गया है।

- **श्रम बाज़ार:**
  - वैश्विक श्रम बाज़ार कोविड-19 महामारी के बाद विकसित तथा विकासशील देशों के बीच भिन्न रुझान प्रदर्शित करता है।
    - विकसित देश:
  - वर्ष 2023 में बेरोज़गारी दर में कमी, विशेष रूप से अमेरिका में 3.7% तथा यूरोपीय संघ में 6.0%, के साथ एक उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया और साथ ही नाममात्र वेतन में वृद्धि के साथ वेतन असमानता में कमी आई।
  - हालाँकि वास्तविक आय हानि और श्रम की कमी संबंधी चुनौतियाँ बनी रहीं।
    - विकासशील देश:
  - विभिन्न बेरोज़गारी रुझान के साथ मिश्रित प्रगति हुई (उदाहरनार्थ: चीन, ब्राज़ील, तुर्की, रूस में संबद्ध क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई)।
  - निरंतर बने रहने वाले मुद्दों में अनौपचारिक रोज़गार, लैंगिक अंतर एवं उच्च युवा बेरोज़गारी शामिल है।
  - वैश्विक स्तर पर वर्ष 2023 में महिला श्रम बल की भागीदारी में 47.2% (वर्ष 2013 में 48.1% की तुलना में) की गिरावट आई।
  - वैश्विक रोज़गार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का प्रभाव:
    - एक-तिहाई वैश्विक कंपनियाँ अब जेनरेटिव AI का उपयोग करती हैं, जिनमें से 40% AI निवेश का विस्तार करने की योजना बना रही हैं।
  - AI कम-कुशल नौकरियों की मांग को कम कर सकता है, जिसका महिलाओं और कम आय वाले देशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा, AI आधारित व्यवसायों में एक महत्त्वपूर्ण लैंगिक अंतर है।
- वर्ष 2022 में चैट-जीपीटी (ChatGPT) की शुरुआत के बाद से, AI अपनाने में तेज़ी से प्रगति हुई है।
- **व्यापार:**
  - वर्ष 2023 में वैश्विक व्यापार वृद्धि में 0.6% तक गिरावट दर्ज की गई और वर्ष 2024 में इसमें 2.4% तक का सुधार होने का अनुमान है।
    - रिपोर्ट वैश्विक व्यापार में बाधा डालने वाले कारकों के रूप में उपभोक्ता खर्च में वस्तुओं से सेवाओं की ओर बदलाव, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति शृंखला में व्यवधान एवं महामारी के लंबे समय तक बने रहने वाले प्रभावों की ओर इशारा करती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय वित्त और ऋण:**
  - बढ़ता विदेशी ऋण और बढ़ी हुई ब्याज दरें विकासशील देशों की अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाज़ारों तक अभिगम में बाधा डालती हैं।
  - आधिकारिक विकास सहायता और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट कम आय वाले देशों के लिये वित्तीय बाधाओं को बढ़ाती है।
  - ऋण स्थिरता एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है, जिससे बढ़ते वित्तीय बोझ को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिये ऋण पुनर्गठन और राहत प्रयासों की आवश्यकता होती है।
- **बहुपक्षवाद और सतत् विकास:**
  - वर्ष 2024 की WESP रिपोर्ट, विशेष रूप से जलवायु कार्रवाई, सतत् विकास वित्तपोषण और निम्न व मध्यम आय वाले देशों की ऋण स्थिरता चुनौतियों का समाधान करने जैसे क्षेत्रों में मज़बूत वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर ज़ोर देती है।
  - यह रिपोर्ट जटिल वैश्विक आर्थिक परिदृश्य से निपटने और संयुक्त राष्ट्र-अनिवार्य सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने में बहुपक्षवाद की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।

नोट :

GST संबंधी चुनौतियों का समाधान

चर्चा में क्यों ?

हालिया वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST) राजस्व डेटा एक चिंताजनक परिदृश्य उजागर करता है जिसके अनुसार भारतीय राज्यों में उपभोग वृद्धि एक समान नहीं है जिससे राष्ट्रीय आर्थिक सुधार में संभावित असंगति का पता चलता है।

हाल के GST से संबंधित आँकड़ों के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं ?

- कुल GST संग्रह: वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के प्रथम नौ महीनों में इसमें 11.7% की वृद्धि दर्ज की गई।
  - केंद्रीय GST की तुलना में राज्य GST संग्रह उच्च दर (15.2%) से बढ़ा जो राज्यों में मौजूद विविध उपभोग/खपत स्वरूप का सुझाव देता है।
- राज्यों के बीच असमानताएँ: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में राज्य GST राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि (17% से 18.8%) दर्ज की गई जबकि गुजरात, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में एकल-अंकीय वृद्धि हुई।
- सबसे कम निजी उपभोग विस्तार: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office- NSO) का अनुमान है कि वर्तमान वर्ष के लिये निजी अंतिम उपभोग व्यय (Private Final Consumption Expenditure- PFCE) की वृद्धि केवल 4.4% होगी जो वर्ष 2002-03 (महामारी के समय के अतिरिक्त) के बाद से सबसे धीमी है।
  - PFCE को निवासी परिवारों और परिवारों की सेवा करने वाले गैर-लाभकारी संस्थानों (Non-Profit Institutions Serving Households- NPISH) द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की अंतिम खपत पर किये गए व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है, इसमें आर्थिक क्षेत्र के भीतर अथवा बाह्य व्यय दोनों शामिल हैं।

वस्तु एवं सेवा कर क्या है ?

- परिचय: GST एक मूल्य वर्द्धित कर प्रणाली है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।
  - यह एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई, 2017 को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से 'एक राष्ट्र एक कर' के नारे के साथ भारत में लागू किया गया था।
- कर स्लैब: नियमित करदाताओं के लिये प्राथमिक GST स्लैब वर्तमान में 0% (शून्य-रेटेड), 5%, 12%, 18% और 28% हैं।
  - कुछ GST दरें हैं जिनका आमतौर पर कम उपयोग किया जाता है, जैसे– 3% और 0.25%।
- **GST के लाभ:**
  - सरलीकृत कर व्यवस्था: GST ने कई अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित कर दिया, जिससे अनुपालन आसान हो गया और व्यवसायों के लिये कागज़ी कार्रवाई कम हो गई।
  - पारदर्शिता में वृद्धि: ऑनलाइन GST पोर्टल कर प्रशासन को सरल बनाता है और प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।
  - कर का बोझ कम होना: व्यापक करों के समाप्त होने से कीमतें कम होने से उपभोक्ताओं को लाभ होता है।
  - आर्थिक विकास को बढ़ावा: कर बाधाओं को दूर करके और दक्षता में सुधार करके, GST से उच्च आर्थिक विकास तथा रोज़गार सृजन में योगदान की उम्मीद है।
- GST परिषद: GST परिषद एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में GST के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिये ज़िम्मेदार है।
  - संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A (1) के अनुसार, GST परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया गया था।

भारत में GST से संबंधित वर्तमान प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं ?

- जटिलता और अनुपालन बोझ: भारत में GST में कई कर स्लैब के साथ एक जटिल संरचना है, जिससे अनुपालन आवश्यकताओं में वृद्धि हुई है।
  - यह जटिलता व्यवसायों, विशेषकर छोटे उद्यमों के लिये विविध नियमों को समझने और उनका पालन करने में एक चुनौती पेश करती है।
- प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढाँचे की तैयारी: GST का सफल कार्यान्वयन काफी हद तक मज़बूत तकनीकी बुनियादी ढाँचे पर निर्भर करता है। व्यवसायों के बीच तकनीकी तत्परता की कमी और प्रौद्योगिकी को अपनाने में असमानता जैसे मुद्दे GST नेटवर्क के निर्बाध कामकाज में बाधा बन सकते हैं।
- इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) सत्यापन: सरकारी अधिकारियों ने हाल ही में GST बकाया की चोरी में शामिल 29,000 से अधिक फर्जी फर्मों की पहचान की है और उनका भंडाफोड़ किया है।
- सभी राज्यों में एकाधिक पंजीकरण: कई राज्यों में काम करने वाले व्यवसायों को GST अनुपालन के लिये प्रत्येक राज्य में अलग-अलग पंजीकरण करना होगा।

नोट :

- पंजीकरण की यह बहुलता प्रशासनिक बोझ बढ़ाती है और अखिल भारतीय उपस्थिति वाले व्यवसायों के लिये अनुपालन लागत बढ़ाती है, जिससे लॉजिस्टिक चुनौतियों में योगदान होता है।

आगे की राह

- कर संरचना को सरल और तर्कसंगत बनाना: कर स्लैब की संख्या को कम करके GST कर संरचना को सरल बनाना।
  - अधिक स्पष्ट और एकसमान कर प्रणाली, व्यवसायों के लिये अनुपालन को आसान बनाएगी तथा कर दायित्वों की स्पष्ट समझ को बढ़ावा देगी।
- अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना: व्यवसायों पर प्रशासनिक बोझ को कम करने के लिये अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। इसमें रिटर्न फाइलिंग प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना, समय पर रिफंड सुनिश्चित करना और टैक्स फाइलिंग के लिये उपयोगकर्त्ता के अनुकूल इंटरफेस लागू करना शामिल हो सकता है।
- कर चोरी-रोधी उपायों पर ध्यान देना: विशेष रूप से नकली चालान और धोखाधड़ी गतिविधियों के माध्यम से कर चोरी को रोकने के उपायों को मज़बूत करने की आवश्यकता है।
  - संदिग्ध लेनदेन की पहचान करने के लिये उन्नत डेटा एनालिटिक्स और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना तथा धोखाधड़ी प्रथाओं को रोकने के लिये गैर-अनुपालन हेतु कड़े दंड लागू करना।

विश्व रोज़गार और सामाजिक आउटलुक: रुझान 2024

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने विश्व रोज़गार और सामाजिक आउटलुक: रुझान 2024 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि वैश्विक बेरोज़गारी दर वर्ष 2024 में बढ़ने वाली है और बढ़ती असमानताएँ एवं स्थिर उत्पादकता चिंता का कारण हैं।

रिपोर्ट के मुख्य तथ्य क्या हैं ?

- **बिगड़ती आर्थिक स्थितियों के बीच लचीलापन:**
  - बिगड़ती आर्थिक स्थितियों के बावजूद, वैश्विक श्रम बाज़ारों ने बेरोज़गारी दर और नौकरियों के अंतर दर (रोज़गार रहित व्यक्तियों की संख्या जो नौकरी खोजने में रुचि रखते हैं) दोनों में सुधार के साथ आश्चर्यजनक लचीलापन दिखाया है।
- **वैश्विक बेरोज़गारी रुझान:**
  - वर्ष 2023 में वैश्विक बेरोज़गारी दर 5.1% थी, जो वर्ष 2022 की तुलना में मामूली सुधार है।
  - हालाँकि रिपोर्ट में श्रम बाज़ार के बिगड़ते परिदृश्य का अनुमान लगाया गया है, वर्ष 2024 में अतिरिक्त 20 लाख श्रमिकों के नौकरियों की तलाश करने की उम्मीद है, जिससे वैश्विक बेरोज़गारी दर 5.2% तक बढ़ जाएगी।
- **असमान पुनर्प्राप्ति:**
  - महामारी से उबरना असमान है, नई कमज़ोरियों और कई संकटों के कारण व्यापक सामाजिक न्याय की संभावनाएँ कम हो रही हैं।
  - बेरोज़गारी दर और नौकरियों के अंतर दर दोनों के संदर्भ में, उच्च एवं निम्न आय वाले देशों के बीच मतभेद बने रहते हैं।
  - वर्ष 2023 में उच्च आय वाले देशों में बेरोज़गारी अंतराल दर 8.2% था जबकि निम्न आय वाले देशों में यह 20.5% थी।
  - इसी प्रकार र्ष 2023 में उच्च आय वाले देशों में बेरोज़गारी दर 4.5% पर बनी रही जबकि कम आय वाले देशों में यह 5.7% थी।
- **आय असमानता में वृद्धि:**
  - आय असमानता में वृद्धि हुई है तथा अधिकांश G20 देशों में प्रयोज्य आय में गिरावट आई है।
    - वास्तविक प्रयोज्य आय में कमी को कुल मांग तथा अधिक निरंतर आर्थिक सुधार के लिये एक नकारात्मक कारक के रूप में देखा जाता है।
  - प्रयोज्य आय निवल आय प्रदर्शित करती है। यह करों के बाद शेष राशि को संदर्भित करती है।
- **कामकाज़ी गरीबी की स्थिति:**
  - वर्ष 2020 के बाद संबद्ध क्षेत्र में तेज़ी से गिरावट के बावजूद अत्यधिक गरीबी में रहने वाले श्रमिकों की संख्या (क्रय शक्ति समता के संदर्भ में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम आय) वर्ष 2023 में लगभग 1 मिलियन बढ़ गई।
  - मध्यम निर्धनता (PPP के संदर्भ में प्रति व्यक्ति प्रति दिन USD3.65 से कम आय) में रहने वाले श्रमिकों की संख्या 2023 में 8.4 मिलियन बढ़ गई।
  - कामकाज़ी गरीबी एक चुनौती के रूप में बनी रहने की संभावना है।
- **अनौपचारिक कार्य दरों की स्थिति:**
  - अनौपचारिक कार्य की दरों में स्थिरता रहने की उम्मीद है जो वर्ष 2024 में वैश्विक कार्यबल का लगभग 58% है।

नोट :

- **श्रम बाज़ार का असंतुलन:**
  - महामारी से पहले श्रम बाज़ार में भागीदारी की दर की वापसी विभिन्न समूहों के बीच भिन्न-भिन्न रही है।
  - महिलाओं की भागीदारी में तेज़ी से वापसी हुई है, परंतु लैंगिक अंतर अभी भी बना हुआ है, विशेषकर उभरते और विकासशील देशों में।
  - युवा बेरोज़गारी दर और NEET (रोज़गार, शिक्षा या प्रशिक्षण में नहीं) श्रेणी उच्च बनी हुई है, जिससे दीर्घकालिक रोज़गार संभावनाओं के लिये चुनौतियां खड़ी हो रही हैं।
- **उत्पादकता में कमी:**
  - महामारी के बाद थोड़े समय के लिये उत्पादकता में वृद्धि तो देखी गई किंतु श्रम उत्पादकता पिछले दशक में देखे गए निम्न स्तर पर लौट आई है।
  - कौशल की कमी और बड़े डिजिटल एकाधिकार के प्रभुत्व सहित बाधाओं के साथ, तकनीकी प्रगति और बढ़े हुए निवेश के बावजूद उत्पादकता वृद्धि धीमी बनी हुई है।
- **अनिश्चित परिदृश्य और संरचनात्मक चिंताएँ:**
  - हाल ही में देखे गए असंतुलन केवल महामारी का परिणाम मात्र नहीं है बल्कि संरचनात्मक चुनौतियाँ भी इसका कारण हो सकती हैं। कार्यबल संबंधी चुनौतियाँ व्यक्तिगत आजीविका और व्यवसाय दोनों के लिये खतरा पैदा करती हैं।
  - गिरते जीवन स्तर, कमज़ोर उत्पादकता, निरंतर मुद्रास्फीति और अधिक असमानता सामाजिक न्याय तथा सतत् पुनर्प्राप्ति के प्रयासों को क्षीण करती है। रिपोर्ट इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से और शीघ्रता से निपटने की आवश्यकता पर जोर देती है।
- **सकारात्मक वास्तविक मज़दूरी:**
  - भारत और तुर्की में वास्तविक मज़दूरी अन्य G20 देशों की तुलना में "सकारात्मक" है, लेकिन उपलब्ध डेटा 2021 के सापेक्ष 2022 का संदर्भ देता है। इसका तात्पर्य यह है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारत में वेतन वृद्धि मुद्रास्फीति से आगे निकलने में कामयाब रही है, जिससे वास्तविक मज़दूरी में सुधार में योगदान मिला है।
  - अन्य G20 देशों में वास्तविक मज़दूरी में गिरावट देखी गई; गिरावट विशेष रूप से ब्राज़ील (6.9%), इटली (5%) और इंडोनेशिया (3.5%) में देखी गई।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है ?

- **परिचय:**
  - इसे वर्ष 1919 में प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली वर्साय की संधि के हिस्से के रूप में बनाया गया था, इस विश्वास को प्रतिबिंबित करने के लिये कि सार्वभौमिक तथा स्थायी शांति केवल तभी प्राप्त की जा सकती है जब यह सामाजिक न्याय पर आधारित हो।
    - यह वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गई।
  - यह एक त्रिपक्षीय संगठन है, जो अपनी तरह का एकमात्र संगठन है जो अपने कार्यकारी निकायों में सरकारों, नियोक्ताओं एवं श्रमिकों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है।
- **सदस्य:**
  - कुल 187 सदस्य देशों के साथ भारत ILO का संस्थापक सदस्य है।
  - 2020 में भारत ने ILO के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की।
- **मुख्यालय:**
  - जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
- **पुरस्कार:**
  - वर्ष1969 में, ILO को राष्ट्रों के बीच भाईचारा और शांति में सुधार करने, श्रमिकों के लिये सभ्य कार्य और न्याय प्रदान करने के साथ-साथ अन्य विकासशील देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिये नोबेल शांति पुरस्कार मिला।

वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट: विश्व बैंक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व बैंक (World Bank- WB) ने अपनी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट (Global Economic Prospects Report) जारी की है जिसके अनुसार वर्ष 2024 के अंत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है जो 30 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की सबसे धीमी गति से वृद्धि करने वाला अर्द्ध दशक सिद्ध हो सकता है।

रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं ?

- **30 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का सबसे धीमा अर्द्ध दशक:**
  - वर्ष 2024 में 2.4% की वृद्धि दर के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में तीन दशकों में सबसे धीमी GDP वृद्धि का अनुभव होने का अनुमान है।
- **विगत वर्ष की तुलना में बेहतर प्रदर्शन:**
  - अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मज़बूत होने से वैश्विक मंदी का जोखिम कम हो गया है जिसके परिणामस्वरूप विगत वर्ष की तुलना में वैश्विक आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है।

नोट :

- किंतु बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव विश्व अर्थव्यवस्था के लिये आगामी भविष्य में चिंताएँ उत्पन्न कर सकते हैं।

- **विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के मध्यम अवधि प्रदर्शन में गिरावट:**
  - वैश्विक अर्थव्यवस्था एक वर्ष पूर्व की तुलना में बेहतर स्थिति में है जबकि कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का मध्यम अवधि का प्रदर्शन प्रभावित हुआ है। इसके कारकों में धीमी वृद्धि, वैश्विक व्यापार में कमी तथा प्रतिकूल वित्तीय स्थितियाँ शामिल हैं।
- **वैश्विक व्यापार तथा उधार ग्रहण करने की लागत में चुनौतियाँ:**
  - वर्ष 2024 में वैश्विक व्यापार की वृद्धि महामारी से पूर्व दशक की औसत वृद्धि से लगभग आधी रहने का अनुमान है।
  - विकासशील अर्थव्यवस्थाओं, विशेषकर कम क्रेडिट रेटिंग वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिये उधार लेने की लागत अधिक रहने का अनुमान है।
- **वैश्विक विकास:**
  - वैश्विक वृद्धि लगातार तीसरे वर्ष धीमी रहने का अनुमान है जिसके अनुसार वर्ष 2023 में 2.6% की तुलना में वर्ष 2024 में यह घटकर 2.4% हो जाएगी।
  - विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में यह स्तर केवल 3.9% बढ़ने का अनुमान है इसमें विगत दशक के औसत से लगभग एक प्रतिशत से अधिक की कमी हुई है।
  - निम्न आय वाले देशों में 5.5% की वृद्धि होने का अनुमान है जो शुरुआती पूर्वानुमान से कम है।
- **सन्निकट विकास का अभाव तथा उच्च ऋण स्तर:**
  - विशेष रूप से विकासशील देशों में निकट अवधि में अल्प वृद्धि होने का अनुमान है जिससे ऋण का स्तर ऊँचा हो जाएगा तथा खाद्यान्न तक पहुँच सीमित हो जाएगी। इससे अनेक वैश्विक लक्ष्यों की प्रगति में बाधा उत्पन्न होगी।।
- **सिफारिशें:**
  - मौजूदा दशक में अवसर व्यर्थ होने से बचने के लिये निवेश में तेज़ी लाने और राजकोषीय नीति ढाँचे को मज़बूत करने हेतु तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।
  - रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और 2030 तक अन्य प्रमुख वैश्विक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये विकासशील देशों द्वारा प्रति वर्ष लगभग 2.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश में 'ज़बरदस्त' वृद्धि की सिफारिश करती है।
  - विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को व्यापक नीति पैकेज लागू करने की आवश्यकता है, जिसमें राजकोषीय और मौद्रिक ढाँचे में सुधार, सीमा पार व्यापार तथा वित्तीय प्रवाह का विस्तार, निवेश माहौल में सुधार एवं संस्थागत गुणवत्ता को मज़बूत करना शामिल है।

विश्व बैंक क्या है ?

- **परिचय:**
  - इसे वर्ष 1944 में IMF के साथ मिलकर पुनर्निर्माण और विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD) के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में IBRD विश्व बैंक बन गया।
  - विश्व बैंक समूह पाँच संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है जो विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिये कार्य कर रहा है।
  - विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों में से एक है।
- **सदस्य:**
  - विशव के 189 देश इसके सदस्य हैं।
  - भारत भी इसका सदस्य है।
- **प्रमुख रिपोर्ट:**
  - मानव पूंजी सूचकांक
  - वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट
- **पाँच विकास संस्थान:**
  - अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (IBRD)
  - अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA)
  - अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC)
  - बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी (MIGA)
  - निवेश विवादों के निपटान के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID)
    - भारत ICSID का सदस्य नहीं है।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

लाल सागर और पनामा नहर

चर्चा में क्यों ?

लाल सागर व्यापार मार्ग में जहाज़ों पर हाल के हमलों और पनामा नहर में चल रही सूखे की समस्या ने वैश्विक व्यापार व्यवधानों के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

वर्तमान में लाल सागर और पनामा नहर में मुख्य मुद्दे क्या हैं ?

- **लाल सागर:**
  - मुद्दा: रासायन पदार्थों से भरे टैंकर MV केम प्लूटो पर गुजरात के तट से लगभग 200 समुद्री मील दूर एक ड्रोन हमला हुआ था।
    - MV केम प्लूटो एक लाइबेरिया-ध्वजांकित, जापानी स्वामित्व वाला और नीदरलैंड द्वारा संचालित रासायनिक टैंकर है। इसने सऊदी अरब के अल जुबैल से कच्चा तेल लेकर अपनी यात्रा शुरू की थी और इसके भारत के न्यू मैंगलोर पहुँचने की उम्मीद थी।
  - कथित रूप से शामिल: ऐसा माना जाता है कि गज़ा में इज़रायल की कार्रवाइयों के विरोध का हवाला देते हुए, यमन स्थित हूती विद्रोहियों द्वारा इसे अंजाम दिया गया था।
    - हूती विद्रोही यमन सरकार के साथ एक दशक से चल रहे नागरिक संघर्ष में भी शामिल हैं।
  - लाल सागर मार्ग में व्यवधान से केप ऑफ गुड होप के माध्यम से शिपिंग की जाएगी जिसके परिणामस्वरूप भारतीय कृषि उत्पादों की कीमत में 10-20% की वृद्धि हो सकती है।
    - भारत पर प्रभाव: इस महत्त्वपूर्ण व्यापार मार्ग में व्यवधान के कारण भारतीय तेल आयातकों और बासमती चावल तथा चाय जैसी प्रमुख वस्तुओं के निर्यातकों के लिये चिंताएँ पैदा हो गई हैं।

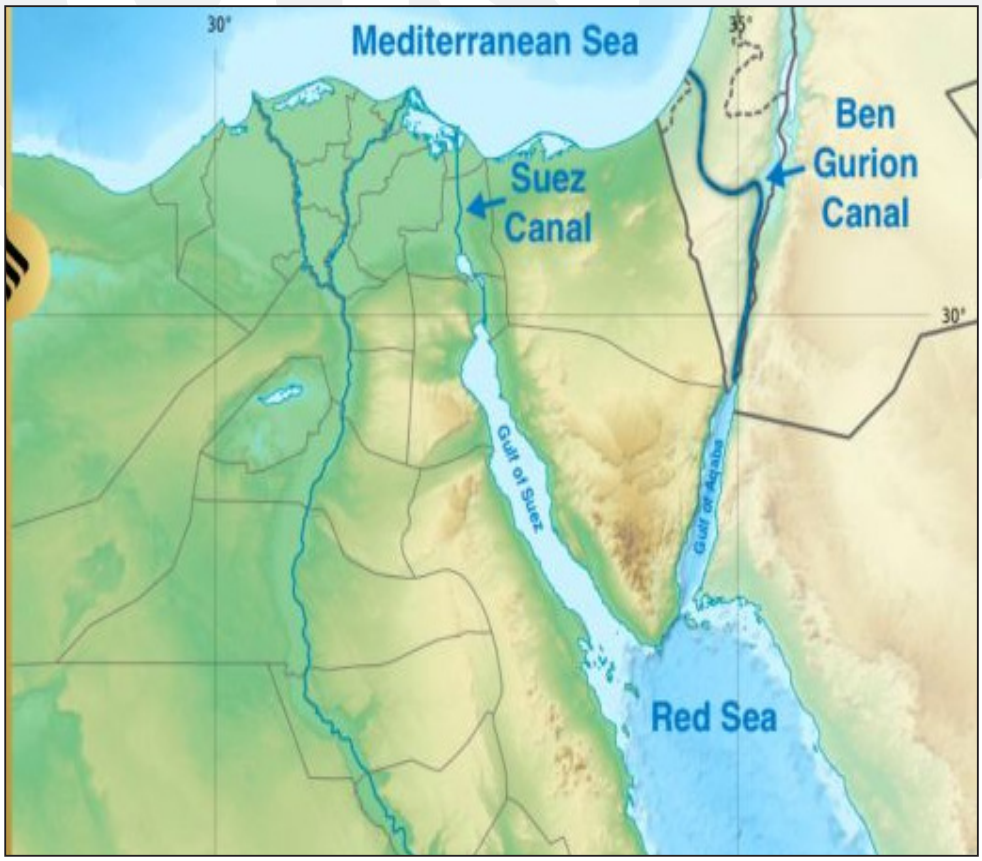

नोट :

नोट: प्रमुख शिपिंग कंपनियों द्वारा लाल सागर मार्ग से व्यापार न करने के कारण तेल एवं पेट्रोलियम के वैश्विक प्रवाह में गिरावट आई है। हालाँकि, रूस से भारत का तेल आयात अप्रभावित रहा है।

लाल सागर में संघर्ष के बीच, रूसी तेल पर भारत की निर्भरता - जिसे ईरान के सहयोगी के रूप में देखा जाता है - स्थिर बनी हुई है।

- **पनामा नहर:**
  - मुद्दा: सूखे की स्थिति के कारण, पनामा नहर के 51-मील विस्तार के माध्यम से शिपिंग में 50% से अधिक की कमी आई है।
    - मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सामान्य से अधिक गर्म समुद्री जल से संबंधित प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला अल-नीनो जलवायु पैटर्न पनामा के सूखे में योगदान दे रहा है।
  - प्रभाव: जल की यह कमी एशिया से अमेरिका जाने वाले जहाज़ो को स्वेज़ नहर का विकल्प चुनने के लिये मजबूर कर रही है, जिससे पनामा नहर मार्ग की तुलना में अतिरिक्त छह दिन का समय लगता है।
    - लाल सागर क्षेत्र में स्वेज़ नहर की ओर जाने वाली बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य एशिया को यूरोप से जोड़ती है जबकि 100 वर्ष पुरानी पनामा नहर अटलांटिक व प्रशांत महासागरों को जोड़ती है।
  - ये दोनों जल मार्ग विश्व के सबसे व्यस्ततम मार्गों में से एक हैं।

नोट :

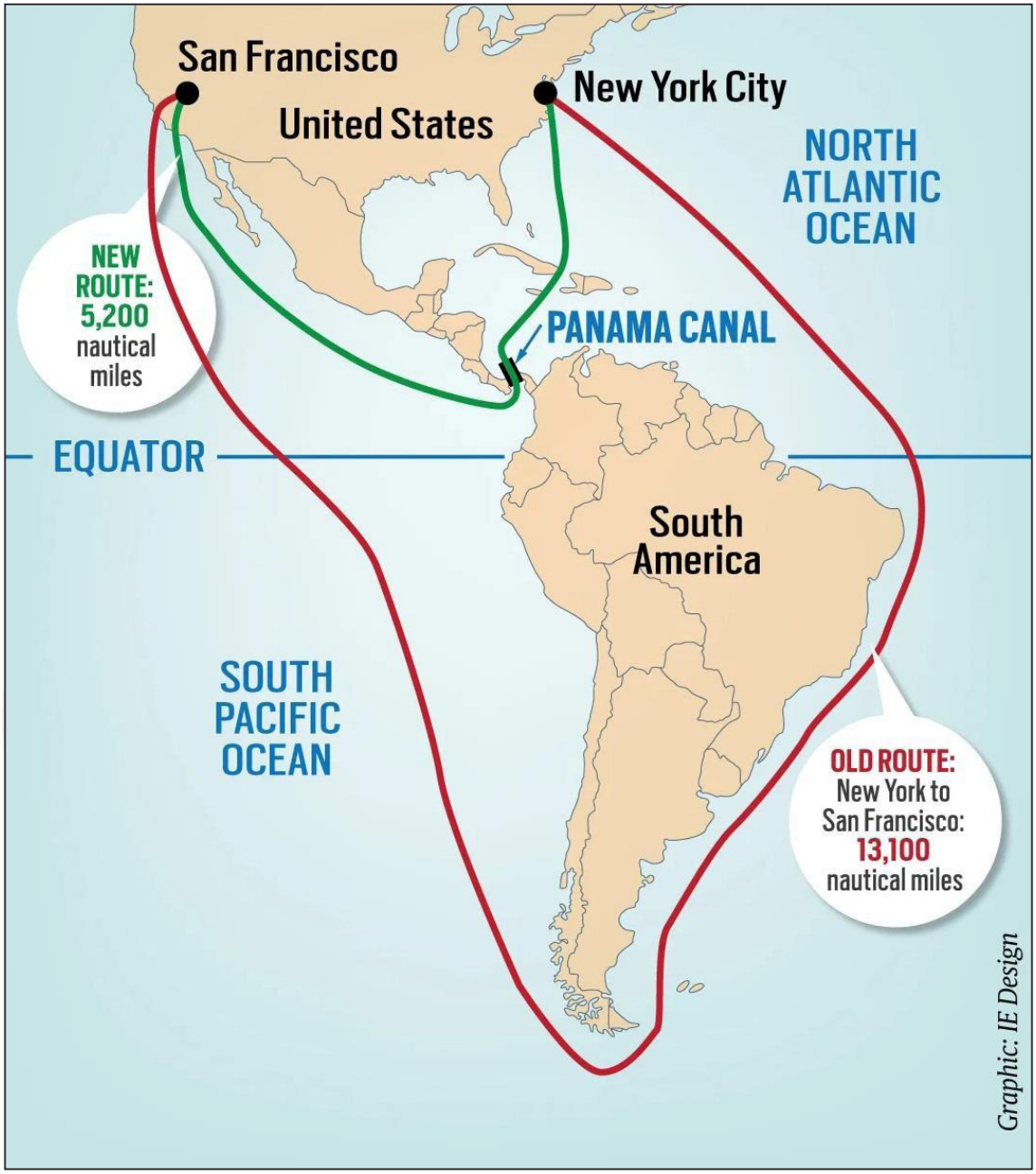

वैश्विक व्यापार में समुद्री परिवहन की क्या भूमिका है ?

- व्यापक मात्रा तथा मूल्य वाहक: व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन- UNCTAD के अनुसार समुद्री परिवहन कुल परिवहन मात्रा में वैश्विक व्यापार का 80% तथा मूल्य के हिसाब से 70% से अधिक का योगदान देता है, जो परिवहन के अन्य माध्यमों से कहीं अधिक है।
- वर्ष 2019 तक वार्षिक विश्व परिवहन व्यापार का कुल मूल्य 14 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक तक पहुँच गया था।
- पर्यावरणीय संदर्भ: जबकि शिपिंग वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 3% का योगदान देता है, यह अपेक्षाकृत अधिक ईंधन-कुशल है और हवाई माल ढुलाई जैसे परिवहन के अन्य तरीकों की तुलना में प्रति टन कार्गो का कम उत्सर्जन करता है।
- ऊर्जा स्रोतों का परिवहन: विश्व के अधिकांश ऊर्जा संसाधनों, जैसे तेल एवं प्राकृतिक गैस का परिवहन समुद्र द्वारा किया जाता है। टैंकर इन संसाधनों को उत्पादन क्षेत्रों से उपभोक्ता क्षेत्रों तक ले जाते हैं, जो वैश्विक ऊर्जा मांगों को पूरा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

नोट :

भारत इन मुद्दों की संवेदनशीलता/सुभेद्यता को कम करने के लिये क्या उपाय अपना सकता है ?

- संयुक्त समुद्री सुरक्षा पहल: प्रमुख लाल सागर हितधारकों (मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यमन) के साथ एक सहयोगी सुरक्षा ढाँचे का प्रस्ताव जिसमें खुफिया जानकारी साझा करना, समन्वित गश्त और संयुक्त अभ्यास शामिल हैं।
- उन्नत निगरानी प्रणालियों की तैनाती: खतरे का शीघ्र पता लगाने और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिये भारत के पश्चिमी तट पर एकीकृत रडार एवं ड्रोन निगरानी प्रणालियाँ स्थापित की जा सकती हैं।
- तरजीही/अधिमानी अभिगम पर वार्ता: भारतीय जहाज़ों के लिये तरज़ीही/अधिमानी मार्ग या विशिष्ट मार्गों के लिये संभावित टोल छूट संबंधी संभावनाओं का लगाने हेतु पनामा नहर अधिकारियों के साथ संवाद किया जाना चाहिये।

वैकल्पिक व्यापार मार्गों पर विचार

हाल ही में, बेन गुरियन नहर परियोजना में नए सिरे से रुचि बढ़ी है, एक प्रस्तावित 160 मील लंबी समुद्र-स्तरीय नहर जो स्वेज़ नहर को दरकिनार/बाइपासिंग करते हुए भूमध्य सागर को अकाबा की खाड़ी से जोड़ेगी।

भारत-इटली प्रवासन और आवाजाही समझौता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और इटली के बीच प्रवासन एवं आवाजाही समझौते को पूर्वव्यापी मंज़ूरी दे दी।

भारत और इटली के बीच प्रवासन तथा आवाजाही समझौता क्या है ?

- **परिचय:**
  - यह समझौता भारत और इटली के बीच लोगों के संबंधों को प्रगाढ़ करते हुए अनियमित प्रवासन से संबंधित मुद्दों पर सहयोग को मज़बूत करने के लिये तैयार है।
  - यह छात्रों, कुशल श्रमिकों, व्यावसायियों और युवा पेशेवरों सहित विभिन्न वर्गों के लिये आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है, उनके बीच विनिमय तथा सहयोग को बढ़ावा देता है।
- **प्रमुख प्रावधान:**
  - भारतीय छात्रों के लिये अस्थायी निवास: इटली में शैक्षणिक/व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रारंभिक पेशेवर अनुभव हासिल करने के इच्छुक भारतीय विद्यार्थियों को 12 महीने तक के लिये अस्थायी निवास की अनुमति दी जा सकती है।
  - श्रमिकों के लिये आरक्षित कोटा: समझौता गैर-मौसमी और मौसमी भारतीय श्रमिकों के लिये कोटा की रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें मौजूदा फ्लो डिक्री के तहत वर्ष 2023-2025 में आरक्षित कोटा सीमा शामिल है।
    - इतालवी सरकार की वार्षिक "फ्लो डिक्री" (डिक्रेटो फ्लुसी) गैर यूरोपीय संघ के नागरिकों की अधिकतम संख्या निर्धारित करती है जो काम और स्व-रोज़गार के लिये इटली में प्रवेश कर सकते हैं।
- **क्रियान्वयन:**
  - समझौता समाप्त होने तक स्वचालित नवीनीकरण के साथ 5 वर्षों तक लागू रहेगा।
  - इसके कार्यान्वयन की देखरेख एक संयुक्त कार्य समूह (JWG) द्वारा की जाएगी, जो प्रगति का आकलन करने और कुशल निष्पादन के लिये सहायक उपाय सुझाने के लिये नियमित आधार पर बैठक करेगा।

इटली के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण तथ्य:

- **परिचय:**
  - इटली जूते के आकार (boot-shaped) का प्रायद्वीप है जो दक्षिणी यूरोप से एड्रियाटिक सागर, टेरहेनियन सागर, भूमध्य सागर से घिरा हुआ है।
- **सीमावर्ती देश:**
  - इसकी ऑस्ट्रिया, फ्राँन्स, होली सी (वेटिकन सिटी), सैन मैरिनो, स्लोवेनिया और स्विट्ज़रलैंड के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं।
  - यह अल्बानिया, अल्जीरिया, क्रोएशिया, ग्रीस, लीबिया, माल्टा, मोंटेनेग्रो, स्पेन और ट्यूनीशिया के साथ समुद्री सीमाएँ भी साझा करता है।
- सरकार का स्वरूप: गणतंत्र
- राजधानी: रोम
- मुद्रा: यूरो
- प्रमुख पर्वत: आल्प्स, एपेनाइन
- प्रमुख नदियाँ: पो, अदिगे, अर्नो, टाईबर

नोट :

भारत और इटली के बीच सहयोग के अन्य क्षेत्र कौन से हैं?

- **ऐतिहासिक संबंध:**
  - इतालवी पत्तन शहरों ने व्यापारिक केंद्रों के रूप में मसाला व्यापार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - तेरहवीं शताब्दी में वेनिस के व्यापारी मार्को पोलो ने अपनी पूर्वी यात्राओं के हिस्से के रूप में भारत का दौरा किया और अपने अनुभवों पर एक रिपोर्ट तैयार की।
- **राजनीतिक:**
  - भारत और इटली के बीच राजनीतिक संबंध वर्ष 1947 में स्थापित हुए।
  - मार्च 2023 में भारत तथा इटली ने अपने संबंधों को सामरिक साझेदारी तक बढ़ाया।
- **आर्थिक:**
  - वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के बीच 14.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार किया गया।
    - इटली यूरोपीय संघ में भारत के शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदारों में से एक है।
  - इटली को भारतीय निर्यात की मुख्य वस्तुएँ तैयार वस्त्र, चमड़ा, लौह अयस्क, मोटर वाहन, कपड़ा, रसायन, रत्न एवं आभूषण हैं।
    - इटली से आयात की मुख्य वस्तुएँ सामान्य और विशेष प्रयोजन यांत्रिकी, यंत्र उपकरण, धातुकर्म उत्पाद तथा अभियांत्रिकी संबंधी वस्तुएँ हैं।
- **सुरक्षा:**
  - भारत-इटली सैन्य सहयोग समूह (India-Italy Military Cooperation Group- MCG) दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिये स्थापित एक मंच के रूप में कार्य करता है।

नोट :

- **भारत और इटली से संबंधित अन्य पहलें:**
  - भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा
  - वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन
  - ब्लू-रमन परियोजना

भारत के लिये वैश्विक भू-राजनीतिक जटिलताएँ और अवसर

चर्चा में क्यों ?

भारत के इस बात पर बल देने के बावजूद कि, "This is not the era of war (अर्थात् यह युद्ध का युग नहीं है)", वर्ष 2023 युद्धों का वर्ष बन गया; रूस-यूक्रेन संघर्ष और गाज़ा पट्टी में चल रहा संघर्ष हाल के दशकों के सबसे विनाशकारी संघर्षों में से एक है।

- चीन के आक्रामक व्यवहार के अलावा ये संघर्ष बहुत बड़ी चुनौतियाँ उत्पन्न कर रहे हैं और राजनयिक प्रयासों को बाधित करते हैं, जिससे न केवल पश्चिमी विश्व में बल्कि भारत में भी चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।

भारत के लिये वर्ष 2023 के वैश्विक भू-राजनीतिक रुझान और चुनौतियों का अवलोकन क्या है ?

- **मध्य पूर्व में संकट:**
  - हमास के हमले, जिसमें 1,200 से अधिक नागरिकों और सैन्य लोगों की जान चली गई, ने इज़रायल और अरब राष्ट्रों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिये दो वर्ष के निरंतर प्रयासों को बाधित कर दिया।
  - इज़रायल की आक्रोशित और असंगत प्रतिक्रिया ने अब तक गाज़ा में 20,000 से अधिक फिलिस्तीनियों को मार डाला है, जिसकी अमेरिका तक ने आलोचना की है। इज़रायल-अरब सुलह प्रक्रिया फिलहाल स्थिर है और गाज़ा का भविष्य अज्ञात है।
    - भारत ने दशकों पुराने इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष को हल करने और अशांत क्षेत्र में स्थायी शांति लाने के लिये द्वि-राष्ट्र समाधान (Two-State Solution) का समर्थन किया।
- **भारत-US संबंधों में तनाव:**
  - भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन की एक-दूसरे की राजधानियों की सफल यात्राओं के बाद, अमेरिका में एक खालिस्तानी अलगाववादी के खिलाफ हत्या की साज़िश में एक भारतीय अधिकारी के शामिल होने के आरोपों से द्विपक्षीय संबंधों में प्रतिकूलता आ रही है।
  - भारत की प्रतिक्रिया उस मामले से भिन्न है जब पूर्व में कनाडा सरकार ने कनाडा में एक खालिस्तानी की मौत का संबंध भारत सरकार से जोड़कर संदेह व्यक्त किया था।
  - भारत ने "विधि के शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता (Commitment to the rule of law)" व्यक्त की है और जानकारी प्रदान करने पर कथित अमेरिकी साज़िश में भारतीय नागरिकों की भूमिका पर "जाँच-पड़ताल (look into)" का वादा किया है।
- **रूस-यूक्रेन युद्ध:**
  - जैसे-जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, पश्चिम को वित्तपोषण संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन यूरोपीय संघ से 18.5 अरब यूरो और अमेरिका से 8 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण सैन्य सहायता की भी मांग कर रहा है।
  - लेकिन अब तक अमेरिकी कॉन्ग्रेस में रिपब्लिकन और यूरोपीय संघ में हंगरी द्वारा सहायता को अवरुद्ध कर दिया गया है।
  - इस बीच रूस के राष्ट्रपति के रूप में पुतिन का पुन: चयन तय माना जा रहा है। रूस पर लगाए गये प्रतिबंधों के बावजूद इसकी अर्थव्यवस्था लचीली रही है तथा मॉस्को एवं बीजिंग के बीच बढ़ती निकटता पश्चिमी देशों को चिंतित करती है।
- **भारत की मालदीव संबंधी चुनौतियाँ:**
  - राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की सरकार, जिसने सत्ता में आने के लिये "इंडिया आउट" अभियान चलाया था, ने भारत से मालदीव में तैनात सैन्य कर्मियों को वापस लेने के लिये कहा और साथ ही जल सर्वेक्षण समझौते को समाप्त करने के अपने विचार से अवगत कराया। मुइज़्ज़ू सरकार को चीन का करीबी माना जाता है।
- **चीन का व्यवहार:**
  - वर्तमान में चीन भारत की सबसे बड़ी चिंता तथा रणनीतिक चुनौती बना हुआ है। सीमा गतिरोध का यह चौथा वर्ष है जिसमें चीनी सैन्य उपस्थिति का मुकाबला करने के लिये भारतीय बल की स्थिति बरकरार रखी गई है। भारत के सामरिक रक्षा साझेदार मॉस्को की आर्थिक अस्तित्व के लिये बीजिंग पर निर्भरता तथा मालदीव व चीन की हिंद महासागर में बढ़ती भागीदारी चिंता का विषय बन गई है।
- **G-20 तथा ग्लोबल साउथ:**
  - G-20 शिखर सम्मेलन में संयुक्त घोषणा पर वार्ता करने में भारत की सफलता अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कई लोगों के लिये आश्चर्य का विषय था।

नोट :

- नई दिल्ली में आयोजित G-20 सम्मेलन की एक बड़ी उपलब्धि विकासशील तथा अल्प विकसित देशों को ग्लोबल साउथ के तत्त्वावधान में एकजुट करना था।
- ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने के विचार को भारत के गुटनिरपेक्ष विचारधारा की धारणा को आगे बढ़ाने के कदम के रूप में देखा जाता है, जिसे केवल 21वीं सदी के लिये अनुकूलित किया गया है।

- **तालिबान के साथ भागीदारी:**
  - नई दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास में परिवर्तन हुआ है जिसमें मौजूदा राजदूत के चले जाने के बाद मुंबई एवं हैदराबाद के अफगान राजनयिक ने कार्यभार संभाला है।
  - भारत को राहत देते हुए उन्होंने तालिबान का झंडा न फहराने अथवा अपने आधिकारिक पत्राचार में तालिबान शब्दावली का प्रयोग न करने का आश्वासन दिया है।

वर्ष 2024 में भारत के लिये आगामी चुनौतियाँ क्या हैं?

- **अमेरिका तथा कनाडा संबंध:**
  - अमेरिका में चल रहे 'हत्या की साज़िश' के मुद्दे को हल करना भारत के लिये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। गणतंत्र दिवस पर अमेरिकी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति की सूचना के कारण क्वाड शिखर सम्मेलन में देरी हुई।
  - कनाडा के आरोपों से भी संबंधों में तनाव है किंतु देश की जनता भारत की प्रतिक्रिया का समर्थन करती है। अमेरिका तथा कनाडा के मुद्दों के लिये अलग-अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है क्योंकि दोनों देश भारत के लिये पृथक महत्त्व रखते हैं।
- **पाकिस्तान संबंध:**
  - वर्ष 2019 के बाद से जब वर्तमान भारत सरकार का पुन: चयन हुआ तथा जम्मू-कश्मीर में संविधानिक परिवर्तन हुए, पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध बिगड़ते रहे हैं।
  - इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सत्ता परिवर्तन से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा तथा भारत पाकिस्तान के प्रति उदासीनता के अपने सिद्धांत पर अडिग रहा।
    - पाकिस्तान में हाल ही में चुनाव होने हैं तथा फरवरी 2024 के बाद वहाँ नई सरकार सत्ता में आ सकती है।
- **बांग्लादेश चुनाव:**
  - शेख हसीना सरकार के पिछले 15 वर्षों के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को सकारात्मक गति मिली है और भारतीय नए साल की शुरुआत में होने वाले चुनावों में उनकी सत्ता में वापसी देखने के लिये उत्सुक होंगे।
  - सुरक्षा अनिवार्यताएँ ढाका में भारत की पसंद का मार्गदर्शन करती हैं, 2000 के दशक की प्रारंभ में खालिदा ज़िया सरकार के पिछले कार्यों का निष्पादन (ट्रैक रिकॉर्ड) के अनुसार, बांग्लादेश के विपक्ष को संदेह और शत्रुता की दृष्टि से देखा जाता है।
- **चीन सीमा पर गतिरोध:**
  - सीमा पर 2020 से ही गतिरोध जारी है; किसी भी हालिया तनाव का असर सुरक्षा स्थिति और भारत के घरेलू राजनीतिक परिवेश दोनों पर पड़ेगा।
  - भारत अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी को चुनौती का जवाब देते समय अतिरिक्त सावधानी बरतेगा। यह अनिवार्यता अगले कुछ महीनों में और भविष्य में भी चीन के प्रति भारत की कूटनीति को तैयार करेगी।
- **पश्चिम एशिया में तनाव:**
  - इज़राइल-हमास संघर्ष में भारत का परिवर्तित रुख और इस क्षेत्र में सूक्ष्म कूटनीतिक स्थिति जटिल चुनौतियाँ पेश करती है।
- **रूस और अमेरिका के बीच हितों का संतुलन:**
  - दोनों के मध्य चल रहे युद्ध के बीच रूसी तेल के आयात और अमेरिका के दबाव के बीच हितों को संतुलित करना भारत की विदेश नीति की रणनीति को आकार देता है।

आगे की राह

- भारत अपने पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी में सुधार के प्रयासों को उच्च स्तर पर ले जाना चाहता है, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र और दोनों देशों को लाभ होगा। भारत का लक्ष्य सत्ता में संभावित बदलावों को ध्यान में रखते हुए शेख हसीना की सरकार के साथ सकारात्मक द्विपक्षीय संबंधों में निरंतरता रखना है।
- भारत को इज़राइल-हमास संघर्ष में अपना कूटनीतिक रुख विकसित करना जारी रखना चाहिये, जिसका लक्ष्य इज़राइल का समर्थन और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को संबोधित करना है। ऐसे में शांति-निर्माण प्रयासों में सकारात्मक योगदान देने के तरीकों की तलाश और मानवीय सहायता की वकालत करना महत्त्वपूर्ण हो सकता है।
- कहा जाता है कि ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता महत्त्वपूर्ण चरण में है। यूरोपीय संघ संसद तथा संभवत: ब्रिटेन में चुनाव 2024 में होने वाले हैं और इससे वार्ताकारों के लिये नीतिगत स्थान एवं लचीलापन कम हो जाता है। फिर भी 2024 में ये प्रमुख आर्थिक कूटनीति पहल फलीभूत हो सकती हैं।
- भारत के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा में उच्च तकनीक तक पहुँच में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिये प्रौद्योगिकी और व्यापार पर अमेरिका व यूरोपीय संघ के साथ वार्ता कर संबंधित नीतियों पर ध्यान देना चाहिये।

नोट :

विदेश में जेल में बंद भारतीयों का मुद्दा

चर्चा में क्यों ?

विश्व भर में सबसे अधिक भारतीय प्रवासी नागरिक होने के कारण, 9,500 से अधिक भारतीय वर्तमान में विदेशों की जेलों में हैं।

- मध्य पूर्व की जेलों में प्रत्येक पाँच में से तीन भारतीय जेल में हैं तथा इस क्षेत्र की जेलों में भारतीय कैदियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी कतर में है।

नोट: विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs- MEA) के अनुसार, 1.3 करोड़ से अधिक अनिवासी भारतीय (Non-Resident Indians- NRI), 1.8 करोड़ से अधिक भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) तथा 3.2 करोड़ से अधिक प्रवासी भारतीय 210 देशों में रहते हैं।

विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में कैद भारतीय:

- **विदेश में जेल में बंद कुल भारतीय:**
  - जिन 210 देशों में भारतीय प्रवासी समुदाय रहते हैं उनमें से 89 देशों की जेलों में 9,521 भारतीय बंद हैं।
- **मध्य पूर्व:**
  - 62% से अधिक लोग मध्य पूर्व की जेलों में हैं एवं उसके बाद एशिया का स्थान आता है।
  - सबसे अधिक संख्या में भारतीय कैदी– 2,200, सऊदी अरब में बंद हैं जिसके बाद संयुक्त अरब अमीरात का स्थान है।
  - कतर में 752 भारतीय कैदी हैं तथा इसके बाद कुवैत, बहरीन और ओमान का स्थान है।
- **एशिया:**
  - एशिया में कुल 1,227 कैदियों में से 23% से अधिक कैदी नेपाल में हैं, इसके बाद मलेशिया, पाकिस्तान, चीन, सिंगापुर, भूटान एवं बांग्लादेश हैं।
- **यूरोप:**
  - यूरोप में अधिकांश भारतीय कैदी (278) यूनाइटेड किंगडम की जेलों में हैं, इसके बाद इटली, जर्मनी, फ्राँस एवं स्पेन का स्थान है।

क्या होता है जब किसी भारतीय को विदेश में कैद कर लिया जाता है ?

- **निगरानी करना:**
  - विदेश मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, विदेशों में भारतीय मिशन और केंद्र स्थानीय कानूनों के कथित उल्लंघन के लिये भारतीय नागरिकों को जेल भेजे जाने की घटनाओं पर बारीकी से नज़र रखते हैं।
  - जैसे ही मिशन या पोस्ट को किसी भारतीय नागरिक की हिरासत या गिरफ्तारी के बारे में जानकारी मिलती है, वह ऐसे व्यक्तियों तक कांसुलर पहुँच प्राप्त करने के लिये स्थानीय विदेश कार्यालय और अन्य स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करता है।
- **कल्याण और कांसुलर सहायता सुनिश्चित करना:**
  - विदेश मंत्रालय के अधिकारी मामले के तथ्यों का पता लगाते हैं, भारतीय राष्ट्रीयता की पुष्टि करते हैं और विभिन्न तरीकों से ऐसे व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित करना, जैसे कि हर संभव कांसुलर सहायता प्रदान करना, जहाँ भी आवश्यक हो, कानूनी सहायता प्रदान करने में मदद करना तथा न्यायिक कार्यवाही को जल्द-से-जल्द पूरा करने के लिये स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क करना।

विदेश में कैदियों को सहायता प्रदान करने हेतु सरकारी कदम क्या हैं ?

- **कानूनी सहयोग:**
  - भारतीय मिशन और पोस्ट उन देशों में वकीलों का एक स्थानीय पैनल बनाए रखते हैं जहाँ भारतीय समुदाय बड़ी संख्या में रहते हैं।
  - दूतावास द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के लिये कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
  - भारतीय समुदाय कल्याण कोष (ICWF) की स्थापना विदेशों में मिशनों और केंद्रों पर संकट की स्थिति में प्रवासी भारतीय नागरिकों की सहायता के लिये की गई है।
  - ICWF के तहत दिये जाने वाले समर्थन में कानूनी सहायता के लिये वित्तीय सहायता के साथ-साथ स्वदेश वापसी के दौरान यात्रा दस्तावेज़ और हवाई टिकट भी शामिल हैं।
- **भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी:**
  - सरकार विभिन्न देशों के साथ कांसुलर और अन्य परामर्शों के दौरान विदेशी जेलों में बंद भारतीय नागरिकों की रिहाई तथा स्वदेश वापसी के मुद्दे पर कार्रवाई करती है।
- **क्षमा और जेल की सज़ा में कमी:**
  - कुछ देश समय-समय पर विभिन्न राष्ट्रीयताओं के कैदियों को माफी देते हैं या उनकी सज़ा कम करते हैं, लेकिन संबंधित देशों के साथ डेटा साझा नहीं करते हैं।
    - वर्ष 2014 के बाद से विभिन्न चैनलों के माध्यम से भारत सरकार के प्रयासों के कारण 4,597 भारतीय नागरिकों को विदेशी सरकारों द्वारा माफी या उनकी सज़ा में कमी मिली है।

नोट :

- **सज़ायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण (TSP) पर समझौते:**
  - भारत ने 31 देशों के साथ TSP पर समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसके तहत विदेशों में बंद भारतीय कैदियों को उनकी शेष सज़ा काटने के लिये भारत में स्थानांतरित किया जा सकता है और इसके विपरीत भी।
    - इनमें ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, बोस्निया और हर्जेगोविना, ब्राज़ील, बुल्गारिया, कंबोडिया, मिस्र, एस्टोनिया, फ्राँस, हॉन्गकॉन्ग, ईरान, इज़रायल, इटली, कज़ाखस्तान, कोरिया, कुवैत, मालदीव, मॉरीशस, मंगोलिया, कतर, रूस, सऊदी अरब, सोमालिया, स्पेन, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम शामिल हैं।
  - भारत ने सज़ायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण पर दो बहुपक्षीय सम्मेलनों पर भी हस्ताक्षर किये हैं, विदेश में आपराधिक सज़ा काटने पर अंतर-अमेरिकी कन्वेंशन और सज़ा पाए व्यक्तियों के स्थानांतरण पर यूरोप काउंसिल कन्वेंशन, जिसके तहत सदस्य राज्यों तथा अन्य देशों के सज़ायाफ्ता व्यक्ति, जो इनमें शामिल हो गए हैं, कैदियों के स्थानांतरण की मांग कर सकते हैं।
  - वर्ष 2006 से जनवरी 2022 तक, 86 कैदियों को TSP के तहत स्थानांतरित किया गया, इनमें 75 कैद भारतीयों को भारत में स्थानांतरित किया गया और 11 विदेशी कैदियों को उनके संबंधित देशों में स्थानांतरित किया गया।

आगे की राह

- जेल में बंद कैदियों को नियमित और व्यापक कौंसल-संबंधी सहायता प्रदान करने के लिये विदेशों में भारतीय मिशनों के संसाधनों तथा क्षमताओं को मज़बूत किया जाना चाहिये।
- संभवत: आउटरीच कार्यक्रमों या सूचना अभियानों के माध्यम से, उन देशों में स्थानीय कानूनों और रीति-रिवाज़ों के बारे में भारतीय प्रवासियों के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।
- कैदियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाने और विदेशी जेलों में भारतीय लोगों के लिये उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिये अन्य देशों के साथ राजनीतिक प्रयासों तथा समझौतों को बढ़ाना आवश्यक है।
- विदेश में कैद भारतीय नागरिकों से संबंधित नीतियों की लगातार समीक्षा और अद्यतन करना, सहज प्रत्यावर्तन या सज़ा हस्तांतरण(smoother repatriation or sentence transfers) की सुविधा के लिये संभावित रूप से मौजूदा समझौतों में संशोधन करना।

भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठापन सूचियों का वार्षिक आदान-प्रदान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने नई दिल्ली (भारत) तथा इस्लामाबाद (पाकिस्तान) में राजनीतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने संबंधित परमाणु प्रतिष्ठानों तथा केंद्रों (Nuclear Installations and facilities) की सूची का आदान-प्रदान किया है।

- यह आदान-प्रदान दोनों देशों के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों तथा केंद्रों के विरुद्ध हमले के निषेध पर समझौते के अंतर्गत आता है।

परमाणु प्रतिष्ठानों तथा केंद्रों के विरुद्ध हमले के निषेध पर समझौता क्या है ?

- परमाणु प्रतिष्ठानों और केंद्रों के विरुद्ध हमले के निषेध पर समझौते पर 31 दिसंबर, 1988 को तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो तथा भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा हस्ताक्षर किये गए थे।
  - यह संधि 27 जनवरी, 1991 को क्रियान्वित की गई।
  - हालिया आदान-प्रदान दोनों देशों के बीच संबद्ध सूचियों का निरंतर 33वाँ आदान-प्रदान है, पहला आदान-प्रदान 01 जनवरी, 1992 को हुआ था।
- पृष्ठभूमि: उक्त समझौते पर बातचीत तथा हस्ताक्षर के लिये प्रत्यक्ष कारक भारतीय सेना द्वारा वर्ष 1986-87 के ब्रासस्टैक्स अभ्यास से उत्पन्न तनाव था।
  - ऑपरेशन ब्रासस्टैक्स (Brasstacks) पाकिस्तान सीमा के समीप भारतीय राज्य राजस्थान में आयोजित एक सैन्य अभ्यास था।
- जनादेश: विश्वास को बढ़ावा देने वाले सुरक्षा का माहौल बनाने के लिये इस समझौते के तहत दोनों देशों को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 1 जनवरी को समझौते से संबंद्ध किसी भी परमाणु प्रतिष्ठानों/संस्थापनों तथा केंद्रों के बारे में एक-दूसरे को सूचित करना होता है।
  - समझौते के अनुसार, 'परमाणु स्थापना या सुविधा' शब्द में परमाणु ऊर्जा और अनुसंधान रिएक्टर, ईंधन निर्माण, यूरेनियम संवर्द्धन, आइसोटोप पृथक्करण तथा पुनर्प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ-साथ किसी भी रूप में ताज़ा या विकिरणित परमाणु ईंधन एवं सामग्री वाले अन्य प्रतिष्ठान व महत्त्वपूर्ण मात्रा में रेडियोधर्मी सामग्रियों का भंडारण करने वाले प्रतिष्ठान शामिल हैं।

नोट :

भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं?

- **कश्मीर विवाद:**
  - नियंत्रण रेखा का उल्लंघन: नियंत्रण रेखा पर बार-बार संघर्ष विराम का उल्लंघन हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप लोग हताहत हो रहे हैं और तनाव बढ़ रहा है।
  - विसैन्यीकरण पर असहमति: नियंत्रण रेखा के दोनों ओर विसैन्यीकरण की मांगें अनसुलझी हैं, जिससे शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में प्रगति बाधित हो रही है।
- **आतंकवाद:**
  - सीमा पार से घुसपैठ: भारत का आरोप है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी, आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिये नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ कर रहे हैं।
  - आतंकवादी समूहों का पदनाम: दोनों देशों द्वारा आतंकवादी समूहों को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने में मतभेद आतंकवाद विरोधी सहयोग में बाधाएँ पैदा करते हैं।
  - नागरिक आबादी पर प्रभाव: आतंकवादी हमलों में निर्दोष लोगों की जान चली जाती है तथा दोनों समुदायों के बीच शत्रुता और बढ़ जाती है।
- **जल बँटवारा:**
  - बाँधों का निर्माण: सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर बाँधों तथा जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण पर विवाद, जल प्रवाह एवं उपयोग के अधिकारों को प्रभावित कर रहा है।
  - सिंधु जल संधि का कार्यान्वयन: जल आवंटन और विवाद समाधान तंत्र के संबंध में संधि की धाराओं की व्याख्या तथा कार्यान्वयन में अंतर।
- **व्यापार और आर्थिक संबंध:**
  - व्यापार बाधाएँ: दोनों देशों द्वारा लगाई गई प्रतिबंधात्मक व्यापार नीतियाँ और उच्च टैरिफ सीमा पार व्यापार तथा आर्थिक कनेक्टिविटी में बाधा डालते हैं।
    - अगस्त 2019 में, पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में किये गए संवैधानिक संशोधनों के जवाब में भारत के साथ व्यापार रोक दिया।
    - भारत ने वर्ष 2019 में पाकिस्तानी आयात पर 200% टैरिफ लगाया, जब पुलवामा आतंकवादी घटना के बाद पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) पदनाम हटा दिया गया था।
  - सीमित सीमा-पार निवेश: राजनीतिक तनाव और सुरक्षा चिंताएँ दोनों देशों में व्यावसायों के बीच निवेश तथा संयुक्त उद्यमों को हतोत्साहित करती हैं।
  - तृतीय-पक्ष व्यापार मार्गों पर निर्भरता: क्षेत्र के बाहर व्यापार मार्गों पर निर्भरता से लागत बढ़ती है और दोनों अर्थव्यवस्थाओं की दक्षता कम हो जाती है।
- **क्षेत्रीय भूराजनीति:**
  - पाकिस्तान में चीन की भूमिका: पाकिस्तान में बढ़ता चीनी निवेश और उपस्थिति, जिसमें चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जैसी परियोजनाएँ भी शामिल हैं, भारत के लिये रणनीतिक गठबंधन तथा शक्ति संतुलन को लेकर चिंताएँ पैदा करती हैं।

भारत और पाकिस्तान विवाद समाधान की ओर कैसे आगे बढ़ सकते हैं?

- **विश्वास निर्माण के उपाय:**
  - संचार को सुदृढ़ बनाना: खुले संवाद और संकट प्रबंधन के लिये विभिन्न स्तरों पर प्रत्यक्ष, सुरक्षित संचार चैनल स्थापित करना।
  - LoC पर तनाव कम करना: युद्धविराम समझौतों को लागू करना और मज़बूत करना, सेना की तैनाती को कम करना तथा उल्लंघन की जाँच के लिये संयुक्त तंत्र स्थापित करना।
  - जन-जन की पहल: सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान-प्रदान, खेल आयोजनों तथा जलवायु परिवर्तन व स्वास्थ्य देखभाल जैसी आम चुनौतियों का समाधान करने वाली संयुक्त पहल को बढ़ावा देना।
- **मुख्य मुद्दों को हल करना:**
  - कश्मीर विवाद समाधान: कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं पर विचार करते हुए और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढाँचे का सम्मान करते हुए, वार्ता के माध्यम से कश्मीर मुद्दे का उचित एवं स्थायी समाधान तलाशना।
  - आतंकवाद का मुकाबला: आतंकवादी नेटवर्क को नष्ट करने, इनके वित्तपोषण एवं वैचारिक स्रोतों को निरस्त करने और पिछले कृत्यों के लिये जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु संयुक्त प्रयासों को तीव्रता प्रदान करना।
  - जल सहयोग: सिंधु जल संधि को प्रभावी ढंग से लागू करना, डेटा और जानकारी को पारदर्शी रूप से साझा करना व पारस्परिक लाभ के लिये संयुक्त जल प्रबंधन परियोजनाओं की खोज करना।
- **क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:**
  - मध्यस्थता को प्रोत्साहित करना: सार्क (SAARC) जैसे क्षेत्रीय मंचों के माध्यम से वार्ता को सुविधाजनक बनाना, दोनों पक्षों को स्वीकार्य समाधान तलाशना।
  - बाह्य प्रभावों को संतुलित करना: द्विपक्षीय प्रगति को खतरे में डालने से बचने के लिये दोनों देशों को चीन और अमेरिका जैसी बाह्य शक्तियों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की आवश्यकता है।

नोट :

- **सार्वजनिक समझ और समर्थन को बढ़ावा देना:**
  - मीडिया की ज़िम्मेदारी: ज़िम्मेदार मीडिया कवरेज को बढ़ावा देना, नकारात्मक रूढ़िवादिता से बचना और सहयोग व साझा इतिहास की सकारात्मक पहलूओं पर ज़ोर देना।

भारत मालदीव संबंध

चर्चा में क्यों ?

मालदीव ने हाल ही में खुद को राजनयिक उथल-पुथल के बीच पाया है, जिससे गैर-राजनयिक टिप्पणियों, सैन्य स्थिति और महत्त्वपूर्ण समझौतों को रद्द करने के माध्यम से भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

- मालदीव ने भी चीन के साथ नए समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं, जिससे भू-राजनीतिक परिदृश्य और जटिल हो गया है।

भारत और मालदीव संबंधों से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं?

- ऐतिहासिक संबंध: जब अंग्रेजों ने द्वीपों का नियंत्रण छोड़ दिया था तब से भारत और मालदीव के बीच राजनयिक और राजनीतिक संबंध वर्ष 1965 से रहे हैं।
  - वर्ष 2008 में लोकतांत्रिक परिवर्तन के बाद से, भारत ने मालदीव में राजनीतिक, सैन्य, व्यापार और नागरिक समाज के लोगों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ गहरे संबंध बनाने में वर्षों का निवेश किया है।

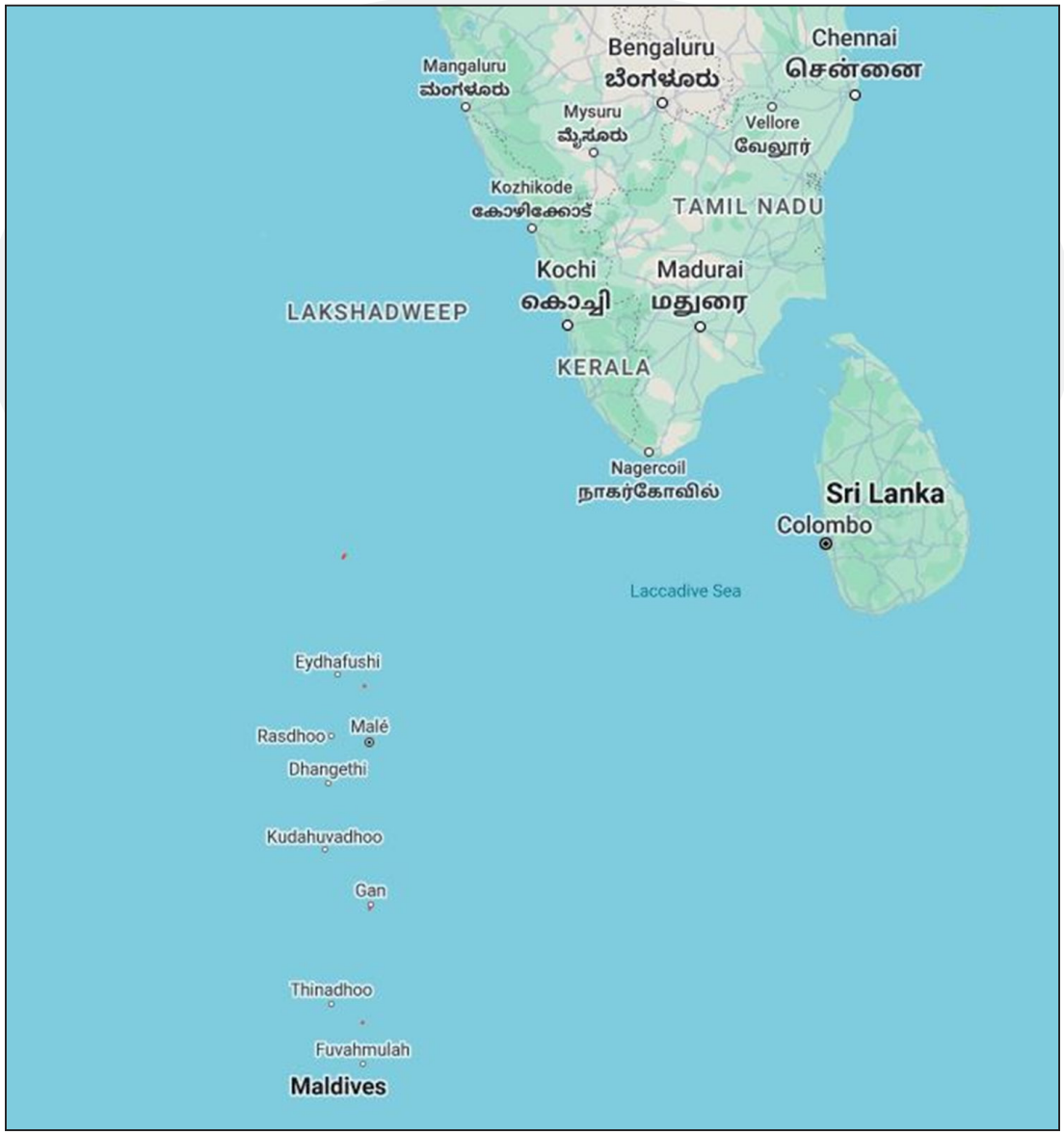

नोट :

- **भारत के लिये मालदीव का महत्त्व:**
  - सामरिक स्थान: भारत के दक्षिण में स्थित, मालदीव हिंद महासागर में अत्यधिक रणनीतिक महत्त्व रखता है, जो अरब सागर और उससे आगे के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।
    - इससे भारत को समुद्री यातायात की निगरानी करने और क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने की अनुमति मिलती है।
  - सांस्कृतिक संबंध: भारत और मालदीव के बीच सदियों पुराना गहरा सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक संबंध है।
    - 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक, बौद्ध धर्म मालदीव में प्रमुख धर्म था।
  - वज्रयान बौद्ध धर्म का एक शिलालेख है, जो प्राचीन काल में मालदीव में मौजूद था।
  - क्षेत्रीय स्थायित्व: एक स्थिर और समृद्ध मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली भारत की "नेबरहुड फर्स्ट" नीति के अनुरूप है।
- **मालदीव के लिए भारत का महत्त्व:**
  - आवश्यक आपूर्ति: भारत चावल, मसालों, फलों, सब्ज़ियों और दवाओं सहित रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तुओं का एक महत्त्वपूर्ण आपूर्तिकर्त्ता है।
    - भारत सीमेंट और रॉक बोल्डर जैसी सामग्री प्रदान करके मालदीव के बुनियादी ढाँचे के निर्माण में भी सहायता करता है।
  - शिक्षा: भारत मालदीव के उन छात्रों के लिये प्राथमिक शिक्षा प्रदाता के रूप में कार्य करता है जो भारतीय संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिसमें योग्य छात्रों के लिये छात्रवृत्ति भी शामिल है।
  - आपदा सहायता: जब भी कोई संकट आया, जैसे– सुनामी या पेयजल की कमी, भारत ने लगातार सहायता प्रदान की है।
    - कोविड-19 महामारी के दौरान आवश्यक वस्तुओं एवं समर्थन का प्रावधान एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत की भूमिका को प्रदर्शित करता है।
  - सुरक्षा प्रदाता: भारत का सुरक्षा सहायता प्रदान करने में ऑपरेशन कैक्टस के माध्यम से वर्ष 1988 में तख्तापलट के प्रयास के दौरान हस्तक्षेप करने तथा मालदीव की सुरक्षा के लिये संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित करने का इतिहास रहा है।
    - संयुक्त अभ्यासों में शामिल हैं- "एकुवेरिन", "दोस्ती" एवं "एकथा"।
  - मालदीव में पर्यटन: कोविड-19 महामारी के बाद से, भारतीय यात्रियों ने मालदीव के मुख्य स्रोत बाज़ार में अग्रणी भूमिका निभाई है। वर्ष 2023 में कुल 18.42 लाख यात्राओं के साथ, उन्होंने सभी पर्यटकों का उल्लेखनीय 11.2% प्रतिनिधित्व किया।

नोट: 8 डिग्री चैनल भारतीय मिनिकॉय (लक्षद्वीप द्वीप समूह का हिस्सा) को मालदीव से अलग करता है।

INDIANS TRAVELLING TO THE MALDIVES

	Tourist	Share*
2023	2,06,026	11.18%
2022	2,41,382	14.41%
2021	2,91,787	22.07%
2020	62,960	11.33%
2019	1,66,030	9.75%
2018	90,474	6.10%

Source: Ministry of Tourism, Republic of Maldives
** share of total arrivals*

भारत मालदीव संबंधों से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- इंडिया-आउट अभियान: हाल के वर्षों में मालदीव की राजनीति में "इंडिया आउट" मंच पर केंद्रित एक अभियान देखा गया है, जिसमें भारतीय उपस्थिति को मालदीव की संप्रभुता के लिये खतरा बताया गया है।
  - अभियान के प्रमुख बिंदुओं में भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी की मांग शामिल है।
  - मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति ने भारतीय सैनिकों की वापसी के लिये 15 मार्च, 2024 की समय-सीमा निर्धारित की है।
- पर्यटन दबाव: लक्षद्वीप द्वीप की प्रचार यात्रा के बाद भारत के प्रधानमंत्री पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों से उत्पन्न राजनयिक विवाद के कारण लक्षद्वीप का पर्यटन उद्योग गहन जाँच के दायरे में आ गया है।

नोट :

- परिणामस्वरूप, विवाद की प्रतिक्रिया के रूप में सोशल मीडिया पर मालदीव के बहिष्कार का चलन चल रहा है।

- मालदीव में चीन का बढ़ता प्रभाव: मालदीव में चीनी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। मालदीव के रणनीतिक महत्त्व, भारत से निकटता एवं महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों के कारण चीन मालदीव के साथ अग्रगामी जुड़ाव में अधिक रुचि ले सकता है।
  - भारत इसे लेकर असहज है और साथ ही इससे क्षेत्र में भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा छिड़ सकती है।

चीन-मालदीव के बीच हुए हालिया समझौतों के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- **द्विपक्षीय संबंधों में बेहतरी:**
  - चीन और मालदीव ने अपने देशों के संबंधों को व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदारी तक विस्तारित करने की घोषणा की जो उनके संबंधों में बढ़ती भागीदारी को प्रदर्शित करता है।
- **प्रमुख समझौते:**
  - बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव: इसका उद्देश्य राष्ट्रों द्वारा संयुक्त रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर सहयोग योजना के निर्माण में तेज़ी लाने हेतु प्रेरित करना है जिससे कनेक्टिविटी तथा बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा।
  - पर्यटन सहयोग: दोनों देशों ने मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिये इसके महत्त्व को पहचानते हुए पर्यटन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने का संकल्प लिया।
  - आपदा जोखिम न्यूनीकरण: इस समझौतों के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सहयोग करना शामिल है जिसमें प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिये संयुक्त प्रयासों पर ज़ोर दिया गया है।
  - नीली अर्थव्यवस्था: दोनों देशों ने समुद्री संसाधनों के सतत् उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए नीली अर्थव्यवस्था में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिये अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
  - डिजिटल अर्थव्यवस्था: इसके तहत डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश को सुदृढ़ करने के प्रयासों को रेखांकित किया गया।
- **आर्थिक सहायता:**
  - चीन ने अनुदान सहायता प्रदान करके मालदीव की सहायता की, हालाँकि प्रदान की गई विशिष्ट निधि का खुलासा नहीं किया गया।
    - ये समझौते चीन-मालदीव व्यापार के महत्त्व पर भी प्रकाश डालते हैं। वर्ष 2022 में द्विपक्षीय व्यापार कुल 451.29 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।

निष्कर्ष :

मालदीव सरकार द्वारा संबद्ध मंत्रियों को निलंबित करके त्वरित कार्रवाई करना संकट का समाधान करने के प्रयास को दर्शाता है। अत: दोनों देशों को विश्वास बहाल करने हेतु नियमित राजनयिक वार्ता करनी चाहिये। साझा मुद्दों पर सहयोग करना, शिकायतों का समाधान करना एवं लंबे समय से चले आ रहे संबंधों पर बल देना जिससे दोनों देश लाभान्वित हुए हैं जो राजनयिक समाधान का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

पेगासस स्पायवेयर

चर्चा में क्यों ?

पेगासस स्पायवेयर के कारण पुन: एक बार निजता और सुरक्षा संबंधी मुद्दे चर्चा में आए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्टें दो प्रमुख भारतीय पत्रकारों के फोन को लक्षित करने में इसके उपयोग की ओर संकेत करती हैं, जिससे संभावित सरकारी भागीदारी के बारे में पूछताछ शुरू हो गई है।

- एमनेस्टी इंटरनेशनल 10 मिलियन से अधिक लोगों का एक वैश्विक आंदोलन है जो एक ऐसे भविष्य की परिकल्पना के लिये प्रतिबद्ध है जहाँ सभी के मानवाधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके।

पेगासस स्पायवेयर क्या है ?

- **परिचय:**
  - पेगासस स्पायवेयर एक अत्यधिक सुदृढ़ मोबाइल आवेक्षण टूल है जो विभिन्न ऐप्स और स्रोतों से डेटा तथा जानकारी एकत्र कर सेलफोन तक गुप्त रूप से पहुँच सकता है एवं निगरानी कर सकता है।
  - इसे इज़रायली साइबर-इंटेलिजेंस फर्म NSO ग्रुप द्वारा विकसित किया गया था, जो इसे मात्र अपराध तथा आतंकवाद की रोकथाम के लिये सरकारी एजेंसियों को बेचने का दावा करता है।
    - NSO उन पत्रकारों, वकीलों तथा मानवाधिकार रक्षकों को निशाना बनाने से बचने के लिये सुरक्षा उपायों पर ज़ोर देता है जो आतंक अथवा गंभीर अपराधों में शामिल नहीं हैं।
- **परिचालन प्रक्रिया:**
  - पेगासस डिवाइस को लक्षित करने के लिये "ज़ीरो-क्लिक" विधियों का उपयोग करता है, यह एक सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्त्ता की सहमति के बिना उसके डिवाइस पर स्पायवेयर इंस्टॉल करने की अनुमति देता है।
    - स्पायवेयर को इंस्टॉलेशन के लिये किसी उपयोगकर्त्ता कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती है जो इसे नियमित ऐप्स से अलग करता है जिनके इंस्टॉलेशन में स्पष्ट उपयोगकर्त्ता पुष्टि की आवश्यकता होती है।
    - यह व्हाट्सएप, आईमैसेज या फेसटाइम जैसे ऐप्स में कमज़ोरियों का फायदा उठा सकता है और एक संदेश या कॉल भेज सकता है जो स्पायवेयर की स्थापना को ट्रिगर करता है, भले ही उपयोगकर्त्ता इसे न देखें या इसका जवाब न दें।
  - पेगासस एक स्पायवेयर है जो एप्पल उत्पादों पर स्पायवेयर तैनात करने के लिये ज़ीरो-डे भेद्यता की कमज़ोरियों का लाभ उठा सकता है।
    - ज़ीरो-डे भेद्यता एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक अनदेखा दोष या बग है जिसके बारे में मोबाइल फोन के निर्माता को अभी तक पता नहीं लग पाया है और इसलिये वह इसे ठीक करने में सक्षम नहीं है।
- **लक्ष्य:**
  - कई जाँचों और रिपोर्टों से पता चला है कि पेगासस स्पायवेयर का इस्तेमाल पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं, वकीलों, विपक्षी नेताओं और राष्ट्राध्यक्षों की जासूसी करने के लिये किया गया है।
  - जिन देशों पर अपने आलोचकों और दुश्मनों को निशाना बनाने के लिये पेगासस स्पायवेयर का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है उनमें सऊदी अरब, मैक्सिको, भारत, मोरक्को, हंगरी, अज़रबैजान तथा रवांडा शामिल हैं।
- **आशय:**
  - पेगासस स्पायवेयर भ्रष्टाचार को उजागर करने, मानवाधिकारों की रक्षा करने तथा लोकतंत्र का समर्थन करने वाले व्यक्तियों एवं समूहों की गोपनीयता और सुरक्षा को खतरे में डालता है।
  - यह पत्रकारों के स्रोतों, तरीकों और सामग्रियों को उजागर करके, उनकी स्वतंत्रता से समझौता करके प्रेस की स्वतंत्रता को कमज़ोर करता है।
  - स्पायवेयर राष्ट्रों की संप्रभुता और स्थिरता के लिये खतरा उत्पन्न करता है, आंतरिक मामलों एवं निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विदेशी हस्तक्षेप तथा जासूसी को सक्षम बनाता है।
- **चुनौतियाँ:**
  - पेगासस स्पायवेयर का पता लगाना और उसे हटाना मुश्किल है, क्योंकि यह डिवाइस पर अपनी उपस्थिति एवं गतिविधि को छिपा सकता है तथा अगर इसे पता चलता है कि इसकी खोज□या विश्लेषण किया जा रहा है तो यह स्वयं को नष्ट कर सकता है।
  - कानूनी रूप से अस्पष्ट क्षेत्रों में इसके संचालन के कारण पेगासस स्पायवेयर को विनियमित और नियंत्रित करना मुश्किल है।
    - NSO समूह और उसके ग्राहक आमतौर पर स्पायवेयर के दुरुपयोग के लिये ज़िम्मेदारी से इनकार करते हैं या उससे बचते हैं।

नोट :

साइबर खतरों के प्रमुख प्रकार:

Cyber Threat	Description
Malware	Malicious software designed to harm or exploit systems by infecting, disrupting, or gaining unauthorized access.
Phishing	Deceptive attempts to acquire sensitive information, often through fake emails, websites, or messages impersonating trusted entities.
Ransomware	Encrypts data and demands payment (usually in cryptocurrency) for its release, posing significant threats to data integrity.
DDoS Attacks	Overwhelms a system with a flood of traffic, causing service disruption by exhausting resources or bandwidth.
Man-in-the-Middle (MitM)	Intercepts and potentially alters communication between two parties, leading to unauthorized access or information theft.
SQL Injection	Exploits vulnerabilities in SQL databases by injecting malicious code, allowing unauthorized access or data manipulation.
Zero-Day Exploits	Attacks targeting undiscovered vulnerabilities in software before developers can create a patch, posing a serious and often potent threat.
Social Engineering	Manipulating individuals into divulging sensitive information through psychological manipulation or deception.
Insider Threats	Risks originating from individuals within an organization, either intentionally or unintentionally causing harm or data breaches.
Advanced Persistent Threats (APTs)	Prolonged and targeted cyber attacks often linked to espionage, aiming to infiltrate and remain undetected in a network.
Cross-Site Scripting (XSS)	Injects malicious scripts into web pages viewed by others, potentially compromising the security and privacy of users.
Credential Stuffing	Uses stolen usernames and passwords from one breach to gain unauthorized access to other accounts due to individuals reusing passwords.
Internet of Things (IoT) Threats	Exploits vulnerabilities in connected devices, potentially allowing unauthorized access or disruption of IoT networks.
Cryptojacking	Unauthorized use of a computer's resources for cryptocurrency mining, slowing down systems and consuming energy without the user's consent.
Wi-Fi Eavesdropping	Unauthorized interception of wireless communication, where attackers may capture sensitive data transmitted over Wi-Fi networks.

संबंधित साइबर सुरक्षा पहल क्या हैं ?

- **भारत:**
  - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
  - राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति
  - साइबर सुरक्षित भारत
  - कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम - भारत (CERT-In)
  - महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना
  - भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)
- **अंतर्राष्ट्रीय तंत्र:**
  - अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)
  - साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन

आगे की राह

- निगरानी उपकरणों के किसी भी अनैतिक उपयोग के लिये कंपनियों को जवाबदेह ठहराने और स्वतंत्र ऑडिट की सुविधा के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण तंत्र स्थापित की जानी चाहिये।
  - स्पायवेयर के उपयोग को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करने और लक्षित व्यक्तियों की गोपनीयता एवं मानवाधिकारों की रक्षा के लिये राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढाँचे को मज़बूत की जानी चाहिये।
- स्पायवेयर से उत्पन्न जोखिमों और संभावित घुसपैठ के खिलाफ अपने उपकरणों की सुरक्षा के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिये जन जागरूकता अभियान चलाएँ।
- संभावित स्पायवेयर गतिविधियों की निरंतर निगरानी सहित साइबर खतरों का सक्रिय रूप से पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिये राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करें।
- तकनीकी कंपनियों को नैतिक दिशा-निर्देशों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करें जो मानवाधिकार सिद्धांतों के अनुरूप हों तथा ज़िम्मेदार कॉर्पोरेट व्यवहार को बढ़ावा दें।

वर्ष 2024 में अंतरिक्ष मिशन

चर्चा में क्यों ?

NASA के OSIRIS-REx मिशन द्वारा एक क्षुद्रग्रह का सैंपल लाने तथा भारत के चंद्रयान -3 मिशन के साथ, वर्ष 2023 अंतरिक्ष अभियानों के लिये एक महत्त्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ एवं वर्ष 2024 अंतरिक्ष अन्वेषण के लिये एक और रोमांचक वर्ष होने जा रहा है।

- NASA की आर्टेमिस कार्यक्रम और कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज़ पहल के तहत कई नए मिशन चंद्रमा के लिये लक्षित होंगे।

नोट :

वर्ष 2024 के लिये योजनाबद्ध अंतरिक्ष मिशन क्या हैं?

- **यूरोपा क्लिपर (Europa Clipper):**
  - NASA मिशन यूरोपा क्लिपर लॉन्च करेगा, जो बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमाओं/ उपग्रहों में से एक, यूरोपा (Europa) का पता लगाएगा।
    - यूरोपा पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा छोटा है, इसकी सतह बर्फ से बनी है। अपने बर्फीले आवरण के अंदर, यूरोपा में खारे जल का महासागर होने की संभावना है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसमें पृथ्वी पर सभी महासागरों की तुलना में दोगुना जल है।
  - यूरोपा क्लिपर के साथ, वैज्ञानिक यह अन्वेषण करना चाहते हैं कि क्या यूरोपा का महासागर परग्रहीय जीवन (Extraterrestrial Life) के लिये उपयुक्त निवास स्थान हो सकता है।
    - इस मिशन के अंतर्गत उपग्रह के हिम आवरण, इसकी सतह के भू-विज्ञान और इसके उपसतही महासागर का अध्ययन करने के लिये यूरोपा के पास से लगभग 50 बार उड़ान भरने की योजना पर विचार किया गया है।
  - मिशन यूरोपा पर मौजूद सक्रिय गीज़र/उष्णोत्स (Geyser) का भी पता लगाएगा।
- **आर्टेमिस II लॉन्च:**
  - नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का हिस्सा– आर्टेमिस II, वर्ष 1972 से चंद्रमा की परिक्रमा करने के लिये तैयार एक मानवयुक्त चंद्र मिशन है जिसका लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर अन्य बिंदुओं पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना है।
    - आर्टेमिस कार्यक्रम का नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में अपोलो की जुड़वाँ बहन के नाम पर रखा गया है।
    - 10-दिवसीय यात्रा की योजना वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य चंद्रमा पर प्रणालियों की निरंतर उपस्थिति को प्रमाणित करना है।
  - आर्टेमिस I की सफलता के अनुवर्ती इस महत्त्वपूर्ण मिशन, जिसमें पहली अश्वेत महिला अंतरिक्षयात्री शामिल हैं, ने वर्ष 2022 के अंत में एक मानव रहित लूनर कैप्सूल का परीक्षण किया है।
    - आर्टेमिस II, विस्तारित अंतरिक्ष प्रवासन की तैयारियों और मंगल ग्रह पर आगामी मिशनों की आधारशिला के रूप में चंद्र अन्वेषण के लिये NASA की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
- **VIPER द्वारा चंद्रमा पर जल की खोज:**
  - वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर (VIPER), एक गोल्फ कार्ट के आकार का रोबोट है जिसका उपयोग NASA द्वारा वर्ष 2024 के अंत में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिये किया जाएगा।
  - इस रोबोटिक मिशन को वाष्पशील पदार्थों की खोज करने के लिये डिज़ाइन किया गया है, ये ऐसे अणु हैं जो उपग्रह के तापमान पर जल और कार्बन डाइऑक्साइड की तरह आसानी से वाष्पीकृत सकते हैं।
    - ये पदार्थ चंद्रमा पर भविष्य में मानव अन्वेषण के लिये आवश्यक संसाधन प्रदान कर सकते हैं।
  - VIPER रोबोट अपने 100-दिवसीय मिशन के दौरान बैटरी, हीट पाइप और रेडिएटर्स पर निर्भर रहेगा, क्योंकि यह चंद्रमा पर दिन के दौरान धूप की अत्यधिक गर्मी (जब तापमान 224°F (107°C) तक होता है) से लेकर चंद्रमा के ठंडे क्षेत्रों तक (जहाँ तापमान -240°C तक चला जाता है) सब कुछ नेविगेट करता है।
- **लूनर ट्रेलब्लेज़र और प्राइम-1 मिशन:**
  - नासा ने हाल ही में SIMPLEx नामक छोटे, कम लागत वाले ग्रहीय मिशनों की एक श्रेणी में निवेश किया है, जो ग्रहों की खोज के लिये छोटे, नवोन्वेषी मिशन है।
    - ये मिशन राइडशेयर या सेकेंडरी पेलोड के रूप में अन्य मिशनों के साथ लॉन्च करके धन की बचत करते हैं।
  - एक उदाहरण लूनर ट्रेलब्लेज़र है, जो VIPER की तरह चंद्रमा पर पानी की खोज करेगा।
    - लेकिन जब VIPER चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, तो दक्षिणी ध्रुव के निकट एक विशिष्ट क्षेत्र का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेगा।
    - साथ ही लूनर ट्रेलब्लेज़र चंद्रमा की परिक्रमा करेगा, सतह के तापमान को मापेगा और विश्वभर में पानी के अणुओं के स्थानों का मानचित्रण करेगा।
  - लूनर ट्रेलब्लेज़र को लॉन्च करने का समय प्राथमिक पेलोड की लॉन्च तैयारी पर निर्भर करता है।
    - PRIME-1 मिशन वर्ष 2024 के मध्य में लॉन्च होने वाला है,जो कि एक लूनर ट्रेलब्लेज़र राइड है। PRIME-1 चंद्रमा में ड्रिल करेगा, यह उस प्रकार की ड्रिल का परीक्षण है जिसका उपयोग VIPER द्वारा किया जाएगा।

नोट :

- **JAXA का मंगल ग्रह का चंद्रमा अन्वेषण मिशन:**
  - JAXA MMX मिशन, मंगल ग्रह के चंद्रमाओं/उपग्रहों -फोबोस और डेमोस की अवधारणा का अध्ययन करने के लिये है।
  - यह जापानी एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (Japanese Aerospace Exploration Agency), या JAXA, का मार्टियन मून एक्सप्लोरेशन, या MMX नामक एक रोबोटिक मिशन है, जिसे सितंबर 2024 के आसपास लॉन्च करने की योजना है।
    - इस मिशन का मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य मंगल के उपग्रहों की उत्पत्ति का निर्धारण करना है।
  - वैज्ञानिक इस बात पर निश्चित नहीं हैं कि फोबोस और डेमोस पूर्व क्षुद्रग्रह हैं जो मंगल के गुरुत्वाकर्षण द्वारा आकर्षित पिंडों से निर्मित हुए हैं या वे पहले से ही मंगल की कक्षा में मौजूद पिंडों से विकसित हुए थे।
  - अंतरिक्ष यान फोबोस और डेमोस का निरीक्षण करने के लिये वैज्ञानिक संचालन करते हुए मंगल ग्रह के चारों ओर तीन वर्ष तक स्थित रहेगा। MMX फोबोस की सतह पर भी उतरेगा और पृथ्वी पर लौटने से पहले एक नमूना एकत्र करेगा।
- **ESA का हेरा मिशन:**
  - यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (European Space Agency- ESA) का डिडिमोस-डिमोर्फोस क्षुद्रग्रह प्रणाली पर लौटने का एक मिशन है, जिसका नासा के DART मिशन ने 2022 में दौरा किया था।
    - लेकिन DART सिर्फ इन क्षुद्रग्रहों के पास से नहीं गुजरा; इसने "गतिज प्रभाव (kinetic impact)" नामक ग्रह रक्षा तकनीक का परीक्षण करने के लिये उनमें से एक को नष्ट कर दिया।
    - DART ने बलपूर्वक डिमोर्फोस पर प्रहार किया और उसने अपनी कक्षा बदल दी।
  - गतिज प्रभाव तकनीक (kinetic impact technique) अपने पथ को बदलने के लिये किसी वस्तु को नष्ट कर देती है। यह तब उपयोगी साबित हो सकता है जब मानव को कभी भी पृथ्वी के साथ टकराव के रास्ते पर एक संभावित खतरनाक वस्तु मिलती है और उसे पुनर्निर्देशित करने की आवश्यकता होती है।
  - हेरा अक्टूबर 2024 में लॉन्च होगा और 2026 के अंत में डिडिमोस व डिमोर्फोस तक पहुँचेगा, जहाँ यह क्षुद्रग्रहों के भौतिक गुणों का अध्ययन करेगा।

2024 के लिये ISRO के अंतरिक्ष मिशन क्या हैं ?

- **XPoSat के साथ PSLV-C58:**
  - XPoSat, भारत का पहला एक्स-रे ध्रुवणमापी उपग्रह (Polarimeter Satellite), जनवरी 2023 में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV-C58) द्वारा लॉन्च किया गया था।
  - इस मिशन का उद्देश्य पल्सर, ब्लैक होल एक्स-रे बायनेरिज़ तथा अन्य खगोलीय पिंडों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ब्रह्मांड में तीव्र एक्स-रे स्रोतों के ध्रुवीकरण की जाँच करना है।
- **NASA-ISRO सिंथेटिक एपर्चर रडार (NISAR):**
  - NASA तथा ISRO के बीच एक सहयोगी मिशन, NISAR, एक द्विक आवृत्ति सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह है जिसे रिमोट सेंसिंग के लिये डिज़ाइन किया गया है, जो पारिस्थितिक तंत्र, हिम द्रव्यमान, वनस्पति बायोमास तथा प्राकृतिक खतरों सहित विभिन्न पृथ्वी प्रणालियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
- **गगनयान 1:**
  - गगनयान 1 मिशन भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
  - चालक दल के तीन सदस्यों वाली यह परीक्षण उड़ान, मानवयुक्त अंतरिक्ष अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त करने के लिये ISRO तथा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है।
- **मंगलयान-2 (MOM 2):**
  - मंगलयान-2 अथवा मंगल कक्षित्र मिशन -2 (Mars Orbiter Mission- MOM 2), ISRO के सफल मंगल मिशन की महत्त्वाकांक्षी अगली शृंखला है।
  - मंगल की सतह, वायुमंडल तथा जलवायु परिस्थितियों का अध्ययन करने के उद्देश्य से इस मिशन के तहत कक्षित्र/ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान को हाइपरस्पेक्ट्रल कैमरा, मैग्नेटोमीटर तथा रडार सहित उन्नत वैज्ञानिक उपकरणों से लैस किया जाएगा।
  - MOM 2 ग्रहों की खोज में भारत की बढ़ती क्षमता का प्रमाण है।
- **शुक्रयान-1:**
  - वीनस ऑर्बिटर मिशन के तहत ISRO ने शुक्रयान-1 लॉन्च करने की योजना बनाई है, जो पाँच वर्ष के लिये शुक्र ग्रह का अध्ययन करने वाला अंतरिक्ष यान है।
  - इसका उद्देश्य शुक्र के वातावरण का अध्ययन करना है, जो सूर्य के समीप स्थित ग्रह के रहस्यों की खोज में भारत का पहला प्रयास है।

नोट :

रोगाणुरोधी प्रतिरोध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance- AMR) के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (National Centre for Disease Control- NCDC) द्वारा किये गए एक सर्वेक्षण में अस्पतालों में एंटीबायोटिक दवाओं के नुस्खे और उपयोग के संबंध में कई प्रमुख निष्कर्षों पर प्रकाश डाला गया।

सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

- **एंटीबायोटिक्स का निवारक उपयोग:**
  - सर्वेक्षण में शामिल आधे से अधिक रोगियों (55%) को संक्रमण के इलाज के लिये चिकित्सीय उद्देश्यों (45%) के बजाय रोगनिरोधी संकेतों हेतु एंटीबायोटिक्स निर्धारित की गईं, जिनका उद्देश्य संक्रमण को रोकना था।
- **एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन पैटर्न:**
  - केवल कुछ ही रोगियों (6%) को उनकी बीमारी (निश्चित चिकित्सा) का कारण बनने वाले विशिष्ट बैक्टीरिया के निदान की पुष्टि के बाद एंटीबायोटिक्स निर्धारित किये गए थे, जबकि अधिकांश (94%) बीमारी के संभावित कारण के डॉक्टर के नैदानिक मूल्यांकन के आधार पर अनुभवजन्य चिकित्सा पर थे।
- **विशिष्ट निदान का अभाव:**
  - 94% रोगियों को निश्चित चिकित्सा निदान की पुष्टि होने से पहले एंटीबायोटिक्स प्राप्त हुए, जो संक्रमण के कारण के सटीक ज्ञान के बिना एंटीबायोटिक दवाओं के प्रचलित उपयोग को उजागर करता है।
- **अस्पतालों में भिन्नता:**
  - अस्पतालों में एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन दरों में व्यापक भिन्नताएँ पाई गई थीं, 37% से लेकर 100% रोगियों को एंटीबायोटिक्स निर्धारित किये गए थे।
  - निर्धारित एंटीबायोटिक दवाओं का एक महत्त्वपूर्ण अनुपात (86.5%) पैरेंट्रल मार्ग (मौखिक रूप से नहीं) के माध्यम से दिया गया था।
- **AMR के चालक:**
  - NCDC सर्वेक्षण में कहा गया है कि एंटीबायोटिक प्रतिरोध के विकास के लिये मुख्य कारकों में से एक एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक और अनुचित उपयोग है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) क्या है ?

- **परिचय:**
  - रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance- AMR) का तात्पर्य किसी भी सूक्ष्मजीव (बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी, आदि) द्वारा एंटीमाइक्रोबियल दवाओं (जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल, एंटीवायरल, एंटीमाइरियल और एंटीहेलमिंटिक्स) जिनका उपयोग संक्रमण के इलाज के लिये किया जाता है, के खिलाफ प्रतिरोध हासिल कर लेने से है।
    - परिणामस्वरूप मानक उपचार अप्रभावी हो जाते हैं, संक्रमण जारी रहता है और दूसरों में फैल सकता है।
  - यह एक प्राकृतिक घटना है क्योंकि बैक्टीरिया विकसित होते हैं, जिससे संक्रमण के इलाज के लिये इस्तेमाल की जाने वाली दवाएँ कम प्रभावी हो जाती हैं।
  - रोगाणुरोधी प्रतिरोध विकसित करने वाले सूक्ष्मजीवों को कभी-कभी "सुपरबग्स" के रूप में जाना जाता है।
    - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने AMR को वैश्विक स्वास्थ्य के लिये शीर्ष दस खतरों में से एक के रूप में पहचाना है।

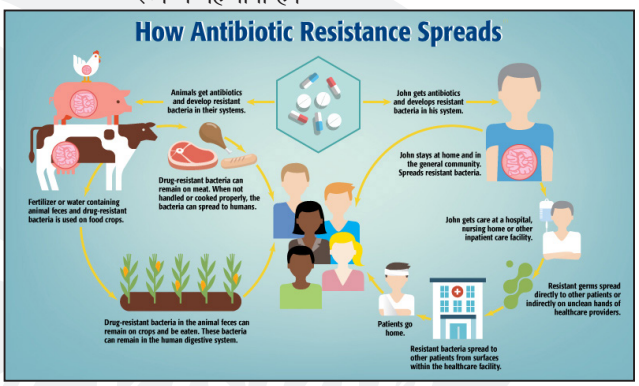

AMR के प्रसार के कारण क्या हैं ?

- संचारी रोगों का उच्च प्रसार: तपेदिक, दस्त, श्वसन संक्रमण आदि जैसे संचारी रोगों का उच्च प्रसार, जिनके लिये रोगाणुरोधी उपचार की आवश्यकता होती है।
- अत्यधिक बोझ से दबी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली: यह एटियलजि-आधारित निदान और उचित रूप से लक्षित उपचार के लिये प्रयोगशाला क्षमता को सीमित करती है।
- खराब संक्रमण नियंत्रण प्रथाएँ: अस्पतालों और क्लीनिकों में स्वच्छता संबंधी खामियाँ प्रतिरोधी बैक्टीरिया के प्रसार को बढ़ावा देती हैं।
- अविवेकपूर्ण उपयोग: मरीज़ों के दबाव में डॉक्टरों द्वारा ज़रूरत से ज़्यादा दवाएँ लिखना (अक्सर स्व-दवा), अधूरे एंटीबायोटिक कोर्स और ब्रॉड-स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवाओं का अनावश्यक रूप से इस्तेमाल प्रतिरोधी बैक्टीरिया के लिये चयनात्मक दबाव पैदा करता है।
  - आसान पहुँच: एंटीबायोटिक दवाओं की अनियमित ओवर-द-काउंटर उपलब्धता और सामर्थ्य स्व-दवा तथा अनुचित उपयोग को बढ़ावा देती है।

नोट :

- जागरूकता की कमी: AMR और एंटीबायोटिक के उचित उपयोग के बारे में लोगों की कम समझ दुरुपयोग को बढ़ावा देती है।
- सीमित निगरानी: पर्याप्त निगरानी प्रणालियों की कमी के कारण AMR के दायरे को ट्रैक करना और समझना मुश्किल हो जाता है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध के प्रसार के निहितार्थ क्या हैं?

- **स्वास्थ्य सेवा पर प्रभाव:**
  - AMR बैक्टीरिया संक्रमण के खिलाफ पहले से प्रभावी एंटीबायोटिक दवाओं को अप्रभावी बना सकता है। इससे निमोनिया, मूत्र पथ के संक्रमण और त्वचा संक्रमण जैसी सामान्य बीमारियों का इलाज जटिल हो जाता है, जिससे लंबी बीमारियाँ, अधिक गंभीर लक्षण तथा मृत्यु दर में वृद्धि होती है।
- **स्वास्थ्य देखभाल लागत में वृद्धि:**
  - प्रतिरोधी संक्रमणों के इलाज के लिये अक्सर अधिक महंगी और दीर्घकालिक चिकित्सा, अस्पताल में अधिक समय तक भर्ती तथा कभी-कभी अधिक शल्य प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। इससे व्यक्तियों, स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों और सरकारों के लिये स्वास्थ्य देखभाल की लागत बढ़ जाती है।
- **चिकित्सा प्रक्रियाओं में चुनौतियाँ:**
  - AMR कुछ चिकित्सीय प्रक्रियाओं को जोखिमपूर्ण बना देता है। मानक एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी संक्रमण के बढ़ते जोखिम के कारण सर्जरी, कैंसर कीमोथेरेपी और अंग प्रत्यारोपण अधिक खतरनाक हो जाते हैं।
- **उपचार विकल्पों में सीमाएँ:**
  - जैसे-जैसे प्रतिरोध बढ़ता है, एंटीबायोटिक दवाओं की प्रभाव-कुशलता कम होती जाती है। उपचार विकल्पों में यह सीमा एक ऐसे परिदृश्य को जन्म दे सकती है जहाँ पहले से प्रबंधनीय संक्रमण अनुपचारित हो जाते हैं, जिससे दवा पूर्व-एंटीबायोटिक युग में पहुँच जाती है जहाँ सामान्य संक्रमण घातक हो सकते हैं।

AMR को संबोधित करने हेतु क्या उपाय किये गए हैं?

- **भारतीय:**
  - AMR नियंत्रण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम: इसे वर्ष 2012 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में प्रयोगशालाओं की स्थापना करके AMR निगरानी नेटवर्क को मज़बूत किया गया है।
  - AMR पर राष्ट्रीय कार्ययोजना: यह स्वास्थ्य दृष्टिकोण पर केंद्रित है और अप्रैल 2017 में विभिन्न हितधारक मंत्रालयों/विभागों को शामिल करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
  - AMR सर्विलांस एंड रिसर्च नेटवर्क (AMRSN): इसे वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था ताकि देश में दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के सबूत और प्रवृत्तियों तथा पैटर्न का अनुसरण किया जा सके।
  - AMR अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने AMR में चिकित्सा अनुसंधान को मज़बूत करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से नई दवाओं को विकसित करने की पहल की है।
    - ICMR ने नॉर्वे की रिसर्च काउंसिल (RCN) के साथ मिलकर वर्ष 2017 में रोगाणुरोधी प्रतिरोध में अनुसंधान हेतु एक संयुक्त आह्वान शुरू किया।
    - ICMR ने संघीय शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय (BMBF), जर्मनी के साथ AMR पर शोध के लिये एक संयुक्त भारत-जर्मन सहयोग किया है।
  - एंटीबायोटिक प्रबंधन कार्यक्रम: ICMR ने अस्पताल के वार्डों और आईसीयू में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग तथा अति प्रयोग को नियंत्रित करने के लिये भारत में एक पायलट परियोजना पर एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप कार्यक्रम शुरू किया है।
    - DCGI ने अनुपयुक्त पाए गए 40 फिक्स डोज़ कॉम्बिनेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- **वैश्विक उपाय:**
  - विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह (WAAW): यह वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला एक वैश्विक अभियान है, इसका उद्देश्य विश्व भर में AMR के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के विकास व प्रसार की गति को धीमा करने के लिये आम जनता, स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं एवं नीति निर्माताओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है।
  - वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध और उपयोग निगरानी प्रणाली (GLASS): विश्व स्तर पर रोगाणुरोधी प्रतिरोध संबंधी ज्ञान के अंतराल को कम करने तथा सभी स्तरों पर रणनीतियाँ साझा करने हेतु WHO ने वर्ष 2015 में वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध और उपयोग निगरानी प्रणाली (GLASS) की शुरुआत की।
    - इसकी परिकल्पना मनुष्यों में AMR, रोगाणुरोधी दवाओं के उपयोग, खाद्य शृंखला तथा पर्यावरण में AMR की निगरानी से प्राप्त डेटा को क्रमिक रूप से शामिल करने के लिये की गई है।

नोट :

- ग्लोबल पॉइंट प्रेवेलेंस सर्वे मेथडोलॉजी: रोगी स्तर पर एंटीबायोटिक दवाओं के निर्धारण और उपयोग संबंधी सीमित जानकारी की चुनौती से निपटने के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अस्पतालों में निर्धारित पैटर्न को समझने के लिये ग्लोबल पॉइंट प्रेवेलेंस सर्वे मेथडोलॉजी की शुरुआत की है। इसकी सहायता से निरंतर होने वाले सर्वेक्षणों में एंटीबायोटिक के उपयोग में बदलाव दर्ज किये जाते हैं।
- इस पद्धति का उपयोग करके भारत में कुछ अध्ययन किये गए हैं।

आगे की राह

- जन शिक्षण अभियान: लोगों को रोगाणुरोधी प्रतिरोध, इसके खतरों और इसे नियंत्रित करने के तरीके के बारे में सूचित करने के लिये जनसंचार माध्यमों, सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों तथा स्थानीय भाषाओं में शैक्षिक सामग्री का उपयोग किया जा सकता है।
- एंटीबायोटिक प्रबंध कार्यक्रम: एंटीबायोटिक के इस्तेमाल की निगरानी और अनुकूलित करने के लिये अस्पतालों तथा क्लीनिकों में आवश्यक कार्यक्रम लागू किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल केवल आवश्यक पड़ने पर एवं सबसे कम अवधि के लिये किया जाए।
- एंटीबायोटिक बिक्री का विनियमन: दुकानों पर एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री पर सख्त नियम लागू करने की आवश्यकता है जिससे किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री हेतु ग्राहक को चिकित्सक की पर्ची दिखाना अनिवार्य हो।
- रोगाणुरोधी प्रतिरोध निगरानी का दायरा बढ़ाना: मानव, पशुओं और पर्यावरण में प्रतिरोधी बैक्टीरिया की व्यापकता तथा प्रसार की निगरानी के लिये एक राष्ट्रव्यापी रोगाणुरोधी प्रतिरोध निगरानी प्रणाली स्थापित किये जाने की आवश्यकता है।
- नई तकनीकों का विकास करना: रोगाणुरोधी प्रतिरोध संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिये फेज़ थेरेपी जैसी नई प्रौद्योगिकियों की संभावनाओं पर विचार किये जाने की आवश्यकता है।

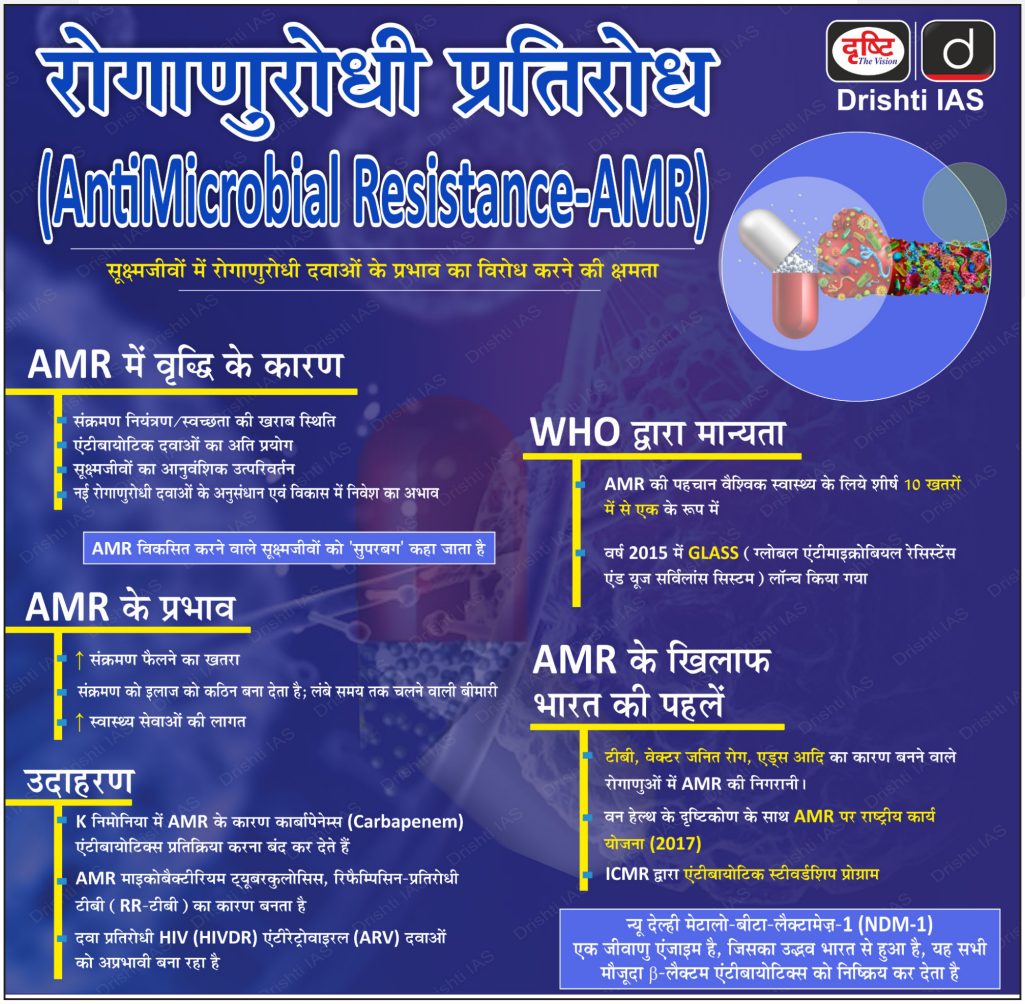

नोट :

जैव विविधता और पर्यावरण

जलवायु लक्ष्यों और जैवविविधता संरक्षण का संतुलन:

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है जिसका शीर्षक है- जलवायु लक्ष्यों और जैव-विविधता संरक्षण को संतुलित करना: भूमि-आधारित कार्बन निष्कासन के लिये 30X30 लक्ष्य के कानूनी निहितार्थ (Balancing climate goals and biodiversity protection: legal implications of the 30x30 target for land-based carbon removal), यह शीर्षक भूमि-आधारित कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन हेतु (CDR) रणनीतियों और संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के बीच संघर्ष को उजागर करता है।

अध्ययन के मुख्य तथ्य क्या हैं ?

- **सीमित भूमि उपलब्धता:**
  - भूमि उपलब्धता की सीमाएँ जैव-विविधता लक्ष्य और भूमि-आधारित जलवायु शमन रणनीतियों दोनों को लागू करने में एक महत्त्वपूर्ण चुनौती हैं।
  - CDR गतिविधियों के लिये देशों द्वारा भूमि के महत्त्वपूर्ण हिस्से को गिरवी रखने से, सीमित भूमि उपलब्धता के कारण संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के लिये एक चुनौती उत्पन्न हो गई है।
- **वैश्विक लक्ष्य और वर्तमान स्थिति:**
  - राष्ट्र वर्ष 2030 तक विश्व के 30% स्थलीय और समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिये "30X30" जैव- विविधता लक्ष्य हेतु प्रतिबद्ध हुए हैं। हालाँकि वर्ष 2023 तक संरक्षित क्षेत्र केवल 16% स्थलीय क्षेत्रों और 8% समुद्री क्षेत्रों को कवर करते हैं, जो कि 30X30 के लक्ष्य से कम है।
    - 30×30 लक्ष्य एक वैश्विक लक्ष्य है जिसका उद्देश्य प्रजातियों के तेज़ी से हो रहे नुकसान को रोकना और महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना है जो हमारी आर्थिक सुरक्षा का स्रोत हैं।
- **भूमि उपयोग और संघर्ष:**
  - कुछ भूमि-आधारित शमन रणनीतियाँ भूमि उपयोग की बाधाओं के कारण अधिक संरक्षित क्षेत्रों को स्थापित करने की आवश्यकता के साथ संघर्ष करती हैं।
  - CDR की बड़े पैमाने पर तैनाती के परिणामस्वरूप जैवविविधता को हानि हो सकती है और खाद्य फसल उत्पादन में उपयोग की जाने वाली भूमि के लिये प्रतिस्पर्द्धा हो सकती है।
- **लक्ष्य की अपर्याप्तता:**
  - 30X30 लक्ष्य की महत्त्वाकांक्षी प्रकृति के बावजूद, शोधकर्त्ताओं का अनुमान है कि जैवविविधता को प्रभावी ढंग से संरक्षित करने के लिये वैश्विक भूमि का कम से कम 44% संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत होना चाहिये।
  - इसके अलावा, अकेले CDR गतिविधियाँ ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिये पेरिस समझौते में उल्लिखित लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकती हैं।
- **कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:**
  - प्रश्न उठते हैं कि खाद्य उत्पादन का विस्तार और CDR रणनीतियों को लागू करते समय देश संरक्षित क्षेत्रों एवं बहाली के लिये अतिरिक्त भूमि किस प्रकार आवंटित करेंगे।
  - इन उद्देश्यों को संतुलित करना एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है।
- **कानूनी परिप्रेक्ष्य:**
  - जबकि कुछ भूमि-आधारित CDR दृष्टिकोण जैवविविधता को लाभ पहुँचा सकते हैं, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून समान अधिग्रहित भूमि पर संरक्षित क्षेत्रों के साथ CDR तकनीकों के कार्यान्वयन को नहीं रोकता है।
- **सिफारिशें:**
  - CDR नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जो जैवविविधता की रक्षा करते हुए ग्रीनहाउस गैसों को प्रभावी ढंग से अवशोषित करती हैं। वे जलवायु परिवर्तन को कम करने की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं, यह कहते हुए कि जैवविविधता के लिये इससे होने वाला खतरा अन्य चिंताओं से कहीं अधिक है।

कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन (CDR) क्या है ?

- **परिचय:**
  - CDR उन प्रौद्योगिकियों, प्रथाओं और दृष्टिकोणों को संदर्भित करता है जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) को निष्कासित करते हैं तथा उसे स्थायी रूप से संग्रहीत करते हैं।

नोट :

- **पद्धति:**

पृथ्वी प्रणाली: भूमि

सीडीआर विधि	वनरोपण, पुनर्वनीकरण, बेहतर वन प्रबंधन		मृदा कार्बन पृथक्करण	बायोचार	कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के साथ बायोएनर्जी (बीईसीसीएस)	डायरेक्ट एयर कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज (डीएसीसीएस)	उन्नत चट्टानी अपक्षय	पीटलैंड और वेटलैंड बहाली
कार्यान्वयन विकल्प	कृषि वानिकी; वृक्षारोपण, वन संवर्धन; निर्माण में लकड़ी; जैव-आधारित उत्पाद		कृषि पद्धतियाँ; चारागाह प्रबंधन	फसल और वानिकी अवशेष; शहरी और औद्योगिक जैविक कचरा; उद्देश्य से उगाई जाने वाली बायोमास फसलें		ठोस शर्बत; तरल विलायक	कुचली हुई सिलिकेट चट्टान को फैलाना	पुनः गीला करना; पुनर्वनस्पति
भंडारण समयमान	दशकों से शताब्दियों तक (वनस्पति, इमारतों, मिट्टी में)		दशकों से शताब्दियों तक (मिट्टी, तलछट में)	सदियों से सहस्राब्दी (मिट्टी और तलछट में)	10,000+ वर्ष (भूवैज्ञानिक संरचनाओं में)	10,000+ वर्ष (भूवैज्ञानिक संरचनाओं में)	10,000+ वर्ष (खनिजों में)	दशकों से शताब्दियों तक (वनस्पति, मिट्टी, तलछट में)
वित्तीय लागत ($ प्रति टन CO_2)	वनरोपण/ पुनर्वनरोपण: $0-$240	कृषि वानिकी और वन प्रबंधन: पर्याप्त डेटा नहीं	-$45-$100	$10-$345	$50-$200	$100-$300	$50-$200	पर्याप्त डेटा नहीं
व्यापार बंद और जोखिम	वनरोपण/ पुनर्वनरोपण: बड़े पैमाने पर अनुचित तैनाती से भूमि के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है (जैव विविधता संरक्षण और भोजन के लिए भूमि सीमित हो सकती है)	• कृषि वानिकी: कृषि फसल उत्पादन पर सीमित प्रभाव • वन प्रबंधन: यदि उर्वरक का उपयोग और प्रचलित प्रजातियाँ शामिल हैं, तो जोखिमों में शामिल हैं: जैव विविधता में कमी, यूट्रोफिकेशन में वृद्धि, और अपस्ट्रीम जीएचजी उत्सर्जन	• उत्पादन की कीमत पर कार्बन पृथक्करण में वृद्धि हो सकती है • प्रति हेक्टेयर ज़ब्ती का योगदान छोटा है और इसकी निगरानी करना कठिन है	• धूल से नकारात्मक प्रभाव • बायोमास के लिए प्रतिस्पर्धा	ऊर्जा फसलें उगाने से भूमि के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है (जैव विविधता संरक्षण और भोजन के लिए भूमि सीमित हो जाती है)	उच्च ऊर्जा आवश्यकता, कम कार्बन ऊर्जा के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा या जीएचजी उत्सर्जन में वृद्धि हो सकती है। कुछ DACCS प्रक्रियाओं के लिए पानी की आवश्यकता होती है।	धूल उत्सर्जन • ऊर्जा उत्पादन से जीएचजी उत्सर्जन में वृद्धि की संभावना	कुछ पीटलैंड का उपयोग खाद्य उत्पादन के लिए किया जाता है, इसलिए भूमि के लिए प्रतिस्पर्धा हो सकती है

पृथ्वी प्रणाली: महासागर

सीडीआर विधि	नीला कार्बन प्रबंधन	महासागरीय क्षारीयता में वृद्धि	महासागर निषेचन
कार्यान्वयन विकल्प	पुनः गीला करना: तटीय वनस्पति (जैसे मैंग्रोव, समुद्री घास, नमक दलदल)।	कार्बोनेट या सिलिकेट चट्टान जैसे क्षारीय पदार्थ मिलाना	लौह निषेचन; नाइट्रोजन और फास्फोरस निषेचन; बढ़ा हुआ उभार
भंडारण समयमान	दशकों से शताब्दियों तक (वनस्पति, मिट्टी, तलछट में)	10,000+ वर्ष (खनिजों में)	सदियों से सहस्राब्दी (समुद्री तलछट में)
वित्तीय लागत ($ प्रति टन CO_2)	पर्याप्त डेटा नहीं	$40-$260	$50-$500
व्यापार बंद और जोखिम	• यदि बाद में निम्नीकृत या नष्ट हो जाते हैं, तो इन पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा कार्बन को वापस वायुमंडल में छोड़े जाने की संभावना है। • अधिकतम लाभ प्राप्त करने में कई वर्षों की आवश्यकता होगी।	खनन, परिवहन और तैनाती से जीएचजी उत्सर्जन में वृद्धि की संभावना	-महासागर का अम्लीकरण और डीऑक्सीजनेशन • समुद्री मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की परिवर्तित आपूर्ति • खाद्य जाल और जैव विविधता में मौलिक परिवर्तन

बायोडायवर्सिटी क्रेडिट

चर्चा में क्यों?

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (KMGBF) के तहत निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों पर वित्तपोषण के रूप में बायोडायवर्सिटी क्रेडिट अथवा बायोक्रेडिट को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

- जैवविविधता अभिसमय (CBD) पर पक्षकारों के सम्मेलन (CoP15) की 15वीं बैठक में स्थापित किया गया KMGBF, जैवविविधता संरक्षण, सतत् उपयोग एवं न्यायसंगत लाभ साझाकरण के लिये महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करता है।

बायोडायवर्सिटी क्रेडिट क्या है?

- **परिचय:**
  - बायोडायवर्सिटी क्रेडिट एक वित्तीय साधन है जिसे जैवविविधता-समृद्ध क्षेत्रों के संरक्षण, पुनर्स्थापन तथा सतत् उपयोग के लिये धन जुटाने हेतु डिज़ाइन किया गया है।
  - ये कार्बन क्रेडिट के समान ही कार्य करते हैं किंतु नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के स्थान पर इनका उपयोग विशेष रूप से जैवविविधता संरक्षण पर केंद्रित है।
  - बायोडायवर्सिटी क्रेडिट का मुख्य उद्देश्य CBD के तहत KMGBF जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा उल्लिखित जैवविविधता के संरक्षण तथा पुनर्स्थापन के लक्ष्यों के अनुरूप पहल के लिये निजी निवेश को आकर्षित करना है।
- **बायोडायवर्सिटी क्रेडिट एलायंस:**
  - बायोक्रेडिट को प्रोत्साहन देने के लिये CBD के CoP15 में बायोडायवर्सिटी क्रेडिट एलायंस लॉन्च किया गया था।
  - वर्ष 2023 तक विभिन्न मंचों के माध्यम से इन्हें प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया। दिसंबर 2023 में दुबई में आयोजित UNFCCC के CoP28 में इससे संबंधित गहन चर्चा की गई।
  - इसका उद्देश्य सरकारी निकायों, गैर-लाभकारी संस्थाओं तथा निजी उद्यमों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच समर्थन जुटाना एवं जागरूकता फैलाना है।
- **क्रियान्वयन एवं पहल:**
  - महासागर संरक्षण प्रतिबद्धताएँ (OCC): महासागर संरक्षण प्रतिबद्धताओं (Ocean Conservation Commitments- OCC) को सितंबर 2023 में न्यूए (Niue) के मोआना महू संरक्षित समुद्री क्षेत्र (127,000 वर्ग किलोमीटर) के लिये लॉन्च किया गया था।

- OCC इच्छुक खरीदारों द्वारा खरीद के लिये उपलब्ध हैं जिसमें प्रत्येक OCC 20 वर्षों के लिये संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है।
- 148 अमेरिकी डॉलर प्रति OCC की कीमत पर, इन प्रतिबद्धताओं ने ब्लू नेचर एलायंस, कंज़र्वेशन इंटरनेशनल तथा निजी दानदाताओं जैसे गैर-सरकारी संगठनों से निवेश जुटाने का सफल कार्य किया है।

- वालेसिया ट्रस्ट: जैवविविधता तथा जलवायु अनुसंधान पर केंद्रित यूनाइटेड किंगडम स्थित इस संगठन ने जैवविविधता क्रेडिट के लिये 5 मिलियन की पर्याप्त वित्तीय राशि उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई है। इसकी भागीदारी संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने के लिये जैवविविधता क्रेडिट का उपयोग करने में अनुसंधान-उन्मुख संस्थाओं की रुचि का संकेत देती है।

- **चुनौतियाँ और अनिश्चितताएँ:**
  - पर्याप्त क्षमता के बावजूद, जैवविविधता क्रेडिट की सफलता निश्चित नहीं है। इसके समक्ष चुनौतियों में नियामक ढाँचे, मूल्य निर्धारण संरचनाएँ शामिल हैं जो खरीदारों तथा विक्रेताओं दोनों के लिये निष्पक्षता तथा यह सुनिश्चित करती हैं कि ये तंत्र वास्तव में कॉर्पोरेट हितों के स्थान पर जैवविविधता संरक्षण के लिये कार्य करते हैं।

जैवविविधता संरक्षण से संबंधित पहल क्या हैं?

- **भारतीय पहल:**
  - भारत व्यापार और जैवविविधता पहल (IBBI)
  - आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम 2010
  - जलीय पारितंत्र के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना
  - वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो
  - जैवविविधता अधिनियम, 2002
- **वैश्विक:**
  - नागोया प्रोटोकॉल (Nagoya Protocol)
  - वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
  - प्रकृति हेतु विश्व व्यापी निधि (World Wide Fund for Nature)

आगे की राह

- जैवविविधता क्रेडिट की अवधारणा कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क (KMGBF) में उल्लिखित जैवविविधता संरक्षण के लिये आवश्यक वित्तीय अंतर को कम करती है। हालाँकि विनियमन, वास्तविक संरक्षण प्रभाव एवं जैवविविधता लक्ष्यों के साथ संरेखण के बारे में महत्त्वपूर्ण विचार सतर्क और सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।
- यह तुरंत पता लगाना महत्त्वपूर्ण है कि उन्हें कैसे विनियमित किया जाना चाहिये और उनकी निगरानी किस प्रकार की जानी चाहिये। यह सुनिश्चित करना होगा कि वस्तु के मूल्य का निर्धारण विक्रेताओं के साथ-साथ खरीदारों के लिये भी उचित हो।
- ब्रिटेन और फ्राँसीसी सरकारें उच्च-अखंडता जैवविविधता क्रेडिट बाज़ार के लिये एक रोडमैप तैयार करने में अग्रणी हैं।
- इस बात को ध्यान में रखते हुए यह कठिन होगा क्योंकि अधिकांश बायोक्रेडिट समर्थक वाणिज्यिक क्षेत्र से हैं और जैवविविधता के बजाय जैवविविधता विनाश को कियाँवित करने वाली फर्मों के हितों की रक्षा करने के इच्छुक हैं।

स्वच्छ वायु लक्ष्य में विविध प्रगति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में क्लाइमेट ट्रेंड्स (Climate Trends) तथा रेस्पायरर लिविंग साइंसेज़ (Respirer Living Sciences) ने एक अध्ययन किया जिसके अनुसार भारत के अधिकांश शहर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Campaign-NCAP) के स्वच्छ वायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहे हैं।

नोट: क्लाइमेट ट्रेंड्स तथा रेस्पिरर लिविंग साइंसेज़ दोनों NCAP ट्रैकर में शामिल हैं जो भारत की स्वच्छ वायु नीति पर अपडेट प्रदान करने के लिये एक ऑनलाइन केंद्र है।

- क्लाइमेट ट्रेंड्स एक शोध-आधारित परामर्श तथा क्षमता निर्माण पहल है जो पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और सतत् विकास पर केंद्रित है।
- रेस्पायरर लिविंग साइंसेज़ भारत सरकार का क्लाइमेट-टेक स्टार्टअप (Climate-Tech Startup) साझेदार है। इसने स्वच्छ वायु प्रौद्योगिकियों पर उत्कृष्टता केंद्र ATMAN का समर्थन किया, जिसे IIT कानपुर में स्थापित किया गया था।

अध्ययन से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **PM2.5 स्तर में कमी का अभाव:**
  - पाँच वर्षों में निरंतर PM2.5 डेटा वाले 49 शहरों में से केवल 27 शहरों में PM2.5 के स्तर में गिरावट देखी गई जबकि केवल चार शहर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) लक्ष्यों के अनुसार लक्षित गिरावट को पूरा कर पाए अथवा उससे बेहतर कर पाए।
    - NCAP का लक्ष्य 131 शहरों में वर्ष 2026 तक औसत पार्टिकुलेट मैटर (PM) सांद्रता को 40% तक कम करना है।
    - प्रारंभ में वर्ष 2024 तक 20-40% की कटौती का लक्ष्य रखा गया था जिसे बाद में वर्ष 2026 तक विस्तारित कर दिया गया।

नोट :

- **सभी शहरों में मिश्रित प्रगति:**
  - वाराणसी, आगरा तथा जोधपुर जैसे कुछ शहरों में PM2.5 के स्तर में उल्लेखनीय कमी देखी गई जबकि दिल्ली सहित अन्य शहरों में मानक स्तर में मामूली गिरावट (केवल 5.9%) दर्ज की गई और साथ ही कई शहरों में प्रदूषण भार में वृद्धि दर्ज की गई।
    - वाराणसी में वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक PM2.5 के स्तर में 72% की औसत कमी तथा PM10 के स्तर में 69% की कमी के साथ सबसे बड़ा सुधार देखा गया।
- **क्षेत्रीय सुभेद्यता:**
  - इंडो-गैंगेटिक प्लेन (IGP) उच्च कणिका पदार्थ सांद्रता के प्रति अत्यधिक सुभेद्य/संवेदनशील बना हुआ है और PM2.5 वाले शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से लगभग 18 शहर इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
    - IGP के बाहर, केवल गुवाहाटी और राउरकेला, PM 2.5 के लिये 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से थे।
- **निगरानी चुनौतियाँ:**
  - निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता मॉनिटर की उपलब्धता और वितरण वार्षिक प्रदूषक सांद्रता को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।
  - हालाँकि, कई भारतीय शहरों में पर्याप्त संख्या में ऐसे निगरानी स्टेशनों का अभाव है।
  - जहाँ मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में ऐसे कई स्टेशन हैं, तो वहीं अधिकांश भारतीय शहरों में केवल कुछ ही हैं।
    - 92 शहरों में से केवल चार में 10 से अधिक ऐसे स्टेशन हैं।
- **प्रदूषण को प्रभावित करने वाले कारक:**
  - प्रदूषण के स्तर में भिन्नता के लिये भौगोलिक स्थान, विविध उत्सर्जन स्रोत, मौसम संबंधी प्रभाव और उत्सर्जन एवं मौसम विज्ञान के बीच अंतरसंबंध को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसके लिये आगामी जाँच की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम क्या है ?

- इसे जनवरी 2019 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forests and Climate Change-MoEFCC) द्वारा लॉन्च किया गया था।
- समयबद्ध रूप से वायु प्रदुषण में कमी के लक्ष्य के साथ वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिये एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार करने का यह देश में पहला प्रयास है।
- NCAP का लक्ष्य 131 शहरों में वर्ष 2026 तक औसत कणिका पदार्थ/पार्टिकुलेट मैटर (PM) सांद्रता को 40% तक कम करना है। प्रारंभ में वर्ष 2024 तक 20-40% की कटौती का लक्ष्य रखा गया था, बाद में लक्ष्य को वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया।
- इसमें 131 गैर-प्राप्ति वाले शहर शामिल हैं जिनकी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board- CPCB) द्वारा पहचान की गई थी।
  - गैर-प्राप्ति शहर वे हैं जिन्होंने 5 वर्षों से अधिक समय से राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (National Ambient Air Quality Standards- NAAQS) को पूरा नही किया है।
    - NAAQ वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत CPCB द्वारा अधिसूचित चिह्नित किये गए प्रदूषकों के संदर्भ में परिवेशी वायु गुणवत्ता के मानक हैं।
    - NAAQS के तहत प्रदूषकों की सूची: PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, NH3, ओज़ोन, सीसा, बेंज़ीन, बेंज़ो-पाइरीन, आर्सेनिक और निकल।
- गैर-प्राप्ति शहरों में वायु-प्रदूषण के विनियमन के लिये पोर्टल PRANA (Portal for Regulation of Air-pollution in Non-Attainment cities), NCAP के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये एक पोर्टल है।

वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये क्या पहल की गई हैं ?

- वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान (SAFAR)
- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI): AQI को आठ प्रदूषकों, जैसे– PM2.5, PM10, अमोनिया, सीसा, नाइट्रोज़न ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओज़ोन और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिये विकसित किया गया है।
- श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (दिल्ली)
- वाहन प्रदूषण कम करने के लिये:
  - BS-VI वाहन
  - इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन,
  - ऑड-ईवन नीति एक आपातकालीन उपाय के रूप में (दिल्ली)।
- वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु नया आयोग
- पराली जलाने को कम करने के लिये टर्बो हैप्पी सीडर (Turbo Happy Seeder -THS) मशीन खरीदने पर किसानों को सब्सिडी।
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP): NAMP के तहत, सभी स्थानों पर नियमित निगरानी के लिये चार वायु प्रदूषकों अर्थात् नाइट्रोज़न ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, PM10 और PM2.5 की पहचान की गई है।

प्रोजेक्ट टाइगर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में टाइगर रिज़र्व (55) की स्थापना तथा महत्त्वपूर्ण वन्यजीव संरक्षण कानूनों को कार्यांवित कर समय के साथ बाघ संरक्षण पहल में विकास किया गया है।

नोट :

- हालाँकि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के उल्लंघन के कारण वन प्रशासन तथा वनवासियों के बीच टाइगर रिज़र्व में संघर्ष की स्थिति बढ़ गई है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दो प्रमुख कार्यक्रमों प्रोजेक्ट टाइगर (PT) एवं प्रोजेक्ट एलीफेंट को प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलीफेंट (Project Tiger and Elephant- PTE) के रूप में एकीकृत करने की घोषणा की।

बाघ संरक्षण में कौन-सी कमियाँ हैं ?

- वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 के तहत विकास परियोजनाओं के लिये "बाघ के वन" के डायवर्ज़न पर रोक नहीं लगाई गई तथा यदि वन्यजीवों से मानव जीवन को खतरा होता है तो उन्हें अंतिम उपाय के रूप में मारने की अनुमति दी जाती है।
- सरकार ने वर्ष 2009 में FRA नियमों को अधिसूचित करने तथा अधिनियम को क्रियांवित करने की योजना बनाई।
  - किंतु नवंबर 2007 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority- NTCA) ने एक आदेश पारित किया जिसमें मुख्य वन्यजीव वार्डनों को 800-1,000 वर्ग किमी. के क्षेत्र वाले क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स (CTH) को अंकित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये 13 दिनों का समय दिया गया।
  - परिणामस्वरूप सरकार ने WLPA की धारा 38 (V) के प्रावधानों का अनुपालन किये बिना 12 राज्यों में 26 टाइगर रिज़र्व को संबद्ध अधिसूचना जारी की।
- सिमिलिपाल, ओडिशा में टाइगर रिज़र्व, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स में बफर क्षेत्र का अभाव था।
  - 2012 में ही उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्देश के बाद शामिल किया गया था, जिसने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) को तीन महीने का अल्टीमेटम दिया था।
- टाइगर टास्क फोर्स ने पाया कि बंदूकें, गार्ड और बाड़ का उपयोग करने का दृष्टिकोण बाघों की रक्षा नहीं कर रहा था, और वन/वन्यजीव नौकरशाही और बाघों के साथ सह-अस्तित्व रखने वालों के बीच बढ़ता संघर्ष आपदा का एक प्रकार था।

बाघ संरक्षण के लिये पहल:

प्रोजेक्ट टाइगर:

- **परिचय:**
  - प्रोजेक्ट टाइगर भारत में एक वन्यजीव संरक्षण पहल है जिसे वर्ष 1973 में शुरू किया गया था।
  - प्रोजेक्ट टाइगर का प्राथमिक उद्देश्य समर्पित टाइगर रिज़र्व बनाकर बाघों की आबादी के प्राकृतिक आवासों में अस्तित्त्व और रखरखाव सुनिश्चित करना है।
  - 9,115 वर्ग किमी में फैले केवल नौ अभ्यारण्यों से शुरू होकर, इस परियोजना ने वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में एक आदर्श बदलाव को चिह्नित किया है।
- **बाघ गणना की विधि:**
  - वर्ष 1972 में पहली बाघ ज़नगणना की अविश्वसनीय पग-चिह्न विधि ने कैमरा-ट्रैप विधि जैसी अधिक सटीक तकनीकों का मार्ग प्रशस्त किया।
- **बाघों की जनसंख्या में वृद्धि:**
  - 1972 में पहली बाघ जनगणना में 1,827 बाघों की गिनती के लिये अविश्वसनीय पग-चिह्न पद्धति का उपयोग किया गया था।
  - 2022 तक, बाघों की आबादी 3,167-3,925 होने का अनुमान है, जो प्रतिवर्ष 6.1% की वृद्धि दर को दर्शाता है।
  - अब भारत विश्व के तीन-चौथाई बाघों का घर है।
- **टाइगर रिज़र्व:**
  - 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर 9,115 वर्ग कि.मी. में फैले नौ अभ्यारण्यों के साथ शुरू हुआ। 2018 तक यह विभिन्न राज्यों में 55 रिज़र्व तक बढ़ गया था, जो कुल 78,135.956 वर्ग किमी या भारत के भूमि क्षेत्र का 2.38% था।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:

- वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 वन्य जीवों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों की सुरक्षा, उनके आवासों के प्रबंधन, वन्य जीवों, पादपों तथा उनसे बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन एवं नियंत्रण के लिये एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (Wildlife (Protection) Act- WLPA), 1972 में बाघ संरक्षण के लिये आधार तैयार किया गया। इसने राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना की, राज्य सरकारों के पक्ष में अधिकारों को अलग किया तथा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स (Critical Tiger Habitat- CTH) की अवधारणा को पेश किया।
- वर्ष 2006 में WLPA में संशोधन से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority- NTCA) और एक व्यापक बाघ संरक्षण योजना का निर्माण हुआ।
- इसने बाघ संरक्षण, वन संरक्षण और स्थानीय समुदायों की भलाई के बीच अविभाज्य संबंध को स्वीकार करते हुए, पूर्व के कैप्टिव संरक्षण दृष्टिकोण से बदलाव को चिह्नित किया।

टाइगर टास्क फोर्स:

- वर्ष 2005 में बाघ संरक्षण के बारे में चिंताओं से प्रेरित टाइगर टास्क फोर्स के गठन ने पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। टास्क फोर्स ने मौजूदा रणनीति में कमियों को उजागर किया जो हथियारों, वनरक्षकों एवं बाड़ों पर बहुत अधिक निर्भर थी।

नोट :

वन अधिकार मान्यता अधिनियम, 2006 क्या है ?

- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधिनियमन ने समुदायों में प्रथागत एवं पारंपरिक वन अधिकारों को मान्यता दी।
- इसने ग्राम सभाओं को अपनी सीमाओं के भीतर वन संसाधनों और जैवविविधता का लोकतांत्रिक ढंग से प्रबंधन करने का अधिकार दिया।
- **महत्त्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावास (Critical Wildlife Habitat- CWH):**
  - वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act- FRA) ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WLPA) के तहत क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट (CTH) की भाँति एक 'क्रिटिकल वाइल्डलाइफ हैबिटेट' (CWH) की शुरुआत की।
    - हालाँकि एक महत्त्वपूर्ण अंतर यह था कि एक बार CWH अधिसूचित हो जाने के बाद, इसे गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिये पुनर्निर्देशित नहीं किया जा सकता था। बातचीत के दौरान आदिवासी आंदोलनों द्वारा इस विशेष खंड पर ज़ोर दिया गया था।
  - क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स (CTH) 42,913.37 वर्ग किमी. या राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के अंतर्गत 26% क्षेत्र को कवर करता है।
- ग्राम सभाओं को अपनी पारंपरिक सीमाओं के भीतर जंगल, वन्य जीवन और जैवविविधता की सुरक्षा, संरक्षण एवं निगरानी करने का अधिकार दिया गया था।

निष्कर्ष:

वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर से लेकर वर्ष 2006 के संशोधनों द्वारा NTCA के निर्माण तक की यात्रा बाघ संरक्षण और टिकाऊ सह-अस्तित्व के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सामुदायिक सशक्तीकरण का एकीकरण, वन अधिकारों की मान्यता और वन्यजीव संरक्षण के लिये एक सूक्ष्म दृष्टिकोण वन्यजीव संरक्षण में एक समग्र प्रतिमान प्रदर्शित करता है।

नोट :

भूगोल

रॉक ग्लेशियर

चर्चा में क्यों ?

एक हालिया अध्ययन ने कश्मीर हिमालय के झेलम बेसिन में 100 से अधिक सक्रिय पर्माफ्रॉस्ट संरचनाओं की उपस्थिति पर प्रकाश डाला है। ये संरचनाएँ, जिन्हें रॉक ग्लेशियर के रूप में जाना जाता है, क्षेत्र के जल विज्ञान पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं और जलवायु के गर्म होने पर संभावित जोखिम उत्पन्न करती हैं।

रॉक ग्लेशियर क्या है ?

- **परिचय:**
  - रॉक ग्लेशियर एक प्रकार की भू-आकृति हैं जिसमें चट्टान के टुकड़े और बर्फ का मिश्रण होता है।
  - रॉक ग्लेशियर आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में बनते हैं जहाँ पर्माफ्रॉस्ट, रॉक मलबे और बर्फ का संयोजन होता है।
    - पर्माफ्रॉस्ट एक स्थायी रूप से जमी हुई परत है जो पृथ्वी की सतह पर या उसके नीचे मौजूद होती है। यह मिट्टी, बजरी और रेत से बना होता है जो आमतौर पर बर्फ से एक साथ जुड़ा रहता है।
    - एक सामान्य परिदृश्य में पहले से मौजूद ग्लेशियर जो आगे बढ़ने पर मलबा और चट्टानें इकट्ठा करता है, एक सामान्य घटना है। यदि ग्लेशियर पिघलता है, तो मलबे से ढकी बर्फ अंततः चट्टानी ग्लेशियर में परिवर्तित हो सकती है।
  - ये चट्टानी ग्लेशियर तीव्र ढलान वाले अत्यधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
  - नग्न आँखों से चट्टानी ग्लेशियर मुख्यतः सतह की तरह दिखते हैं, उनकी सही पहचान के लिये भू-आकृति विज्ञान संबंधी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।
- **वर्गीकरण:**
  - उनमें बर्फ और गति है या नहीं, इसके आधार पर उन्हें सक्रिय या अवशेष के रूप में जाना जाता है। अवशेष चट्टानी ग्लेशियर अधिक स्थिर और निष्क्रिय होते हैं, जबकि सक्रिय चट्टानी ग्लेशियर अधिक गतिशील व खतरनाक होते हैं।
- **महत्त्व:**
  - रॉक ग्लेशियर पर्माफ्रॉस्ट पर्वत के महत्त्वपूर्ण संकेतक हैं, जो स्थायी रूप से स्थिर भूमि है जिसके अंतर्गत कई ऊँचाई वाले क्षेत्र आते हैं।
  - रॉक ग्लेशियर के अपने जमे हुए कोर में वृहद मात्रा में जल संग्रहित होता है जो जल की कमी और हिमनदों के खिसकने की स्थिति में एक मूल्यवान संसाधन हो सकता है।

क्षेत्र पर सक्रिय रॉक ग्लेशियरों के संभावित प्रभाव क्या हैं ?

- **ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड/हिमनद झील विच्छेद बाढ़ (Glacial lake outburst floods- GLOF):**
  - These are sudden and catastrophic floods that occur when a glacial lake bursts its natural or artificial dam, releasing large volumes of water and debris downstream. ये आकस्मिक और विनाशकारी बाढ़ जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, जो तब होती हैं जब एक हिमनद झील का प्राकृतिक या कृत्रिम बाँध टूट जाता है, जिससे भारी मात्रा में जल तथा मलबा निचले क्षेत्र की ओर विनाशकारी रूप से प्रवाहित हो जाता है।
    - सक्रिय रॉक ग्लेशियर ढालों या हिमनद झीलों के बाँधों को अस्थिर करके GLOF के खतरे को बढ़ाते हैं।
  - हिमनद झीलों, जैसे चिरसर और ब्रैमसर झील के निकटवर्ती रॉक ग्लेशियर, GLOF के खतरे को बढ़ाते हैं।
- **भू-स्खलन:**
  - भूस्खलन (Landslide) एक भूवैज्ञानिक घटना है जिसमें शैल, मिट्टी और मलबे के एक भाग का नीचे की ओर खिसकना या संचलन करना शामिल होता है।
  - भूस्खलन प्राकृतिक और मानव-निर्मित, दोनों ही ढलानों पर हो सकते हैं तथा वे प्रायः भारी वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखीय गतिविधियों, मानव गतिविधियों (जैसे– निर्माण या खनन) और भूजल स्तर में परिवर्तन जैसे कारकों के संयोजन से उत्पन्न होते हैं।
    - सक्रिय रॉक ग्लेशियर ढलान की स्थिरता को कमज़ोर करके या पिघलकर जल मुक्त करने से भू-स्खलन का कारण बनते हैं जो फिसलती हुई सतह के स्खलन में योगदान देता है।
  - पिघलती पर्माफ्रॉस्ट इन क्षेत्रों को अस्थिर बनाती है, जिससे आस-पास की बस्तियों और महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के लिये खतरा उत्पन्न हो जाता है।

नोट :

- उदाहरण के लिये क्यूबेक में नुनाविक क्षेत्र कई वर्ष पूर्व मुख्यत: पर्माफ्रॉस्ट मैदान पर बसाया गया था। पिछले दशकों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण निचली स्तरों में बर्फ पिघलनी शुरू हो गई, जिससे भू-स्खलन की आवृत्ति और अन्य खतरे बढ़ गए।

- **थर्मोकार्स्ट:**
  - यह एक प्रकार का भू-भाग है जो बर्फ से समृद्ध पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से बनने वाली दलदली खोखली और छोटी-छोटी चट्टानों (कटक) की अनियमित सतहों का रूप है।
    - सक्रिय रॉक ग्लेशियरों से तालाबों अथवा झीलों जैसी थर्मोकार्स्ट संरचनाओं का निर्माण हो सकता है जो संबद्ध क्षेत्र के जल-विज्ञान (Hydrology), पारिस्थितिकी तथा कार्बन चक्र को प्रभावित कर सकते हैं।
  - जम्मू-कश्मीर के कुलगाम शहर के समीप जल निकायों की उपस्थिति भूमिगत पर्माफ्रॉस्ट के अस्तित्व का सुझाव देती है जो 'थर्मोकार्स्ट झीलों' के समान है जिनके परिणामस्वरूप भविष्य में जोखिम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
    - पृथ्वी की सतह के नीचे हिम के पिघलने से सतह के ढहने का खतरा अधिक होता है। जिसके परिणामस्वरूप सिंकहोल्स, टेकरी (Hummocks), गुफाओं तथा सुरंगों की उत्पत्ति हो सकती है जो जोखिमपूर्ण हो सकता है।
    - बटागाइका क्रेटर थर्मोकार्स्ट का एक उदाहरण है, यह विश्व का सबसे बड़ा पर्माफ्रॉस्ट क्रेटर है जो सखा गणराज्य, रूस में स्थित है।

कश्मीर हिमालय की झेलम बेसिन:

- झेलम द्रोणी/बेसिन का अपवाह ऊपरी झेलम नदी से होता है जिसका उद्गम कश्मीर घाटी में पीर पंजाल श्रृंखला के तल पर स्थित अनंतनाग के वेरिनाग में एक झरने से होता है, यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले श्रीनगर एवं वुलर झील से होकर गुजरती है।
- सिंधु नदी की एक सहायक नदी के रूप में झेलम नदी भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी नदी प्रणाली में योगदान देती है।
  - यह नदी जम्मू-कश्मीर से होकर पाकिस्तान में प्रवाहित होती है जहाँ यह चिनाब नदी में मिल जाती है।
- पंजाब की पाँच नदियों में झेलम सबसे बड़ी तथा सबसे पश्चिमी नदी है।
- इसकी प्राथमिक सहायक नदी किशनगंगा (नीलम) नदी है। कुन्हार नदी इसकी एक अन्य महत्त्वपूर्ण सहायक नदी है जो कंघान घाटी में कोहाला पुल के माध्यम से पाक अधिकृत कश्मीर एवं पाकिस्तान को जोड़ती है।

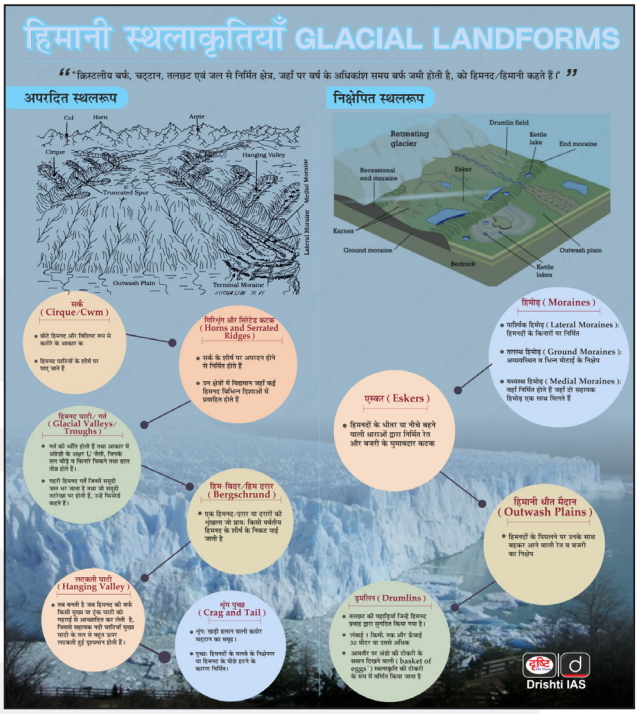

आगे की राह

- यह अध्ययन हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने तथा उन्हें कम करने में पर्माफ्रॉस्ट अनुसंधान की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है।
  - सक्रिय रॉक ग्लेशियरों की जलीय क्षमता पर आगे के अध्ययन के लिये संसाधन आवंटित करना, जल की कमी का सामना करने वाले क्षेत्रों में स्थायी उपयोग के लिये संग्रहीत जल का दोहन करने के तरीकों की खोज करना।
- संभावित आपदाओं के बारे में समुदायों और अधिकारियों को सचेत करने के लिये पहचाने गए सक्रिय रॉक ग्लेशियरों वाले क्षेत्रों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को विकसित एवं कार्यांवित करें।
- ग्लेशियरों से रॉक ग्लेशियरों में संक्रमण से उत्पन्न विशिष्ट चुनौतियों पर विचार करते हुए, पर्माफ्रॉस्ट अध्ययन के निष्कर्षों को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजनाओं में एकीकृत करें।
- पर्माफ्रॉस्ट क्षरण से जुड़े जोखिमों के बारे में स्थानीय समुदायों, योजनाकारों और नीति निर्माताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।

नोट :

कृषि

सतत् कृषि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पश्चिम बंगाल में स्वदेशी बीज महोत्सव ने देशी बीज किस्मों को बचाने और पारंपरिक ज्ञान के आदान-प्रदान के लिये किसानों के उत्कृष्ट प्रयासों को प्रदर्शित किया, जो सतत् कृषि प्रथाओं की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है।

- यह महोत्सव एक्शनएड (ActionAid's) के जलवायु न्याय अभियान का एक हिस्सा है, जो जलवायु परिवर्तन, जैविक खेती और स्वदेशी बीज पहुँच पर किसानों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की सुविधा प्रदान करता है।
- एक्शनएड का फोकस 22 भारतीय राज्यों में जलवायु लचीलेपन और सतत् कृषि पर है। गैर सरकारी संगठनों का लक्ष्य पूरे पश्चिम बंगाल में बीज बैंक स्थापित करना है।

सतत् कृषि क्या है ?

- **परिचय:**
  - सतत् कृषि का तात्पर्य कृषि और खाद्य उत्पादन के लिये एक समग्र दृष्टिकोण से है जिसका उद्देश्य कृषि प्रणालियों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करते हुए तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिये प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करते हुए भोजन एवं फाइबर की वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करना है।
  - इसमें फसल प्रतिरूप, जैविक खेती, सामुदायिक सहायक कृषि आदि जैसी विभिन्न प्रथाओं और सिद्धांतों को शामिल किया गया है, जो पर्यावरणीय प्रबंधन, आर्थिक लाभप्रदता तथा सामाजिक समानता पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

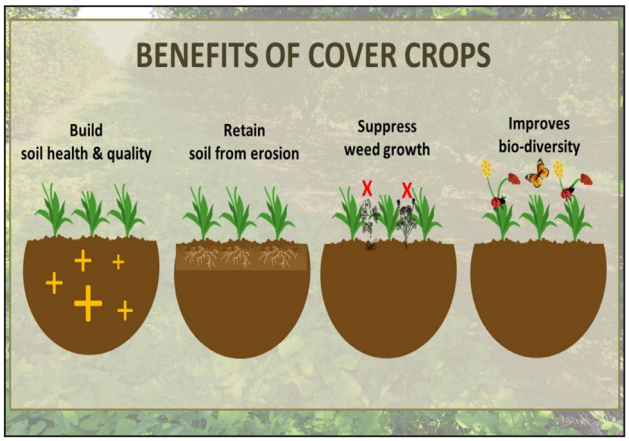

- **लाभ:**
  - पर्यावरण संरक्षण: ऐसी प्रथाएँ जो पारिस्थितिक तंत्र, मृदा, जल और जैवविविधता पर प्रभाव को कम करती हैं। इसमें ऐसी पद्धतियों का प्रयोग करना शामिल है जो मृदा-अपरदन को कम करते हैं, जल का संरक्षण करते हैं और रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के प्रयोग से बचते हैं या कम करते हैं।
    - मृदा की उर्वरता और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिये फसल चक्र, कवर क्रॉपिंग और कृषि-वानिकी जैसी तकनीकों को नियोजित किया जाता है।
  - आर्थिक व्यवहार्यता: यह सुनिश्चित करना कि कृषि पद्धतियाँ किसानों के लिये आर्थिक रूप से व्यवहार्य हों, जिससे वे अपनी आजीविका बनाए रखते हुए उचित आय अर्जित कर सकें।
    - इसमें ऐसी रणनीतियाँ शामिल हैं जो उत्पादकता बढ़ाती हैं, उत्पादन लागत कम करती हैं और स्थायी रूप से उत्पादित वस्तुओं के लिये बाज़ार खोलती हैं।
  - सामाजिक समता: किसानों, उपभोक्ताओं और खाद्य प्रणाली में अन्य हितधारकों के बीच निष्पक्ष एवं न्यायसंगत संबंधों को बढ़ावा देना।
    - इसमें खेतिहर मज़दूरों के लिये उचित वेतन और काम करने की स्थिति सुनिश्चित करना, ग्रामीण समुदायों का समर्थन करना एवं सभी के लिये स्वस्थ व पौष्टिक भोजन तक पहुँच को बढ़ावा देना शामिल है।
  - जलवायु परिवर्तन के प्रति समुत्थानशीलता: ऐसी कृषि प्रणालियों का निर्माण करना जो जलवायु परिवर्तनशीलता और परिवर्तन के प्रति समुत्थानशील हों। सतत् कृषि पद्धतियों का लक्ष्य बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल ढलना, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और समग्र जलवायु समुत्थानशक्ति में योगदान करना है।
  - जैवविविधता संरक्षण: फसलों और पशुओं में विविध पारिस्थितिक तंत्र तथा आनुवंशिक विविधता का समर्थन करना। कीटों, बीमारियों और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति समुत्थानशीलता के लिये जैवविविधता को बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है। इसमें स्थानीय और स्वदेशी फसल किस्मों को संरक्षित करना, साथ ही वन्यजीवों व परागणकों का समर्थन करने वाले विविध परिदृश्यों को बढ़ावा देना शामिल है।

नोट :

भारत में सतत् कृषि की सीमाएँ क्या हैं ?

- उच्च श्रम मांग: सतत् कृषि के लिये प्राय: पारंपरिक कृषि की तुलना में अधिक शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें फसल चक्र, अंतर-फसल, जैविक उर्वरक और कीट प्रबंधन जैसी प्रथाएँ शामिल होती हैं।
  - इससे उत्पादन लागत बढ़ सकती है और किसानों की लाभप्रदता कम हो सकती है।
- समय की खपत: सतत् कृषि के कार्यान्वन में और उपज प्राप्त करने में पारंपरिक कृषि की तुलना में अधिक समय लगता है क्योंकि यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं तथा क्रमिक प्रगति पर निर्भर करती है।
  - यह उन किसानों को हतोत्साहित कर सकता है जिन्हें तत्काल उपज की आवश्यकता होती है तथा उन्हें मौसम, बाज़ार एवं नीति परिवर्तन जैसी अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है।
- सीमित उत्पादन क्षमता: सतत् कृषि भारत में खाद्यान्न की बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकती है क्योंकि विशेषकर अल्पावधि में इसमें पारंपरिक कृषि की तुलना में कम पैदावार होती है ।
  - यह विशेषकर एक बड़े तथा बढ़ती आबादी वाले देश में खाद्य सुरक्षा तथा गरीबी उन्मूलन के लिये एक चुनौती उत्पन्न कर सकता है ।
  - हाल ही में श्रीलंकाई संकट जैविक कृषि की ओर स्थानांतरित करने के प्रयास के कारण उत्पन्न हुआ था।
    - इसके परिणामस्वरूप चावल, जो कि श्रीलंका का प्रमुख आहार है, की औसत पैदावार में लगभग 30% की कमी देखी गई।
- उच्च पूंजी लागत: सतत् कृषि के लिये बुनियादी ढाँचे, उपकरण व इनपुट जैसे सिंचाई प्रणाली, सूक्ष्म सिंचाई उपकरण, जैविक उर्वरक एवं बीज में उच्च निवेश की आवश्यकता हो सकती है।
  - यह उन छोटे तथा सीमांत किसानों के लिये एक बाधा हो सकता है जिनके पास ऋण तथा सब्सिडी तक पहुँच नहीं है।
- भंडारण और विपणन चुनौतियाँ: भारत में सतत् कृषि को भंडारण तथा विपणन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि यह खराब होने वाले तथा विविध उत्पादों का उत्पादन करती है जिनके लिये उचित प्रबंधन एवं पैकेजिंग की आवश्यकता होती है।
  - इससे फसल कटाई के बाद का नुकसान बढ़ सकता है तथा उपज की विपणन क्षमता कम हो सकती है, विशेष रूप से पर्याप्त प्रामाणीकरण एवं लेबलिंग प्रणालियों के अभाव में जो गुणवत्ता व उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती हैं।

सतत् कृषि से संबंधित हालिया सरकारी पहल क्या हैं ?

- सतत् कृषि पर राष्ट्रीय मिशन
- परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)
- कृषि वानिकी पर उप-मिशन (SMAF)
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
- उत्तर पूर्वी क्षेत्र हेतु मिशन जैविक मूल्य शृंखला विकास (MOVCDNER)

आगे की राह

- किसानों को प्रत्यक्ष भुगतान, जैविक आदानों के लिये सब्सिडी और फसल बीमा जैसी स्थायी प्रथाओं को अपनाने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना।
- सतत् कृषि प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं के अनुसंधान तथा विकास में निवेश करना।
- किसानों को टिकाऊ कृषि पर प्रशिक्षण और जानकारी प्रदान करने के लिये कृषि विस्तार सेवाओं को मज़बूत करना।
- बेहतर बुनियादी ढाँचे, विपणन सहायता और उपभोक्ता जागरूकता अभियानों के माध्यम से स्थायी रूप से उत्पादित भोजन के लिये बाज़ार पहुँच में सुधार करना।
- भूमि समेकन कार्यक्रमों के माध्यम से भूमि विखंडन को संबोधित करना और संयुक्त कृषि पहल को बढ़ावा देना।
- पर्यावरण नियमों और उनके कार्यान्वयन को मज़बूत करना।
- भूमि स्वामित्व अधिकार, ऋण और संसाधनों तक पहुँच तथा निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भागीदारी के माध्यम से कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाना।

कश्मीर में केसर उत्पादन में गिरावट

चर्चा में क्यों ?

विश्व के सबसे महँगे मसाले के उत्पादन के लिये प्रसिद्ध कश्मीर में केसर के खेत सीमेंट कारखानों के अतिक्रमण के कारण गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं।

- 11-12 टन के औसत वार्षिक उत्पादन के साथ, ईरान के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा केसर उत्पादक होने के बावजूद, क्षेत्र का केसर व्यवसाय घट रहा है, जिससे स्थानीय किसानों के लिये आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।

केसर उत्पादन में गिरावट के लिये कौन-से कारक योगदान देते हैं ?

- **सीमेंट कारखानों से निकटता:**
  - केसर के खेतों के नज़दीक स्थित सीमेंट कारखाने बड़ी मात्रा में धूल उत्सर्जित करते हैं, जिससे केसर की उपज की गुणवत्ता और मात्रा दोनों को नुकसान पहुँचता है।

नोट :

- पुलवामा में केसर के खेतों में सीमेंट प्रदूषण के कारण पिछले 20 वर्षों में केसर की खेती में 60% की गिरावट देखी गई है।

- **सीमेंट की राख का प्रभाव:**
  - नाइट्रोज़न ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों वाली सीमेंट की राख से नाज़ुक केसर के फूलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
  - बड़ी मात्रा में सीमेंट की राख के परिणामस्वरूप पत्तियों में क्लोरोफिल अवरुद्ध रंध्र (पौधे के ऊतकों में छोटे छिद्र जो गैस विनिमय की अनुमति देते हैं) में कमी आती है, प्रकाश अवशोषण और गैस प्रसार बाधित होता है, जिससे पत्तियाँ जल्दी गिर जाती हैं तथा परिणामस्वरूप विकास रुक जाता है।
    - सीमेंट की राख केसर के रंग के लिये ज़िम्मेदार क्रोसिन सामग्री पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, जिससे कश्मीरी केसर के रंग, औषधीय गुण और कॉस्मेटिक लाभ प्रभावित होते हैं।
- **पर्यावरणीय कारक:**
  - जलवायु परिवर्तन, अप्रत्याशित वर्षा और आवास एवं उद्योगों के लिये भूमि परिवर्तन के कारण केसर का उत्पादन कम हो गया है।
    - जुताई के लिये मशीनों का उपयोग भी केसर की खेती को प्रभावित करता है जो अनुकूल जलवायु पर अत्यधिक निर्भर है।
- **सरकारी हस्तक्षेप की कमी:**
  - किसानों ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए वर्ष 2005 से केसर के खेतों के पास सीमेंट कारखानों की स्थापना का विरोध किया है।
    - विरोध और अपील के बावजूद, अधिकारियों ने केसर की खेती के करीब सीमेंट उद्योगों को संचालित करने की अनुमति दे दी है।
- **बाज़ार की चुनौतियाँ:**
  - केसर किसानों को वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इससे मसाला बाज़ार प्रभावित हो रहा है।
    - किसान कीमतों, मात्रा और गुणवत्ता में गिरावट पर चिंता व्यक्त करते हैं, जिससे उद्योग का भविष्य अंधकारमय हो गया है।

कश्मीरी केसर से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **केसर का उत्पादन तथा कीमत:**
  - केसर का उत्पादन लंबे समय से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित रहा है।
    - भारत में पंपोर क्षेत्र जिसे आमतौर पर कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है, केसर उत्पादन में मुख्य योगदानकर्त्ता है।
  - केसर फूल (क्रोकस सैटिवस L) के वर्तिकाग्र (Stigma) (नर जनन अंग) से निकाले गए केसर मसाले को कश्मीरी में कोंग, उर्दू में ज़ाफरान तथा हिंदी में केसर के रूप में जाना जाता है।
    - कश्मीरी केसर की कीमत बहुत अधिक है जो 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है।
    - एक ग्राम केसर लगभग 160-180 फूलों से प्राप्त होता है जिसके लिये व्यापक श्रम की आवश्यकता होती है।

- **सीज़न:**
  - भारत में केसर कॉर्म (बीज) की खेती जून तथा जुलाई के महीनों के दौरान एवं कुछ क्षेत्रों में अगस्त व सितंबर में की जाती है।
  - इसमें अक्तूबर में फूल आना शुरू हो जाता है।
- **कृषि की परिस्थितियाँ:**
  - ऊँचाई: समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊँचाई केसर की खेती के लिये अनुकूल होती है। इसे 12 घंटे की फोटोपीरियड (सूर्य का प्रकाश) की आवश्यकता होती है।
  - मृदा: इसे अलग-अलग प्रकार की मृदा में उगाया जा सकता है किंतु कैलकेरियस (वह मिट्टी जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट होता है) एवं ह्यूमस युक्त तथा सु-अपवाहित मृदा, जिसका pH 6 और 8 के बीच हो, में केसर का अच्छा उत्पादन होता है।
  - जलवायु: केसर की खेती के लिये एक उपयुक्त गर्मी और सर्दियों वाली जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसमें गर्मियों में तापमान 35 या 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो तथा सर्दियों में लगभग -15 या -20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता हो।

नोट :

- वर्षा: इसके लिये पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है यानी प्रतिवर्ष 1000-1500 मिमी. है।

- **क्रोसिन की मात्रा तथा रंग:**
  - कश्मीरी केसर में 8% क्रोसिन होता है जबकि इसकी अन्य किस्मों में यह 5-6% होता है।
- **कश्मीरी केसर के लाभ:**
  - यह रक्तचाप को कम करने, अरक्तता, माइग्रेन का इलाज करने तथा अनिद्रा में सहायता करने जैसे औषधीय गुणों के लिये जाना जाता है।
  - इसमें सौंदर्य प्रसाधन संबंधी लाभ भी होते हैं जिसके इस्तेमाल से त्वचा की गुणवत्ता बढ़ती है एवं रंजकता व धब्बे कम होते हैं।
  - यह पारंपरिक व्यंजनों का अभिन्न अंग रहा है तथा इसका व्यापक रूप से पेय पदार्थों, मिष्टान्न, डेयरी उत्पादों एवं खाद्य रंगों में उपयोग किया जाता है।
- **मान्यता:**
  - वर्ष 2020 में केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में उगाए जाने वाले केसर को भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication- GI) प्रमाणन प्रदान किया।
  - कश्मीर की केसर विरासत विश्व स्तर पर महत्त्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों (Globally Important Agricultural Heritage systems-GIAHS) में से एक है।
    - GIAHS कृषि पारिस्थितिकी तंत्र हैं जहाँ समुदाय अपने क्षेत्रों के साथ परस्पर संबंध बनाए रखते हैं। कृषि जैवविविधता, पारंपरिक ज्ञान तथा सतत् प्रबंधन द्वारा चिह्नित इन स्थिति-स्थापक क्षेत्रों में किसान, चरवाहे, मछुआरे तथा वन में जीवन व्यतीत कर रहे लोग शामिल होते हैं जो आजीविका व खाद्य सुरक्षा में योगदान करते हैं।
    - संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने अपने GIAHS कार्यक्रम के माध्यम से विश्व भर में 60 से अधिक ऐसे क्षेत्रों को मान्यता प्रदान की है।

केसर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये भारत में पहल

- **राष्ट्रीय केसर मिशन (National Saffron Mission-NSM):**
  - NSM को जम्मू और कश्मीर में केसर की कृषि का समर्थन करने के लिये वर्ष 2010-11 में लॉन्च किया गया था। यह मिशन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) का हिस्सा था और इसका उद्देश्य कश्मीर में रहने वाले लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना था।
- **नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच (NECTAR):**
  - यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय है, जिसने भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में समान गुणवत्ता एवं उच्च मात्रा के साथ केसर के उपज की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिये एक प्रमुख परियोजना का समर्थन किया है।

आगे की राह

- केसर के खेतों पर सीमेंट कारखानों के प्रभाव को कम करने के लिये सख्त पर्यावरण नियमों को पारित कर लागू करने की आवश्यकता है।
  - केसर की खेती वाले क्षेत्रों के आस-पास प्रदूषण में योगदान देने वाले उद्योगों के लिये नियमित निगरानी और जुर्माना सुनिश्चित की जानी चाहिये।
- चिंताओं को दूर करने और स्थायी समाधान खोजने के लिये सरकार तथा केसर उत्पादकों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता है।
- आय के वैकल्पिक स्रोतों की पेशकश करते हुए, केसर किसानों की आजीविका में विविधता लाने की पहल का समर्थन करने की आवश्यकता है।
- केसर की कृषि में अनुसंधान और विकास के लिये धन आवंटित किया जाना चाहिये, पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति केसर के संधारणीय किस्मों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
  - ऐसी तकनीक में निवेश किया जाना चाहिये जो केसर की फसलों पर प्रदूषकों के प्रभाव को कम करे, सतत् विकास सुनिश्चित करे और गुणवत्ता बनाए रखे।

भारत में मसूर उत्पादन

चर्चा में क्यों ?

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार, अधिक क्षेत्रफल के कारण भारत वर्ष 2023-24 फसल वर्ष के दौरान मसूर (Lentil) का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बनने के लिये तैयार है।

- अधिक क्षेत्रफल के कारण वर्ष 2023-24 रबी सीज़न में देश का मसूर उत्पादन 1.6 मिलियन टन के सर्वकालिक उच्च स्तर तक पहुँचने का अनुमान है।

नोट :

- आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, फसल वर्ष 2022-23 में देश का मसूर उत्पादन 1.56 मिलियन टन रहा।

दलहन क्या हैं ?

- **परिचय:**
  - मसूर 'फली (Legume) परिवार' का एक झाड़ीदार वार्षिक शाकाहारी पौधा है।
  - ये खाने योग्य फलियाँ हैं, जो अपने लेंस के आकार के, चपटे टुकड़ों वाले बीजों के लिये जानी जाती हैं।
  - मसूर के पौधे आम तौर पर छोटे होते हैं और उनमें स्व-परागण वाले फूल लगते हैं।
  - मसूर की दाल ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फाइबर, फास्फोरस, लौह, जस्ता, कैरोटीन, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट के उत्कृष्ट स्रोत हैं।
- **जलवायु संबंधी स्थिति:**
  - मसूर मुख्यत: वर्षा आधारित फसल के रूप में उगाई जाती है।
  - इसकी वानस्पतिक वृद्धि के समय ठंडे तापमान और परिपक्वता के समय गर्म तापमान की आवश्यकता होती है।
  - मसूर की खेती रबी मौसम में की जाती है।
- **मृदा प्रकार:**
  - मसूर की दलहन का उत्पादन विभिन्न प्रकार की मृदा में किया जा सकता है जिसमें रेत से लेकर चिकनी दुमट इत्यादि जैसी मृदाएँ शामिल हैं किंतु इसका सबसे अच्छा उत्पादन मध्यम उर्वरता वाली गहरी बलुई दुमट मृदा में होता है।
  - 7 pH मान के आसपास की मृदा इसके लिये सबसे उपयुक्त मानी जाती है। बाढ़ अथवा जलभराव की स्थिति मसूर की फसल को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है।
- **मसूर उत्पादक क्षेत्र:**
  - इसकी कृषि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में की जाती है।
    - उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र मसूर का कटोरा माना जाता है जो देश के कुल मसूर उत्पादन में लगभग 25% का योगदान देता है।
  - खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO) के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व के शीर्ष मसूर उत्पादक कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की तथा रूस थे।
    - मसूर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद भारत वर्तमान में भी अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आयात, मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, सिंगापुर और तुर्की पर निर्भर रहता है।

भारत में दलहन उत्पादन की स्थिति क्या है ?

- भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक (वैश्विक उत्पादन का 25%), उपभोक्ता (विश्व खपत का 27%) तथा आयातक (14%) है।
- खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में दलहन की हिस्सेदारी लगभग 20% है तथा देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में इसका योगदान लगभग 7-10% है।
- चना सबसे प्रमुख दलहन है जिसकी कुल उत्पादन में हिस्सेदारी लगभग 40% है, इसके बाद तुअर/अरहर की हिस्सेदारी 15 से 20% तथा उड़द/ब्लैक मेटपे एवं मूंग दलहन की हिस्सेदारी लगभग 8-10% है।
- हालाँकि दलहन का उत्पादन खरीफ तथा रबी दोनों सीज़न में किया जाता है, रबी सीज़न में उत्पादित दलहन का कुल उत्पादन में 60% से अधिक का योगदान है।
- मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक शीर्ष पाँच दलहन उत्पादक राज्य हैं।

भारत में दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा कौन-सी पहलें की गई हैं ?

- नीतिगत समर्थन: किसानों के लिये उचित मूल्य सुनिश्चित करने की नीति मुख्य रूप से राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India - NAFED) और हाल ही में लघु कृषि कृषक व्यापार संघ (Small Farmers Agri Consortium - SFAC) के माध्यम से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Prices - MSP) प्रदान करके दालों की खरीद पर केंद्रित है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (National Food Security Mission -NFSM) - दलहनदालें।
- अनुसंधान और विविधता विकास में ICAR की भूमिका
- प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) योजना

नोट :

सामाजिक न्याय

गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों को प्राथमिकता

चर्चा में क्यों ?

भारत के प्रधानमंत्री ने चार समूहों: गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के कल्याण को प्राथमिकता देने की अनिवार्यता को रेखांकित किया है।

- यह बल वंचितों के लिये गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत में रेखांकित समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति क्या है ?

गरीब/निर्धन (Poor):

- **बहुआयामी निर्धनता सूचकांक:**
  - भारत की लगभग 230 मिलियन से अधिक आबादी निर्धन है।
  - संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) तथा ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा प्रकाशित 2023 वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार, वर्ष 2005-06 और 2019-21 के दौरान लगभग 415 मिलियन भारतीय, निर्धनता से दूर हुए।
  - UNDP द्वारा परिभाषित, लगभग 18.7% आबादी बहुआयामी निर्धनता के प्रति 'सुभेद्य' की श्रेणी में आती है।
    - यह उन व्यक्तियों को संदर्भित करता है, जिन्हें गरीब के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, लेकिन इन्होने सभी भारित संकेतकों के 20-33.3% में अभाव का अनुभव किया है।
  - भोजन पकाने का ईंधन, आवास और बेहतर पोषण अभाव के प्रमुख क्षेत्र हैं। संबंधित मेट्रिक्स डाटा में क्रमश: 13.9%, 13.6% और 11.8% आबादी को वंचित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

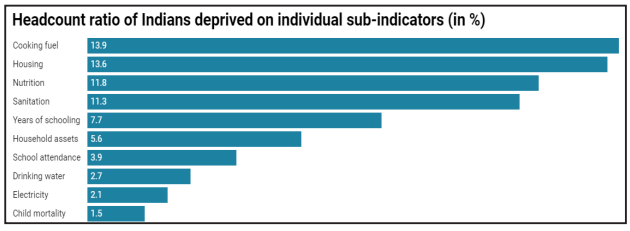

- **बेरोज़गारी:**
  - अक्तूबर 2023 में भारत की बेरोज़गारी दर दो वर्षों में उच्चतम स्तर पर पहुँच गई, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी में वृद्धि दर्ज की गई।
  - राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के सत्र 2022-23 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में 2017-18 की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी में 5.3% से 2.4% और शहरी क्षेत्रों में 7.7% से 5.4% की कमी देखी गई।
  - कुल नियोजित जनसंख्या में स्व-रोज़गार वाले व्यक्तियों का अनुपात वर्ष 2018-19 में 52% से बढ़कर 2022-23 में 57% हो गया।
    - स्व-रोज़गार में विभिन्न गतिविधियाँ शामिल हैं जैसे चाय की दुकान चलाना, कृषि कार्य करना, घरेलू उद्यमों में सहायता करना, चिकित्सा का अभ्यास करना और किसी की आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत अवैतनिक कार्य करना।
    - स्व-रोज़गार स्तर का अधिक होना अन्य विकल्पों की कमी को इंगित करता है, इस प्रकार लोग इन अल्प-भुगतान वाले व्यवसायों से जुड़े रहते हैं।
  - अमूमन प्रति व्यक्ति निम्न आय वाले देशों में स्व-रोज़गार आबादी का अनुपात अधिक होता है।
- **महिलाएँ:**
  - विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 2023 के अनुसार भारत 146 देशों में से 127वें स्थान पर रहा जो वर्ष 2022 की तुलना में 135वें स्थान से 1.4% अंक तथा आठ स्थान का सुधार दर्शाता है।
  - राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau- NCRB) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध 4% बढ़ गए, जिसमें दर्ज किये गए अपराधों की संख्या 4.45 लाख से अधिक थी।
    - अधिकांश अपराध पतियों अथवा नातेदारों द्वारा क्रूरता, अपहरण, हमला एवं बलात्कार से संबंधित थे।
    - 12 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से अधिक दर्ज की गई।
  - महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, महिलाओं के लिये विधान सभाओं एवं लोकसभा में एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के लिये पारित किया गया था।

नोट :

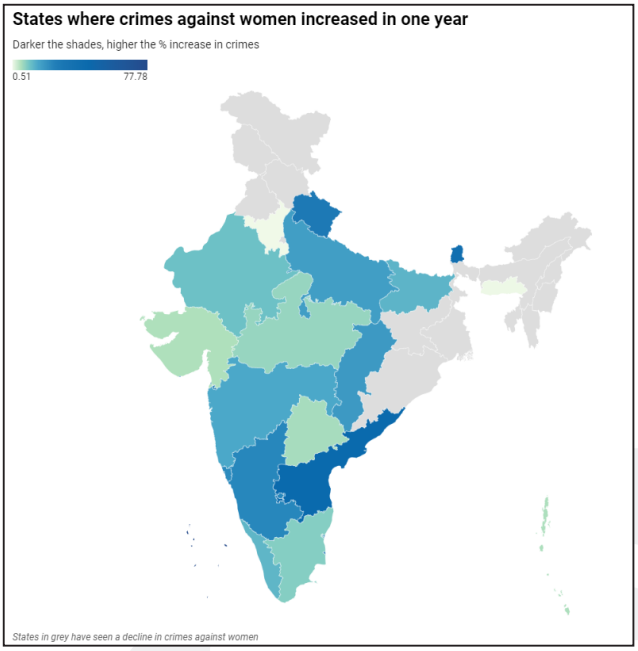

- **कृषक:**
  - अत्यधिक तथा असामयिक वर्षा के कारण किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं, जिससे उनकी आय गंभीर रूप से प्रभावित हुई।
    - दक्षिण-पश्चिम मानसून अनियमित और औसत से कम था, जिससे देश के विभिन्न क्षेत्रों में खरीफ फसल की पैदावार प्रभावित हुई।
    - कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा झारखंड जैसे राज्य सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं।
  - उत्तर भारत में BT कपास की फसल पर पिंक बॉलवर्म कीट के कारण निरंतर होने वाले नुकसान ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है।
  - NCRB के आँकड़ों के अनुसार कृषि से संबंधित लोगों में आत्महत्या से होने वाली मौतों में वृद्धि हुई है।
    - भारत में प्रत्येक घंटे एक किसान ने आत्महत्या की तथा वर्ष 2022 मंख आत्महत्या के 11,290 मामले दर्ज किये गए।
    - खेतिहर मज़दूरों की आत्महत्याएँ किसानों की तुलना में अधिक थीं। आत्महत्या के 53% मामले खेतिहर मज़दूरों के थे।
  - आय के लिये एक औसत कृषक परिवार की निर्भरता फसल उत्पादन के स्थान पर कृषि से मिलने वाली मज़दूरी पर बढ़ती जा रही है।
- **युवा:**
  - विश्व बैंक के अनुसार, वर्ष 2022 में भारत में युवा बेरोज़गारी दर 23.2% थी, जो इसके पड़ोसी देशों पाकिस्तान (11.3%), बांग्लादेश (12.9%) और भूटान (14.4%) से भी अधिक थी।
    - चीन में बेरोज़गारी दर 13.2%, दक्षिण कोरिया में 6.9% और सिंगापुर में 6.1% रही।
    - हालाँकि भारत में युवा बेरोज़गारी दर वर्ष 2021 में 23.9% से कम हो गई है, फिर भी यह 2019 के प्री-कोविड वर्ष में दर्ज 22.9% से अधिक है।

युवा बेरोज़गारी दर का तात्पर्य कार्यबल में उन लोगों से है जिनकी आयु 15 से 24 वर्ष है और उनके पास नौकरी नहीं है, लेकिन वे सक्रिय रूप से नौकरी/रोज़गार की तलाश कर रहे हैं।

स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया, 2023 अध्ययन में पाया गया कि 25 वर्ष से कम आयु के स्नातकों के बीच बेरोज़गारी दर वर्ष 2021-2022 में 42.3% थी, जबकि समग्र बेरोज़गारी दर 8.7% थी।

इन विशिष्ट समूहों को संबोधित करने के उद्देश्य से संबंधित पहल क्या हैं?

- **गरीबों से संबंधित योजनाएँ:**
  - प्रधानमंत्री आवास योजना
  - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005
  - दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)
  - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
  - प्रधानमंत्री जनधन योजना
- **महिलाओं से संबंधित योजनाएँ:**
  - बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
  - उज्ज्वला योजना
  - प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना
  - वन स्टॉप सेंटर
  - कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
  - यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO), 2012
  - नारी शक्ति पुरस्कार
  - महिला पुलिस स्वयंसेवक
  - महिला शक्ति केंद्र (MSK)

नोट :

- **किसानों से संबंधित योजनाएँ:**
  - प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)
  - कृषि अवसंरचना निधि (AIF)
  - किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)
  - परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)
  - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
- **युवाओं से संबंधित योजनाएँ:**
  - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
  - युवा लेखकों को सलाह देने के लिये युवा: प्रधानमंत्री योजना
  - समेकित बाल विकास सेवा (ICDS) योजना
  - राष्ट्रीय युवा नीति- 2014
  - राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
  - राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम योजना

भारतीय जेलों में जाति आधारित भेदभाव

चर्चा में क्यों ?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने हाल ही में एक जनहित याचिका (PIL) पर केंद्र और 11 राज्यों को नोटिस जारी किया, जिसमें कारागारों/जेलों में कैदियों के साथ जाति-आधारित भेदभाव एवं अलगाव का आरोप लगाया गया था तथा राज्य जेल मैनुअल के तहत उन प्रावधानों को निरस्त करने के निर्देश देने की मांग की गई थी जो इस तरह की प्रथाओं को अनिवार्य करते हैं।

PIL में उजागर किये गए जाति आधारित भेदभाव के कौन-से उदाहरण हैं ?

- **भेदभाव के उदाहरण:**
  - जनहित याचिका मध्य प्रदेश, दिल्ली और तमिलनाडु की जेलों के उदाहरणों को उजागर करती है, जहाँ खाना पकाने का काम प्रमुख जातियों को आवंटित किया जाता है, जबकि "विशिष्ट निचली जातियों" को झाड़ू लगाने और शौचालयों की सफाई जैसे छोटे काम सौंपे जाते हैं।
    - भारत में जेल प्रणाली पर भेदभावपूर्ण प्रथाओं को कायम रखने का आरोप है, जिसमें जाति पदानुक्रम के आधार पर श्रम का विभाजन और बैरकों का जाति-आधारित अलगाव शामिल है।
  - जाति-आधारित श्रम वितरण को औपनिवेशिक भारत का निशान/अवशेष माना जाता है और इसे अपमानजनक एवं कष्टकर माना जाता है, जो कैदियों के सम्मान के साथ जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है।
- **राज्य जेल मैनुअल मंज़ूरी:**
  - याचिका में दावा किया गया है कि विभिन्न राज्यों में जेल मैनुअल, जेल प्रणाली के भीतर जाति-आधारित भेदभाव और जबरन श्रम को मंज़ूरी देते हैं।
    - राजस्थान कारागार नियम, 1951:
  - इस नियम के तहत जाति के आधार पर मेहतरों को शौचालयों और ब्राह्मणों को रसोईयों की ज़िम्मेदारी सौंपी गई।
    - तमिलनाडु में पलायमकोट्टई सेंट्रल जेल:
  - याचिका में तमिलनाडु के पलायमकोट्टई सेंट्रल जेल में कैदियों के जाति-आधारित अलगाव को उजागर किया गया है, जो थेवर, नादर और पल्लार को अलग-अलग वर्गों में विभाजित करने का संकेत देते हैं।
    - पश्चिम बंगाल जेल कोड:
  - मेथर या हरि जाति, चांडाल और अन्य जातियों के कैदियों को झाड़ू-पोंछा लगाने जैसे छोटे-मोटे काम सौंपने के मामले।
  - मॉडल जेल मैनुअल दिशानिर्देश, 2003:
  - याचिका में वर्ष 2003 के मॉडल जेल मैनुअल का हवाला दिया गया है, जिसमें सुरक्षा, अनुशासन और संस्थागत कार्यक्रमों के आधार पर वर्गीकरण के लिये दिशानिर्देशों पर ज़ोर दिया गया है।
    - यह सामाजिक-आर्थिक स्थिति, जाति या वर्ग के आधार पर किसी भी वर्गीकरण के खिलाफ तर्क देता है।
- **मौलिक अधिकार:**
  - याचिका में कैदियों के मौलिक अधिकारों पर सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1978) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए तर्क दिया गया है कि केवल कैदी होने से कोई व्यक्ति मौलिक अधिकार या समानता कोड नहीं खो देता है।
- **भेदभावपूर्ण प्रावधानों को निरस्त करने का आह्वान:**
  - याचिका में कैदियों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और जेल प्रणाली के भीतर समानता का समर्थन करते हुए, राज्य जेल मैनुअल में भेदभावपूर्ण प्रावधानों को निरस्त करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

जेलों में जातिगत भेदभाव पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या हैं ?

- भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने पाया कि 10 से अधिक राज्य जेल मैनुअल जाति-आधारित भेदभाव और जबरन श्रम का समर्थन करते हैं।

नोट :

- राज्यों में उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब और तमिलनाडु शामिल हैं।

- जाति-आधारित भेदभाव, अलगाव और जेलों के अंदर विमुक्त जनजातियों के साथ "आदतन अपराधियों (habitual offenders)" के रूप में व्यवहार को SC द्वारा "बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दा" माना जाता है।
  - SC ने कथित भेदभावपूर्ण प्रथाओं के त्वरित और व्यापक समाधान की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
- SC ने नोटिस भेजकर याचिका पर राज्यों और केंद्र से चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा।

कानून भारतीय जेलों के अंदर जातिगत भेदभाव की अनुमति कैसे देते हैं?

- **औपनिवेशिक नीतियों की विरासत:**
  - औपनिवेशिक विरासत में निहित भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली मुख्य रूप से सुधार या पुनर्वास के बजाय सज़ा पर ध्यान केंद्रित करती है।
  - लगभग 130 वर्ष पुराना 'जेल अधिनियम,1894', कानूनी ढाँचे की पुरानी प्रकृति को रेखांकित करता है।
    - इस अधिनियम में कैदियों के सुधार और पुनर्वास के लिये प्रावधानों का अभाव है।
  - मौजूदा कानूनों में कमियों को पहचानते हुए, गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs-MHA) ने 'जेल अधिनियम, 1894', 'कैदी अधिनियम, 1900' और 'कैदी स्थानांतरण अधिनियम, 1950' की समीक्षा की।
    - इस समीक्षा से प्रासंगिक प्रावधानों को भविष्योन्मुखी 'आदर्श कारागार अधिनियम, 2023' में शामिल किया गया।
    - आदर्श कारागार अधिनियम, 2023 के प्रभावी कार्यान्वयन, जिसे मई 2023 में गृह मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया गया था, से जेल की स्थितियों और प्रशासन में सुधार एवं कैदियों के मानवाधिकारों तथा गरिमा की रक्षा की उम्मीद है।
- **जेल नियमावली:**
  - राज्य-स्तरीय जेल मैनुअल, आधुनिक जेल प्रणाली की स्थापना के बाद से काफी हद तक अपरिवर्तित, औपनिवेशिक और जातिगत दोनों मानसिकताओं को दर्शाते हैं।
  - मौजूदा जेल मैनुअल जाति व्यवस्था के केंद्रीय आधार को लागू करते हैं, जिसमें शुद्धता और अशुद्धता की धारणा पर ज़ोर दिया जाता है।
    - राज्य जेल मैनुअल में कहा गया है कि सफाई और झाड़ू लगाने जैसे कर्त्तव्यों को विशिष्ट जातियों के सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिये, जिससे जाति-आधारित भेदभाव कायम रहता है।
    - जेल मैनुअल, जैसे कि पश्चिम बंगाल में धारा 741 के तहत, सभी कैदियों के लिये भोजन पकाने और ले जाने पर "सवर्ण हिंदुओं" के एकाधिकार की रक्षा करते हैं।
  - छुआछूत के खिलाफ संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के बावजूद, जेल प्रशासन में जाति-आधारित नियम कायम हैं।
- **मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013:**
  - 2013 के अधिनियम में मैनुअल स्कैवेंजर्स की प्रथा पर प्रतिबंध के बावजूद, यह स्पष्ट रूप से जेल प्रशासन को शामिल नहीं करता है; इस प्रकार, जेल मैनुअल जो जेलों में जातिगत भेदभाव और मैला ढोने की अनुमति देता है, अधिनियम का उल्लंघन नहीं हैं।
    - मैनुअल स्कैवेंजिंग से आशय शुष्क शौचालयों, खुली नालियों और सीवरों से मानव मल और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को मैन्युअल रूप से साफ करने, संभालने और निपटाने की प्रथा से है।

आगे की राह

- राज्यों को वर्ष 2015 में नेल्सन मंडेला नियमों के आधार पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी मॉडल जेल मैनुअल, 2016 को अपनाना चाहिये।
  - संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2015 में नेल्सन मंडेला नियमों को अपनाया, जिसमें सभी कैदियों के लिये सम्मान एवं गैर-भेदभाव पर बल दिया गया।
- न्यायालयों को भेदभावपूर्ण प्रावधानों को समाप्त करने, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा जेल प्रणाली में समानता को बढ़ावा देने के लिये न्यायिक हस्तक्षेप पर विचार करना चाहिये।
- सुधारों के कार्यान्वयन पर नज़र रखने के लिये प्रभावी ट्रैकिंग उपकरण प्रदान करना साथ ही बेहतर न्यायपूर्ण जेल प्रणाली के निर्माण के लिये अधिकारियों को ज़िम्मेदार बनाया है।

नोट :

पश्चिम बंगाल में बाल विवाह में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

भारत में बाल विवाह पर हाल ही में किये गए लैंसेट अध्ययन में देश भर में बाल विवाह में समग्र कमी पर प्रकाश डाला गया। हालाँकि इसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया कि कुछ राज्यों, विशेष रूप से बिहार (16.7%), पश्चिम बंगाल (15.2%), उत्तर प्रदेश (12.5%) और महाराष्ट्र (8.2%) ने सामूहिक रूप से लड़कियों में बाल विवाह के कुल बोझ में आधे से अधिक का योगदान दिया।

- बाल विवाह पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल में कई नीतिगत हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के बावजूद, इस क्षेत्र में बाल विवाह की घटनाओं में 32.3% की पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। यह वृद्धि 5,00,000 से अधिक अतिरिक्त लड़कियों की बचपन में ही शादी के अनुरूप है।

नोट:

- **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21):**
  - राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 इंगित करता है कि 18 वर्ष से पहले शादी करने वाली 20-24 वर्ष की महिलाओं की व्यापकता पश्चिम बंगाल में 41.6% के उच्च स्तर पर बनी हुई है, जबकि राष्ट्रीय आँकड़ा 23.3% है।

क्या पश्चिम बंगाल में नीतिगत हस्तक्षेप से बाल विवाह पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगा है ?

- **पश्चिम बंगाल में बाल विवाह रोकने के लिये नीतिगत हस्तक्षेप:**
  - कन्याश्री प्रकल्प योजना:
    - वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया, कन्याश्री प्रकल्प 13 से 18 वर्ष की किशोर लड़कियों की स्कूली शिक्षा को प्रोत्साहित करता है और साथ ही बाल विवाह को हतोत्साहित करता है। वर्ष 2023-24 के पश्चिम बंगाल बजट के अनुसार, इस योजना में 81 लाख लड़कियों को शामिल किया गया है।
  - इस योजना को वर्ष 2017 में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली।
    - जबकि राज्य में लड़कियों का स्कूल नामांकन बढ़ा है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आँकड़ों और लैंसेट अध्ययन के आधार पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या योजना ने बाल विवाह को रोकने के अपने वादे को हासिल किया है।
  - रूपश्री प्रकल्प:
    - कन्याश्री के अलावा, राज्य सरकार रूपश्री प्रकल्प चलाती है, जो लड़कियों की शादी के लिये नकद प्रोत्साहन प्रदान करती है।
  - कुछ परिवार दोनों योजनाओं से लाभ उठाते हैं, स्कूल योजना का लाभ उठाने के तुरंत बाद विवाह का आयोजन करते हैं।
- **शैक्षिक प्रगति और बाल विवाह दरें:**
  - पिछले कुछ वर्षों में स्कूलों में लड़कियों के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, फिर भी पश्चिम बंगाल में बाल विवाह की घटनाएँ अधिक बनी हुई हैं।
    - वर्ष 2020-21 के लिये उच्च शिक्षा के अखिल भारतीय सर्वेक्षण में पश्चिम बंगाल में लड़कियों के नामांकन की अनुमानित संख्या 9.29 लाख बताई गई है, जो लड़कों के नामांकन से अधिक है जो 8.63 लाख थी।
  - NFHS-5 के अनुसार, 88% से अधिक साक्षरता दर वाले पूर्व मेदिनीपुर ज़िले में बाल विवाह की सबसे अधिक घटनाएँ 57.6% से अधिक हैं।
  - विशेषज्ञों ने कहा कि पश्चिम बंगाल में प्रवासन से बाल विवाह को बढ़ावा मिलता है क्योंकि सामाजिक मानदंडों और आर्थिक कारकों के कारण परिवार अविवाहित बेटियों को छोड़ने से डरते हैं।
    - यह एक ऐसे चक्र को कायम रखता है जहाँ सांस्कृतिक अपेक्षाएँ पुरुषों के काम करने के दौरान पत्नियों द्वारा बच्चे पैदा करने के लिये जल्दी विवाह को प्राथमिकता देती हैं।
- **कानून कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:**
  - सामाजिक मुद्दों के अलावा, कानून कार्यान्वयन में चुनौतियाँ बाल विवाह के बने रहने में योगदान करती हैं।
    - पश्चिम बंगाल में बाल विवाह निषेध अधिनियम (The Prohibition of Child Marriage Act - PCMA), 2006 के तहत वर्ष 2021 में 105 मामले चिंताजनक स्थिति उत्पन्न करते हैं। क्योंकि तुलनात्मक रूप से, कम आबादी वाले राज्यों में अधिक मामले दर्ज किये गए।
  - मंत्रालय ने बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया, जिसमें महिलाओं के लिये विवाह की आयु बढ़ाकर 21 करने का प्रस्ताव है, जो वर्तमान में संसदीय समीक्षा के अधीन है।
    - डेटा कानून प्रवर्तन में कमियों को दर्शाता है और व्यापक रणनीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

नोट :

बाल विवाह के प्रभाव क्या हैं ?

- **बचपन खत्म होना:**
  - बाल विवाह एक वैश्विक समस्या है तथा गरीबी के कारण यह और भी जटिल हो गई है। यह किसी लड़के/लड़की का बचपन अचानक समाप्त कर देता है, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होने से पहले ही वयस्कता में धकेल देता है।
    - घरवालों की सहमति से हुए विवाहों में अक्सर लड़कियाँ काफी उम्रदराज पुरुषों से शादी करती हैं, जिससे उनके सामने आने वाली चुनौतियाँ और बढ़ जाती हैं।
    - कम उम्र में शादी करने से लड़कियों के स्कूल में बने रहने की संभावना काफी कम हो जाती है, जिससे आजीवन आर्थिक प्रभाव पड़ता है।
    - बाल विवाह के कारण बचपन में दूल्हे को स्कूल छोड़ना पड़ता है और वे अक्सर अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिये कम वेतन वाली नौकरियों में संलिप्त हो जाते हैं।
    - बाल दुल्हन और दूल्हे अक्सर अलगाव का अनुभव करते हैं तथा उनकी स्वतंत्रता कम हो जाती है, जिससे उनकी सामाजिक वार्ता एवं व्यक्तिगत स्वायत्तता सीमित हो जाती है।
- **मानवाधिकार का उल्लंघन:**
  - बाल विवाह को मानवाधिकारों का उल्लंघन और यौन तथा लिंग आधारित हिंसा का एक स्वीकृत रूप माना जाता है; बाल विवाह का नकारात्मक प्रभाव राज्य में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर दिखाई देता है।
  - बाल वधुओं को अक्सर उनके मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और सक्रिय भागीदारी के अवसर शामिल हैं।
  - संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (United Nations Children's Fund - UNICEF) बाल विवाह को लड़कियों और लड़कों दोनों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में वर्गीकृत करता है।
    - प्रत्येक वर्ष, लगभग 12 मिलियन से अधिक लड़कियों की विवाह 18 वर्ष की उम्र से पूर्व हो जाएगी और उनमें से, 4 मिलियन 15 वर्ष से कम उम्र की हैं।
    - सेव द चिल्ड्रेन की ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट का अनुमान है कि वर्ष 2020 और वर्ष 2025 के दौरान वैश्विक स्तर पर अतिरिक्त 2.5 मिलियन लड़कियों को बाल विवाह का खतरा है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण सभी प्रकार की लिंग-आधारित हिंसा में वृद्धि दर्ज की गई है।
- **मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य निहितार्थ:**
  - बाल विवाह का प्रतिकूल प्रभाव मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तक पर पड़ता है।
    - बाल वधुएँ प्राय: किशोरावस्था के दौरान गर्भवती हो जाती हैं, जिससे गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त यह प्रथा लड़कियों को परिवार और मित्रों से अलग कर देती है, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भारी असर पड़ सकता है।
  - बाल वधुओं में भी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV) होने की आशंका अधिक होती है।

बाल विवाह से निपटने के लिये क्या पहल हैं ?

- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (PCMA)
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012
- CHILDLINE

आगे की राह

- विधायी उपायों के माध्यम से बाल विवाह उन्मूलन को प्राथमिकता देने के लिये राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर राजनीतिक इच्छाशक्ति का समन्वय आवश्यक है।
  - पंचायतों, स्कूलों और स्थानीय समुदायों सहित सभी हितधारकों को शामिल करते हुए सामाजिक अभियान चलाए जाएँ क्योंकि मौजूदा कानूनों को लागू करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति के बिना ज़मीनी स्तर पर स्थिति में उतनी तेज़ी से सुधार संभव नहीं होगा जितना देश के अन्य हिस्सों में हुआ है।
- PCMA 2006 के तहत बाल विवाह मामलों पर नियमित रूप से अद्यतन तथा विस्तृत जानकारी प्रदान कर रिपोर्टिंग व पारदर्शिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
  - प्रवर्तन में सुधार के लिये खामियों तथा आवश्यक क्षेत्रों की पहचान करने के लिये PCMA 2006 की व्यापक समीक्षा की सुविधा प्रदान करना।
- संसदीय स्थायी समिति द्वारा बाल-विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 को शीघ्र मंज़ूरी देने का समर्थन करना।
  - यह विधेयक महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिये PCMA 2006 में संशोधन करता है। इसके अतिरिक्त यह विधेयक किसी भी अन्य कानून, प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान करता है।
- स्वायत्तता तथा निर्णय लेने के लिये लड़कियों को जागरूकता, कौशल एवं समर्थन व्यवस्था के साथ सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

नोट :

WEF:वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum - WEF) ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 जारी की है, जो तीव्र तकनीकी विकास, आर्थिक अनिश्चितता, ग्लोबल वार्मिंग और गंभीर वैश्विक जोखिमों के विरुद्ध आगामी दशकों में मानव के सामने आने वाले भविष्य के गंभीर खतरों पर प्रकाश डालती है।

- **यह रिपोर्ट लगभग 1,500 विशेषज्ञों, उद्योग जगत के नेताओं और नीति निर्माताओं के सर्वेक्षण पर आधारित है।**

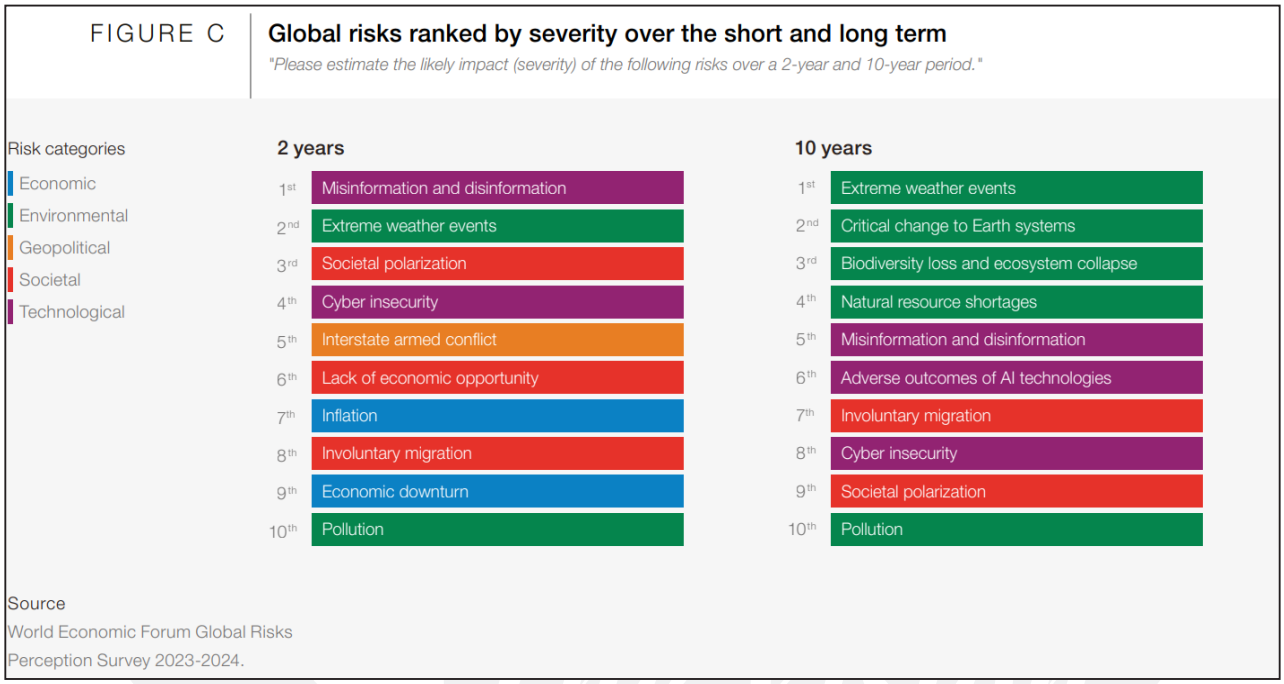

वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ?

- **वैश्विक परिदृश्य में नकारात्मक परिवर्तन:**
  - वर्ष 2023 में संघर्ष, चरम मौसमी घटनाएँ और सामाजिक असंतोष सहित विभिन्न वैश्विक घटनाओं ने मुख्य रूप से नकारात्मक दृष्टिकोण में योगदान दिया है।
- **AI संचालित गलत सूचना और दुष्प्रचार:**
  - गलत सूचना और दुष्प्रचार को अगले दो वर्षों में सबसे गंभीर जोखिमों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे प्रौद्योगिकी में तेज़ी से प्रगति नई समस्याएँ पैदा कर रही है या मौजूदा समस्याओं को बदतर बना रही है।
  - यह चिंताजनक है कि ChatGPT जैसे जनरेटिव AI चैटबॉट्स के विकास से तात्पर्य है कि विशेष प्रतिभा वाले लोग अब जटिल सिंथेटिक सामग्री नहीं बना पाएँगे जिनका उपयोग लोगों के समूहों को नियंत्रित करने के लिये किया जा सकता है।
  - AI-संचालित गलत सूचना और दुष्प्रचार एक जोखिम के रूप में उभर रहा है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, भारत, मैक्सिको तथा पाकिस्तान जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं सहित कई देशों में अरबों लोग वर्ष 2024 एवं उसके बाद के चुनावों में भाग लेने के लिये तैयार हैं।
- **वैश्विक जोखिमों को आकार देने वाली संरचनात्मक शक्तियाँ:**
  - अगले दशक में वैश्विक जोखिमों को आकार देने वाली चार संरचनात्मक शक्तियाँ हैं: जलवायु परिवर्तन, जनसांख्यिकीय विभाजन, त्वरित प्रौद्योगिकीय और भू-रणनीतिक बदलाव।
  - ये शक्तियाँ वैश्विक परिदृश्य में दीर्घकालिक परिवर्तनों का संकेत देती हैं, और उनकी अंत:क्रियाएँ अनिश्चितता और अस्थिरता में योगदान देंगी।
- **पर्यावरणीय जोखिम की प्रमुखता:**
  - पर्यावरणीय जोखिम, विशेष रूप से चरम मौसम, सभी समय-सीमाओं में जोखिम परिदृश्य पर हावी रहते हैं।

नोट :

- संभावित अपरिवर्तनीय परिणामों के साथ, जलवायु परिवर्तन, जैवविविधता हानि और पृथ्वी प्रणालियों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में चिंताएँ स्पष्ट हैं।

- **आर्थिक तनाव और असमानता:**
  - जीवनयापन की लागत का संकट, मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी जैसे आर्थिक जोखिम 2024 के लिये चिंताजनक हैं।
  - आर्थिक अनिश्चितता निम्न और मध्यम आय वाले देशों को असंगत रूप से प्रभावित करेगी, जिससे संभावित डिजिटल अलगाव और बिगड़ते सामाजिक तथा पर्यावरणीय प्रभाव होंगे।
- **सुरक्षा जोखिम और तकनीकी प्रगति:**
  - अगले दो वर्षों में अंतर्राज्यीय सशस्त्र संघर्ष को शीर्ष जोखिम रैंकिंग में एक नए प्रवेशकर्त्ता के रूप में पहचाना गया है।
  - तकनीकी प्रगति, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता में, सुरक्षा जोखिम पैदा करती है क्योंकि वे गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं को विघटनकारी उपकरणों तक पहुँचने में सक्षम बनाती हैं, जिससे संभावित रूप से संघर्ष और अपराध में वृद्धि होती है।
- **भू-राजनीतिक बदलाव तथा शासन चुनौतियाँ:**
  - वैश्विक शक्तियों के बीच विद्यमान व्यापक अंतराल, विशेष रूप से ग्लोबल नॉर्थ तथा साउथ के बीच, अंतर्राष्ट्रीय शासन में चुनौतियों का कारण बन सकता है।
  - ग्लोबल साउथ में देशों का बढ़ता प्रभाव तथा भू-राजनीतिक तनाव सुरक्षा गतिशीलता को नया आकार दे सकता है एवं वैश्विक जोखिमों को प्रभावित कर सकता है।

संबंधित अनुसंशाएँ क्या हैं ?

- निवेश एवं विनियमन का लाभ उठाने वाली स्थानीयकृत रणनीतियाँ अपरिहार्य जोखिमों के प्रभाव को कम कर सकती हैं तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र इन लाभों को सभी तक पहुँचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- भविष्य को प्राथमिकता देने तथा अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों के माध्यम से विकसित एकल सफल प्रयास विश्व को एक सुरक्षित स्थान बनाने में मदद कर सकते हैं।
- नागरिकों, कंपनियों तथा देशों के वैयक्तिक प्रयास भले ही बहुत अधिक प्रभावशाली प्रतीत न हों किंतु वैश्विक जोखिम में कमी लाने में वे पर्याप्त प्रभाव डाल सकते हैं।
- विश्व में बढ़ते विखंडन के बावजूद मानव सुरक्षा तथा विकास के लिये निर्णायक जोखिमों को कम करने के लिये बड़े पैमाने पर सीमा पार सहयोग वर्तमान में भी आवश्यक है।

वैश्विक जोखिम क्या है ?

- वैश्विक जोखिम को किसी घटना अथवा स्थिति के घटित होने की संभावना के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके घटित होने पर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद, जनसंख्या अथवा प्राकृतिक संसाधनों के एक महत्त्वपूर्ण अनुपात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- वैश्विक जोखिम रिपोर्ट स्विट्ज़रलैंड के दावोस में फोरम की आगामी वार्षिक बैठक आयोजित होने से पूर्व विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक अध्ययन है।

विश्व आर्थिक मंच क्या है ?

- **परिचय:**
  - वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) एक स्विस गैर-लाभकारी संस्थान है जिसकी स्थापना वर्ष 1971 में जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में हुई थी।
  - स्विस सरकार द्वारा इसे सार्वजनिक-निजी सहयोग के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- **मिशन:**
  - WEF वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग जगत की परियोजनाओं को आकार देने हेतु व्यापार, राजनीतिक, शिक्षा क्षेत्र तथा समाज के अन्य प्रतिनिधियों को शामिल करके विश्व की स्थिति में सुधार के लिये प्रतिबद्ध है।
- संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष: क्लॉस श्वाब (Klaus Schwab)।
- WEF द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्टों में से कुछ निम्नलिखित हैं:
  - ऊर्जा संक्रमण सूचकांक (Energy Transition Index- ETI)
  - वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता रिपोर्ट (Global Competitiveness Report)
  - वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट (Global IT Report)
    - WEF द्वारा INSEAD और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है।
  - ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट।
  - वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट (Global Travel and Tourism Report)।

नोट :

नीतिशास्त्र

मनोविश्लेषण का सरलीकरण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि संसद उल्लंघन की घटना में आरोपी छह व्यक्तियों को उनके उद्देश्यों को समझने के लिये मनोविश्लेषण (Psychoanalysis) प्रक्रिया से गुज़रना पड़ा।

मनोविश्लेषण क्या है ?

- परिचय: मनोविश्लेषण सिद्धांतों तथा चिकित्सीय तकनीकों का एक समूह है जिसकी सहायता से मानसिक विकारों का इलाज किया जाता है।
  - इसका उद्देश्य मनोवैज्ञानिक अनुभव के अचेतन तथा सचेत तत्त्वों के बीच संबंधों की जाँच कर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का इलाज करना है।
  - इसकी शुरुआत 19वीं सदी के अंत तथा 20वीं सदी की शुरुआत में विनीज़ मनोचिकित्सक सिगमंड फ्रायड (Sigmund Freud) ने की थी।
- **मनोविश्लेषण से संबंधित मुख्य पहलू:**
  - अचेतन मन: फ्रायड ने प्रस्तावित किया कि मानव व्यवहार का अधिकांश हिस्सा अचेतन इच्छाओं, भय, स्मृति तथा संघर्षों से प्रभावित होता है जो अमूमन बचपन के शुरुआती अनुभवों से उत्पन्न होते हैं।
    - मनोविश्लेषण के माध्यम से अचेतन मन की जाँच की जाती है तथा पता लगाया जाता है कि यह कैसे विचारों, व्यवहारों, भावनाओं एवं व्यक्तित्व को आकार देता है।
  - इड, ईगो, सुपरईगो: फ्रायड ने मन का एक संरचनात्मक मॉडल पेश किया जिसमें इड/Id (प्रवृत्ति तथा आनंद से जनित), अहम्/Ego (id व वास्तविकता के बीच मध्यस्थ) तथा सुपरईगो (सामाजिक मानदंडों व मूल्यों को आंतरिक बनाता है) शामिल है।
    - यह मॉडल मानसिक समस्याओं को समझने में सहायता करता है।
  - मनोविश्लेषणात्मक थेरेपी: इसमें रोगी तथा चिकित्सक के बीच मौखिक वार्ता शामिल होती है, जिसका उद्देश्य अचेतन संघर्षों को जानना तथा किसी की भावनाओं एवं व्यवहारों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना है।

मनोविश्लेषण में शामिल नैतिक पहलू क्या हैं ?

- सूचित सहमति: उपचार शुरू करने से पहले रोगी को मनोविश्लेषण की प्रकृति, इसके संभावित लाभों, जोखिमों और विकल्पों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिये।
  - यह महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रक्रिया में अक्सर व्यक्तिगत और संवेदनशील विषयों पर चर्चा शामिल होती है।
  - इसके अलावा सूचित सहमति प्राप्त करना अनुच्छेद 21 के संभावित उल्लंघनों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है, जैसा कि सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य मामले (2010) में उजागर किया गया है।
- गोपनीयता: चिकित्सा में रोगी की गोपनीयता बनाए रखना सर्वोपरि है। हालाँकि कुछ स्थितियों में, चिकित्सकों को नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि जब कोई मरीज़ खुद के लिये या दूसरों के लिये खतरा पैदा करता है।
  - चेतावनी देने या सुरक्षा करने के कर्त्तव्य के साथ गोपनीयता को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- स्थानांतरण और प्रतिसंक्रमण: पिछले अनुभवों या अनसुलझे मुद्दों के कारण रोगी और चिकित्सक दोनों एक-दूसरे के प्रति तीव्र भावनाओं या प्रतिक्रियाओं का अनुभव कर सकते हैं।
  - इन भावनाओं को नैतिक रूप से प्रबंधित करना।
- सांस्कृतिक संवेदनशीलता: यह सुनिश्चित करने के लिये कि वे उचित देखभाल प्रदान करें और विविध दृष्टिकोणों का सम्मान करें, चिकित्सकों को सांस्कृतिक रूप से सक्षम तथा अपने पूर्वाग्रहों के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है।

मनोविश्लेषण आपराधिक पुनर्वास में कैसे मदद कर सकता है ?

- सहानुभूति विकसित करना: मनोविश्लेषण व्यक्तियों को दूसरों पर उनके कार्यों के प्रभाव को समझने में मदद करके सहानुभूति को बढ़ावा दे सकता है।
  - आत्म-चिंतन और चिकित्सा में प्राप्त अंतर्दृष्टि के माध्यम से, अपराधी अपने व्यवहार के परिणामों की अधिक समझ विकसित कर सकते हैं, जिससे सहानुभूति बढ़ सकती है।
- आवेग नियंत्रण: हिंसक या आवेगी व्यवहार के इतिहास वाले व्यक्तियों के लिये, मनोविश्लेषण इन प्रवृत्तियों को समझने और प्रबंधित करने में सहायता कर सकता है।
  - गहरी भावनाओं और अनसुलझे संघर्षों की खोज करके, व्यक्ति अपनी भावनाओं तथा आवेगों को बेहतर ढंग से नियंत्रित करना सीख सकते हैं, जिससे दोबारा अपराध करने की संभावना कम हो जाती है।
- पुनरावृत्ति को रोकना: मूल प्रेरणाओं को संबोधित करके, व्यक्ति विनाशकारी पैटर्न से मुक्त होने और सार्थक तरीके से समाज में पुन: एकीकृत होने के लिये बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं।

नोट :

भारतीय समाज

अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने वेश्याओं की सेवाएँ चाहने वाले ग्राहकों को शामिल करने के लिये अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 5 में 'खरीद' शब्द की परिभाषा को विस्तृत किया है।

अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 क्या है ?

- **परिचय:**
  - अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम,1956 {Immoral Traffic (Prevention) Act (ITP), 1956} का उद्देश्य बुराइयों के व्यावसायीकरण और महिलाओं की तस्करी को रोकना है।
  - यह यौन कार्य के आसपास के कानूनी ढाँचे को चित्रित करता है। हालाँकि यह अधिनियम स्वयं यौन कार्य को अवैध घोषित नहीं करता है, लेकिन यह वेश्यालय चलाने पर रोक लगाता है। वेश्यावृत्ति में संलग्न होना कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, लेकिन लोगों को लुभाना और उन्हें यौन गतिविधियों में शामिल करना अवैध माना जाता है।
- **वेश्यालय की परिभाषा:**
  - धारा 2 वेश्यालय को किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिये या दो या दो से अधिक वेश्याओं के पारस्परिक लाभ के लिये यौन शोषण या दुर्व्यवहार के लिये उपयोग की जाने वाली जगह के रूप में परिभाषित करती है।
- **वेश्यावृत्ति की परिभाषा:**
  - अधिनियम के अनुसार, वेश्यावृत्ति, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये व्यक्तियों (पुरुष और महिलाएँ) का यौन शोषण या दुरुपयोग है।
- **अधिनियम के तहत अपराध:**
  - अधिनियम की धारा 5 उन लोगों को दंडित करती है जो वेश्यावृत्ति के उद्देश्यों के लिये व्यक्तियों को खरीदते हैं, प्रेरित करते हैं या ले जाते हैं,उन पर सज़ा के रूप में 3-7 साल की कठोर कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना शामिल है।
    - किसी व्यक्ति या बच्चे (child) की इच्छा के विरुद्ध अपराध के लिये अधिकतम सज़ा चौदह वर्ष या आजीवन कारावास तक हो सकती है।
  - बच्चे का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी न की हो।

केरल उच्च न्यायालय ने क्या सुनाया फैसला ?

- **वर्तमान मामला:**
  - याचिकाकर्त्ता को वेश्यालय में ग्राहक होने के कारण गिरफ्तार किया गया था।
  - ITP अधिनियम की धारा 3 (वेश्यालय रखना या परिसर को एक के रूप में उपयोग करने की अनुमति देना), 4 (वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीवन जीना), 5 (वेश्यावृत्ति के लिये व्यक्तियों को प्राप्त करना, उत्प्रेरित करना या ले जाना), 7 (सार्वजनिक स्थानों पर या उसके आसपास वेश्यावृत्ति को दंडित करना) के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया।
    - आरोपी ने रिहाई की मांग करते हुए एक याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि एक ग्राहक के रूप में, उसे ITP अधिनियम के तहत नहीं फँसाया जाना चाहिये।
- **फैसला:**
  - केरल उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए कि धारा 5 में "खरीद" शब्द को 1956 अधिनियम में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, अनैतिक तस्करी को दबाने और वेश्यावृत्ति को रोकने के अधिनियम के उद्देश्य के संदर्भ में इसकी व्याख्या की।
    - अदालत ने फैसला सुनाया कि इस शब्द में ग्राहक भी शामिल हैं और इसलिये ग्राहक पर धारा 5 के तहत आरोप लगाया जा सकता है।
- **फैसले के निहितार्थ:**
  - केरल उच्च न्यायालय का फैसला धारा 5 में "खरीद" के अर्थ का विस्तार करता है, जिसमें कहा गया है कि दलालों और वेश्यालय चलाने वालों के अलावा, ग्राहकों को वेश्यावृत्ति के लिये व्यक्तियों की खरीद हेतु उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
  - यह फैसला याचिकाकर्त्ता को धारा 5 के तहत दोषी घोषित नहीं करता है, बल्कि यह मुकदमे की आवश्यकता के लिये आरोप दायर करने की अनुमति देता है।

नोट :

- विशेष रूप से, याचिकाकर्त्ता को उच्च न्यायालय द्वारा धारा 3, 4 और 7 के तहत अपराध से मुक्त कर दिया गया था।

- **उच्च न्यायालय की भिन्न राय:**
  - मैथ्यू बनाम केरल राज्य (2022):
    - केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वेश्यालय में पकड़े गए ग्राहक पर ITP अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। अधिनियम की धारा 7(1) निर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर वेश्यावृत्ति में लिप्त होने के लिये दो प्रकार के व्यक्तियों को दंडित करती है।
  - वे व्यक्ति हैं (i) वह व्यक्ति जो वेश्यावृत्ति करता है और (ii) वह व्यक्ति जिसके साथ ऐसी वेश्यावृत्ति की जाती है, उच्च न्यायालय ने कहा, अनैतिक व्यापार का कार्य 'ग्राहक' के बिना नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है।
  - गोयनका साजन कुमार बनाम द स्टेट ऑफ ए. पी. (2014) और श्री सनाउल्ला बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक (2017):
    - आंध्र प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ITP अधिनियम की धारा 3-7 के तहत वेश्यालय के ग्राहकों पर मुकदमा चलाने के खिलाफ फैसला सुनाया।

सेक्स वर्क की वैधता क्या है?

- **एक पेशे के रूप में सेक्स वर्क:**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने सेक्स वर्क/वेश्यावृत्ति को एक "पेशे" के रूप में मान्यता दी है तथा कहा है कि इसके व्यावसायी विधि के समान संरक्षण के हकदार हैं एवं आपराधिक कानून को 'आयु' तथा 'सहमति' के आधार पर सभी मामलों में समान रूप से क्रियान्वित होना चाहिये।
    - न्यायालय ने कहा कि स्वैच्छिक यौन संबंध कोई अपराध नहीं है।
- **किसी भी पेशे को अपनाने का मौलिक अधिकार:**
  - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) नागरिकों को कोई भी पेशा अपनाने तथा कोई भी व्यावसाय, व्यापार अथवा कारोबार करने का अधिकार देता है। इसमें वेश्यावृत्ति का कार्य भी शामिल है।
- **व्यावसाय में समानता:**
  - न्यायालयों ने माना है कि व्यक्तियों को उनका चुने हुए पेशे (चाहे वह कुछ भी हो) को करने का समान अधिकार है।
  - बुद्धदेव कर्मस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2011) मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सेक्स वर्कर्स के अधिकारों को सुरक्षित किया तथा अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा पर ज़ोर दिया।
- **मौलिक तथा मानवाधिकार:**
  - गौरव जैन बनाम भारत संघ और अन्य (1989) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सेक्स वर्कर्स के मौलिक तथा मानवाधिकारों को मान्यता दी तथा कानून के तहत उनके सम्मान एवं सुरक्षा के अधिकार पर ज़ोर दिया।
    - न्यायालय ने पाया कि सेक्स वर्कर्स के बच्चों को अवसर, सम्मान, देखभाल, सुरक्षा तथा पुनर्वास की समानता का अधिकार है एवं बिना किसी "पूर्व-कलंक" के "सामाजिक जीवन की मुख्यधारा" का हिस्सा बनने का अधिकार है।

सेक्स वर्कर्स से संबंधित क्या पहल हैं?

- **उज्ज्वला:**
  - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा "उज्ज्वला" का क्रियान्वन किया गया जो तस्करी की रोकथाम तथा वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास, पुन: एकीकरण एवं प्रत्यावर्तन के लिये एक व्यापक योजना है।
- **राष्ट्रीय महिला आयोग:**
  - राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women) की स्थापना वेश्यावृत्ति में शामिल महिलाओं तथा लड़कियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग:**
  - NHRC ने यौनकर्मियों को अनौपचारिक श्रमिक के रूप में मान्यता दी।
- **जागरूकता अभियान:**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में सरकार से आग्रह किया कि वह सेक्स उद्योग में महिलाओं के शोषण के खिलाफ कार्रवाई करे और कठोर विनियमन के साथ विशिष्ट स्थानों में वैधीकरण पर विचार करे।
    - न्यायालय के निर्देश के प्रत्युत्तर में सरकार ने जनता को व्यावसायिक यौन व्यापार से जुड़े जोखिमों के बारे में शिक्षित करने के लिये व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया।

नोट :

सेक्स वर्क के संबंध में सामाजिक धारणाएँ क्या हैं?

- **सांस्कृतिक कलंक:**
  - कुछ संदर्भों में कानूनी होने के बावजूद, वेश्यावृत्ति को प्राय: अनैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का उल्लंघन माना जाता है। कुछ संस्कृतियाँ इसे वैवाहिक और पारिवारिक पवित्रता के लिये खतरा मानती हैं।
    - सेक्स वर्क में महिलाओं (WSW) की पहचान भारत में सबसे अधिक भेदभाव वाली और हाशिये पर रहने वाली आबादी में से एक के रूप में की गई है।
    - यौनकर्मियों को प्राय: अपने पेशे से जुड़े कलंक के कारण सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ता है।
- **लैंगिक गतिकी:**
  - कई लोग वेश्यावृत्ति को एक निंदापूर्ण और अपमानजनक पेशे के रूप में देखते हैं, विशेषकर महिलाओं को निशाना बनाकर।
    - यह पेशा प्राय: शोषण और नुकसान से जुड़ा होता है।
    - यौनकर्मियों को अपमानजनक शब्दों, शारीरिक हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी भेद्यता और बढ़ जाती है।
- **स्वायत्तता की वकालत:**
  - दूसरी ओर, समर्थकों का तर्क है कि महिलाओं के पास यह तय करने की अभिव्यक्ति होनी चाहिये कि वे अपने शरीर का उपयोग किस प्रकार करती हैं।
    - कुछ लोग वेश्यावृत्ति को एक ऐसे पेशे के रूप में देखते हैं जहाँ महिलाएँ अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकती हैं।

आगे की राह

- भारत में वेश्यावृत्ति के नैतिक निहितार्थ लगातार बहस का विषय बने हुए हैं। किसी के रुख के बावजूद, महिलाओं और लड़कियों को गुलामी का शिकार बनने से रोकने के लिये तस्करी कानूनों को कायम रखना महत्त्वपूर्ण माना जाता है।
- सांस्कृतिक संवेदनशीलता पर विचार करते हुए समुदायों को यौन कार्य पर विविध दृष्टिकोण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिये खुले संवाद और शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना चाहिये।
- सभी नागरिकों की समानता की कानूनी मान्यता पर ज़ोर दिया जाए, चाहे उनके द्वारा चयनित पेशा कुछ भी हो।

The Vision

नोट :

प्रिलिम्स फैक्ट्स

अपतटीय क्रिप्टो फर्मों को PMLA नोटिस

वित्तीय आसूचना एकक- भारत (Financial Intelligence Unit India- FIU-IND) ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act- PMLA) के अपेक्षित उपबंधों का अनुपालन नहीं करने के लिये बाइनेंस (Binance), कुकोइन (Kucoin), हुओबी (Huobi) सहित 9 अपतटीय क्रिप्टोकरेंसी तथा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VDA SPs) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 क्या है?

- **परिचय:**
  - PMLA धन-शोधन और संबंधित अपराधों की निवारण हेतु वर्ष 2002 में अधिनियमित एक भारतीय कानून है।
    - धन-शोधन में विधि-विरुद्ध रूप से प्राप्त धन को वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करके विधि सम्मत अथवा "वैध" दिखाना शामिल है।
  - इसे वर्ष 2002 में धन-शोधन के खतरे से निपटने के लिये भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता (वियना अभिसमय) की प्रतिक्रिया में अधिनियमित किया गया था।
- **नियामक प्राधिकारी:**
  - प्रवर्तन निदेशालय (ED) मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच और मुकदमा चलाने के लिये जिम्मेदार प्राथमिक प्राधिकरण है।
    - यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है।
    - हाल ही में, सर्वोच्च न्यायलय ने निर्णय सुनाया है कि ED PMLA के तहत किसी को केवल उनके सवालों और समन का प्रत्युत्तर नहीं देने के लिये गिरफ्तार नहीं कर सकता है।
  - FIU-IND एक राष्ट्रीय एजेंसी है जो प्रवर्तन एजेंसियों और विदेशी FIUs को संदिग्ध वित्तीय विनिमय से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, प्रसंस्करण, विश्लेषण एवं प्रसारण के लिये जिम्मेदार है।
    - यह एजेंसी वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है।

VDA SP हेतु PMLA अनुपालन दायित्व क्या हैं?

- पंजीकरण की आवश्यकता: वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों और फिएट मुद्राओं, स्थानांतरण, संरक्षण या डिजिटल संपत्तियों पर नियंत्रण से जुड़ी गतिविधियों में लगे VDA SP को रिपोर्टिंग संस्थाओं के रूप में FIU-IND के साथ पंजीकृत होना चाहिये।
- गतिविधि-आधारित अनुपालन: PMLA के तहत अनुपालन दायित्व भौतिक उपस्थिति पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि गतिविधि-आधारित हैं, जिसमें रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड-कीपिंग और अन्य निर्दिष्ट दायित्व शामिल हैं।
- नियामक ढाँचे का विस्तार और प्रवर्तन (Regulatory Framework Expansion and Enforcement): मार्च 2023 में विनियामक दायरे का विस्तार हुआ, जिससे VDA SPs को PMLA के अंदर धनशोधन रोधी (AML) और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (CFT) ढाँचे के तहत लाया गया।
  - धन शोधन निवारण कानून (anti-money laundering law) के तहत, रिपोर्टिंग संस्थाएँ अपने ग्राहक को जानें (KYC) विवरण, ग्राहक पहचान रिकॉर्ड, लाभकारी मालिक की जानकारी,बही खाता और ग्राहकों से संबंधित व्यावसायिक पत्राचार को बनाए रखने के लिये बाध्य हैं।
  - इसके अलावा, रिपोर्टिंग संस्थाओं को आयकर अधिनियम के तहत वर्ष के दौरान बनाए गए विशिष्ट वित्तीय लेनदेन या रिपोर्ट करने योग्य खातों के विवरण वाले वित्तीय लेनदेन विवरण (SFT) दाखिल करने की आवश्यकता होती है।

श्रेष्ठ योजना

हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 'श्रेष्ठ' योजना पर प्रकाश डाला है। इस योजना को लक्षित क्षेत्रों में हाईस्कूल के छात्रों के लिये आवासीय शिक्षा योजना (SHRESHTA) के रूप में जाना जाता है।

श्रेष्ठ की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **परिचय:**
  - इसका मूल उद्देश्य देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का उत्थान करना है।

नोट :

- CBSE से संबद्ध निजी स्कूलों के कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश प्रदान किया जाएगा।

- **पात्रता:**
  - अनुसूचित जाति के छात्र जो वर्तमान शैक्षणिक वर्ष (2021-22) में 8वीं और 10वीं की कक्षा में पढ़ रहे हैं, योजना का लाभ उठाने के लिये पात्र हैं।
  - इस योजना में 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले हाशिये पर रहने वाले आय-वर्ग से आने वाले अनुसूचित जाति समुदाय के छात्र पात्र हैं।
- **परिचालन प्रक्रिया:**
  - यह योजना दो मोड में कार्यान्वित की जा रही है:
    - मोड 1: श्रेष्ठ विद्यालय
  - चयन प्रक्रिया:
- मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों का चयन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित श्रेष्ठ के लिये राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा (National Entrance Test for SHRESHTA- NETS) के माध्यम से किया जाता है।
  - चयनित छात्रों को कक्षा 9वीं तथा 11वीं में सर्वश्रेष्ठ सी. बी.एस.ई./राज्य बोर्ड से संबद्ध निजी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है।
  - आर्थिक सहायता:
- **स्कूल शुल्क तथा छात्रावास शुल्क को कवर करने वाले छात्र के लिये कुल शुल्क विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।**
  - योजना के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक स्वीकार्य शुल्क ₹ 1,00,000 से ₹ 1,35,000 है।
  - ब्रिज कोर्स:
- छात्रों की स्कूल के वातावरण में सरलता से अनुकूलन करने की क्षमता को बेहतर करने के लिये नियमित रूप से स्कूल समय के उपरांत एक ब्रिज कोर्स प्रदान किया जाता है।
  - विभाग ब्रिज कोर्स के लिये वार्षिक शुल्क का 10% वहन करता है।
  - निगरानी:
- मंत्रालय नियमित रूप से छात्रों की प्रगति की निगरानी करता है।
    - मोड 2: NGO/VO संचालित स्कूल/छात्रावास:
  - NGO/VO द्वारा 12वीं कक्षा तक संचालित स्कूलों/छात्रावासों को अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये स्कूल फीस और आवासीय शुल्क के लिये अनुदान मिलता है।
- स्कूल के प्रकार के आधार पर अनुदान प्रति छात्र 27,000 रुपए से 55,000 रुपए तक हो सकता है।
- **निगरानी:**
  - मंत्रालय नियमित रूप से छात्रों की प्रगति की निगरानी करता है।
    - पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए संस्थानों को अपनी वेबसाइटों और ई-अनुदान/ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदर्शन का खुलासा करना आवश्यक है।
    - संस्थानों में कैमरों की स्थापना, निगरानी उद्देश्यों के लिये लाइव फीड प्रदान करना।
    - सभी संस्थान इस उद्देश्य हेतु गठित एक निरीक्षण दल द्वारा क्षेत्रीय दौरे के लिये उत्तरदायी हैं।
- **प्रभाव:**
  - सत्र 2023-24 (दिसंबर 2023 तक): 7,543 लाभार्थी।
    - सत्र 2023-24 में प्रवेश: 142 निजी आवासीय विद्यालयों में कुल 2,564 छात्रों को प्रवेश दिया गया और स्कूल की फीस के लिये 30.55 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति की गई है।

हटिंगटन रोग

हाल ही में हंगरी में 'सेज्ड विश्वविद्यालय' (University of Szeged) के शोधकर्त्ताओं ने मॉडल जीव के रूप में फल मक्खियों (ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर) का उपयोग करके हंटिंगटन की बीमारी के बारे में जानकारी का खुलासा किया जो वैज्ञानिक रिपोर्ट (साइंटिफिक रिपोर्ट्स) में प्रकाशित हुआ था।

- इस नवोन्मेषी दृष्टिकोण ने रोग की प्रगति और संभावित चिकित्सीय लक्ष्यों के बारे में आशाजनक खुलासे किये हैं।

हंटिंगटन रोग क्या है ?

- **परिचय:**
  - हंटिंगटन रोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला एक न्यूरोडीजेनेरेटिव विकार है।
  - यह HTT जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है, जो दोषपूर्ण हंटिंगटिन (huntingtin- HTT) प्रोटीन का उत्पादन करता है।
    - उत्परिवर्ती हंटिंगटिन (huntingtin-HTT) प्रोटीन विषाक्त टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, जिससे विभिन्न सेलुलर प्रक्रियाएँ बाधित होती हैं।

नोट :

- **HTT जीन और पॉलीग्लूटामाइन ट्रैक्ट:**
  - हंटिंगटन प्रोटीन, जो तंत्रिका कोशिका कार्य के लिये आवश्यक है, HTT जीन द्वारा एन्कोड किया गया है।
    - HTT जीन में उत्परिवर्तन के परिणामस्वरूप HTT प्रोटीन में पॉलीग्लुटामाइन तंत्र (polyglutamine tract) का विस्तार होता है, जिससे मिसफॉल्डिंग और शिथिलता (dysfunction) उत्पन्न होती है।
    - हंटिंगटन रोग की गंभीरता विस्तारित पॉलीग्लुटामाइन तंत्र की लंबाई से संबंधित है।
  - हनटिंग्टन रोग एक प्रभावी विशेषक (Autosomal Dominant) माध्यम से आनुवंशिक रूप से जनित होती है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को इससे संक्रमित होने के लिये माता-पिता से उत्परिवर्तित जीन की केवल एक प्रति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
    - हंटिंगटन रोग से पीड़ित माता-पिता के प्रत्येक बच्चे में इसके संक्रमण फैलने की संभावना 50% होती है।
- **लक्षण:**
  - शुरुआती लक्षणों में भूलने की बीमारी, संतुलन खोना तथा दैनिक कार्यों को करने में अक्षमता शामिल हैं।
  - ये लक्षण समय के साथ गंभीर हो जाते हैं तथा मनुष्य की प्रवृत्ति एवं तार्किक क्षमता को प्रभावित करते हैं और अनियंत्रित गतिविधियों का कारण बनते हैं। संक्रमण बढ़ने पर मरीज़ों को बोलने, निगलने व चलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
  - ये लक्षण आमतौर पर 30-50 की आयु के बीच जनित होते हैं।
- **उपचार:**
  - हंटिंगटन रोग का वर्तमान में कोई स्थाई उपचार नहीं है तथा मौजूदा उपचार मात्र लक्षणों को कम करते हैं।

अध्ययन के प्रमुख बिंदु क्या हैं?

- वैज्ञानिकों ने उत्परिवर्तित मानव HTT जीन के पॉलीग्लूटामाइन पथ को व्यक्त करने के लिये फल मक्खियों/ फ्रूट फ्लाइज़ के तंत्रिका तंत्र को संशोधित किया।
- उन्होंने बेकर यीस्ट (सैकरोमाइसीज़ सैरीवीसी) से Gal4 नामक जीन का उपयोग किया, जो अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सीक्वेंस (UAS) नामक DNA अनुक्रमण से संलग्न होने पर जीन की अभिव्यक्ति को सक्रिय करता है।
- Gal4/UAS प्रणाली फ्रूट फ्लाई के जीनोम में कार्य करती है, जो विशेष रूप से न्यूरॉन्स में प्रोटीन की अभिव्यक्ति की अनुमति देती है।
- उत्परिवर्तित HTT जीन के साथ फल मक्खियों (फ्रूट फ्लाइज़) में न्यूरोनल अध: पतन, क्षीण आरोहण क्षमता (Impaired Climbing Ability), कम व्यवहार्यता और दीर्घायु दर्ज की गईं।
- HTT प्रोटीन में ग्लूटामाइन इकाइयों की सामान्य श्रेणी के साथ फल मक्खियों के एक 'नियंत्रित समूह' ने बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं दिखाया।
- अध्ययन में पाया गया कि लंबे ग्लूटामाइन ट्रैक्ट को व्यक्त करने से मनुष्यों में हंटिंगटन रोग जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं, जबकि छोटे ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता है।
- शोधकर्त्ताओं ने पाया कि मक्खियों में Yod1 जीन नामक एक जीन (मक्खियों में जाँचे गए 32 जीनों में से एक) की अत्यधिक अभिव्यक्ति ने न्यूरोडीजेनेरेशन और प्रेरक तंत्र-कोशिका हानि सहित हंटिंगटन रोग से जुड़े रोग जैसे प्रभावों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया।

बैंकों के सकल NPA में 3.2% की गिरावट

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) के लिये सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) अनुपात में महत्त्वपूर्ण गिरावट देखी गई, जो मार्च 2023 के अंत में 3.9% से गिरकर सितंबर, 2023 के अंत तक 3.2% हो गई।

- योगदान देने वाले कारक: बट्टे खाते में डालना, उन्नयन, और वसूली।

गैर-निष्पादित परिसंपत्ति क्या है?

- **परिचय:**
  - RBI के अनुसार, कोई परिसंपत्ति तब गैर-निष्पादित हो जाती है जब वह बैंक के लिये आय उत्पन्न करना बंद कर देती है।
  - NPA आमतौर पर एक ऋण या अग्रिम होता है जिसका मूलधन या ब्याज भुगतान एक निश्चित अवधि के लिये अतिदेय रहता है।
    - ज़्यादातर मामलों में ऋण को गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब ऋण का भुगतान न्यूनतम 90 दिनों की अवधि के लिये नहीं किया गया हो।

नोट :

- कृषि के लिये यदि 2 शस्य ऋतुओं/फसली मौसमों के लिये मूलधन और ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऋण को NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

- **प्रकार:**
  - बैंकों को उस अवधि के आधार पर NPA को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करना आवश्यक है जिसके लिये परिसंपत्ति गैर-निष्पादित रही है और बकाया की वसूली:
    - अवमानक परिसंपत्ति: एक अवमानक संपत्ति 12 महीने से कम या उसके बराबर अवधि के लिये NPA के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति है।
    - संदिग्ध परिसंपत्ति: संदिग्ध परिसंपत्ति वह संपत्ति है जो 12 महीने से अधिक की अवधि से गैर-निष्पादित चल रही हो।
    - हानि वाली परिसंपत्तियाँ: ऐसी परिसंपत्तियाँ जो संग्रहण योग्य नहीं हैं और जिनकी वसूली की बहुत कम या कोई उम्मीद नहीं है, साथ ही जिन्हें पूरी तरह से बट्टे खाते में डालने की आवश्यकता है।
- **सकल NPA(GNPA) और निवल NPA:**
  - यह अनंतिम राशि में कटौती किये बिना NPA की कुल राशि है।
  - निवल NPA: सकल NPA में से प्रावधान घटाने पर निवल NPA प्राप्त होता है।
    - प्रावधान का तात्पर्य ऋणों अथवा NPAs से उत्पन्न होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई करने के लिये बैंकों द्वारा अलग रखे गए धन से है।
- **भारत में NPA से निपटने के प्रावधान:**
  - बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम (RDB अधिनियम), 1993: इसके तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर शोध्य ऋणों पर त्वरित निर्णय लेने तथा उन्हें पुनर्प्राप्त करने के लिये ऋण वसूली अधिकरण (DRT) तथा ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (DRAT) की स्थापना की गई।
  - वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act-SARFAESI अधिनियम), 2002: बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को नयायालय के हस्तक्षेप के बिना डिफॉल्ट उधारकर्त्ताओं की सुरक्षित परिसंपत्तियों को कब्ज़े में लेने और उसकी बिक्री करने का अधिकार देता है।
  - दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code- IBC), 2016: यह NPA सहित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिये एक फास्ट-ट्रैक कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रदान करता है।
    - IBC ने अपनी स्थापना के बाद से 808 मामलों में फँसे 3.16 लाख करोड़ रुपए के ऋण को सुलझाने में मदद की है।
- लोन राइट-ऑफ: बट्टे खाते में डालना/अपलिखित करना (Write-off) का तात्पर्य किसी गैर-निष्पादित ऋण अथवा परिसंपत्ति को बैंक के रिकॉर्ड से इस स्वीकृति के रूप में हटाना है कि ऋण की वसूली की संभावना नहीं है।
  - यह कार्रवाई उधारकर्त्ता को चुकाने के दायित्व से मुक्त नहीं करती बल्कि वसूली की संभावना को स्वीकार करती है।
- उन्नयन (Upgrades): यह एक ऋण खाते को NPA से वापस "मानक" परिसंपत्ति श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, यदि कुछ शर्तें पूरी होती हैं, जिनमें शामिल हैं: ब्याज और मूलधन का बकाया उधारकर्त्ता द्वारा भुगतान किया जाता है।
- पुनर्प्राप्ति (Recoveries): पुनर्प्राप्ति, डिफॉल्ट ऋणों या NPA पर इसके लिये कार्रवाई करने के बाद बैंक द्वारा प्राप्त धन या संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है।
  - ये पुनर्प्राप्ति विधियों, संपार्श्विक परिसमापन (collateral liquidation), या पुनर्भुगतान (repayments) के बाद निपटान का रूप ले सकती हैं।

एक्स-किरण ध्रुवणमापी उपग्रह: ISRO

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने एक्स-किरण ध्रुवीकरण तथा इसके अंतरिक्ष स्रोतों, जैसे– ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे और मैग्नेटर्स का अध्ययन करने के लिये अपना पहला एक्स-किरण ध्रुवणमापी उपग्रह (X-ray Polarimeter Satellite-XPoSat) लॉन्च किया है।

- मिशन को निम्न पृथ्वी कक्षा में PSLV-C58 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है।

एक्स-किरण ध्रुवणमापी उपग्रह (XPoSat) क्या है ?

- **प्रयोजन:**

नोट :

- XPoSat को मध्यम एक्स-रे बैंड में X-रे ध्रुवीकरण का अध्ययन करने के लिये डिज़ाइन किया गया है, जो खगोलीय स्रोतों के विकिरण तंत्र तथा ज्यामिति में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
- इन खगोलीय पिंडों से संबंधित भौतिकी को समझने के लिये यह अध्ययन महत्त्वपूर्ण है।

- **पेलोड:**
  - उपग्रह में दो मुख्य पेलोड POLIX (एक्स-किरण में ध्रुवणमापी उपकरण) तथा XSPECT (एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी और समय) मौजूद हैं।
  - POLIX लगभग 40 प्रदीप्त खगोलीय स्रोतों/पिंडों का निरीक्षण करेगा, जबकि XSPECT विभिन्न पदार्थों द्वारा उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का अध्ययन करेगा।
- **विकास:**
  - पूरी तरह से बेंगलुरु स्थित दो संस्थानों– ISRO के यू.आर. राव सैटेलाइट सेंटर और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित - XPoSat का विकास वर्ष 2008 में शुरू हुआ, वर्ष 2015 में ISRO के साथ एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।
- **वैश्विक संदर्भ:**
  - XPoSat मध्यम X-रे बैंड में X-रे ध्रुवीकरण के लिये समर्पित विश्व का द्वितीय मिशन है। वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया NASA का इमेजिंग एक्स-रे पोलारिमेट्री एक्सप्लोरर (IXPE), किसी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया गया पहला ऐसा मिशन था।
- **राष्ट्रीय योगदान:**
  - हाल ही में लॉन्च किये गए सौर मिशन आदित्य-L1 और AstroSat के बाद, XPoSat भारत की तीसरी अंतरिक्ष-आधारित वेधशाला होगी, जिसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। इसके प्रक्षेपण को भारतीय खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिये एक महत्त्वपूर्ण प्रगति के रूप में देखा जाता है।

X-रे क्या है और यह आकाशीय पिंडों का अध्ययन किस प्रकार करेगा?

- X-रे विद्युत चुम्बकीय विकिरण हैं जिनकी तरंग दैर्ध्य 0.01-10 नैनोमीटर होती है।
  - विद्युत चुम्बकीय विकिरण की विशेषता एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र है जो एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं।
    - विद्युत चुम्बकीय विकिरण का ध्रुवीकरण इन दो क्षेत्रों के अभिविन्यास को संदर्भित करता है क्योंकि विकिरण अंतरिक्ष के माध्यम से चलता है।
- जब X-किरणें बिखरती हैं, तो वे ध्रुवीकृत (polarised) हो जाती हैं और ये तब भी उत्पन्न होती हैं जब तेज़ गति से चलने वाले आवेशित कण का पथ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा मुड़ जाता है।
- एक्स-किरणों के ध्रुवीकरण को मापने के लिये POLIX जैसे उपकरणों का उपयोग करके, खगोलविद् आकाशीय पिंडों में मौजूद चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तीव्रता का पता लगा सकते हैं। यह, बदले में, पल्सर की प्रकृति और व्यवहार, ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्रों तथा X-किरणें उत्सर्जित करने वाली अन्य ब्रह्मांडीय घटनाओं में महत्त्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

अर्जेंटीना के साथ लिथियम-डील

भारत सरकार के खनन मंत्रालय ने राज्य के स्वामित्व वाली खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) के माध्यम से पाँच-विषम लिथियम ब्लॉकों के संभावित अधिग्रहण और विकास के लिये अर्जेंटीना के खनिक कैमयेन (CAMYEN) के साथ एक मसौदा अन्वेषण तथा विकास समझौते में प्रवेश किया है।

- कंपनी ने खनिज़ के "संभावित अन्वेषण, निष्कर्षण, प्रसंस्करण और व्यावसायीकरण" के लिये चिली के खनिक ENAMI के साथ एक गैर-प्रकटीकरण समझौता भी किया है।

लिथियम क्या है?

- **परिचय:**
  - लिथियम एक क्षार खनिज है, जिसे 'श्वेत स्वर्ण' भी कहा जाता है। यह नरम, चाँदी जैसी सफेद धातु है, जो आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु है।
- **प्रमुख गुण:**
  - उच्च अभिक्रियाशीलता
  - निम्न घनत्व
  - उत्कृष्ट विद्युत रासायनिक गुण
- **घटना एवं शीर्ष निर्माता (Occurrence and Top Producers):**
  - लिथियम प्राकृतिक रूप से विभिन्न खनिजों में पाया जाता है, जिनमें स्पोड्यूमिन, पेटालाइट और लेपिडोलाइट शामिल हैं।

नोट :

- इसे इन खनिजों से निकाला जाता है और लिथियम धातु या इसके यौगिकों में परिष्कृत किया जाता है।

- लिथियम के शीर्ष उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया, चिली, चीन और अर्जेंटीना हैं।
  - वर्ष 2022 में लिथियम खदान उत्पादन के मामले में ऑस्ट्रेलिया विश्व में अग्रणी था। चिली और चीन क्रमशः दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहे।
- हाल ही में कैलिफोर्निया के साल्टन सागर (US) के नीचे एक विशाल लिथियम भंडार की खोज की गई, जिसमें अनुमानित 18 मिलियन टन लिथियम है।

नोट: अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया से बना लिथियम त्रिकोण– इसमें विश्व के ज्ञात लिथियम का लगभग आधा हिस्सा है।

- **अनुप्रयोग:**
  - बैटरियाँ: लिथियम स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग की जाने वाली रिचार्जेबल बैटरी का एक महत्त्वपूर्ण घटक है।
  - काँच और मिट्टी के पात्र: लिथियम यौगिकों का उपयोग काँच और चीनी मिट्टी की चीज़ें को मज़बूत करने के लिये किया जाता है, जिससे वे अधिक टिकाऊ तथा ऊष्मा-प्रतिरोधी बन जाते हैं।
  - चिकित्सा (Medicine): लिथियम का उपयोग द्विध्रुवी विकार के उपचार में मूड स्टेबलाइज़र के रूप में किया जाता है।
  - स्नेहक(Lubricants): लिथियम ग्रीस का उपयोग उच्च दबाव और उच्च तापमान अनुप्रयोगों में किया जाता है।
- **भारत में लिथियम:**
  - वर्ष 2023 में लिथियम खोजों में वृद्धि हुई:
    - जम्मू-कश्मीर के रियासी ज़िले के सलाल-हैमाना क्षेत्र में अनुमानित 5.9 मिलियन टन विशाल भंडार का पता चला।
    - झारखंड के कोडरमा तथा गिरिडीह क्षेत्रों में अतिरिक्त भंडार की खोज की गई है।
  - भारत ने दो लिथियम भंडार को नीलामी के लिये रखा है जिनमें से एक जम्मू-कश्मीर में तथा दूसरा छत्तीसगढ़ में स्थित है। EV, लिथियम-आयन बैटरी के विनिर्माण एवं अन्य ऊर्जा भंडारण समाधान जैसी श्रेणियों में इसकी अधिकांश घरेलू आवश्यकताएँ पूर्ण रूप से आयात के माध्यम से पूरी की जाती हैं। जिसका कुल आयात लगभग ₹24,000 करोड़ आँका गया है।

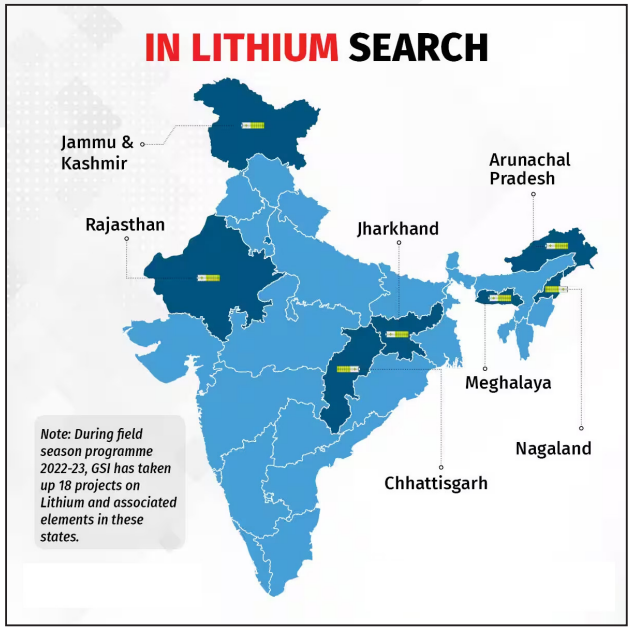

नोट :

भारत में लीची की खेती का विस्तार

परंपरागत रूप से बिहार के मुज़फ्फरपुर ज़िले तक सीमित रहने वाली लीची की कृषि में 19 भारतीय राज्यों में महत्त्वपूर्ण विस्तार देखा गया है, जो भारत में बागवानी को बढ़ावा देता है।

- यह विकास बिहार के मुज़फ्फरपुर स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र (National Research Centre on Litchi-NRCL) के प्रयासों से हुआ है।

लीची के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- वनस्पति वर्गीकरण: लीची सैपिन्डेसी परिवार (Sapindaceae family) से संबंधित है और अपने स्वादिष्ट, रसीले, पारदर्शी एरिल (translucent aril) या खाने योग्य गूदे के लिये जानी जाती है।
- जलवायु: लीची मुख्यत: उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में उत्पादित होती है और नम स्थितियाँ इसकी खेती के लिये अनुकूल होती हैं। इसकी फसल के लिये कम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में, लगभग 800 मीटर की ऊँचाई तक, आदर्श जलवायु होती है।
- मृदा: लीची की खेती के लिये आदर्श मिट्टी कार्बनिक पदार्थों से भरपूर गहरी, अच्छे जल निकासी वाली दोमट मिट्टी होती है।
- तापमान: लीची अत्यधिक तापमान के प्रति संवेदनशील है। यह गर्मियों में 40.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान या सर्दियों में ठंडे तापमान को सहन नहीं कर सकती है।
- वर्षा का प्रभाव: लंबे समय तक वर्षा, विशेषकर फूल आने के दौरान, इसके परागण में बाधा उत्पन्न कर सकती है तथा फसल पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
- भौगोलिक कृषि: भारत में वाणिज्यिक कृषि परंपरागत रूप से उत्तर में त्रिपुरा से लेकर जम्मू-कश्मीर तक हिमालय की तलहटी पहाड़ियों तथा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के मैदानी इलाकों तक ही सीमित थी।
  - भारत के लीची उत्पादन का लगभग 40% मात्र बिहार में होता है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल (12%) तथा झारखंड (10%) का स्थान है।
- वैश्विक उत्पादन: चीन के बाद भारत विश्व स्तर पर लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अन्य प्रमुख लीची उत्पादक देशों में थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण-अफ्रीका, मेडागास्कर तथा संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।

उद्यान कृषि क्या है?

- **परिचय:**
  - उद्यान कृषि (हॉर्टीकल्चर) से तात्पर्य फलों, सब्ज़ियों, फूलों, सजावटी पौधों तथा अन्य फसलों की कृषि के विज्ञान, कला एवं अभ्यास से है।
  - इसमें मानव उपयोग तथा उपभोग के लिये पौधों की खेती, प्रबंधन, प्रसार एवं सुधार से संबंधित गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।
- **उद्यान कृषि के लिये पहल:**
  - एकीकृत उद्यान कृषि विकास मिशन:
    - एकीकृत उद्यान कृषि विकास मिशन (Mission for Integrated Development of Horticulture- MIDH) फलों, सब्ज़ियों और अन्य क्षेत्रों को कवर करने वाले उद्यान कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिये एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
    - MIDH के तहत, भारत सरकार सभी राज्यों में विकासात्मक कार्यक्रमों के लिये कुल परिव्यय का 60% योगदान देती है (उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों को छोड़कर जहाँ केंद्र सरकार 90% योगदान देती है) तथा 40% योगदान राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता है।
  - उद्यान कृषि क्लस्टर विकास कार्यक्रम:
    - यह एक केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य चिह्नित उद्यान कृषि समूहों को विकसित करना और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाना है।

नोट :

- 'उद्यान कृषि क्लस्टर' लक्षित उद्यान कृषि फसलों का एक क्षेत्रीय/भौगोलिक संकेंद्रण है।

एक MICE गंतव्य के रूप में भारत

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce & Industry- MoCI) भारत को वैश्विक माइस (MICE) {बैठकें(Meetings), प्रोत्साहन (Incentives), सम्मेलन (Conferences) और प्रदर्शनियाँ (Exhibitions)} गंतव्य के रूप में बढ़ावा दे रहा है।

- इसका उद्देश्य भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) क्षेत्रों के पारंपरिक हस्तशिल्प, कारीगरों की पेशकश, बुनकरों एवं विनिर्माण कौशल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना है।
- मंत्रालय ने आने वाले महीनों में आत्मनिर्भर भारत उत्सव, इंडस फूड, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 और भारत टेक्स (Bharat Tex) जैसे कार्यक्रमों के लिये भारत के महत्त्वाकांक्षी मेगा इवेंट लाइन-अप का भी अनावरण किया।

MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) क्या है?

- **परिचय:**
  - MICE एक शब्द है जिसका उपयोग पर्यटन और इवेंट उद्योग में व्यवसाय एवं कॉर्पोरेट पर्यटन से संबंधित एक खंड को वर्गीकृत तथा उसका प्रतिनिधित्व करने के लिये किया जाता है।
    - MICE पर्यटन में कंपनियों एवं समूहों के लिये कार्यक्रमों, बैठकों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों और प्रोत्साहनों का आयोजन तथा मेज़बानी (meetings, conferences, exhibitions, and incentives) करना शामिल है।
    - इन गतिविधियों का उद्देश्य नेटवर्किंग, ज्ञान विनिमय, व्यावसायिक सहयोग तथा पेशेवर अथवा व्यावसायिक संदर्भ में उत्पादों एवं सेवाओं के प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाना है।
  - इसका मुख्य उद्देश्य व्यवसाय, उद्योग, सरकार तथा शैक्षणिक समुदाय के लिये एक नेटवर्किंग मंच साझा करना एवं सार्थक वार्ता में शामिल होना है।
- **भारत में दायरा:**
  - भारत की कोर MICE आधारभूत अवसंरचना सुविधाएँ अधिकांश विकसित देशों के सामान हैं।
  - भारत ने विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता तथा WEF के वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज़्म कॉम्पिटिटिवनेस रैंक (वर्ष 2021 में 54वाँ स्थान) में अपने स्थान में निरंतर सुधार किया है।
  - भारत की निरंतर बढ़ती आर्थिक क्षमता।
  - भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में तेज़ी से प्रगति की है।
- **वैश्विक परिदृश्य तथा भारत:**
  - इंटरनेशनल कॉन्ग्रेस एंड कन्वेंशन एसोसिएशन (ICCA) अपने द्वारा ट्रैक की गई अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन की बैठकों के आधार पर देशों और शहरों की रैंकिंग जारी करता है।
    - ICCA की देश और शहर रैंकिंग, 2019 के अनुसार कुल 13,254 बैठकों में से 934 बैठकों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 देश रहा, उसके बाद जर्मनी, फ्राँस रहे।
  - भारत:
    - भारत के भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से लाभकारी होने एवं तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद अनुमानित वैश्विक MICE कारोबार में भारतीय MICE की हिस्सेदारी 1% से भी कम है।
    - देशों की ICCA रैंकिंग, 2019 में 158 बैठकों के साथ भारत 28वें स्थान पर रहा।
- **प्रमुख रणनीति:**
  - MICE उद्योग को बढ़ावा देने के लिये "मीट इन इंडिया (Meet in India)" ब्रांड।
  - MICE उद्योग के वित्तपोषण के लिये इसे बुनियादी ढाँचे का दर्जा प्रदान करना।
  - MICE उद्योग के लिये कौशल विकास।

समुद्री पक्षी

कर्नाटक के तट के आसपास, पक्षी प्रेमियों द्वारा 2023 में दुर्लभ "समुद्री (pelagic)" पक्षियों को देखा गया।

- समुद्री पक्षियों के अलावा, कर्नाटक ने भूमि आधारित प्रजातियों पर ध्यान आकर्षित किया है, न्यू मैंगलोर पोर्ट (New Mangalore Port- NMP) एक हरित पत्तन में बदल रहा है, जिससे पक्षियों की विविधता को बढ़ावा मिल रहा है।

नोट :

पेलैगिक पक्षियों के बारे में महत्त्वपूर्ण तथ्य क्या हैं ?

- **परिचय:**
  - पेलैगिक पक्षी वे पक्षी हैं जो अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा खुले समुद्र में व्यतीत करते हैं।
    - वे हज़ारों मील की दूरी पर पाए जा सकते हैं लेकिन तेज़ हवाओं और तूफानों के दौरान ज़मीन पर उड़ सकते हैं। जब वे अंतर्देशीय आते हैं तो उनका एकमात्र समय प्रजनन करना होता है।
- **विशेषताएँ:**
  - ये पक्षी आकार और प्रकार में एक-दूसरे से काफी भिन्न होते हैं, लेकिन ये सभी खुले पानी वाले क्षेत्र में रहते हैं, भोजन के लिये गोता (dive) लगाते हैं एवं उत्कृष्ट तैराक होते हैं।
  - पेलैगिक पक्षियों के पंख उल्लेखनीय रूप से लंबे, पतले होते हैं, जिससे वे बिना आराम किये लंबी उड़ान भर सकते हैं।
    - कुछ पक्षी उड़ान के दौरान सोते हुए भी कई दिनों या हफ्तों तक हवा में रह सकते हैं।
  - इन पक्षियों में अद्वितीय नमक ग्रंथि होती है, जो समुद्री जल से नमक निकालती है, और इसे विषाक्त स्तर तक जमा होने से रोकती है।
  - वे सतह से दूर तक मछलियों का पीछा करते हैं और प्लवक के क्रस्टेशियंस खाते हैं, जो झींगा एवं केकड़ों से संबंधित हैं।
- **उदाहरण:**
  - प्रमुख पेलैगिक पक्षियों में से एक लेसन अल्बट्रॉस (Laysan Albatross) हैं, जो विशेष रूप से हवाई द्वीपों पर प्रजनन करते हैं लेकिन भोजन के लिये पोषक तत्त्वों से समृद्ध प्रशांत महासागर के क्षेत्र में विचरण करते हैं।
    - पेलैगिक पक्षियों में सूटी शीयरवाटर (Sooty Shearwater), ब्राउन स्कुआ (Brown Skua), ब्राउन बूबी (Brown Booby), स्ट्रीक्ड शीयरवाटर (Streaked Shearwater) और मास्क्ड बूबी, पोमेरिन स्कुआ, आर्कटिक स्कुआ, लॉन्ग टेल्ड स्कुआ, स्विनहोज़ स्टॉर्म-पेट्रेल, विल्सन स्टॉर्म-पेट्रेल और अन्य समुद्री वांडरर पेलैगिक भी शामिल हैं।
- **संकट:**
  - मानवीय गतिविधियाँ पक्षियों के लिये संकट उत्पन्न करती हैं, जिनमें महासागरों के दूरस्थ व उन्मुक्त वातावरण में रहने वाले पक्षी भी शामिल हैं।
  - विश्व स्तर पर समुद्री पक्षियों को बड़े संकट का सामना करना पड़ता है, जिसमें स्थलीय निवास और समुद्री कारकों दोनों से उत्पन्न होने वाले घटक शामिल हैं।
    - तेल रिसाव, जलवायु परिवर्तन जनित शिकार की उपलब्धता में बदलाव और मछली पकड़ने के जाल इन चुनौतियों में योगदान करते हैं।
  - पेलैगिक पक्षियों के जैव-घनत्व में कमी का कारण मछलियों की जीवसंख्या में गिरावट है, जो संभवत: समुद्री वर्षा जैसे कारक जो मछलियों को गहन जल में प्रवासन हेतु मजबूर करती है, से प्रभावित हुई है।
  - समुद्री पक्षियों के लिये प्लास्टिक प्रदूषण एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि भारी मात्रा में प्लास्टिक महासागरों में निक्षेपित होता रहता है और सूक्ष्म भागों में विघटित हो जाता है।
    - पक्षी प्राय: प्लास्टिक के टुकड़ों को शिकार समझकर इसे निगल लेते हैं जिससे इन्हें संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

लाल सागर के विभाजन पर प्रस्तावित परिकल्पनाएँ

मिस्र से भागने और हिब्रू (मेसोपोटामिया के उर शहर को छोड़कर जाने वाले चरवाहे) के लिये लाल सागर को विभाजित करने की कहानी को बुक ऑफ एक्सोडस में एक अलौकिक कार्य के रूप में देखा जाता है किंतु हाल ही में कुछ शोधकर्त्ताओं ने इस कहानी को एक विभिन्न दृष्टिकोण से देखा है एवं कुछ मौसम संबंधी घटनाओं का उपयोग कर इसे समझाया है।

नोट :

लाल सागर के विभाजन से संबंधित नवीनतम मौसम संबंधी परिकल्पनाएँ क्या हैं?

शोधकर्त्ताओं ने 4 संभावित मौसम संबंधी घटनाओं का प्रस्ताव दिया है जिनके कारण लाल सागर की धाराओं का अस्थायी रूप से विभाजन हुआ होगा:

- मेडिकेन: भूमध्य सागर में ये हरिकेन जैसे तूफान अत्यधिक व्यापक तूफान का रूप धारण कर सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप तटीय जल को पीछे की ओर प्रवाहित हो सकता है जिसके फलस्वरूप भू-भाग उजागर हो सकता है।
  - शोधकर्त्ताओं ने फ्लोरिडा के समुद्र तट पर इरमा तूफान के प्रभाव को एक उदाहरण के रूप में उल्लिखित किया है।
- वायु का रुकना: निरंतर उच्च गति वाली वायु अस्थायी रूप से स्वेज़ की खाड़ी में उभरी हुई चट्टानों को उजागर कर सकती हैं, जिससे प्रत्यक्ष मार्ग की सुविधा हो सकती है।
  - बाइबिल में निर्गमन के दौरान एक "पूर्वी वायु" का उल्लेख मिलता है, जो इस घटना से मिलती जुलती है।
- ज्वारीय अनुनाद: जब तेज़ हवाओं जैसे बाह्य कारक किसी स्थान के प्राकृतिक ज्वारीय पैटर्न के साथ मिलते हैं, तो इसके परिणामस्वरूप असामान्य रूप से लघु ज्वार आ सकता है और समुद्र तल के बड़े क्षेत्र उज़ागर हो सकते हैं।
  - उत्तरी अटलांटिक में अमेरिका-कनाडा सीमा पर फंडी की खाड़ी (Bay of Fundy) इस घटना का एक प्रमुख उदाहरण है।
- रॉस्बी लहरें: पृथ्वी की घूर्णन के कारण महासागरों और वायुमंडल में ये बड़े पैमाने की लहरें, जल के द्रव्यमान को स्थानांतरित कर सकती हैं।
  - लाल सागर में उनकी घटना अस्थायी रूप से इज़रायलियों के लिये मार्ग का निर्माण कर सकती है।
  - मिस्र अभियान के दौरान नेपोलियन बोनापार्ट के ऐतिहासिक वृत्तांत में ज्वारीय परिवर्तनों के बीच लाल सागर को पार करने का भी उल्लेख किया गया है।
- हालाँकि अध्ययन के निष्कर्ष प्राचीन भूगोल और जलवायु की अनिश्चितताओं के साथ-साथ जटिल प्राकृतिक घटनाओं के मॉडलिंग की अंतर्निहित चुनौतियों तक सीमित हैं। सबूतों को और मज़बूत करने के लिये आगे के शोध एवं पुरातात्त्विक कार्यों की आवश्यकता है।

गुजरात में कैद में प्रशिक्षित भेड़िये वन में छोड़े जाएँगे

कैद में पाले और प्रशिक्षित किये गए भेड़ियों को पुन: वनों में लाने की गुजरात की महत्त्वाकांक्षी परियोजना में सफलता के शुरुआती संकेत दिख रहे हैं।

- यह पहल संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर, अपनी तरह की प्रथम पहल है, जिसका लक्ष्य भेड़ियों की जीवसंख्या को बहाल करना है जहाँ ये नीलगाय (Blue Bulls) और जंगली सूअर जैसे जंगली शाकाहारी जानवरों की जीवसंख्या को नियंत्रित रखकर तथा जानवर बायोकंट्रोल एजेंटों के रूप में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।

भेड़ियों से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं?

- **परिचय:**
  - भेड़िये, कुत्ते/श्वान कुल कैनिडे (Canidae) के सबसे बड़े सदस्य हैं, जो अपनी प्रभावशाली काया, मोटे फर, तेज़ आँखें, मज़बूत जबड़े, तीक्ष्ण कान और लंबी झाड़ीनुमा पूँछ के लिये जाने जाते हैं, जो उनके डरावने रूप को दर्शाते हैं।
- **पारिस्थितिकी तथा व्यवहार:**
  - सामाजिक जंतु: ये झुंड में निवास करते हैं, जिसमें अमूमन एक प्रजनन जोड़ा तथा उनकी संतानें शामिल होती हैं, जो शिकार करने एवं बच्चों (जिन्हें Whelp अथवा Pup कहा जाता है) के पालन पोषण के लिये मिलकर कार्य करते हैं।
  - शिकारी: ये मुख्य रूप से हिरण, एल्क (Elk) तथा मूस जैसे बड़े खुर वाले जीवों का शिकार करते हुए पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - कम्युनिकेटिव मास्टर्स: उनकी चीखें भयानक गर्जना के सामान होती हैं अपितु वे झुंड संबंधो को मज़बूत करने, निवास क्षेत्र की रक्षा करने तथा अन्य भेड़ियों के झुंड के साथ संवाद करने का कार्य करती हैं।

नोट :

- **भारत में पाई जाने वाली उप-प्रजातियाँ:**
  - भारत में भेड़ियों की दो उप-प्रजातियाँ पाई जाती हैं: प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भूरा भेड़िया/ग्रे वुल्फ (कैनिस ल्यूपस पल्लिप्स) तथा उत्तर में हिमालयी अथवा तिब्बती भेड़िया (कैनिस ल्यूपस चान्को)।
- **भारत में वितरण क्षेत्र:**
  - ग्रे वुल्फ गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में पाए जाते हैं।
  - हिमालयी भेड़िया मुख्य रूप से लद्दाख क्षेत्र एवं पूर्वोत्तर हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति क्षेत्र में पाया जाता है।
- **संरक्षण की स्थिति:**
  - ग्रे वुल्फ:
    - IUCN रेड लिस्ट: कम संकटग्रस्त
    - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (भारत): अनुसूची I
    - CITES परिशिष्ट: I
  - हिमालयन वुल्फ
    - IUCN रेड लिस्ट: सुभेद्य

सिकल सेल रोग

राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत सिकल सेल रोग (SCD) के लिये 1 करोड़ से अधिक लोगों की जाँच की गई है।

- वर्ष 2023 में शुरू किये गए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत से सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करना है।

सिकल सेल रोग (SCD) क्या है ?

- **परिचय:**
  - SCD वंशानुगत लाल रक्त कोशिका विकारों का एक समूह है। इस रोग में हीमोग्लोबिन में विसंगति उत्पन्न हो जाती है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला प्रोटीन है, जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। SCD में लाल रक्त कोशिकाएँ कठोर और चिपचिपी हो जाती हैं तथा C-आकार के कृषि उपकरण की तरह दिखती हैं जिसे "सिकल" कहा जाता है।
- **लक्षण:**
  - सिकल सेल रोग के लक्षण भिन्न हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य लक्षणों में शामिल हैं:
    - क्रोनिक एनीमिया: यह शरीर में थकान, कमज़ोरी और पीलेपन का कारण बनता है।
    - तीव्र दर्द (सिकल सेल संकट के रूप में भी जाना जाता है): यह हड्डियों, छाती, पीठ, हाथ एवं पैरों में अचानक असहनीय दर्द उत्पन्न कर सकता है।
    - यौवन व शारीरिक विकास में विलंब।
- **उपचार:**
  - रक्ताधान: ये एनीमिया से छुटकारा पाने और तीव्र दर्द के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं।
  - हाइड्रॉक्सीयूरिया: यह दवा दर्द की निरंतरता की आवृत्ति को कम करने और बीमारी की दीर्घकालिक जटिलताओं को नियंत्रित करने में सहायता कर सकती है।
  - इसका इलाज अस्थि मज्जा या स्टेम सेल प्रत्यारोपण द्वारा भी किया जा सकता है।
- **SCD से निपटने के लिये सरकारी पहल:**
  - सरकार ने 2016 में सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिये तकनीकी परिचालन दिशानिर्देश जारी किये।
  - बीमारी की जाँच और प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिये मध्य प्रदेश में राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन की स्थापना की गई है।
  - एनीमिया मुक्त भारत पहल

ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिये विस्तारित PLI योजना

हाल ही में भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries- MoHI) ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिये उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (Production Linked Incentive- PLI) योजना की अवधि एक वर्ष बढ़ा दी है, यह योजना वित्त वर्ष 2023-24 से शुरू होकर अगले पाँच वर्षों के लिये लागू है।

- यह निर्णय सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (Empowered Group of Secretaries- EGoS) की मंज़ूरी मिलने के बाद लिया गया है।
- इसके तहत पहले वर्ष की बिक्री वृद्धि सीमा को पूरा करने में विफल रहने वाली कंपनियों को उस वर्ष हेतु प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।
  - हालाँकि वे पहले वर्ष की सीमा से 10% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि प्राप्त करके भविष्य के लाभों के लिये पात्र बने रहते हैं।

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (Production Linked Incentive) योजना क्या है ?

- परिचय: PLI योजना भारत में एक सरकारी पहल है जो कंपनियों को भारत में निर्मित उत्पादों की बढ़ती बिक्री के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।

नोट :

- इस योजना का लक्ष्य घरेलू विनिर्माण, रोज़गार सृजन एवं निर्यात को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाना और आयात निर्भरता को कम करना है।

- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - क्षेत्र-विशिष्ट: यह योजना वर्तमान में 14 प्रमुख क्षेत्रों में सक्रिय है: मोबाइल विनिर्माण, चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, दवाएँ, विशिष्ट इस्पात, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, श्वेत वस्तुएँ (AC व LED), खाद्य उत्पाद, वस्त्र उत्पाद, सौर PV मॉड्यूल, उन्नत रसायन सेल (Advanced Chemistry Cell- ACC) बैटरी तथा ड्रोन व ड्रोन कंपोनेंट्स।
  - प्रोत्साहन दर: प्रोत्साहन दर क्षेत्र और उत्पाद श्रेणी के आधार पर भिन्न होती है, यह कुल वृद्धिशील विक्रय के 4% से 6% तक हो सकती है।

भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर की स्थिति क्या है?

- भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाज़ार है। सितंबर 2023 DPIIT रिपोर्ट के अनुसार, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुल FDI संचलन का हिस्सा 5.41% रहा।
- वर्ष 2022-2030 के दौरान इलेक्ट्रिक वाहन बाज़ार 49% की कम्पाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR से बढ़ने की उम्मीद है और EV उद्योग में वर्ष 2030 तक 5 मिलियन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नौकरियाँ उत्पन्न होंगी।
- **संबंधित सरकारी पहल:**
  - FAME योजना
  - ऑटोमोटिव मिशन योजना 2016-26 (AMP 2026)

लघु बचत योजनाओं में ब्याज दर समायोजन

हाल ही में केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि खाता योजना (SSAS) पर रिटर्न 8% से बढ़ाकर 8.2% और 3-वर्षीय पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉज़िट स्कीम (POTDS) पर रिटर्न 7% से बढ़ाकर 7.1% करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2024 की तिमाही, जबकि अन्य सभी लघु बचत योजनाओं के लिये ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा गया है।

सुकन्या समृद्धि खाता योजना क्या है?

- **परिचय:**
  - सुकन्या समृद्धि खाता योजना (SSAS) वित्त मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से एक बालिका के लिये एक छोटी जमा योजना है और इसे 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान के एक भाग के रूप में शुरू किया गया है।
    - यह योजना किसी लड़की/बालिका की शिक्षा और विवाह के खर्चों को पूरा करने के लिये सरकार की एक पहल है।
- **पात्रता:**
  - ऐसी कोई भी बालिका जो खाता खोलने से लेकर इसकी परिपक्वता/क्लोज़र की अवधि तक भारतीय निवासी हो।
  - यह खाता अभिभावकों में से किसी एक द्वारा उस बालिका के नाम पर खोला जा सकता है, जिसने खाता खोलने की तारीख तक 10 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो।
  - इस योजना के तहत एक परिवार बालिकाओं के लिये अधिकतम दो खाते खोल सकता है। हालाँकि, अपवादों में पहले या दूसरे क्रम में पैदा हुए जुड़वाँ या तीन बच्चों के लिये दो से अधिक खाते खोलने की अनुमति होती है, जो एक हलफनामे/शपथपत्र और जन्म प्रमाण पत्र द्वारा प्रमाणित होते हैं।
- **लाभ:**
  - योजना के तहत न्यूनतम निवेश की राशि 250 रुपए तथा अधिकतम निवेश की राशि 1,50,000 रुपए प्रतिवर्ष है एवं मैच्योरिटी/परिपक्वता अवधि 21 वर्ष है।
    - वर्तमान में SSAS में कई कर लाभ हैं और सभी लघु बचत योजनाओं में इसकी ब्याज दर सबसे अधिक है।

डाकघर सावधि जमा योजना क्या है?

- **परिचय:**
  - POTDS को राष्ट्रीय बचत समय जमा योजना के रूप में भी जाना जाता है, यह एक सरकार समर्थित बचत विकल्प है जो व्यक्तियों को एक निश्चित अवधि के लिये राशि जमा करने और अपने निवेश पर पूर्व निर्धारित ब्याज दर अर्जित करने की अनुमति देता है। यह योजना इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) द्वारा शुरू की गई है।
- **POTDS की विशेषताएँ:**
  - यह अलग-अलग परिपक्वता अवधि वाले चार प्रकार के खाते प्रदान करती है: 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष।
  - यह 100 रुपए के गुणकों में 1,000 रुपए से लेकर किसी भी राशि तक जमा करने की अनुमति देता है।
  - यह संयुक्त खाते, लघु खाते और नामांकन सुविधा की अनुमति देता है।
  - यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत 5-वर्षीय खाते के लिये आयकर लाभ प्रदान करता है।
    - आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C, व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) द्वारा किये गए कुछ निवेशों एवं खर्चों के लिये सकल कुल आय से कटौती की अनुमति देती है।

नोट :

- इससे विशिष्ट तरीकों से बचत और निवेश को प्रोत्साहन मिलता है, जिसके तहत कर योग्य देय कम होता है तथा करदाताओं को कर लाभ मिलता है।

बुक्सा टाइगर रिज़र्व

पश्चिम बंगाल के बुक्सा टाइगर रिज़र्व (Buxa Tiger Reserve- BTR) में 23 साल के अंतराल के बाद दो सालों में दूसरी बार बाघ (Tiger) की वापसी देखी गई, जिससे एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र और बाघों की आबादी में वृद्धि होने की उम्मीद है।

बुक्सा टाइगर रिज़र्व के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **परिचय:**
  - बुक्सा टाइगर रिज़र्व और नेशनल पार्क 760 वर्ग किलोमीटर में फैला है तथा उत्तरी बंगाल के अलीपुरद्वार ज़िले में स्थित है।
  - बुक्सा टाइगर रिज़र्व की उत्तरी सीमा भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगती है। सिंचुला पहाड़ी श्रृंखला बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान के उत्तरी किनारे पर स्थित है तथा पूर्वी सीमा असम राज्य को स्पर्श करती है।
  - टाइगर रिज़र्व में बहने वाली मुख्य नदियाँ- संकोश, रैदक, जयंती, चुर्निया, तुरतुरी, फशखवा, दीमा और नोनानी हैं।
- **गलियारा कनेक्टिविटी:**
  - राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority- NTCA) के अनुसार, बुक्सा टाइगर रिज़र्व की कॉरिडोर कनेक्टिविटी की सीमाएँ उत्तर में भूटान के जंगलों को, पूर्व में कोचुगाँव के जंगलों और मानस टाइगर रिज़र्व तथा पश्चिम में जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान को स्पर्श करती हैं।
    - रिज़र्व की कनेक्टिविटी बंगाल बाघों के प्रवासन तथा आनुवंशिक विविधता को बढ़ावा देने में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है।
- **वनस्पतिजात:**
  - इसके प्रमुख वृक्ष प्रजातियों में साल, चैंप, गमर, सिमुल तथा चिक्रासी शामिल हैं, जो रिज़र्व के विविध एवं जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देते हैं।
- **प्राणिजात:**
  - इसकी प्राथमिक वन्यजीव प्रजातियों में एशियाई हाथी, बाघ, गौर (भारतीय बाइसन), जंगली सूअर, साम्भर तथा जंगली कुत्ता (ढोल) शामिल हैं।
  - बक्सा टाइगर रिज़र्व में संकटग्रस्त जातियों में तेंदुआ बिल्ली (Leopard cat), बंगाल फ्लोरिकन, रीगल अजगर, चीनी पैंगोलिन, हिस्पिड खरगोश तथा हॉग हिरण शामिल हैं।
- **संरक्षण पहल:**
  - बाघों के शिकार आधार को बढ़ाने, उनकी वापसी के लिये अनुकूल परिस्थितियों को बढ़ावा देने एवं सफल संरक्षण प्रयासों को प्रदर्शित करने के लिये रिज़र्व में चीतल (चित्तीदार हिरण) की संख्या में वृद्धि करना।
  - बाघों तथा अन्य वन्यजीवों के लिये एक आदर्श आवास बनाने के लिये घासस्थल का विस्तार करने हेतु सक्रिय उपाय किये गए हैं।
  - मानव व वन्यजीवों के बीच सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व में सरलता लाने हेतु मानव हस्तक्षेप कम करने, घुसपैठ पर अंकुश लगाने तथा अतिक्रमण को नियंत्रित करने के लिये केंद्रित पहल की शुरुआत की गई है।
  - टाइगर ऑग्मेंटेशन प्रोजेक्ट वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था, इस सहयोगी परियोजना में राज्य वन विभाग, भारतीय वन्यजीव संस्थान और NTCA शामिल हैं, जो बाघों की जीवसंख्या की निगरानी तथा इनकी वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

पश्चिम बंगाल में अन्य संरक्षित क्षेत्र:

- गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान
- सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान
- नेओरा वैली राष्ट्रीय उद्यान
- सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान

नोट :

- जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान
- सुंदरबन टाइगर रिज़र्व
- मयूरझरना हाथी रिज़र्व
- पूर्वी डुआर्स हाथी रिज़र्व

लिक्विड नैनो यूरिया की प्रभावकारिता

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (Punjab Agricultural University- PAU) के वैज्ञानिकों द्वारा लिक्विड नैनो यूरिया की प्रभावकारिता पर दो वर्ष के क्षेत्रीय प्रयोग में पारंपरिक नाइट्रोजन (N) युक्त उर्वरक अनुप्रयोग की तुलना में चावल तथा गेहूँ की उपज में अत्यधिक कमी पाई गई है।

- वर्तमान निष्कर्ष, पारंपरिक यूरिया के समतुल्य नैनो यूरिया तथा फसल की उपज को बनाए रखने में इसकी प्रभावकारिता का पता लगाने के लिये 5-7 वर्षों तक के अतिरिक्त दीर्घकालिक क्षेत्र मूल्यांकन की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं।

लिक्विड नैनो यूरिया की प्रभावकारिता से संबंधित मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- **उपज में कमी:**
  - पारंपरिक नाइट्रोजन उर्वरकों की तुलना में नैनो यूरिया का उपयोग करने पर फसल की उपज में उल्लेखनीय कमी आई है।
  - विशेष रूप से गेहूँ की उपज में 21.6% तथा चावल की उपज में 13% की कमी आई है।
- **अनाज में नाइट्रोजन की मात्रा:**
  - नैनो यूरिया के प्रयोग से चावल तथा गेहूँ दोनों फसलों के अनाज में नाइट्रोजन की मात्रा में कमी आई है।
  - चावल और गेहूँ के अनाज में नाइट्रोजन की मात्रा में क्रमश: 17 व 11.5% की कमी हुई है।
  - अनाज में नाइट्रोजन की मात्रा में कमी उपज फसलों में प्रोटीन के स्तर में कमी को दर्शाती है।
    - यह भारत जैसे देश में चिंता का विषय है जहाँ चावल और गेहूँ प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले मुख्य खाद्य पदार्थ हैं। फसलों में प्रोटीन की मात्रा कम होने से जनसंख्या की प्रोटीन ऊर्जा आवश्यकताएँ प्रभावित हो सकती है।
- **लागत तुलना:**
  - नैनो यूरिया फॉर्मूलेशन की लागत दानेदार यूरिया की तुलना में 10 गुना अधिक है जिसके प्रयोग से किसानों की कृषि लागत बढ़ जाती है।
- **फसल बायोमास और जड़ का आयतन:**
  - नैनो यूरिया के प्रयोग से सतह के ऊपर बायोमास और जड़ों के आयतन में कमी आई। इसके आयतन में इस कमी के परिणामस्वरूप जड़ की सतह का क्षेत्रफल कम हो गया, जिससे जड़ों द्वारा पोषक तत्त्व ग्रहण करने की प्रक्रिया प्रभावित हुई है।

तरल नैनो यूरिया (Liquid Nano Urea) क्या है?

- **परिचय:**
  - यह नैनो कण के रूप में यूरिया का एक प्रकार है। यह यूरिया के परंपरागत विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक पोषक तत्त्व (तरल) है।
    - यूरिया सफेद रंग का एक रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक है, जो कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन प्रदान करता है तथा पौधों के लिये एक आवश्यक प्रमुख पोषक तत्त्व है।
  - नैनो यूरिया को पारंपरिक यूरिया के स्थान पर विकसित किया गया है और यह पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को न्यूनतम 50 प्रतिशत तक कम कर सकता है।
    - इसकी 500 मिली.की एक बोतल में 40,000 मिलीग्राम/लीटर नाइट्रोजन होती है, जो सामान्य यूरिया के एक बैग/बोरी के बराबर नाइट्रोजन युक्त पोषक तत्त्व प्रदान करेगी।
  - तरल नैनो यूरिया को जून 2021 में भारतीय किसान और उर्वरक सहकारी लिमिटेड (Indian Farmers and Fertiliser Cooperative- IFFCO) द्वारा लॉन्च किया गया था।
- **निर्माण:**
  - इसे स्वदेशी रूप से नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर (कलोल, गुजरात) में आत्मनिर्भर भारत अभियान और आत्मनिर्भर कृषि की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया गया है।
  - भारत अपनी यूरिया की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये आयात पर निर्भर है।
- **अनुप्रयोग:**
  - यह उर्वरक एक पत्तेदार स्प्रे है, जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग केवल फसलों पर पत्तियाँ आने के बाद ही किया जाना चाहिये।

वेटलैंड सिटी प्रमाणन

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने हाल ही में वेटलैंड सिटी प्रमाणन (Wetland City Accreditation- WCA) के लिये भारत से तीन शहरों के लिये नामांकन प्रस्तुत किये हैं।

नोट :

- नामांकित शहरों में इंदौर (मध्य प्रदेश), भोपाल (मध्य प्रदेश), और उदयपुर (राजस्थान) शामिल हैं।
- MoEF&CC द्वारा चल रही अमृत धरोहर पहल रामसर साइटों के संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देते हुए WCA लक्ष्यों के अनुरूप है।

नोट:

- अमृत धरोहर, 2023-24 बजट घोषणा का हिस्सा, रोज़गार के अवसर उत्पन्न करने और स्थानीय आजीविका का समर्थन करते हुए देश में रामसर साइटों के अद्वितीय संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देता है।

वेटलैंड सिटी प्रमाणन (WCA) क्या है ?

- **परिचय:**
  - WCA एक स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली है, जिसे रामसर कन्वेंशन द्वारा कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टियों (Conference of the Contracting Parties- COP) 12, 2015 के सम्मेलन के दौरान उन शहरों को मान्यता देने के लिये स्थापित किया गया था, जिन्होंने अपने शहरी आर्द्रभूमि की सुरक्षा हेतु असाधारण कदम उठाए हैं।
  - इस योजना का उद्देश्य शहरी एवं पेरी/ परिधीय-शहरी क्षेत्र के आर्द्रभूमि संरक्षण और इसके उपयोग को बढ़ावा देना है, साथ ही स्थानीय आबादी के लिये स्थायी सामाजिक-आर्थिक लाभ अर्जित करना भी है।
- **महत्त्व:**
  - यह शहरों को अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के वेटलैंड्स जैसे मूल्यवान पारिस्थितिक तंत्र के साथ सकारात्मक संबंध विकसित करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
  - इसका उद्देश्य अपने प्राकृतिक या मानव निर्मित आर्द्रभूमि को महत्त्व देने वाले शहरों के लिये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करना है।
  - WCA 6 वर्षों के लिये मान्य होता है।

WCA हेतु नामांकित शहरों की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ?

- **इंदौर:**
  - होलकर राजवंश द्वारा स्थापित, इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है तथा इसे स्वच्छता एवं शहरी पर्यावरण के लिये भारत के स्मार्ट सिटी, 2023 से सम्मानित किया गया है।
    - शहर में स्थित एक रामसर साइट, सिरपुर झील, जिसे जलीय पक्षी समागम के लिये एक महत्त्वपूर्ण स्थल के रूप में मान्यता दी गई है तथा इसे पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है।
    - शहर में 200 से अधिक वेटलैंड मित्र (Wetland Mitras) सक्रिय रूप से पक्षी संरक्षण एवं सारस क्रेन की सुरक्षा के लिये जागरूकता बढ़ाने में प्रयासरत हैं।
- **भोपाल:**
  - भोपाल भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है जिसने अपने शहर विकास योजना 2031 के मसौदे में आर्द्रभूमि के समीप संरक्षण क्षेत्रों का प्रस्ताव दिया है।
  - इस शहर में स्थित भोज वेटलैंड (रामसर साइट) शहर की जीवन रेखा के सामान है जहाँ विश्व स्तरीय वेटलैंड व्याख्या केंद्र स्थापित है जिसका नाम जल तरंग है।
  - इसके अतिरिक्त भोपाल नगर निगम के समीप एक समर्पित झील संरक्षण केंद्र भी मौजूद है।
- **उदयपुर:**
  - इस शहर के समीप मौजूद पाँच प्रमुख आर्द्रभूमियाँ, पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर एवं दूध तलाई हैं।
    - ये आर्द्रभूमियाँ शहर की संस्कृति व पहचान का एक अभिन्न अंग हैं जो शहर के माइक्रॉक्लाइमेट को बनाए रखने में मदद करती हैं और साथ ही खराब मौसम संबंधी घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करती हैं।

SKAO में भारत की पूर्ण सदस्यता

भारत विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना, जिसे स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्ज़र्वेटरी (SKAO) कहा जाता है, का भी हिस्सा होगा।

- देशों को औपचारिक रूप से सदस्य बनने के लिये SKAO सम्मेलन पर हस्ताक्षर करना होगा और उसका अनुसमर्थन करना होगा। 1,250 करोड़ रुपए की वित्तीय मंज़ूरी के साथ परियोजना में शामिल होने के लिये भारत सरकार की मंज़ूरी अनुसमर्थन की दिशा में पहला कदम है।

SKAO क्या है ?

- **परिचय:**
  - SKAO एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसका लक्ष्य अत्याधुनिक रेडियो दूरबीनों का निर्माण और संचालन करना है। इसका वैश्विक मुख्यालय जोड्रेल बैंक वेधशाला, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है।
  - इस परियोजना में एक भी दूरबीन नहीं होगी बल्कि हज़ारों एंटेना की एक शृंखला होगी, जिसे दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के रिमोट रेडियो-क्वाईट स्थानों में स्थापित किया जाएगा, जो खगोलीय घटनाओं का निरीक्षण और अध्ययन करने के लिये एक बड़ी इकाई के रूप में कार्य करेगी।

नोट :

- SKAO के उद्देश्यों में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन भी शामिल है।

- SKAO के निर्माण में भाग लेने वाले कुछ देशों में यूके, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, चीन, फ्राँस, भारत, इटली और जर्मनी शामिल हैं।

- **SKAO में भारत की भूमिका:**
  - भारत ने पुणे स्थित नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स (NCRA) और अन्य संस्थानों के माध्यम से 1990 के दशक में स्थापित महत्त्वाकांक्षी SKAO परियोजना के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  - SKAO में भारत का प्राथमिक योगदान दूरबीन प्रबंधक कारक (Telescope Manager Element) के विकास तथा परिसंचालन में निहित है जो एक "तंत्रिका नेटवर्क" (Neural Network) अथवा सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करता है जो टेलीस्कोप के पूर्ण संचालन को नियंत्रित करता है।

नोट: राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र (National Centre for Radio Astrophysics- NCRA) भारत में एक शोध संस्थान है जो रेडियो खगोल विज्ञान में विशेषज्ञता रखता है। यह पुणे विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है तथा मुंबई में स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) का हिस्सा है।

रेडियो टेलीस्कोप क्या है?

- परिचय: रेडियो टेलीस्कोप एक विशेष प्रकार का एंटीना तथा रिसीवर सिस्टम है जिसका उपयोग खगोलीय पिंडों द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगों का पता लगाने तथा एकत्र करने के लिये किया जाता है।
  - रेडियो तरंगें वैद्युत-चुंबकीय (Electromagnetic-EM) तरंगें होती हैं जिनकी तरंगदैर्घ्य 1 मिलीमीटर से 100 किलोमीटर के बीच होती है।
  - ऑप्टिकल टेलीस्कोप के विपरीत रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग दिन के साथ-साथ रात में भी किया जा सकता है।
- अनुप्रयोग: रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग खगोलीय परिघटनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का अध्ययन करने के लिये किया जाता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - तारों तथा आकाशगंगाओं का निर्माण एवं विकास।
  - ब्लैक होल तथा अन्य सक्रिय मंदाकिनीय (Galactic) नाभिक।
  - अंतरा-तारकीय माध्यम।
  - सौरमंडल में ग्रह और चंद्रमा।
  - अलौकिक जीवन की खोज।
- **प्रमुख रेडियो टेलीस्कोप:**
  - विशाल मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप (भारत)
    - जून 2023 में पुणे के समीप स्थित विशाल मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप (Giant Metrewave Radio Telescope- GMRT) ने अत्याधुनिक खगोलीय अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण प्रदर्शन करते हुए नैनो-हर्ट्ज़ गुरुत्वीय तरंगों (Nano-Hertz Gravitational Waves) का पहली बार पता लगाने में अहम भूमिका निभाई।
  - सारस 3 (भारत)
  - अटाकामा लार्ज मिलीमीटर/सबमिलीमीटर एरे (ALMA) (अटाकामा मरुस्थल, चिली)
  - फाइव हंड्रेड मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप (FAST) (चीन)

गुरुत्वीय तरंगें क्या हैं?

- परिचय: ये तरंगें बड़े पैमाने पर खगोलीय पिंडों, जैसे कि ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार्स के संचलन से उत्पन्न होती हैं और अंतरिक्ष-समय (space time) के माध्यम से बाहर की ओर फैलती हैं।। उदाहरण के लिये जब एक तालाब में कंकड़ गिराया जाता है, तो परिणामी लहरें गुरुत्वीय तरंगों के समान होती हैं, लेकिन पानी के बजाय वे ब्रह्मांड की मूलभूत संरचना के माध्यम से फैलती हैं।
  - 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य सापेक्षता के अपने सिद्धांत के अंदर गुरुत्वीय तरंगों की उपस्थिति की भविष्यवाणी की थी।
- प्रधानता: गुरुत्वीय तरंग अनुसंधान, जैसा कि लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्ज़र्वेटरी (LIGO) का उपयोग कर पहली बार पता लगाने के लिये दिये गए 2017 के नोबेल पुरस्कार से प्रमाणित है, वैज्ञानिक सफलताओं के लिये अपार संभावनाएँ रखता है।
  - हाल ही में भारत ने महाराष्ट्र के हिंगोली ज़िले में LIGO के तीसरे नोड के निर्माण को हरी झंडी दी।

पूर्वोत्तर अफ्रीकी चीता

अरब देशों में शावकों के अवैध व्यापार के कारण पूर्वोत्तर अफ्रीकी चीता को आनुवंशिक विविधता में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है।

नोट :

पूर्वोत्तर अफ्रीकी चीतों के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं ?

- वैज्ञानिक नाम: एसिनोनिक्स जुबेटस सोमेरिंगी (Acinonyx jubatus soemmeringii)
- **परिचय:**
  - यह चीता की एक उप-प्रजाति है जिसे पहली बार वर्ष 1855 में ऑस्ट्रियाई जीवविज्ञानी लियोपोल्ड फिट्ज़िंगर द्वारा वैज्ञानिक नाम सिनेलुरस सोमेरिंगी (Cynailurus soemmeringii) के तहत सूडान के बायुडा रेगिस्तान से वियना में टियरगार्टन शॉनब्रुन में लिये गए एक नमूने के आधार पर देखा गया था।
  - इसे सूडान चीता के नाम से भी जाना जाता है। यह उप-प्रजाति सहारन चीता आबादी के बजाय दक्षिणी अफ्रीकी चीता आबादी से संबंधित है।
- **वितरण:**
  - ये पूर्वोत्तर अफ्रीका, इथियोपिया और दक्षिण सूडान में पाए जाते हैं।
  - ये विस्तृत खुली भूमि, घास के मैदानों, अर्ध-शुष्क क्षेत्रों और अन्य खुले आवासों में रहते हैं, जहाँ शिकार प्रचुर मात्रा में होता है जैसे कि पूर्वी सूडानी सवाना क्षेत्र में।
- **आवास:**
  - उनके आवासों में आम तौर पर विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र शामिल होते हैं, जैसे– सवाना, घास के मैदान और अर्ध-शुष्क स्थान, अक्सर विरल वनस्पति के साथ जो उनकी उच्च गति शिकार रणनीति के लिये सक्षम होते हैं।
- **खतरा:**
  - लाल सागर (Red sea) के पार सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन जैसे अरब देशों में उनकी भारी तस्करी की जाती है।
  - निवास स्थान के नुकसान, मानव अतिक्रमण और शिकार के कारण, उनकी संख्या में काफी कमी आई है, मुख्य रूप से संरक्षित क्षेत्रों में केवल कुछ बिखरी हुई आबादी बची है।
- **संरक्षण की स्थिति:**
  - IUCN रेड लिस्ट: लुप्तप्राय।

स्पेसएक्स के फाल्कन-9 रॉकेट द्वारा GSAT-20 (GSAT-N2) लॉन्च

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation - ISRO) की वाणिज्यिक शाखा, न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NewSpace India Limited - NSIL) वर्ष 2024 में स्पेसएक्स के फाल्कन-9 द्वारा GSAT-20 (GSAT-N2) लॉन्च करने के लिये तैयार है।

- फाल्कन 9 दुनिया का पहला कक्षीय श्रेणी का पुन: प्रयोज्य, दो चरण वाला रॉकेट है जिसे पृथ्वी की कक्षा या उससे आगे मानव और पेलोड के सुरक्षित परिवहन के लिये स्पेसएक्स (SpaceX) द्वारा विकसित किया गया है।

नोट :

जीसैट-20 क्या है ?

- GSAT-20 एक उच्च थ्रूपुट Ka-बैंड उपग्रह (Ka-band satellite) है जो हाईस्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल वीडियो ट्रांसमिशन और ऑडियो ट्रांसमिशन प्रदान करता है।
  - इसे भारत की बढ़ती ब्रॉडबैंड संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये लॉन्च किया जा रहा है। इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह जैसे दूरदराज़ के क्षेत्रों सहित पूरे भारत में व्यापक कवरेज प्रदान करने के लिये निर्मित किया गया है।
- यह उपग्रह लगभग 48Gbps की प्रभावशाली हाई थ्रूपुट सैटेलाइट क्षमता (High Throughput Satellite -HTS) प्रदान करता है। उल्लेखनीय रूप से इसमें 32 बीम शामिल हैं जो विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों की मांग वाली सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये निर्मित किये गए हैं, जिसका उद्देश्य कनेक्टिविटी अंतर को कम करना है।

नोट: Ka-बैंड 27 से 40 गीगाहर्ट्ज तक की रेडियो फ्रीक्वेंसी को संदर्भित करता है। यह फोकस्ड स्पॉट बीम के माध्यम से व्यापक कवरेज के साथ उच्च गति उपग्रह डेटा स्थानांतरण की अनुमति देता है।

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) क्या है ?

- यह, 6 मार्च 2019 को कंपनी अधिनियम, 2013 (under the Companies Act, 2013) के तहत निगमित, अंतरिक्ष विभाग (Department of Space-DOS) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।
  - इसकी प्राथमिक ज़िम्मेदारी भारतीय उद्योगों को उच्च प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को करने में सक्षम बनाना है और यह भारतीय अंतरिक्ष से संबंधित अनुसंधान कार्यक्रमों तथा सेवाओं के प्रचार एवं वाणिज्यिक दोहन के लिये भी ज़िम्मेदार है।
- **NSIL के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में शामिल हैं:**
  - उद्योग के माध्यम से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (Polar Satellite Launch Vehicle- PSLV) और लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (Small Satellite Launch Vehicle- SSLV) का उत्पादन
  - अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं का उत्पादन और विपणन, जिसमें लॉन्च सेवाएँ तथा ट्रांसपोंडर लीजिंग, रिमोट सेंसिंग एवं मिशन समर्थन सेवाएँ, जैसे– अंतरिक्ष-आधारित अनुप्रयोग शामिल हैं;
  - उपग्रहों का निर्माण {उपयोगकर्त्ता की आवश्यकताओं के अनुसार संचार और पृथ्वी अवलोकन (Earth Observation) दोनों}।
  - ISRO केंद्रों/इकाइयों और अंतरिक्ष विभाग के घटक संस्थानों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण;
  - ISRO की गतिविधियों से निकलने वाली प्रौद्योगिकियों और उत्पादों/सेवाओं का विपणन
  - परामर्श सेवाएँ
- जून 2022 में, NSIL ने अपना पहला मांग-संचालित उपग्रह मिशन, GSAT-24 को सफलतापूर्वक पूरा किया, जो एक उपग्रह टेलीविज़न सेवा Tata Play द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित था।
  - वर्तमान में, NSIL कक्षा में 11 संचार उपग्रहों का प्रबंधन और संचालन करता है।

पेरेग्रीन मिशन-1

संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेरेग्रीन मिशन वन (Peregrine Mission- 1) शुरू किया है, जो 50 से अधिक वर्षों में चंद्रमा पर उतरने का पहला प्रयास है। हालाँकि, लॉन्च के कुछ ही घंटों बाद अंतरिक्ष यान में "तकनीकी रूप से" ईंधन रिसाव होने के बाद लैंडिंग का प्रयास विफल हो गया।

- इस मिशन का नेतृत्व निजी अंतरिक्ष उद्यमों, एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी (Astrobotic Technology) और यूनाइटेड लॉन्च एलायंस (United Launch Alliance) द्वारा किया जा रहा है जो सहयोगी मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण के लिये निजी क्षेत्र की क्षमताओं का लाभ उठाने की दिशा में बदलाव का संकेत है।

पेरेग्रीन मिशन- 1 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ?

- Apollo कार्यक्रम के बाद पेरेग्रीन लैंडर चंद्रमा पर उतरने वाले पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यान में से एक होगा।
  - पेरेग्रीन लूनर लैंडर, जिसे पेरेग्रीन मिशन- 1 के नाम से भी जाना जाता है, एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित एक चंद्र लैंडर है।
- यह नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) के कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज़ (CLPS) कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य व्यापक लूनर इकॉनमी को प्रोत्साहित करना है।
  - NASA विज्ञान और प्रौद्योगिकी पेलोड को चंद्रमा की सतह तक पहुँचाने के लिये CLPS पहल के तहत विभिन्न अमेरिकी कंपनियों के साथ साझेदारी कर रहा है।

नोट :

- CLPS अनुबंध का उद्देश्य आगामी मानवयुक्त मिशनों की तैयारी में चंद्र अन्वेषण, प्रयोग तथा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन की सुविधा प्रदान करना है।

- इसके चंद्रमा के मध्य अक्षांश क्षेत्र तक पहुँचने की उम्मीद है जिसे साइनस विस्कोसिटैटिस (Sinus Viscositatis) अथवा बे ऑफ स्टिकीनेस (Bay of Stickiness) कहा जाता है।
- यह मिशन मंगल ग्रह पर मिशन की तैयारी के लिये इस दशक के अंत में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को पुन: भेजने के लिये NASA के नेतृत्व वाले कार्यक्रम आर्टेमिस (Artemis) की तैयारी में भी मदद करेगा।
  - आर्टेमिस NASA की महत्त्वाकांक्षी पहल है जिसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में चंद्रमा देवी के नाम पर रखा गया है। वर्ष 2024 तक चंद्रमा पर मनुष्यों को पुन: भेजने के मिशन के साथ इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा पर पहली महिला तथा अश्वेत व्यक्ति को भेजना है।
  - उक्त मिशन का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर एक आर्टेमिस बेस कैंप तथा चंद्रमा कक्षा में एक रणनीतिक गेटवे स्थापित करना है।

नोट:

- चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग अब तक केवल कुछ राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा ही पूरी की गई है जिसमें वर्ष 1966 में सबसे पहले सोवियत संघ था तथा उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका था जो अभी भी चंद्रमा पर लोगों को भेजने वाला एकमात्र देश है। चीन ने विगत एक दशक में तीन बार सफलतापूर्वक लैंडिंग की है जबकि भारत का चंद्रयान-3 मिशन वर्ष 2023 में अपने दूसरे प्रयास में सफल होने वाला सबसे हालिया मिशन था।

17 से अधिक उत्पादों के लिये जीआई टैग

हाल ही में ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर के 17 से अधिक उत्पादों को भौगोलिक संकेत (Geographical Indication - GI) टैग मिला है।

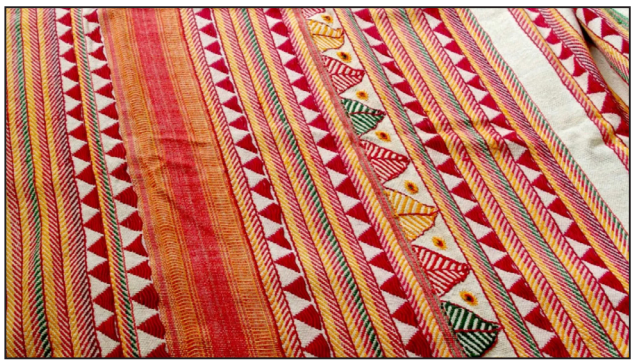

ओडिशा से किन उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ है?

- **कपडागंडा शॉल (Kapdaganda Shawl):**
  - ओडिशा के रायगढ़ा और कालाहांडी ज़िलों में नियमगिरि पहाड़ियों में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Group - PVTG) डोंगरिया कोंध जनजाति की महिलाओं द्वारा बुना तथा कढ़ाई की गई शॉल डोंगरिया कोंधों की समृद्ध आदिवासी विरासत को दर्शाता है।
- **लांजिया सौरा पेंटिंग:**
  - यह कला लांजिया सौरा समुदाय से संबंधित है, जो एक PVTG है जो मुख्य रूप से रायगड़ा ज़िले में रहता है।
  - ये पेंटिंग्स घरों की मिट्टी की दीवारों पर चित्रित बाहरी भित्तिचित्रों के रूप में हैं। लाल-मैरून पृष्ठभूमि पर सफेद पेंटिंग दिखाई देती हैं।
- **कोरापुट काला जीरा चावल:**
  - काले रंग के चावल की किस्म, जिसे 'चावल का राजकुमार' भी कहा जाता है, अपनी सुगंध, स्वाद, बनावट और पोषण मूल्य के लिये प्रसिद्ध है।
  - कोरापुट क्षेत्र के आदिवासी किसानों ने लगभग 1,000 वर्षों से चावल की किस्म को संरक्षित रखा है।
- **सिमिलिपाल काई चटनी:**
  - लाल चींटियों से बनी चटनी ओडिशा के मयूरभंज ज़िले के आदिवासियों का पारंपरिक व्यंजन है। ये चींटियाँ सिमिलिपाल जंगलों सहित मयूरभंज के जंगलों में पाई जाती हैं।
- **नयागढ़ कांटेईमुंडी बैंगन:**
  - यह बैंगन तने और पूरे पौधे पर काँटेदार काँटों के लिये जाना जाता है। पौधे प्रमुख कीटों के प्रति प्रतिरोधी हैं और इन्हें न्यूनतम कीटनाशकों के साथ उगाया जा सकता है।

नोट :

- **ओडिशा खजूरी गुड़:**
  - ओडिशा का "खजुरी गुड़" खजूर के पेड़ों से निकाला गया एक प्राकृतिक स्वीटनर है और इसकी उत्पत्ति गजपति ज़िले में हुई है।
- **ढेंकनाल माजी:**
  - यह भैंस के दूध के पनीर से बनी एक प्रकार की मिठाई है, जो स्वादिष्ट और आकार की दृष्टि से विशिष्ट विशेषताओं से युक्त होती है।

अन्य कौन से उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ ?

राज्य	उत्पाद का नाम	संक्षिप्त विवरण
अरुणाचल प्रदेश	वांचो लकड़ी (Wancho Wooden) का शिल्प	वांचो जनजातियों का अभिन्न जातीय लकड़ी शिल्प जिसका उपयोग सजावट एवं उपहार के रूप में किया जाता है और साथ ही ऐतिहासिक रूप से उनके सामुदायिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में उपयोग किया जाता है।
	आदि केकिर	अरुणाचल प्रदेश के अदरक की किस्म।
पश्चिम बंगाल	तंगेल साड़ी	विशिष्ट बुनाई पैटर्न से युक्त बंगाल की साड़ी शैली।
	गारद साड़ी	अपनी अनूठी बनावट तथा पैटर्न के लिये मशहूर यह साड़ी बंगाल का एक पारंपरिक परिधान है।
	कोरियल साड़ी	बंगाली साड़ी की एक किस्म जो अपनी बुनाई शैली तथा पारंपरिक महत्त्व के लिये पहचानी जाती है।
	कालो नुनिया चावल	पश्चिम बंगाल के चावल की किस्म।
	सुंदरबन शहद	पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र से प्राप्त शहद।
गुजरात	कच्ची खारेक	खलल (अंकुरित अवस्था) में चुने गए खजूर के उत्पाद जो विशिष्ट रंग वाले, कुरकुरा तथा मीठे होते हैं।
जम्मू-कश्मीर	रामबन अनारदाना	रामबन अनारदाना जिसे स्थानीय रूप से धुणी कहा जाता है, जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों एवं वनों में उगने वाला एक महत्त्वपूर्ण फल का पेड़ है।

भौगोलिक संकेतक (GI) टैग क्या है ?

- **परिचय:**
  - भौगोलिक संकेत (GI) टैग, एक ऐसा नाम या चिह्न है जिसका उपयोग उन विशेष उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं।
  - GI टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्त्ताओं या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही लोकप्रिय उत्पाद के नाम का उपयोग करने की अनुमति है।
    - यह उत्पाद को दूसरों द्वारा नकल या अनुकरण किये जाने से भी बचाता है।
  - एक पंजीकृत GI टैग 10 वर्षों के लिये वैध होता है।
  - GI पंजीकरण की देखरेख वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा की जाती है।
- **विधिक ढाँचा तथा दायित्व:**
  - वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण तथा बेहतर संरक्षण प्रदान करने का प्रयास करता है।
  - यह बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार-संबंधित पहलुओं (TRIPS) पर WTO समझौते द्वारा विनियमित एवं निर्देशित है।
    - इसके अतिरिक्त बौद्धिक संपदा के अभिन्न घटकों के रूप में औद्योगिक संपत्ति और भौगोलिक संकेतों की सुरक्षा के महत्त्व को पेरिस कन्वेंशन के अनुच्छेद 1(2) एवं 10 में स्वीकार किया गया, साथ ही इस पर अधिक बल दिया गया है।

नोट :

बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)

IP/बौद्धिक संपदा का तात्पर्य किसी व्यक्ति/कंपनी द्वारा सहमति के बिना बाह्य उपयोग या कार्यान्वयन से स्वामित्व/कानूनी रूप से संरक्षित अमूर्त संपत्तियों से है।

IPR के लिये आवश्यक हैं

- नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित करना।
- आर्थिक विकास।
- रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा करना।
- व्यापार करने में सुलभता बढ़ाना।

संबंधित कन्वेंशन/संधि (भारत ने इन सभी पर हस्ताक्षर किये हैं)

- **WIPO द्वारा प्रशासित (प्रथमतः मान्यता प्राप्त IPR के अंतर्गत):**
  - औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण हेतु पेरिस कन्वेंशन, 1883 **(पेटेंट, औद्योगिक डिज़ाइन)।**
  - साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण हेतु बर्न अभिसमय, 1886 **(कॉपीराइट)।**
- **विश्व व्यापार संगठन (WTO)- ट्रिप्स समझौता:**
  - सुरक्षा के पर्याप्त मानक सुनिश्चित करना।
  - विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिये प्रोत्साहित करना।
- **बुडापेस्ट अभिसमय, 1977:**
  - पेटेंट प्रक्रिया के प्रयोजन हेतु सूक्ष्मजीवों के जमाव की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता।
- **मर्राकेश VIP समझौता, 2016:**
  - दृष्टिबाधित व्यक्तियों और आँखों से दिव्यांगों (print disabilities) वाले व्यक्तियों को प्रकाशित कार्यों तक पहुँच की सुविधा प्रदान करना।
- IPR को **अनुच्छेद 27** (मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा) में भी रेखांकित किया गया है।

भारत की पहल और IPR

- **राष्ट्रीय IPR नीति, 2016:**
  - **आदर्श वाक्य:** "क्रिएटिव इंडिया; इनोवेटिव इंडिया"।
  - ट्रिप्स समझौते के अनुरूप।
  - सभी IPR को एक मंच पर लाता है।
  - नोडल विभाग - औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (वाणिज्य मंत्रालय)।
- राष्ट्रीय (IP) जागरूकता मिशन **(NIPAM)**
- बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिये कलाम कार्यक्रम **(KAPILA)**

विश्व बौद्धिक संपदा दिवस: 26 अप्रैल

बौद्धिक संपदा	संरक्षण	भारत में कानून	अवधि
कॉपीराइट	विचारों की अभिव्यक्ति	कॉपीराइट अधिनियम 1957	परिवर्तनीय
पेटेंट	आविष्कार- नवीन प्रक्रियाएँ, मशीनें आदि।	भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970	सामान्यतः 20 वर्ष
ट्रेडमार्क	व्यावसायिक वस्तुओं या सेवाओं को पृथक करने के लिये चिह्न	व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999	अनिश्चित काल तक रह सकता है
ट्रेड सीक्रेट	व्यावसायिक जानकारी की गोपनीयता	पंजीकरण के बिना संरक्षित	असीमित समय
भौगोलिक संकेत (GI)	विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति पर प्रयुक्त संकेतक और उत्पत्ति स्थल के वजह से विशिष्ट गुण रखते हों	वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999	10 वर्ष (नवीकरणीय)
औद्योगिक डिज़ाइन	किसी लेख का सजावटी या सौंदर्यपरक पहलू	डिज़ाइन अधिनियम, 2000	10 वर्ष

Drishti IAS

नोट :

काउंटर-ड्रोन प्रौद्योगिकी और UAV विकास

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation- DRDO) ने एक व्यापक काउंटर-ड्रोन प्रणाली विकसित करने में उपलब्धि हासिल की है और साथ ही हाई-इंड्यूरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल (Unmanned Aerial Vehicles- UAV) की उन्नति पर ध्यान केंद्रित किया है।

काउंटर-ड्रोन प्रौद्योगिकी और UAV से संबंधित हालिया विकास क्या हैं?

- **काउंटर-ड्रोन प्रौद्योगिकी विकास:**
  - DRDO ने ड्रोन का पता लगाने, पहचान करने तथा उसे निष्क्रिय करने के लिये एक व्यापक एंटी-ड्रोन प्रणाली विकसित की है।
    - यह तकनीक माइक्रो ड्रोन सहित सभी प्रकार के ड्रोनों के हमलों, सॉफ्ट किल तथा हार्ड किल का मुकाबला करने में सक्षम है।
  - बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिये उक्त प्रौद्योगिकी को BEL, L&T एवं Icom जैसी निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ साझा किया गया है।
- **UAV विकास:**
  - तपस MALE UAV: आसूचना, निगरानी, लक्ष्य प्राप्ति तथा आवीक्षण (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance- ISTAR) अनुप्रयोगों के लिये विकसित तपस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (Medium Altitude Long Endurance- MALE) UAV विकासात्मक परीक्षणों के एक उन्नत चरण में है।
    - स्वदेशी बैटरी प्रबंधन प्रणाली के साथ लिथियम आयन-आधारित बैटरी को DRDO ने एक निजी विक्रेता के सहयोग से विकसित किया है तथा इसका उपयोग तपस UAV पर किया जा रहा है।
  - आर्चर UAV: आवीक्षण, निगरानी तथा कम चिंताजनक संघर्ष वाली स्थिति के लिये शॉर्ट रेंज आर्म्ड UAV आर्चर का विकास किया जा रहा है जिसका उड़ान परीक्षण कार्य प्रगति में हैं।

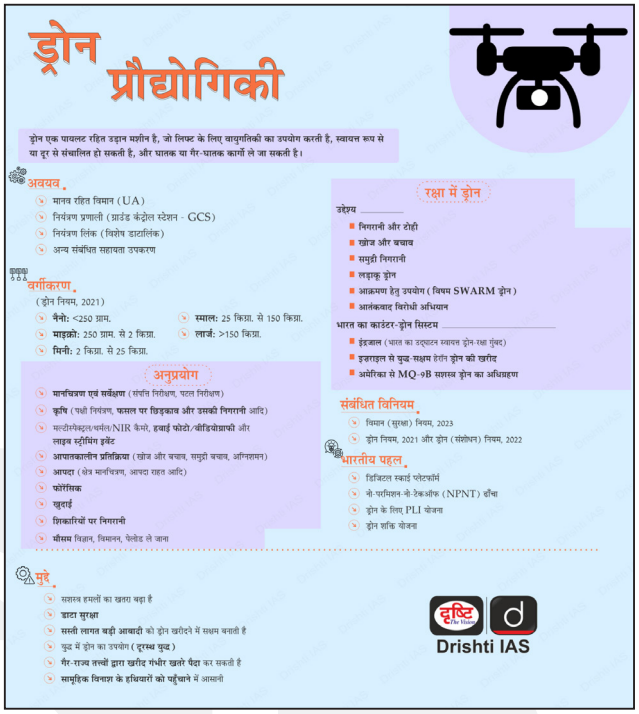

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन क्या है?

- परिचय: DRDO, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की R&D विंग है, जिसका लक्ष्य अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के साथ भारत को सशक्त बनाना और महत्त्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है।
  - मूल सिद्धांत: "बलस्य मूलं विज्ञानं" (विज्ञान शक्ति का स्रोत है।)
- स्थापना: भारतीय सेना और तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय के मौजूदा प्रतिष्ठानों को सम्मिलित कर वर्ष 1958 में स्थापित किया गया।
- महत्त्वपूर्ण योगदान: अग्नि और पृथ्वी शृंखला की मिसाइलें, तेजस (हल्के लड़ाकू विमान), पिनाक (मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर), आकाश (वायु रक्षा प्रणाली), रडार तथा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली जैसे रणनीतिक सिस्टम एवं प्लेटफॉर्म विकसित किये।

ISRO द्वारा पॉलिमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल का परीक्षण

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation- ISRO) ने ऑर्बिटल/कक्षीय प्लेटफॉर्म, POEM3 में 100 W श्रेणी के पॉलिमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल (PEMFC) पर आधारित उर्जा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

नोट :

PEMFC परीक्षण के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं ?

- प्रौद्योगिकी का परीक्षण: ISRO ने 100-वॉट की श्रेणी के PEMFC का परीक्षण किया जो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को बिजली, जल तथा ऊष्मा में परिवर्तित करता है। यह तकनीक अंतरिक्ष में पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तुलना में कई लाभ प्रदान करती है, जिनमें निम्नलिखित चीज़ें शामिल हैं:
  - उच्च दक्षता: PEMFC ईंधन को प्रत्यक्ष रूप से विद्युत में परिवर्तित करता है जिसके परिणामस्वरूप यह बैटरी की तुलना में अधिक कार्यकुशल होती है।
  - शुद्ध संचालन: PEMFC उपोत्पाद के रूप में मात्र जल का उत्पादन करते हैं, जिससे जटिल अपविष्ट प्रबंधन प्रणालियों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
    - PEMFC द्वारा उत्पादित जल का उपयोग जहाज़ पर खपत के लिये अथवा अतिरिक्त ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिये इलेक्ट्रोलिसिस के लिये किया जा सकता है।
- परीक्षण प्लेटफॉर्म: PEMFC का परीक्षण कक्षीय प्लेटफॉर्म, POEM3 में किया गया, जिसे 1 जनवरी, 2024 को PSLV-C58 द्वारा लॉन्च किया गया।
  - POEM3 वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में अंतरिक्ष में नई प्रौद्योगिकियों के परीक्षण के लिये एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- भविष्य के मिशनों के लिये निहितार्थ: PEMFC का सफल परीक्षण भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिये कई उल्लेखनीय संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करता है:
  - भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को शक्ति प्रदान करना: PEMFC की उच्च दक्षता और जल उत्पादन क्षमताएँ उन्हें प्रस्तावित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को शक्ति प्रदान करने के लिये आदर्श बनाती हैं।
  - गहन अंतरिक्ष अन्वेषण: PEMFC मंगल ग्रह जैसे डीप स्पेस/गहन अंतरिक्ष स्थलों पर दीर्घ अवधि के मिशनों के लिये विद्युत् ऊर्जा का एक विश्वसनीय और धारणीय स्रोत प्रदान कर सकता है।

नोट: ISRO के अनुसार वर्तमान में प्रयुक्त सेल के लिये कम वज़न और सस्ती लागत विकल्प के रूप में 10 AH सिलिकॉन-ग्रेफाइट एनोड आधारित उच्च ऊर्जा घनत्व Li-आयन सेल को मान्य किया है।

ईंधन सेल क्या है ?

- परिचय: ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जो ईंधन (जैसे– हाइड्रोजन) और ऑक्सीडेंट (जैसे– ऑक्सीजन) की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत् ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
  - संग्रहीत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली बैटरियों के ठीक विपरीत, ईंधन सेल तब तक लगातार विद्युत् ऊर्जा का उत्पादन करती हैं जब तक उन्हें ईंधन और ऑक्सीडेंट की आपूर्ति की जाती है।
- **ईंधन सेल के प्रमुख प्रकार:**
  - पॉलिमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल: इनमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में एक पतली, ठोस बहुलक झिल्ली का उपयोग किया जाता है और ये पोर्टेबल अनुप्रयोगों के लिये उपयुक्त हैं।
  - ठोस ऑक्साइड ईंधन सेल (Solid Oxide Fuel Cells- SOFC): SOFC में एक सिरेमिक इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है जो उच्च तापमान पर कार्य कर सकता है। ये अत्यधिक कुशल हैं लेकिन PEMFC की तुलना में अधिक महंगे और जटिल हैं।
  - क्षारीय ईंधन कोशिकाएँ (Alkaline Fuel Cells - AFCs): AFC पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड (potassium hydroxide) से बने तरल इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करते हैं। वे PEMFC और SOFC की तुलना में कम कुशल, कम महंगे हैं तथा ईंधन में अशुद्धियों के प्रति अधिक सहनशील हो सकते हैं।

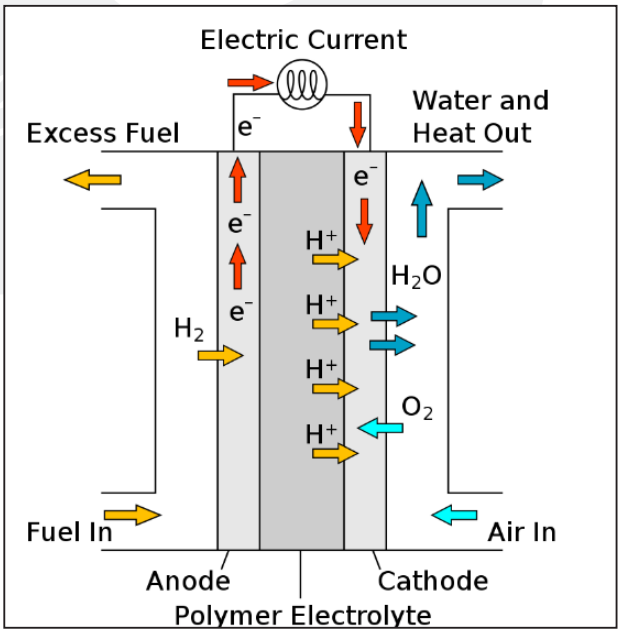

- **ईंधन सेल (Fuel cells) के अनुप्रयोग:**
  - संवहन: ईंधन सेल का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, नावों और यहाँ तक कि हवाई जहाज़ों को बिजली देने के लिये किया जा सकता है।

नोट :

- ईंधन सेल अंतरिक्ष मिशनों को भी शक्ति प्रदान कर सकते हैं, अंतरिक्ष यान के लिये विद्युत शक्ति प्रदान कर सकते हैं और लंबी अवधि के मिशनों के लिये एक भरोसेमंद ऊर्जा स्रोत प्रदान कर सकते हैं।
- शून्य उत्सर्जन के साथ अत्यधिक कुशल, जो उन्हें अंतरिक्ष अभियानों के लिये आदर्श बनाता है।

- पोर्टेबल पावर: ईंधन सेल का उपयोग लैपटॉप कंप्यूटर, सेल फोन और अन्य पोर्टेबल उपकरणों को बिजली देने के लिये किया जा सकता है।
- स्थिर विद्युत: ईंधन सेल का उपयोग घरों, व्यवसायों और यहाँ तक कि पूरे शहरों को बिजली देने के लिये किया जा सकता है।

अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित चिंताएँ

संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश सचिव ने हाल ही में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के कारण "विशेष चिंता वाले देश (Countries of Particular Concern- CPC)", 'विशेष निगरानी सूची (Special Watch List- SWL) वाले देश' और 'विशेष चिंता वाली संस्थाएँ (Entities of Particular Concern- EPC)' के रूप में नामित देशों की एक सूची घोषित की जिसमें प्रमुख रूप से चीन, पाकिस्तान तथा उत्तर कोरिया शामिल हैं।

धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी चिंताएँ क्या हैं?

- **परिचय:**
  - अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य आयोग (United States Commission on International Religious Freedom- USCIRF) देशों को CPC के रूप में पदनाम देने के लिये राज्य सचिव को अनुशंसा करता है।
    - अमेरिका उन देशों में चल रहे धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को स्वीकार करता है जिन्हें आधिकारिक तौर पर नामित नहीं किया गया है। सरकारों से धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले, सांप्रदायिक हिंसा, शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के लिये लंबे समय तक कारावास, अंतर्राष्ट्रीय दमन एवं धार्मिक समुदायों के खिलाफ हिंसा के आह्वान जैसे दुर्व्यवहारों को रोकने का आग्रह किया जाता है।

नोट:

- इससे पहले, USCIRF ने अपनी 2023 की रिपोर्ट में विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों, ईसाइयों और दलितों के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन का हवाला देते हुए भारत को CPC के रूप में नामित किया था।
- रिपोर्ट में भारत सरकार के कुछ कानूनों और नीतियों की भी आलोचना की गई, जैसे कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC), साथ ही धार्मिक असंतुष्टों तथा कार्यकर्त्ताओं का कथित उत्पीड़न, हिंसा एवं भेदभाव।
- भारत सरकार ने रिपोर्ट को 'पक्षपाती और प्रेरित' बताकर खारिज़ कर दिया। सरकार ने अपने सभी नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने तथा उन्हें बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता का भी बचाव किया, चाहे उनकी आस्था कुछ भी हो।
- **अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता हेतु मानदंड:**
  - अमेरिका इस बात पर बल देता है कि वर्ष 1998 में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (International Religious Freedom Act - IRFA) के लागू होने के बाद से धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना अमेरिकी विदेश नीति का एक मूल लक्ष्य रहा है।
  - विभिन्न श्रेणियों में देशों को नामित करने के मानदंड
    - CPCs: जब देशों की सरकारें IRFA 1998 के तहत धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकार के "व्यवस्थित, चल रहे और गंभीर उल्लंघन" में संलग्न होती हैं या अनुमति देती हैं।
    - SWL: यह सरकारों द्वारा गंभीर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को अंजाम देने या सहन करने पर आधारित है।
    - EPC: व्यवस्थित रूप से जारी और गंभीर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिये।
- **वर्ष 2024 में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिये नामित देश:**
  - चिंताजनक स्थिति वाले देश:
    - नामित देशों में चीन, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, क्यूबा, इरिट्रिया, ईरान, निकारागुआ, रूस, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और म्याँमार शामिल हैं।
  - विशेष निगरानी सूची वाले देश:
    - अल्जीरिया, अज़रबैजान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कोमोरोस और वियतनाम को "विशेष निगरानी सूची वाले देश" के रूप में चिह्नित किया गया है।
  - विशेष चिंताजनक संस्थाएँ:
    - अल-शबाब, बोको हरम, हयात तहरीर अल-शाम, हौथिस, ISIS-साहेल, ISIS-पश्चिमी अफ्रीका, अल-कायदा से संबद्ध जमात नस्र अल-इस्लाम वाल-मुस्लिमिन और तालिबान जैसे आतंकवादी संगठनों को "विशेष चिंताजनक संस्थाओं" के रूप में नामित किया गया है।"

धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति:

- **भारत:**
  - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25-28 मौलिक अधिकार के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है तथा किसी भी धर्म को देश का आधिकारिक धर्म घोषित नहीं किया गया है।
    - अनुच्छेद 25 (अन्त:करण की स्वतंत्रता तथा धर्म का स्वतंत्र आचरण, अभ्यास एवं प्रचार)।
    - अनुच्छेद 26 (धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता)।
    - अनुच्छेद 27 (किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिये करों के भुगतान की स्वतंत्रता)।
    - अनुच्छेद 28 (कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा अथवा धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता)।
    - इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 29 तथा 30 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित हैं।
- **वैश्विक:**
  - मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (Universal Declaration of Human Rights) का अनुच्छेद 18 पुष्टि करता है कि, "प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अन्त:करण तथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, इस अधिकार में अपने धर्म अथवा विश्वास को परिवर्तित करने की स्वतंत्रता तथा एकल अथवा दूसरों के साथ समुदाय में एवं सार्वजनिक अथवा निजी तौर पर शिक्षण, अभ्यास, उपासना व अनुसरण में अपने धर्म अथवा आस्था को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता शामिल है।

भारत ने सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पर हस्ताक्षर किये

भारत सरकार ने हाल ही में सऊदी अरब साम्राज्य (KSA) के साथ वर्ष 2024 के लिये द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, जो वार्षिक हज यात्रा की सुविधा में एक महत्त्वपूर्ण विकास है।

- भारत से वर्ष 2024 के हज के लिये कुल 1,75,025 तीर्थयात्रियों का कोटा निर्धारित किया गया है, जिसमें 1,40,020 सीटें भारतीय हज समिति हेतु और 35,005 सीटें हज समूह संचालकों (Haj Group Operators) के लिये आरक्षित हैं।
- समझौता महरम (पुरुष साथी) के बिना महिला तीर्थयात्रियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये भारत सरकार की पहल की भी सराहना और समर्थन करता है।

हज यात्रा की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ?

- हज सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का की एक पवित्र तीर्थयात्रा है जिसे प्रत्येक वयस्क मुसलमान को अपने जीवनकाल में कम-से-कम एक बार अवश्य करना चाहिये। यह इस्लाम के पाँच स्तंभों में से एक है।
  - इस्लाम के अन्य स्तंभ:
    - शहादा (विश्वास): ईश्वर की एकता में विश्वास की घोषणा और मुहम्मद को अल्लाह के पैगंबर के रूप में स्वीकार करना।
    - सलाह (प्रार्थना): मक्का में काबा के सामने पाँच दैनिक प्रार्थनाएँ करना।
    - ज़कात (दान): अपने धन का एक हिस्सा ज़रूरतमंद लोगों को देना।
    - सावन (उपवास): रमज़ान के महीने के दौरान उपवास।
- हज इस्लामिक माह धू अल-हिज्जाह के दौरान होता है और पाँच से छह दिनों तक किया जाता है।
- तीर्थयात्री समानता और पवित्रता के प्रतीक के रूप में साधारण सफेद वस्त्र (इहराम) पहनते हैं।
- तीर्थयात्री काबा की परिक्रमा करते हैं, जो ग्रैंड मस्जिद में एक काली घन संरचना है, सात बार वामावर्त दिशा में और उसके कोने पर स्थित काले पत्थर को चूमते हैं या छूते हैं।
  - इस अनुष्ठान को तवाफ़ कहा जाता है, जिसका अरबी में अर्थ है "गोल-गोल घूमना"।

भारतीय तीर्थयात्रियों के लिये हज यात्रा

- भारतीय तीर्थयात्रियों के लिये हज यात्रा या तो हज कमेटी ऑफ इंडिया (HCoI) के माध्यम से आयोजित की जाती है, जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक वैधानिक संगठन है या फिर मंत्रालय द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित हज समूह आयोजकों (HGO) के माध्यम से किया जाता है।
  - अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत में हज यात्रा संचालित करने वाला नोडल मंत्रालय है।
- भारतीय हज समिति (HCI) की स्थापना वर्ष 2002 में हज समिति अधिनियम, 2002 के तहत की गई थी।
  - सऊदी अरब में एचसीआई तीर्थयात्रियों के लिये व्यवस्था के सभी पहलुओं का समन्वय भारत के महावाणिज्य दूतावास (CGI), जेद्दा, सऊदी अरब द्वारा किया जाता है।

नोट :

राष्ट्रपति ने प्रदान किये खेल और साहसिक पुरस्कार 2023

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल तथा साहसिक पुरस्कार (National Sports and Adventure Awards) 2023 प्रदान करने के लिये राष्ट्रपति भवन में एक समारोह की अध्यक्षता की।

- पुरस्कारों का संचालन भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

समारोह में कौन-से पुरस्कार शामिल थे ?

- **मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार:**
  - यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, जिसे वर्ष 1991-92 में स्थापित किया गया।
  - इस पुरस्कार का नाम हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है।
  - यह चार वर्ष की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये दिया जाता है।
  - यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले उल्लेखनीय विजेताओं में एमसी मैरी कॉम, पीवी सिंधु, सचिन तेंदुलकर तथा विराट कोहली शामिल हैं।
    - 2023: वर्ष 2023 के लिये यह पुरस्कार चिराग शेट्टी एवं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी (बैडमिंटन) को दिया गया।
- **अर्जुन पुरस्कार:**
  - वर्ष 1961 में स्थापित यह पुरस्कार खेल रत्न के अस्तित्व में आने से पूर्व भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान था।
  - इसका नाम महाभारत के पात्र अर्जुन के नाम पर रखा गया है।
  - यह पुरस्कार 4 वर्ष की अवधि में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये प्रदान किया जाता है।
  - पुरस्कार प्राप्त विजेताओं को अर्जुन की एक प्रतिमा, एक प्रमाण-पत्र तथा नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
  - सर्वप्रथम वर्ष 1961 में फुटबॉल ओलंपियन पीके बनर्जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
  - प्रथम महिला पुरस्कार विजेता: हॉकी खिलाड़ी अन्ना लम्सडेन।
    - 2023: वर्ष 2023 के लिये अदिति गोपीचंद स्वामी (तीरंदाज़ी), मोहम्मद शमी (क्रिकेट), ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर (शूटिंग) तथा अन्य को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- **द्रोणाचार्य पुरस्कार:**
  - यह पुरस्कार प्रशिक्षकों/कोच को प्रदान किया जाने वाला भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है जिसे वर्ष 1985 में स्थापित किया गया था।
  - इसका नाम महाभारत में अर्जुन के प्रशिक्षक द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है।
  - इससे सम्मानित विजेताओं को द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण-पत्र एवं नकद पुरस्कार दिया जाता है।
  - प्रथम महिला पुरस्कार विजेता: वर्ष 2002 में एथलेटिक्स कोच रेनू कोहली।
  - यह पुरस्कार खेल क्षेत्र में हाल की उपलब्धियों तथा आजीवन योगदान दोनों के लिये दिया जाता है।
    - 2023:
  - नियमित श्रेणी: ललित कुमार (कुश्ती), आर.बी रमेश (शतरंज) सहित अन्य।
  - आजीवन श्रेणी: जसकीरत सिंह ग्रेवाल (गोल्फ), भास्करन ई (कबड्डी) सहित अन्य।
- **मेजर ध्यानचंद पुरस्कार:**
  - वर्ष 2002 में स्थापित यह पुरस्कार खेल क्षेत्र में में आजीवन उपलब्धियों के लिये दिया जाता है।
  - व्यक्तिगत क्षमता में खेलों को प्रोत्साहन देने वाले योगदानकर्त्ताओं को इससे सम्मानित किया जाता है।
  - इसे प्राप्त करने वाले प्रथम विजेताओं में ओलंपियन मुक्केबाज़ शाहुराज बिराजदार तथा हॉकी खिलाड़ी अशोक दीवान शामिल हैं।
    - 2023: वर्ष 2023 के लिये मंजूषा कंवर (बैडमिंटन), विनीत कुमार शर्मा (हॉकी), कविता सेल्वराज (कबड्डी) को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- **मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी (Maulana Abul Kalam Azad Trophy - MAKA):**
  - भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, 1956-1957 में स्थापित किया गया।
  - अंतर-विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन के लिये किसी संस्थान या विश्वविद्यालय को दिया जाता है।
  - पुरस्कार में एक रोलिंग MAKA ट्रॉफी और एक नकद पुरस्कार शामिल है।
  - सबसे पहले वर्ष 1956-57 में बम्बई विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया।

नोट :

- 2023: गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर (समग्र विजेता विश्वविद्यालय); लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पंजाब (प्रथम उपविजेता); कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र (द्वितीय उपविजेता)।

- **राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार:**
  - वर्ष 2009 में स्थापित किया गया।
  - खेल प्रोत्साहन और विकास के लिये संगठनों तथा व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया।
  - श्रेणियों में प्रतिभा की पहचान, कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी, खिलाड़ियों का रोज़गार और विकास के लिये खेल शामिल हैं।
    - 2023: जैन (डीम्ड-टू-बी-यूनिवर्सिटी), ओडिशा खनन निगम लिमिटेड।
- **तेनज़िंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक (Adventure) कार्य पुरस्कार:**
  - इसे वर्ष 1993-1994 से प्रस्तुत किया गया है और इसका नाम तेनजिंग नोर्गे के नाम पर रखा गया है, जो 1953 में एडमंड हिलेरी के साथ माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुँचने वाले पहले दो व्यक्तियों में से एक थे।
  - प्राप्तकर्त्ताओं को पिछले तीन वर्षों में "भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि" के लिये सम्मानित किया गया है।
  - इस पुरस्कार का दर्जा खेल के क्षेत्र में दिये जाने वाले अर्जुन पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है।
    - 2022: स्वर्गीय सुश्री सविता कंसवाल (भूमि), श्री तुलसी चैतन्य मोथुकुरी (जल), श्री अंशू कुमार तिवारी (वायु)।

हिम तेंदुओं के लिये संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम

पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क (PNHZP), पश्चिम बंगाल जिसे आमतौर पर दार्जिलिंग चिड़ियाघर के रूप में भी जाना जाता है, ने हिम तेंदुओं के लिये अपने सफल संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम (Conservation Breeding Programme- CBC) हेतु वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर ज़ू एंड एक्वेरियम (WAZA) से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल की है।

- यह मान्यता वन्यजीव संरक्षण और संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के प्रति चिड़ियाघर के समर्पण का एक प्रमाण है।

विश्व चिड़ियाघर एवं एक्वेरियम संघ (World Association for Zoos and Aquariums-WAZA) क्या है?

- WAZA क्षेत्रीय संघों, राष्ट्रीय संघों, चिड़ियाघरों और एक्वैरियमों का वैश्विक गठबंधन है, जो विश्व भर में जीव-जंतुओं तथा उनके आवासों की देखभाल एवं संरक्षण के लिये समर्पित है।
- इसकी सदस्यता में विश्व भर के लगभग 400 अग्रणी संस्थान और संगठन शामिल हैं तथा यह संख्या लगातार बढ़ रही है।

दार्जिलिंग चिड़ियाघर में हिम तेंदुओं के संरक्षण के प्रयास क्या हैं?

- **परिचय:**
  - भारत में एकमात्र दार्जिलिंग चिड़ियाघर में हिम तेंदुओं के लिये संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम है।
  - हिम तेंदुओं के अलावा, इसमें रेड पांडा, पहाड़ी ओरल और तीतर लिये संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम हैं।
  - दार्जिलिंग चिड़ियाघर भारत का सबसे ऊँचाई पर स्थित सबसे बड़ा चिड़ियाघर है।
- **संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम:**
  - पहला गैर-स्थानिक संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1986 में हिम तेंदुए संरक्षण प्रजनन परियोजना के रूप में हुई।
  - दार्जिलिंग चिड़ियाघर में CBC के तहत वर्ष 1989 में हिम तेंदुए का पहला जन्म दर्ज किया गया। वर्तमान में चिड़ियाघर में CBC के तहत 77 हिम तेंदुओं का जन्म हो चुका है जो वन्यजीव संरक्षण में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
  - हिम तेंदुओं के प्रजनन में चिड़ियाघर की सफलता का श्रेय नर व मादा हिम तेंदुओं की सावधानीपूर्वक जोड़ी बनाने, बाड़ों के भीतर एक प्राकृतिक वातावरण बनाने तथा अंत:प्रजनन (Inbreeding) से बचने के लिये एक विस्तृत आनुवंशिक कोश/पूल का उपयोग करने को दिया जा सकता है।
  - नर व मादा तेंदुओं की जोड़ी बनाने से पूर्व अनुनय/संबंध विकसित करने के लिये उन्हें निकटवर्ती बाड़ों में रखा जाता है। उनकी अनुकूलता की पुष्टि होने पर उनकी जोड़ी बनाकर उन्हें एक ही बाड़े में रखा जाता है।
    - गर्भवती होने की स्थिति में मादा तेंदुओं को अलग कर दिया जाता है तथा नियमित रक्त परीक्षण एवं शरीर के भार की निगरानी के साथ उन्हें 24X7 CCTV निगरानी में रखा जाता है।
    - चिड़ियाघर सभी बंदी जानवरों के लिये उच्चतम जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुपालन करता है जिसमें परजीवियों से सुरक्षा हेतु नियमित जाँच, कृमि मुक्ति एवं उन्नत पशु चिकित्सा सुविधाएँ शामिल हैं।

नोट :

हिम तेंदुआ (Snow Leopard)

Drishti IAS

प्राय: इसे "Ghost of the Mountains" अर्थात "पहाड़ों का भूत" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

आवास

मध्य और दक्षिणी एशिया के पर्वतीय क्षेत्र
हिम तेंदुआ रेंज वाले देशों की संख्या (12) - भारत, नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, कज़ाखस्तान, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान

भारत में

पश्चिमी हिमालय : जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश
पूर्वी हिमालय : उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश

प्रमुख स्थान

हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख
(इसे हिम तेंदुओं की 'वैश्विक राजधानी' के रूप में भी जाना जाता है)
ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश
गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड
कंचनजंघा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम

खतरे

- मानव- हिम तेंदुआ संघर्ष
- शिकार एवं आवास की क्षति
- अवैध शिकार
- जलवायु परिवर्तन

संरक्षण स्थिति

IUCN रेड लिस्ट: सुभेद्य (Vulnerable)
CITES - परिशिष्ट - I
भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972: अनुसूची 1

संरक्षण हेतु प्रयास

- ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन (GSLEP) कार्यक्रम
- हिमाल संरक्षक - सामुदायिक स्वयंसेवी कार्यक्रम
- प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड (PSL)
- हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम - पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, पश्चिम बंगाल

अटल सेतु न्हावा शेवा सी लिंक

चर्चा में क्यों ?

भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (Mumbai Trans Harbour Link- MTHL) का उद्घाटन करने के लिये तैयार हैं, जिसे आधिकारिक तौर पर अटल सेतु न्हावा शेवा सी लिंक (Atal Setu Nhava Sheva Sea Link) के रूप में जाना जाता है, जो 22 किमी. का एक विशाल समुद्री पुल है।

- इस मेगा-इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का लक्ष्य सेवरी और चिरले के बीच यात्रा में क्रांतिकारी बदलाव लाना है, जिससे यात्रा के समय में उल्लेखनीय कमी आएगी।

MTHL की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ?

- **परिचय:**
  - अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है और साथ ही सबसे लंबा समुद्री पुल भी है।

नोट :

- यह पुल लगभग 21.8 किमी. लंबा छह लेन वाला पुल है, जिसकी लंबाई समुद्र के ऊपर लगभग 16.5 किमी. और ज़मीन पर लगभग 5.5 किमी है।

- इस पुल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है।
- यह पुल मुंबई के सेवरी से शुरू होता है और रायगढ़ ज़िले के उरण तालुका में न्हावा शेवा पर समाप्त होता है।
- इस परियोजना को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) द्वारा वित्तपोषित किया गया है, जो कुल परियोजना लागत का 80% हिस्सा कवर करती है, जबकि शेष हिस्सा राज्य और केंद्र सरकारों के बीच साझा किया जाता है।

नोट:

- इससे पहले असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर डॉ. भूपेन हज़ारिका पुल भारत का सबसे लंबा पुल था। यह 9.15 किमी. लंबा नदी पुल है।

- **सम्मिलित प्रौद्योगिकियाँ:**
  - MTHL में रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग (RCD) पाइलिंग, ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक (OSD) ब्रिज गर्डर्स और ओपन रोड टोलिंग (ORT) सिस्टम जैसी विभिन्न नवीन तकनीकों को शामिल किया गया है।
    - RCD तकनीक का उपयोग भारत में पहली बार किया गया है, जो ढेर नींव बिछाने के लिये नियोजित एक नवीन तकनीक है, यह पारंपरिक ऊर्ध्वाधर ड्रिलिंग विधि की तुलना में कम शोर उत्पन्न करती है।
    - OSD एक निर्माण विधि है जो ताकत और लचीलेपन को जोड़ती है। यह तकनीक पुल के स्टील डेक के हल्के ढाँचे को बनाए रखते हुए भारी वाहनों का सामना करने की अनुमति देती है।
    - MTHL वाहनों को रोकने या धीमा करने की आवश्यकता के बिना टोल एकत्र करने की ORT पद्धति अपनाने वाली देश की पहली परियोजना बन गई।
- **लाभ:**
  - मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीज़न डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) तथा JICA द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार MTHL सेवरी एवं चिरले के बीच औसत यात्रा समय को वर्तमान में 61 मिनट से घटाकर 16 मिनट से भी कम कर देगा।
  - शुरुआती वर्ष (2024) में प्रतिदिन करीब 40,000 वाहनों को लिंक का उपयोग करने की उम्मीद है।
  - यह अनुमान लगाया गया है कि यह परियोजना नवी मुंबई को मुंबई के साथ आर्थिक रूप से अधिक एकीकृत करने में सक्षम बनाएगी और साथ ही पनवेल, अलीबाग, पुणे एवं गोवा को भी इससे लाभ मिलेगा।

नोट :

- यह पुल मुंबई तथा पुणे एक्सप्रेसवे के बीच की दूरी को कम करने में सहायता प्रदान करेगा।

यूकेलिप्टस वनों को बचाने के लिये प्राकृतिक रोगजनक कवक

हाल ही में वैज्ञानिकों ने यूकेलिप्टस वन वृक्षारोपण को एक कीट, यूकेलिप्टस स्नाउट बीटल, जो यूकेलिप्टस को गंभीर नुकसान पहुँचाता है, से बचाने के लिये एक प्राकृतिक उपाय खोजा है।

- शोधकर्त्ताओं को प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रोगजनक कवक को एकत्रित करने में सफलता मिली है और इसे बीटल की जीवसंख्या को नियंत्रित करने के लिये जैविक कीटनाशक में बदला जा सकता है।
- पेपर पल्प के उत्पादन के लिये यूकेलिप्टस (सदाबहार पेड़) की लकड़ी एक महत्त्वपूर्ण सामग्री है।

यूकेलिप्टस स्नाउट बीटल क्या है?

- संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार, यूकेलिप्टस स्नाउट बीटल (गोनिप्टेरस प्लैटेंसिस) पत्ती खाने वाला बीटल है जो यूकेलिप्टस की एक प्रमुख निष्पत्रक प्रजाति (पेड़ को पत्तों से हीन करने वलि प्रजाति) है।
  - यह कीट मूलत: ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखता है लेकिन विश्व भर के कई देशों में पाया जाता है जहाँ यूकेलिप्टस उगाया जाता है।
- यह व्यापक क्षेत्रों तक नुकसान पहुँचा सकता है क्योंकि इसकी उड़ान क्षमता बहुत अच्छी होती है और यह वन उत्पादों के परिवहन के साथ स्थानांतरित भी हो जाता है।
- यह बीटल/भृंग पत्तियों, कलियों और टहनियों को खाता है, जिसके परिणामस्वरूप पेड़ का विकास रुक जाता है और वृक्ष-अपस्फीति होती है जिससे भारी नुकसान होता है।

कवक यूकेलिप्टस स्नाउट बीटल को किस प्रकार नियंत्रित कर सकता है?

- हाल के शोध में, वैज्ञानिकों ने यूकेलिप्टस वन वृक्षारोपण में प्राकृतिक रूप से संक्रमित बीटल से कवक एकत्र किया और बीटल को नियंत्रित करने हेतु जैव-कीटनाशक विकसित करने के लिये उनकी विशेषता बताई।
- कवक ब्यूवेरिया (Beauveria) और मेटारिज़ियम (Metarhizium) कुल से संबंधित हैं, जो कीड़ों को संक्रमित करने और मारने के लिये जाने जाते हैं।
  - ब्यूवेरिया स्यूडोबैसियाना (Beauveria pseudobassiana) और मेटारिज़ियम ब्रुनेउम (Metarhizium brunneum) सबसे अधिक विषैले कवक हैं।
  - B बैसियाना (B bassiana) 100% की मृत्यु दर के साथ, संपर्क और अंतर्ग्रहण दोनों द्वारा अत्यधिक प्रभावी था।
- एकीकृत कीट प्रबंधन का उपयोग करके धारणीय वानिकी के लिये जैव-कीटनाशक विकसित करने हेतु कवक का उपयोग किया जा सकता है।
- कवक को अन्य मापदंडों के बीच कीटनाशक गतिविधि, UV-B विकिरण सहिष्णुता का उपचार करके विकसित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राप्त कवक जैव-कीटनाशक और बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं व्यावसायीकरण के लिये उपयुक्त हैं।

सर्वाइकल कैंसर से लड़ने हेतु वैक्सीन ड्राइव

भारत सरकार 9-14 वर्ष की लड़कियों के लिये ह्यूमन पेपिलोमावायरस (HPV) के खिलाफ तीन चरण का टीकाकरण अभियान शुरू करने का इरादा रखती है, जिसका लक्ष्य सर्वाइकल कैंसर के खतरे को कम करना है।

- यह टीका HPV उपभेदों से भी सुरक्षा प्रदान करता है जो गुदा, योनि और ऑरोफरीनक्स के कैंसर का कारण बनते हैं। इसके अतिरिक्त, यह HPV उपभेदों से भी बचाता है जो जननांग मस्सों के लिये ज़िम्मेदार होते हैं।

नोट: सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वर्ष 2023 में स्वदेशी HPV वैक्सीन लॉन्च की थी, जिसे CERVAVAC के नाम से जाना जाता है।

सर्वाइकल कैंसर क्या है?

- **परिचय:**

नोट :

- सर्वाइकल कैंसर एक महिला के गर्भाशय ग्रीवा में विकसित होता है। यह विश्व स्तर पर महिलाओं में चौथा सबसे आम प्रकार का कैंसर है और यह भारत में महिलाओं में दूसरा सबसे आम प्रकार है।
  - भारत में वैश्विक सर्वाइकल कैंसर के भार का सबसे बड़ा हिस्सा देखा गया है यानी सर्वाइकल कैंसर के कारण विश्व स्तर पर हर 4 मौतों में से लगभग 1 (द लैंसेट अध्ययन के अनुसार)।
- सर्वाइकल कैंसर के लगभग सभी मामले (99%) उच्च जोखिम वाले HPV संक्रमण से जुड़े हैं, जो यौन संपर्क के माध्यम से प्रसारित होने वाला एक अत्यंत सामान्य वायरस है।
  - प्रभावी प्राथमिक (HPV टीकाकरण) और माध्यमिक रोकथाम दृष्टिकोण (कैंसर पूर्ववर्ती घावों के लिये जाँच एवं उपचार) सर्वाइकल कैंसर के अधिकांश मामलों को रोकने में सक्षम होगा।
- जब सर्वाइकल कैंसर का निदान किया जाता है, तो यह कैंसर के सबसे सफलतापूर्वक इलाज योग्य रूपों में से एक है, जितना शीघ्र इसका पता चल जाता है इसे उतने ही प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है।
- सर्वाइकल कैंसर के वैश्विक बोझ का लगभग पाँचवाँ हिस्सा भारत पर है, जहाँ प्रत्येक वर्ष लगभग 1.25 लाख मामले और लगभग 75,000 मौतें दर्ज की जाती हैं।

- **तनाव के प्रकार :**
  - कुछ उच्च जोखिम वाले HPV उपभेदों के साथ लगातार संक्रमण सभी सर्वाइकल कैंसर के लगभग 85% का कारण बनता है।
  - कम से कम 14 HPV प्रकारों की पहचान ऑन्कोजेनिक (कैंसर पैदा करने की क्षमता) के रूप में की गई है।
    - इनमें से HPV प्रकार 16 और 18, जिन्हें सबसे अधिक ऑन्कोजेनिक माना जाता है, वैश्विक स्तर पर सभी गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लगभग 70% मामलों के लिये ज़िम्मेदार पाए गए हैं।

IISc द्वारा विकसित ताप-सहिष्णु कोविड-19 वैक्सीन

भारतीय विज्ञान संस्थान (Indian Institute of Science-IISc) के शोधकर्त्ताओं द्वारा विकसित एक ताप-सहिष्णु (Heat-Tolerant) वैक्सीन/टीके में SARS-CoV-2 के वर्तमान के सभी मौजूदा प्रभेदों (Strains) के विरुद्ध प्रभावी होने के अतिरिक्त भविष्य के वेरिएंट के लिये भी शीघ्र अनुकूलित होने की क्षमता है।

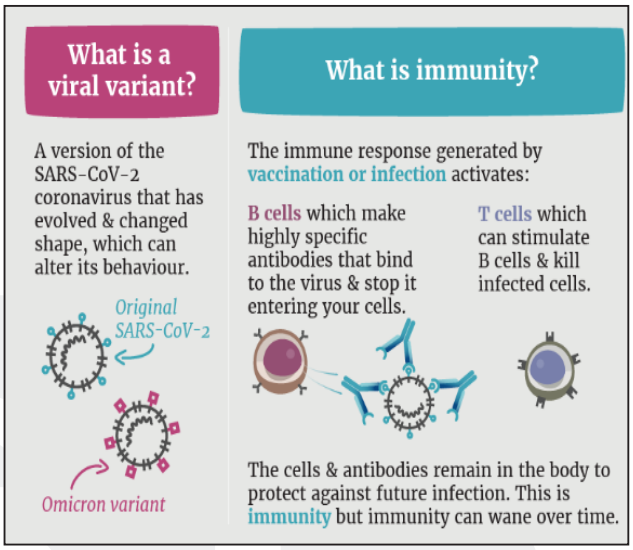

IISc द्वारा विकसित वैक्सीन से संबंधित मुख्य बिंदु क्या हैं?

- पृष्ठभूमि: IISc के अनुसार वर्तमान टीके अधिकांश SARS-CoV-2 प्रभेदों के विरुद्ध प्रभावी साबित हुए हैं किंतु वायरस/विषाणु द्वारा तेज़ी से उत्परिवर्तन (Mutation) के कारण टीकों की प्रभावकारिता कम हुई है।
- प्रतिजन चयन: विषाणु में पाए जाने वाले विभिन्न प्रोटीनों का विश्लेषण करने के बाद शोधकर्त्ताओं ने अपने संभावित टीके को विकसित करने के लिये SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन के दो भागों, S2 सबयूनिट और रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन (RBD) का चयन किया।
  - S2 सबयूनिट अत्यधिक संरक्षित होता है। यह S1 सबयूनिट की तुलना में बहुत कम उत्परिवर्तन करता है जो कि अधिकांश वर्तमान टीकों का लक्ष्य है तथा RBD एक मज़बूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है।
  - चयनित घटकों को एकीकृत कर एक हाइब्रिड प्रोटीन विकसित किया गया जिसे RS2 के नाम से जाना जाता है।
  - इसके बाद शोधकर्त्ताओं ने चूहों तथा हैम्स्टर दोनों में प्रोटीन के प्रभावों का परीक्षण किया। उन्होंने पाया कि हाइब्रिड प्रोटीन ने एक मज़बूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रदर्शित की।

नोट :

नोट: रिसेप्टर-बाइंडिंग डोमेन अपने 'स्पाइक' डोमेन पर स्थित वायरस का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है जो इसे कोशिकाओं में प्रवेश करने तथा संक्रमण फैलाने के लिये शारीरिक रिसेप्टर्स से जुड़ने में सक्षम बनाता है।

- SARS-CoV-2 का स्पाइक (S) प्रोटीन जो रिसेप्टर पहचानने तथा कोशिका झिल्ली संगलन प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, दो सबयूनिट, S1 और S2 से बना है।

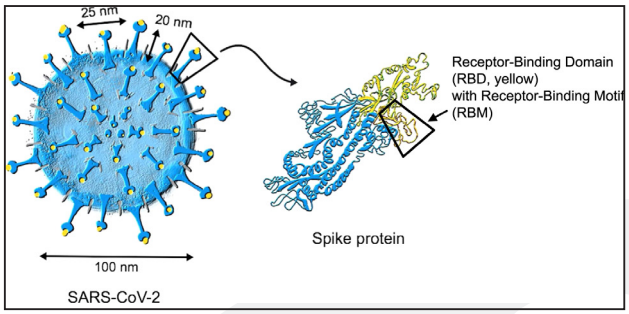

- **RS2 एंटीजन के लक्षण:**
  - वेरिएंट के अनुकूलता: RS2 एंटीजन को XBB.1.5 और JN.1 वेरिएंट सहित किसी भी नए SARS-CoV-2 वेरिएंट के RBD क्षेत्र को शामिल करने के लिये अनुकूलित किया जा सकता है।
    - यह अनुकूलन क्षमता वायरस के तीव्र उत्परिवर्तन से संबंधित चिंताओं का समाधान करती है।
  - भंडारण एवं वितरण: RS2 एंटीजन को कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता के बिना एक महीने तक कमरे के तापमान पर संग्रहीत किया जा सकता है।
  - आर्थिक लाभ: कम उत्पादन और वितरण लागत इसे आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाती है।

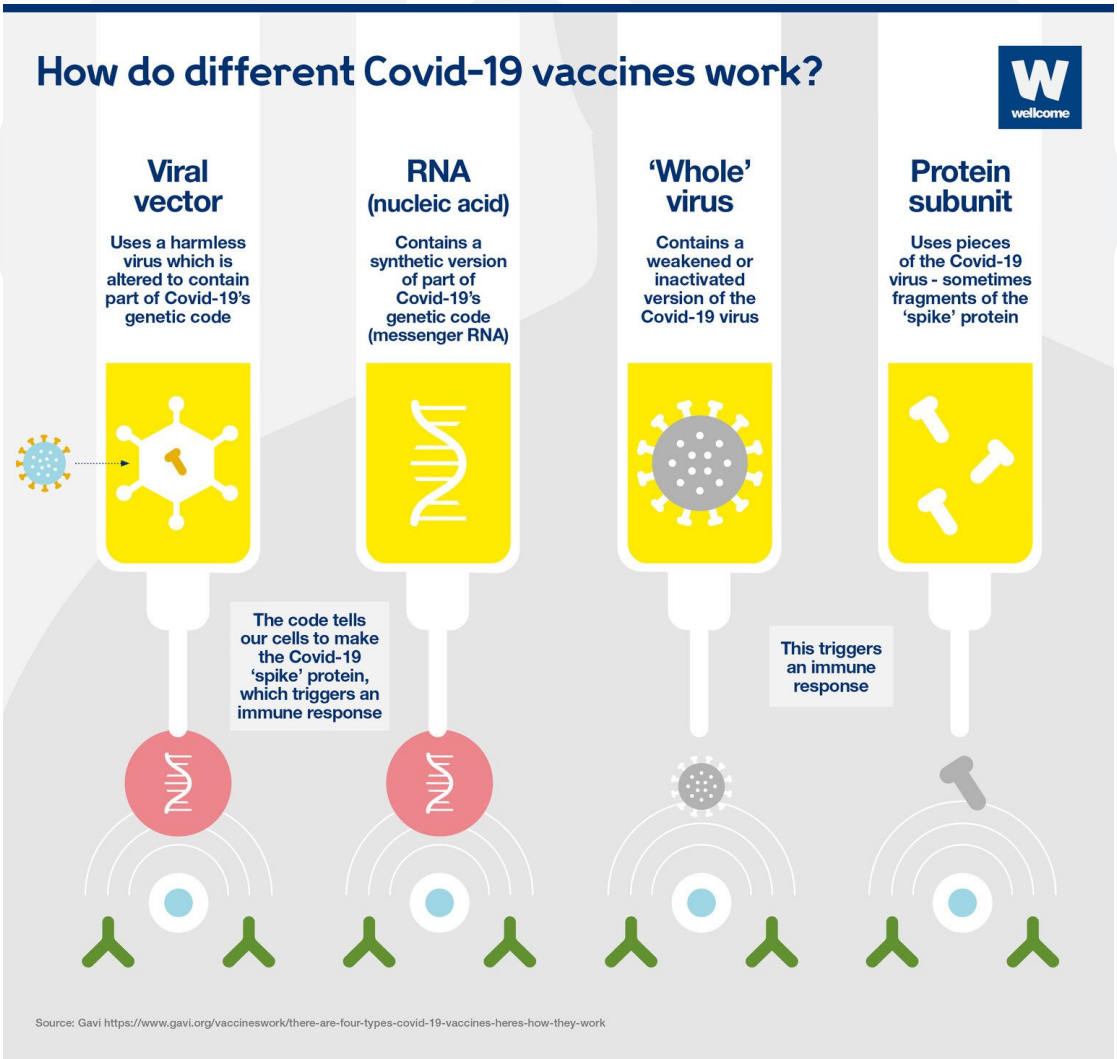

नोट :

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150 वर्ष

सार्वजनिक मौसम सेवाएँ प्रदान करने के अधिदेश के साथ भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department- IMD) 15 जनवरी, 2025 को अपनी उपस्थिति के 150 वर्ष पूरे कर लिये।

- इस मील के पत्थर को चिह्नित करने के लिये IMD ने 15 जनवरी, 2024 से 15 जनवरी, 2025 तक सभी उप-कार्यालयों में एक राष्ट्रव्यापी उत्सव की योजना बनाई है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) क्या है ?

- **परिचय:**
  - यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है और मौसम विज्ञान एवं संबद्ध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है।
  - यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
- **उद्देश्य:**
  - कृषि, सिंचाई, नौवहन, विमानन, अपतटीय तेल अन्वेषण आदि जैसी मौसम-संवेदनशील गतिविधियों के इष्टतम संचालन के लिये मौसम संबंधी अवलोकन करना और वर्तमान एवं पूर्वानुमानित मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करना।
  - उष्णकटिबंधीय चक्रवात, नॉर्थवेस्टर, धूल भरी आँधी, भारी बारिश और बर्फ, ठंड तथा ग्रीष्म लहरें आदि जैसी गंभीर मौसम की घटनाओं, जो जीवन एवं संपत्ति के विनाश का कारण बनती हैं, के प्रति चेतावनी देना।
  - कृषि, जल संसाधन प्रबंधन, उद्योगों, तेल की खोज और अन्य राष्ट्र-निर्माण गतिविधियों के लिये आवश्यक मौसम संबंधी आँकड़े प्रदान करना।
  - मौसम विज्ञान और संबद्ध विषयों में अनुसंधान का संचालन एवं प्रचार करना।

पिछले कुछ वर्षों में IMD का विकास कैसे हुआ है ?

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:**
  - वर्ष 1864 में दो विनाशकारी चक्रवात कोलकाता और आंध्र तट पर आये, जिससे जानमाल की भारी हानि हुई।
  - इन आपदाओं की गंभीरता ने वायुमंडलीय मापदंडों की निगरानी के लिये एक प्रणाली की अनुपस्थिति को उजागर किया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1875 में भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की स्थापना की गई।
- **IMD का विकास:**
  - IMD ने अपना आधिकारिक संचालन केवल एक व्यक्ति, HF ब्लैनफोर्ड, एक अंग्रेज़, जिसे इंपीरियल मौसम विज्ञान रिपोर्टर के रूप में मान्यता प्राप्त है, की नियुक्ति के साथ शुरू किया।
  - वर्ष 1903 में IMD के प्रमुख के रूप में नियुक्त गिल्बर्ट वॉकर के नेतृत्व में, मानसून को समझने में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई।
    - वॉकर ने वायुमंडलीय परिसंचरण में बड़े पैमाने पर दोलनों की पहचान की, जिससे अल नीनो घटना की आधुनिक समझ की नींव पड़ी।
  - 150 वर्षों में, IMD देश भर में स्थायी वेधशालाओं और स्वचालित मौसम स्टेशनों के साथ एक विशाल संगठन के रूप में विकसित हुआ है।
- **चक्रवात पूर्वानुमान में उन्नति:**
  - वर्ष 1999 में ओडिशा सुपर चक्रवात के दौरान, IMD को एक संकटपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा, जिसके लिये प्रौद्योगिकी और जनशक्ति में काफी व्यय की आवश्यकता पड़ी। तब से, चक्रवात से संबंधित हताहतों की संख्या में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है, जिसका श्रेय IMD के प्रभावी पूर्वानुमानों को जाता है।
  - IMD के चक्रवात पूर्वानुमान अब न केवल भारत बल्कि पूरे पड़ोसी क्षेत्र के लगभग 13 देश इन पूर्वानुमानों का उपयोग करके अपने चक्रवात प्रबंधन प्रणालियों का संचालन कर रहे हैं।
- **विविधतापूर्ण भूमिकाएँ :**
  - प्रारंभ में मौसम पूर्वानुमान पर ध्यान केंद्रित करने वाला IMD अब चुनाव, खेल आयोजनों, अंतरिक्ष प्रक्षेपण और विभिन्न क्षेत्रों के लिये विशेष सेवाएँ प्रदान करता है।
- **वैश्विक भूमिका एवं मान्यता :**
  - IMD की बढ़ी हुई क्षमताओं के कारण इसे दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय जलवायु केंद्र के रूप में मान्यता मिली है।
  - IMD ने संयुक्त राष्ट्र के 'सभी के लिये पूर्व चेतावनी (Early Warning for All)' कार्यक्रम में योगदान देने के लिये साझेदारी की है, जिसके लिये 30 देशों की पहचान की गई है।

भारत में मौसम विज्ञान से संबंधित प्रमुख पहल क्या हैं ?

- राष्ट्रीय मानसून मिशन (NMM)
- डॉप्लर वेदर रडार (DWR)
- मौसम एप

नोट :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023

BNSS ने CrPC 1973 को प्रतिस्थापित किया है और इसमें 531 धाराएँ हैं जिनमें 177 धाराएँ संशोधित की गईं, 9 नई धाराएँ जोड़ी गई और 14 धाराएँ निरस्त की गई हैं।

मुख्य प्रावधान

- **न्यायालयों का पदानुक्रम:** मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेटों की विशिष्टता और भूमिका को समाप्त कर दिया गया
- **इलेक्ट्रॉनिक मोड का अनिवार्य उपयोग:** जाँच, पूछताछ और परीक्षण के चरणों में
- **विचाराधीन कैदियों की हिरासत:** गंभीर अपराधों के आरोपियों के लिये व्यक्तिगत ज़मानत पर रिहाई को प्रतिबंधित कर दिया है।
- **गिरफ्तारी का विकल्प:** किसी आरोपी को गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है; इसके बजाय यदि आरोपी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने में विफल रहते हैं, तो पुलिस सुरक्षा जमानत की मांग कर सकती है।
- **सामुदायिक सेवा की परिभाषा:** 'वह कार्य जिसे अदालत किसी दोषी को सजा के रूप में करने का आदेश दे सकती है, जिससे समुदाय को लाभ होता है, उसके लिये वह किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा।'
- **शब्दावली का प्रतिस्थापन:** अधिकांश प्रावधानों में "मानसिक बीमारी" का स्थान "विकृत चित्त" ने ले लिया है
- **दस्तावेज़ीकरण प्रोटोकॉल:** वारंट के साथ/बिना तलाशी के लिये अनिवार्य ऑडियो-वीडियो दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता होती है, जिसमें रिकॉर्ड की गई सामग्री तुरंत मजिस्ट्रेट को सौंपी जाती है
- **प्रक्रियाओं के लिये समयसीमा:** विभिन्न प्रक्रियाओं के लिये समयसीमा निर्धारित करता है
  - जैसे बहस के बाद 30 दिनों के भीतर फैसला जारी करना
- **चिकित्सा परीक्षण:** कुछ मामलों में किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा अनुरोध किया जा सकता है
- **नमूना संग्रह:** मजिस्ट्रेट नमूना हस्ताक्षरों या लिखावट (specimen signatures) आदेशों से आगे बढ़कर, उन व्यक्तियों से भी, जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उनकी उंगली के निशान और आवाज़ के नमूने एकत्र करने की शक्ति प्रदान करता है।
- **फोरेंसिक जांच:** ≥ 7 वर्ष की कैद वाले दंडनीय अपराधों के लिये अनिवार्य
- **FIR पंजीकरण के संबंध में नई प्रक्रियाएँ:**
  - ज़ीरो FIR दर्ज करने के बाद, संबंधित पुलिस स्टेशन को इसे आगे की जाँच के लिये क्षेत्राधिकार के अनुसार उपयुक्त स्टेशन में स्थानांतरित करना होगा
  - FIR इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की जा सकती है और जानकारी आधिकारिक तौर पर 3 दिनों के भीतर व्यक्ति के हस्ताक्षर पर दर्ज की जाएगी
- **पीड़ित/सूचनाकर्त्ता के अधिकार**
  - पुलिस को आरोप पत्र दाखिल करने के बाद पीड़ित को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज़ उपलब्ध कराने होंगे।
  - राज्य सरकार द्वारा गवाह सुरक्षा योजना निर्धारित की जाएगी

प्रमुख मुद्दे

- शुरुआती 40 या 60 दिनों के भीतर 15 दिनों की पुलिस हिरासत की अनुमति दी गई है
- यह पुलिस हिरासत की मांग करते समय जाँच अधिकारी को कारण बताने का आदेश नहीं देती है
- उच्चतम न्यायालय के फैसलों और NHRC दिशानिर्देशों के विपरीत, गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी के उपयोग की अनुमति देती है
- एकाधिक आरोपों के मामले में अनिवार्य जमानत का दायरा सीमित है
- भारत में प्ली बार्गेनिंग को सेंटेंस बार्गेनिंग तक सीमित करता है
- संपत्ति जब्त करने की शक्ति का विस्तार चल संपत्ति के अलावा अचल संपत्ति तक भी किया गया है
- कई प्रावधान मौजूदा कानूनों से मेल खाते हैं
- BNSS2 सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव से संबंधित CrPC प्रावधानों को बरकरार रखता है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या परीक्षण प्रक्रियाओं और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को एक ही कानून के तहत विनियमित किया जाना चाहिये या अलग से संबोधित किया जाना चाहिये।

Drishti IAS

नोट :

रैपिड फायर

न्यूयॉर्क टाइम्स बनाम ओपन AI: AI IP अधिकारों की लड़ाई

न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) ने ओपनAI (OpenAI) और माइक्रोसॉफ्ट के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की है, जिसमें चैटजीपीटी सहित AI (Artificial intelligence) मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिये इसकी सर्वाधिकार (कॉपीराइट) सामग्री के अनाधिकृत उपयोग का आरोप लगाया गया है।

- यह कानूनी विवाद जेनेरिक AI प्लेटफार्मों के युग में बौद्धिक संपदा (IP) अधिकारों पर व्यापक बहस को रेखांकित करता है।
- यह बहस ऐसे समय में जोर पकड़ रही है जब भारत सहित दुनिया के देशों में पुराने प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) कानून हैं जिन्हें AI की लहर को ध्यान में रखते हुए फिर से कल्पना करने की जरूरत है।
- भारत में रचनात्मक कार्यों को कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत विनियमित किया जाता है।
  - अधिनियम में, एक "लेखक" वह व्यक्ति होता है जो साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय या कलात्मक रूपों में कंप्यूटर-जनित कार्यों को बनाने के लिये ज़िम्मेदार होता है।
  - हालाँकि, यह परिभाषा इस तथ्य को नज़रअंदाज़ करती है कि AI प्रणाली स्वतंत्र रूप से जानकारी उत्पन्न नहीं करती हैं।

अयोध्या की परिवर्तनकारी परियोजनाएँ

हाल ही में भारतीय प्रधान मंत्री ने अयोध्या में नवनिर्मित महर्षि वाल्मिकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया।

- LED लाइटिंग, वर्षा जल संचयन, सौर ऊर्जा तथा एक वाहित मल उपचार संयंत्र सहित अग्रणी संपोषितता सुविधाएँ टर्मिनल के लिये GRIHA - 5 स्टार रेटिंग सुनिश्चित करती हैं, जो पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देती हैं।
- महर्षि वाल्मिकी, जिन्हें आदि कवि (प्रथम कवि) के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारतीय महाकाव्य, रामायण के लेखक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन्हें एक श्रद्धेय ऋषि तथा हिंदू पौराणिक कथाओं व साहित्य में एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाना जाता है।

सोलहवें वित्त आयोग का गठन

भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुपालन में, NITI आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. अरविंद पनगढ़िया को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हुए, सोलहवें वित्त आयोग की स्थापना की है।

- संदर्भ की विशिष्ट शर्तों की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें संघ और राज्यों के बीच कर आय का वितरण, राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत एवं पंचायतों व नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकायों के लिये राज्य निधि को बढ़ाने के उपाय शामिल हैं।
- आयोग को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आपदा प्रबंधन वित्तपोषण व्यवस्था की समीक्षा करने और सुधार के लिये सिफारिशें करने का भी कार्य सौंपा गया है।
- आयोग से 31 अक्तूबर, 2025 तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

'उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र' को परिभाषित करने के लिये आवश्यक परीक्षण: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 "किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र" को स्पष्ट नहीं करता है और इसे केवल दस्तावेज़ी तथा मौखिक साक्ष्य के आधार पर एक परीक्षण में निर्धारित किया जा सकता है। (केस-दर-केस पर आधारित)।

- उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 धार्मिक स्थलों को किसी अलग धर्म या संप्रदाय के उपासना स्थलों में बदलने पर रोक लगाता है।
  - यह किसी भी उपासना स्थल की धार्मिक पहचान को संरक्षित करने का भी आदेश देता है जैसा कि 15 अगस्त, 1947 को था।
- ज्ञानवापी मामला वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के स्वामित्व और धार्मिक पहचान से संबंधित एक कानूनी लड़ाई है, जिसमें एक मस्ज़िद और एक मंदिर दोनों हैं।
  - हिंदू वादी का तर्क है कि मस्जिद स्थल सहित पूरा क्षेत्र मूल रूप से स्वयंभू भगवान आदि विश्वेश्वर को समर्पित एक मंदिर था।
  - उनका दावा है कि ज्ञानवापी भूखंड पर स्थित इस मंदिर को सन् 1669 में सम्राट औरंगज़ेब ने ध्वस्त कर दिया था।
- आज तक इस मुद्दे पर न तो सरकार और न ही सर्वोच्च न्यायालय ने कोई स्पष्ट रुख पेश किया है।

नोट :

भारत सुनामी के खतरे से बाहर

जापान के होंशू के पास 7.5 तीव्रता के आए भूकंप के बावजूद, हैदराबाद में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (Indian National Centre for Ocean Information Services-INCOIS) के एक विभाग, भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र (Indian Tsunami Early Warning Centre-ITEWC) ने यह स्पष्ट किया है कि भारत के लिये सुनामी का कोई खतरा नहीं है।

- प्रशांत महासागर सुनामी चेतावनी केंद्र (Pacific Ocean Tsunami Warning Centre- PTWC) और जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (Japan Meteorological Agency-JMA) ने जापान के लिये सुनामी बुलेटिन जारी किया।
- ITEWC भूकंप के केंद्र के पास समुद्र के स्तर में परिवर्तन (sea level changes) की निगरानी करता है और सुनामी के खतरे की स्थिति में प्रतिवेदन (report) जारी करता है।
  - भूकंप का केंद्र (Epicentre) पृथ्वी की सतह पर भूकंप के हाइपोसेंटर (या फोकस) के ठीक ऊपर एक बिंदु होताहै। यह पृथ्वी की सतह पर वह स्थान है जो पृथ्वी की भू-पर्पटी के भीतर भूकंप की उत्पत्ति के बिंदु से सीधे ऊपर स्थित होता है।
- INCOIS पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है, जिसका मिशन उद्योग, सरकार, शिक्षा और समाज को सर्वोत्तम समुद्री जानकारी तथा सलाहकार सेवाएँ प्रदान करना है।

संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल

हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश के वृन्दावन में संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। यह महत्त्वपूर्ण कदम रक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को समान अवसर प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- यह स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुरूप है जो सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की सरकार की पहल को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने के लिये रणनीतिक रूप से तैयार है।
- इस पहल का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर कॅरियर अवसर प्रदान करना तथा लड़कियों को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिये प्रोत्साहित करना है।

K-स्मार्ट ऐप

हाल ही में केरल सरकार ने केरल प्रशासनिक सुधार तथा परिवर्तन के प्रबंधन हेतु समाधान (Kerala Solutions for Managing Administrative Reformation and Transformation, K-SMART) एप्लिकेशन लॉन्च किया है, जो त्रि-स्तरीय स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों की सभी सेवाओं को एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा।

- इसका उद्देश्य मौजूदा डिजिटल अंतराल को पाटना तथा विशेष रूप से सरकारी कार्यालयों में वास्तविक दौरे की आवश्यकता को समाप्त करके प्रवासियों को लाभ पहुँचाना है।
- विशेष रूप से K-SMART के तकनीकी ढाँचे में ब्लॉकचेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, GIS, चैटबॉट्स, मशीन लर्निंग एवं IoT जैसे अत्याधुनिक विषयों की एक शृंखला शामिल है।

भारत-UAE संयुक्त अभ्यास 'डेज़र्ट साइक्लोन 2024'

भारत और संयुक्त अरब अमीरात 2 जनवरी से 15 जनवरी, 2024 तक राजस्थान में 'डेज़र्ट साइक्लोन 2024' संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करेंगे।

- इस अभ्यास का उद्देश्य शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने और साझा करके अंतरसंचालनीयता को बढ़ाना है।
- इससे न केवल भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रक्षा संबंधों को मज़बूत करने की उम्मीद है बल्कि क्षेत्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देने के व्यापक लक्ष्य में भी योगदान मिलेगा।
- भारत अबू धाबी में द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी (IDEX) में भी नियमित भागीदार रहा है।

हिम तेंदुआ

किर्गिज़स्तान ने आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुए (पैंथेरा अनसिया) को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, जो संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- हिम तेंदुआ किर्गिज़ संस्कृति में ऐतिहासिक रूप से महत्त्वपूर्ण है जिसका वर्णन किर्गिज़ लोक नायक मानस की कहानी में मिलता है, जो महानता, साहस तथा समुत्थानशीलता के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित है। इसे 'घोस्ट ऑफ द माउंटेन' भी कहा जाता है।

नोट :

- हिम तेंदुए पारिस्थितिक संतुलन के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, जो वैश्विक क्षेत्र के 1/3 भाग में निवास करते हैं। उनकी आबादी में कमी से विभिन्न प्रजातियों के लिये खतरा बढ़ गया है।
  - उच्च तुंगता (Altitude) वाले इलाकों के लिये अनुकूलित उनकी अनूठी संरचना उथले क्षेत्रों में दक्षता सुनिश्चित करती है।
  - हिम तेंदुओं को अवैध शिकार, निवास स्थान की हानि, मानव-वन्यजीव संघर्ष का सामना करना पड़ता है।
- भारत सरकार ने हिम तेंदुए की पहचान उच्च तुंगता वाले हिमालय के लिये एक प्रमुख प्रजाति के रूप में की है। इसने प्रजातियों और आवासों के संरक्षण के लिये एक हिम तेंदुआ परियोजना (प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड) विकसित किया है।

Drishti IAS

हिम तेंदुआ *(Snow Leopard)*

प्राय: इसे "Ghost of the Mountains" अर्थात "पहाड़ों का भूत" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

आवास

मध्य और दक्षिणी एशिया के पर्वतीय क्षेत्र
हिम तेंदुआ रेंज वाले देशों की संख्या (12) - भारत, नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, कज़ाखस्तान, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान

भारत में

पश्चिमी हिमालय : जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश
पूर्वी हिमालय : उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश

प्रमुख स्थान

हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख
(इसे हिम तेंदुओं की 'वैश्विक राजधानी' के रूप में भी जाना जाता है)
ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश
गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड
कंचनजंघा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम

खतरे

- मानव- हिम तेंदुआ संघर्ष
- शिकार एवं आवास की क्षति
- अवैध शिकार
- जलवायु परिवर्तन

संरक्षण स्थिति

IUCN रेड लिस्ट: सुभेद्य (Vulnerable)
CITES - परिशिष्ट - I
भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972: अनुसूची 1

संरक्षण हेतु प्रयास

- ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन (GSLEP) कार्यक्रम
- हिमाल संरक्षक - सामुदायिक स्वयंसेवी कार्यक्रम
- प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड (PSL)
- हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम - पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, पश्चिम बंगाल

नोट :

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष

एक एसिड अटैक सर्वाइवर ने अनुदान तक पहुँचने में देरी और चुनौतियों को उजागर करते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से अतिरिक्त मुआवज़े की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है।

- PMNRF की स्थापना वर्ष 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता के लिये की गई थी। इस कोष का उपयोग वर्तमान में प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने हेतु किया जाता है।
  - इसमें बाढ़, चक्रवात और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएँ एवं प्रमुख दुर्घटनाएँ, एसिड हमले व दंगे जैसी मानव निर्मित आपदाएँ शामिल हैं।
- इस कोष में पूरी तरह से सार्वजनिक योगदान शामिल है और इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है।
- निधि का कोष बैंकों के पास सावधि जमा में निवेश किया जाता है। संवितरण प्रधानमंत्री की मंज़ूरी से किया जाता है।
- PMNRF के लिये सभी दान को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G के तहत कर योग्य आय से 100% कटौती हेतु अधिसूचित किया गया है।

IREDA का 2024 रोडमैप

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (Indian Renewable Energy Development Agency Limited-IREDA) के लिये 2024 को 'मानव संसाधन विकास और अनुशासन वर्ष' के रूप में नामित किया गया है, जो नए क्षेत्रों में संगठन के रणनीतिक विस्तार को दर्शाता है।

- IREDA, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy- MNRE) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार का एक मिनी रत्न (श्रेणी - I) उद्यम है।
- यह 1987 में एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित एक सार्वजनिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है जो ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता के नवीन और नवीकरणीय स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकसित करने एवं विस्तारित करने में लगी हुई है।

सरकारी कर्मचारियों/पेंशनर के लिये पारिवारिक पेंशन दिशानिर्देश

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के अनुसार, मृत सरकारी कर्मचारी के पति/पत्नी एवं बच्चों के लिये जीवित पेंशनभोगी से संबद्ध मामलों में पारिवारिक पेंशन के संवितरण हेतु व्यापक प्रावधानों को चित्रित किया है।

- CCS (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 50 के उप-नियम (8) और उप-नियम (9) के प्रावधानों के अनुसार, पारिवारिक पेंशन प्रारंभ में पति या पत्नी को दी जाती है, जबकि परिवार के अन्य पात्र सदस्य जीवनसाथी की अयोग्यता या निधन के बाद पेंशन के पात्र होते हैं।
- हाल के शोधन के अनुसार, ऐसे परिदृश्यों में जहाँ एक महिला सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी तलाक की कार्यवाही में शामिल है या उसने अपने पति के खिलाफ विशिष्ट कानूनों के तहत मामले दायर किये हैं, में पारिवारिक पेंशन के लिये उसके जीवनसाथी के स्थान पर उसके पात्र बच्चे/बच्चों के नामांकन को सक्षम करने के प्रावधानों की रूपरेखा तैयार की गई है।

तटीय कर्नाटक कस्बों में प्राचीन जल निकायों को पुनर्जीवित करना

हाल ही में, कर्नाटक के दो तटीय शहर मूडबिद्री और करकला, हजारों साल पहले के अपने प्राचीन जल निकायों को पुनर्जीवित कर रहे हैं।

- ये जल निकाय शहरों की प्राकृतिक विरासत और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं, जो अपने जैन मंदिरों और मठों के लिये भी जाने जाते हैं।
- नागरिकों ने अधिकारियों के समक्ष याचिका दायर करके, धन जुटाकर और सामुदायिक कार्यों में संलग्न होकर इन जल निकायों को पुनर्स्थापित करने की पहल की है।
- मूडबिद्री शहर को 'जैन काशी' (जैनियों का बनारस) के रूप में जाना जाता है। यह जैन मंदिरों (बसदि और निशिदि) के साथ-साथ मठों का भी केंद्र है।
  - मूडबिद्री विश्व से जैन तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है और यह एक शैक्षिक केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ है।
- इन जल निकायों के पुनरुद्धार से कई लाभ होंगे जैसे भूजल पुनर्भरण में सुधार, जैव विविधता में वृद्धि, पेयजल उपलब्ध कराना और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण।

सावित्रीबाई फुले जयंती

- हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंती (3 जनवरी 1831) पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

नोट :

सावित्रीबाई फुले

(03 जनवरी, 1831 - 10 मार्च, 1897)

19वीं सदी की एक प्रमुख समाज सुधारक जिन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में काम किया

आरंभिक जीवन

- जन्म माली समुदाय में (महाराष्ट्र)
- 9 वर्ष की आयु में 13 वर्षीय ज्योतिराव फुले के साथ विवाह- भारत के सामाजिक और शैक्षिक इतिहास में एक असाधारण युगल

सामाजिक योगदान

- व्यक्तिगत
  - काव्य फुले (1854) और बावन काशी सुबोध रत्नाकर (1892) का प्रकाशन
  - वर्ष 1852 में महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये 'महिला सेवा मंडल' की शुरुआत
  - वंचित समुदायों के लिये 'गो, गेट एजुकेशन' कविता की रचना
  - ज्योतिबा की मृत्यु (1890) के बाद सत्यशोधक समाज को आगे बढ़ाया

ज्योतिबा के साथ

- 1848 में पूना में लड़कियों, शूद्रों और अति-शूद्रों के लिये एक स्कूल शुरू किया (महिलाओं के लिये भारत का पहला स्कूल जिसे भारतीयों द्वारा शुरू किया गया)
- 1850 के दशक में नेटिव फीमेल स्कूल (पुणे) और सोसायटी फॉर प्रमोटिंग दि एजुकेशन ऑफ महार्स एंड मॉंग्स की शुरुआत
- अपने ही घर में बालहत्या प्रतिबंधक गृह की शुरुआत

दृष्टि The Vision d Drishti IAS

रानी वेलु नचियार जयंती

भारत के प्रधान मंत्री ने रानी वेलु नचियार (3 जनवरी 1730 - 25 दिसंबर 1796) को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।

- रानी वेलु नचियार, जिन्हें वीरमंगई के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु के रामनाथपुरम के रामनाद साम्राज्य की राजकुमारी थीं।
- उन्हें भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध लड़ने वाली पहली रानी के रूप में सम्मानित किया जाता है।
  - वह फ्रेंच, अंग्रेज़ी तथा उर्दू जैसी भाषाओं की ज्ञाता थीं।
- वर्ष 1780 में अपने पति मुथुवदुगनाथपेरिया उदयथेवर की मृत्यु के बाद नचियार शिवगंगा एस्टेट (वर्तमान तमिलनाडु) की रानी बन गईं। उन्होंने वर्ष 1790 तक शासन किया।
  - उन्होंने पहले मानव बम के प्रयोग के साथ-साथ वर्ष 1700 के दशक के अंत में प्रशिक्षित महिला सैनिकों की पहली सेना की स्थापना की।

नोट :

विश्व ब्रेल दिवस

वर्ष 2019 से प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाने वाला विश्व ब्रेल दिवस, नेत्रहीन और आंशिक दृष्टि वाले लोगों के लिये मानवाधिकारों की पूर्ण प्राप्ति में संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु मनाया जाता है।

- ब्रेल वर्णमाला और संख्यात्मक प्रतीकों का एक स्पर्शपूर्ण प्रतिनिधित्व है, जिसमें प्रत्येक अक्षर और संख्या और यहाँ तक कि संगीत, गणितीय और वैज्ञानिक प्रतीकों को दर्शाने के लिये छह बिंदुओं का उपयोग किया जाता है।
  - ब्रेल (इसका नाम 19वीं सदी के फ्राँस में इसके आविष्कारक लुई ब्रेल के नाम पर रखा गया) का उपयोग नेत्रहीन और आंशिक दृष्टि वाले लोगों द्वारा उन्हीं पुस्तकों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिये किया जाता है जो दृश्य फॉन्ट में मुद्रित होती हैं।
- ब्रेल शिक्षा, अभिव्यक्ति और राय की स्वतंत्रता के साथ-साथ सामाजिक समावेशन के संदर्भ में आवश्यक है, जैसा कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 में दर्शाया गया है।

साइबर किडनैपिंग

हाल ही में एक चीनी छात्र जो 'साइबर किडनैपिंग' का शिकार हुआ था, यूटा के ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षित पाया गया था। अधिकारियों को पता चला कि चीन के उसके माता-पिता ने उसे खोजने से पहले ही एक बड़ी फिरौती का भुगतान कर दिया था।

- साइबर किडनैपिंग एक ऐसे अपराध को संदर्भित करता है जहाँ 'अपहरणकर्त्ता' अपने शिकार को छिपने के लिये मना लेते हैं और फिर फिरौती के लिये अपने प्रियजनों से संपर्क करते हैं।
- इस प्रकार की किडनैपिंग में, पीड़ित का अपहरण नहीं किया जाता है बल्कि उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि वे खतरे में हैं।
  - 'अपहरणकर्त्ता', हालाँकि शारीरिक रूप से मौजूद नहीं होते हैं, वीडियो-कॉल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पीड़ित की ऑनलाइन निगरानी करते हैं।
  - वे पीड़ित या उनके परिवार को हिंसा की धमकी दे सकते हैं या वे अपहरण के नकली सबूत, जैसे फ़ोटो या वीडियो बना सकते हैं।

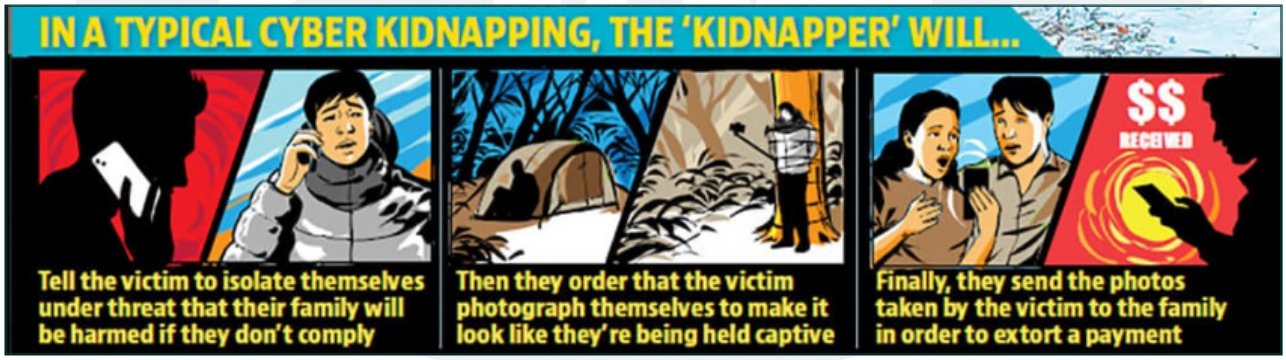

राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023

हाल ही में युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार (RKPP), 2023 की घोषणा की। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन की श्रेणी में ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। उभरती युवा प्रतिभाओं की पहचान कर उनके विकास में योगदान देने के लिये जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु को पुरस्कृत किया गया है।

- वर्ष 2009 में सरकार द्वारा शुरू की गई RKPP उन कॉर्पोरेट संस्थाओं (निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों), खेल नियंत्रण बोर्डों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल निकायों सहित गैर सरकारी संगठनों को दी जाती है, जिन्होंने खेल को बढ़ावा देने तथा खेल विकास के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में शामिल अन्य पाँच प्रमुख पुरस्कार हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (MAKA) ट्रॉफी।

आदित्य-L1, L1 कक्षा में पहुँचा

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation-ISRO) के वैज्ञानिक आदित्य-L1 को पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी. दूर स्थित लैग्रेंजियन बिंदु (L1) के समीप की कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से एक ऑपरेशन की योजना पर काम कर रहे हैं।

नोट :

- सूर्य का अध्ययन करने के लिये समर्पित पहली भारतीय अंतरिक्ष-आधारित वेधशाला, आदित्य-L1 को सितंबर 2023 में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C57 रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था।
- L1 बिंदु के चारों ओर हेलो कक्षा में एक उपग्रह स्थापित करने से सूर्य का निरंतर अवलोकन बिना किसी आच्छादन अथवा ग्रहण के किया जा सकता है, जिससे सौर गतिविधियों की निगरानी करने में लाभ मिलता है।
  - L1 पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी. दूर है तथा पृथ्वी से L1 की दूरी पृथ्वी-सूर्य की दूरी का लगभग 1% है।
  - लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में स्थित वे स्थान हैं जहाँ दो विशाल पिंडों (जैसे– सूर्य और पृथ्वी) का गुरुत्वाकर्षण बल एक छोटी वस्तु (जैसे– अंतरिक्ष यान) के स्थान पर बने रहने के लिये अभिकेंद्रीय बल को संतुलित करता है।
    - अंतरिक्ष यान ईंधन की खपत को कम करने तथा अंतरिक्ष यान को कुशलतापूर्वक अपनी स्थिति बनाए रखने की अनुमति देने के लिये इन बिंदुओं का लाभ उठाता है।
- आदित्य-L1 में प्रकाशमंडल (सूर्य की प्रत्यक्ष सतह), क्रोमोस्फीयर (प्रकाशमंडल तथा कोरोना के बीच की दूसरी परत) एवं कोरोना (सूर्य की सबसे बाह्य परत) का निरीक्षण करने हेतु सात पेलोड मौजूद हैं।
  - इन पेलोड का उद्देश्य कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता एवं कण व क्षेत्र प्रसार पर महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना है।

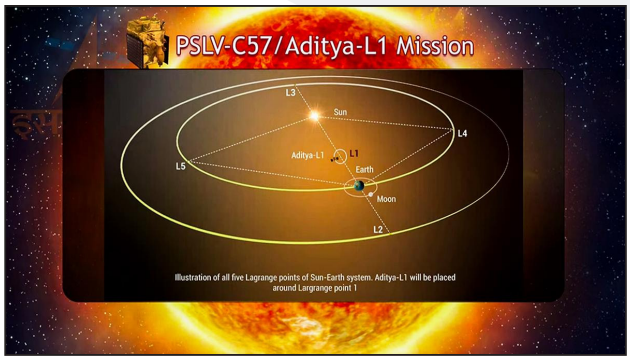

वारली लेशन: महाराष्ट्र में शांतिपूर्ण तेंदुए का सह-अस्तित्व

महाराष्ट्र की स्वदेशी वार्ली तेंदुओं के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का पाठ पढ़ाती हैं।

- संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पास रहने वाले वार्ली डर के बजाय सम्मान दिखाते हुए तेंदुओं को अपने देवता के रूप में पूजते हैं।
- दहिसर नदी राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है और मानसून के दौरान एक मनोरंजन केंद्र बन जाती है।
- वारली आदिवासियों का तेंदुओं से मुठभेड़ का एक लंबा इतिहास है, वे उन्हें शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व के रूप में देखते हैं।
- वारली संस्कृति मातृ प्रकृति की अवधारणा पर केंद्रित है और वारली पेंटिंग में प्राकृतिक तत्त्वों को अक्सर केंद्र बिंदु के रूप में चित्रित किया जाता है।
- वारली जनजातियाँ तारपा संगीत वाद्ययंत्रों के साथ तारपा नृत्य करती हैं।

रिवर्स फ्लिपिंग

भारतीय स्टार्टअप्स के बीच रिवर्स फ्लिपिंग एक चलन बन गया है, खासकर फिनटेक सेक्टर में, क्योंकि वे इनिशियल पब्लिक ऑफर (Initial Public Offer-IPO) की योजना बनाते हैं या घरेलू बाज़ार में दीर्घकालिक लाभ की तलाश करते हैं।

- रिवर्स फ्लिपिंग किसी भारतीय कंपनी के मुख्यालय को आमतौर पर कर या नियाकम कारणों से विदेश में स्थानांतरित करने के बाद उसके अधिवास को वापस भारत में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। इसे 'री-डोमिसाइलिंग' भी कहा जाता है।
- यह रणनीतिक कदम भारत की समृद्ध अर्थव्यवस्था, विशाल बाज़ार, आशाजनक उद्यम पूंजी, अनुकूल कर संरचना, मज़बूत बौद्धिक संपदा संरक्षण, युवा और शिक्षित आबादी और सहायक सरकारी नीतियों से प्रेरित है।

MeitY ने ERNET इंडिया का वेब पोर्टल लॉन्च किया

इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने हाल ही में शैक्षणिक संस्थानों के लिये भारत के नए एकीकृत वेब पोर्टल ERNET का अनावरण किया है, जो डोमेन पंजीकरण, डोमेन नेम सिस्टम (DNS) और मूल्य वर्द्धित सेवाएँ प्रदान करता है।

- पोर्टल में एक सेवा के रूप में वेबसाइट (WaaS) और एक सेवा के रूप में लर्निंग मैनेजमेंट (LMaaS) शामिल हैं, जो उपयोगकर्त्ताओं को विभिन्न टेम्पलेट्स का उपयोग करके अनुकूलित वेबसाइट तथा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की अनुमति देता है।
- ERNET इंडिया MeitY के तहत एक गैर-लाभकारी वैज्ञानिक सोसायटी है। यह सभी शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के लिये विशिष्ट डोमेन रजिस्ट्रार है, जिसका डोमेन नाम 'ac.in', 'edu.in' और 'res.in' होता है।

नोट :

भारतीय नौसेना कर्मियों के लिये कतर न्यायालय का निर्णय

कतर ने आठ भारतीय नौसेना अधिकारियों की मृत्यदंड की सज़ा को कम कर उसे कारावास की सज़ा को "Varying Quantum" में बदल दिया है। कतर में जेल में बंद पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को जेल की अलग-अलग शर्तों के खिलाफ अपील करने के लिये 60 दिन का समय दिया गया है।

- मृत्यदंड की सज़ा का क्षमादान करने का तात्पर्य मौत की सज़ा को कम कर इसे कम गंभीर सज़ा में परिणत करने से है।
  - आठ भारतीय, जिनकी मृत्यदंड की सज़ा कम कर दी गई है, अब भारत वापस आने के पात्र हैं। यह कतर के साथ वर्ष 2015 के द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत आता है, जो कैदियों को स्वदेश में अपनी सज़ा भुगतने की अनुमति देता है।
- कतर, एक मज़बूत क्षेत्रीय अग्रणी और भारत के लिये ऊर्जा का एक प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता है जहाँ कम से कम सात लाख भारतीय कार्यबल का हिस्सा हैं।

रोश की ब्रेकथ्रू एंटीबायोटिक

स्विस स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी रोश (Roche) ने ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया (Gram-Negative Bacteria) को लक्षित करने वाले एक अभूतपूर्व जीवाणुनाशक (Antibiotic), ज़ोसुराबलपिन (Zosurabalpin) की खोज की है।

- इसने दवा-प्रतिरोधी एसिनेटोबैक्टर उपभेदों (Strains), विशेष रूप से कार्बापेनम-प्रतिरोधी एसिनेटोबैक्टर बाउमन्नी (Carbapenem-Resistant A Baumannii-CRAB) के विरुद्ध आशाजनक गतिविधि का प्रदर्शन किया है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) द्वारा एक महत्त्वपूर्ण रोगजनक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- ज़ोसुराबलपिन (Zosurabalpin) की क्रिया बैक्टीरिया की बाहरी झिल्ली के निर्माण को बाधित करती है, विशेष रूप से लिपोपॉलीसेकेराइड के परिवहन तंत्र को लक्षित करती है, जो ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया में एक महत्त्वपूर्ण बाधा है।
- बैक्टीरिया को दो समूहों में वर्गीकृत किया जाता है: ग्राम-पॉज़िटिव या ग्राम-नेगेटिव, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे एक विशिष्ट रंग का दाग बनाए रखते हैं या नहीं। ग्राम-पॉज़िटिव बैक्टीरिया बैंगनी रंग का दाग बनाए रखते हैं, जबकि ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया गुलाबी या लाल दिखाई देते हैं।
  - ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में एक पतली पेप्टिडोग्लाइकन (Peptidoglycan) परत होती है, यह दो लिपिड झिल्लियों के बीच स्थित होती है, जो उन्हें एक जटिल संरचना प्रदान करती है।
    - यह बाहरी झिल्ली एक बाधा के रूप में कार्य करती है, जो उन्हें एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाती है।

व्यापार की शर्त

पिछले डेढ़ दशक में भारतीय कृषि के लिये व्यापार की शर्तों (Terms of Trade- ToT) में राष्ट्रीय आय के आँकड़ों के आधार पर महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ है।

- कृषि में ToT सुधार का श्रेय वैश्विक कृषि-वस्तु मूल्य में वृद्धि और नीतिगत हस्तक्षेप, विशेष रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को दिया जाता है।
- भारतीय कृषि के लिये ToT का तात्पर्य गैर-कृषि वस्तुओं और सेवाओं के सापेक्ष कृषि वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव से है।
  - व्यापार की शर्तें कृषि कीमतों और औद्योगिक कीमतों के अनुपात को संदर्भित करती हैं, जिसे मूल्य सूचकांक के रूप में निर्धारित किया जाता है।
- व्यापार की शर्तों में वृद्धि का तात्पर्य औद्योगिक वस्तुओं के मामले में कृषि क्षेत्र के लिये बेहतर क्रय शक्ति से है।
  - एक (या 100%) से ऊपर का अनुपात किसानों द्वारा खरीदी और बेची जाने वाली वस्तुओं में अंतर के संदर्भ में अनुकूल मूल्य निर्धारण शक्ति का संकेत देता है।
  - एक से नीचे TOT अनुपात विनिमय की प्रतिकूल परिस्थितियों को इंगित करता है।
- क्रय कीमतों में वृद्धि से खाद्य सब्सिडी बिलों में वृद्धि हुई है, जिससे राजकोषीय घाटे और व्यापक आर्थिक प्रबंधन के मुद्दे सामने आए हैं।

मुरादाबाद का पीतल बर्तन उद्योग

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से धार्मिक मूर्तियों, विशेष रूप से भगवान राम की मूर्तियों की मांग में वृद्धि के रूप में हुई है, जिसके परिणामस्वरूप मुरादाबाद के पीतल के बर्तन उद्योग के पुनरुत्थान को प्रोत्साहन मिला है।

- मुरादाबाद की स्थापना वर्ष 1600 में मुगल सम्राट शाहजहाँ के बेटे मुराद ने की थी जिसके परिणामस्वरूप शहर को मुरादाबाद के नाम से जाना जाने लगा।

नोट :

- मुरादाबाद पीतल सामग्री के लिये प्रसिद्ध है तथा इसने विश्व भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित की है।
  - पीतल के बर्तन अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, मध्य पूर्व तथा एशिया जैसे देशों में निर्यात किये जाते हैं इसलिये मुरादाबाद को "पीतल नगरी" भी कहा जाता है।
  - पीतल, ताँबे तथा जस्ता की एक मिश्र धातु है जो अपनी उल्लेखनीय मज़बूती/कठोरता और व्यावहारिकता के कारण ऐतिहासिक एवं स्थायी महत्त्व रखती है।
- 1980 के दशक में पीतल, लोहा तथा एल्यूमीनियम जैसे विभिन्न धातु की सामग्रियों की शुरुआत के साथ उद्योग में विविधता आई। इस विस्तार से मुरादाबाद के कला उद्योग में इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लैकरिंग एवं पाउडर कोटिंग जैसी नई तकनीकें आईं।
- मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट (वर्ड मार्क) को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग का दर्जा प्राप्त है।

पैन्सपर्मिया

पैन्सपर्मिया, यह परिकल्पना कि जीवन ग्रहों के पार घूम सकता है, सदियों से चिंतन और वैज्ञानिक अनुसंधान का विषय रहा है।

- पैन्सपर्मिया, जिसे सबसे पहले ग्रीक दार्शनिक एनाक्सागोरस ने प्रस्तावित किया था, सुझाव देती है कि जीवन में ग्रहों के बीच 'बीज (seeds)' के रूप में यात्रा करने की क्षमता है।
- वैज्ञानिक प्रगति के अनुसार, सूक्ष्मजीव अंतरग्रहीय उड़ान की कठोर परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं और एक नए विश्व तक पहुँचने के प्रभाव से बच सकते हैं।
  - 19वीं सदी के शोधकर्त्ताओं, जिनमें स्वांते अरहेनियस (Svante Arrhenius) भी शामिल हैं, ने सूर्य से विकिरण दबाव जैसे तंत्र का सुझाव दिया, जो अंतरिक्ष के माध्यम से सूक्ष्मजीवों को आगे बढ़ा सकता है।
- आधुनिक पैन्सपर्मिया सिद्धांत के तीन चरण इस प्रकार हैं: एक ग्रह से प्रस्थान, अंतरग्रहीय अंतरिक्ष में पारगमन और दूसरे ग्रह पर उतरना।
- पैन्सपर्मिया स्वयं जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है और इसकी वैधता साबित करने में कठिनाई के कारण इसे एक फ्रिंज सिद्धांत माना जाता है।

मंगल ग्रह की प्लाज़्मा तरंगें

भारतीय भू-चुंबकत्व संस्थान के वैज्ञानिकों ने नासा के MAVEN अंतरिक्ष यान के डेटा का उपयोग करके मंगल के ऊपरी वायुमंडल में उच्च आवृत्ति प्लाज़्मा तरंगों का अध्ययन किया।

- शोधकर्त्ताओं ने मंगल के चुंबकीय क्षेत्र (वातावरण) में दो प्रकार की तरंगों की खोज की, एक इलेक्ट्रॉन प्लाज़्मा आवृत्ति के नीचे और एक ऊपर। ये तरंगें महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि ये हमें यह समझाने में मदद करती हैं कि मंगल के आसपास इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवहार करते हैं।
- नासा के मार्स एटमॉस्फियर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन (Mars Atmosphere and Volatile Evolution- MAVEN) को ग्रह की वायुमंडलीय स्थितियों की जानकारी हासिल करने के मिशन के साथ नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था।
- प्लाज़्मा तरंगें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में दोलन या विचलन हैं जो प्लाज़्मा के माध्यम से फैलती हैं, जो पदार्थ की एक अवस्था है जो आयनों तथा इलेक्ट्रॉनों जैसे आवेशित कणों से बनी होती है।
  - ये तरंगें विभिन्न प्लाज़्मा घटनाओं में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो ऊर्जा हस्तांतरण, कण त्वरण और अंतरिक्ष में पाए जाने वाले प्लाज़्मा के भीतर आवेशित कणों के व्यवहार को प्रभावित करती हैं।

BIS: मानक निर्धारण के 77 वर्ष

हाल ही में भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन एक निकाय, भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards- BIS) ने 6 जनवरी 2024 को अपना 77वाँ स्थापना दिवस मनाया।

- BIS भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है जिसे वस्तुओं के मानकीकरण, मुहरांकन तथा गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के सुमेलित विकास के लिये BIS अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित किया गया है। BIS का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
  - यह उत्पाद प्रमाणन (ISI मार्क), सोने तथा चाँदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग, ECO मार्क योजना (पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की लेबलिंग के लिये) जैसी विभिन्न योजनाएँ संचालित करता है।
- BIS अधिनियम, 2016 अक्तूबर 2017 से क्रियान्वित किया गया। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
  - सरकार को मानक के अनुरूप प्रामाणित करने तथा क्रियान्वित करने के लिये BIS के अतिरिक्त किसी भी अभिकरण को अधिकृत करने में सक्षम बनाता है।
  - यह अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण उपाय प्रदान करता है जिनमें गैर-अनुरूप मानक चिह्नित उत्पादों को वापस लेना, उपभोक्ता को प्रतिपूर्ति देना और अधिक कठोर दंडात्मक प्रावधान शामिल हैं।

नोट :

राष्ट्रीय पक्षी दिवस

राष्ट्रीय पक्षी दिवस, जो अमेरिकी मूल का है, पारिस्थितिकी तंत्र में पक्षियों के मूल्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रतिवर्ष साल 5 जनवरी को मनाया जाता है।

- इस दिन का उद्देश्य निवास स्थान के विनाश, भोजन के विकल्पों में कमी और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिये जागरूकता बढ़ाना भी है।
- भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (Minister for Environment, Forest and Climate Change - MoEFCC) मंत्री ने देश में पक्षियों की आबादी को संरक्षित करने के लिये आर्द्रभूमि को बचाने का आह्वान किया।
  - आर्द्रभूमियाँ भारत में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों का निवास स्थल बन जाती हैं और स्थानीय पक्षी आबादी को पोषण उपलब्ध कराने के लिये महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखते हैं।
- राष्ट्रीय पक्षी दिवस अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राष्ट्रीय पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी राष्ट्रीय पक्षी दिवस (13 मई) और कई अन्य राष्ट्रीय पक्षी दिवस जैसे अवसरों से अलग है।

विश्व टाइपिंग दिवस

8 जनवरी को विश्व टाइपिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि लोगों को लिखित संचार के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके।

- यह वर्ष 2011 में मलेशिया में शुरू हुआ। यह वर्ष 2011 मलेशियाई स्पीड टाइपिंग प्रतियोगिता की याद दिलाता है, जिसने सबसे तेज़ टाइपिस्ट और सबसे बड़ी भागीदारी के रिकॉर्ड तोड़ दिये।
- यह दिन महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह टाइप करने और एक-दूसरे के साथ बातचीत करने की क्षमता विकसित करने के लिये आयोजित किया जाता है।

प्रवासी भारतीय दिवस

प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) भारतीय प्रवासियों और देश के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान का सम्मान करने के लिये वर्ष 2003 से प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है।

- इस अवसर को मनाने के लिये 9 जनवरी का दिन इसलिये चुना गया क्योंकि वर्ष 1915 में इसी दिन महान प्रवासी भारतीय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था।
- वर्ष 2015 से प्रत्येक दो वर्ष में एक बार PBD मनाने और बीच की अवधि के दौरान थीम-आधारित PBD सम्मेलन आयोजित करने के लिये इसके प्रारूप को संशोधित किया गया था।

लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये पुरस्कार, 2023

लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार, 2023 के लिये योजना तथा वेब-पोर्टल हाल ही में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (Department of Administrative Reforms & Public Grievances) द्वारा लॉन्च किया गया था।

- व्यक्तिगत लाभार्थियों को लक्षित करके तथा कार्यान्वयन में परिपूर्ण दृष्टिकोण को नियोजित करके ज़िला कलेक्टर के प्रदर्शन को उजागर करने के लिये पुरस्कार योजना को पुनर्गठित किया गया है।
- इसका उद्देश्य दो श्रेणियों के तहत सिविल सेवकों के योगदान को मान्यता देना है जिनमें 12 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ज़िलों के समग्र विकास के लिये 10 पुरस्कार तथा केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा विभिन्न राज्यों एवं ज़िलों में नवाचारों के लिये 6 पुरस्कार शामिल हैं।
- इस योजना का लक्ष्य रचनात्मक प्रतिस्पर्द्धा, नवाचार, प्रतिकृति तथा सर्वोत्तम प्रथाओं की स्थापना को बढ़ावा देना है।
- यह केवल मात्रात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के बजाय सुशासन, गुणात्मक उपलब्धियों और अंतिम मील कनेक्टिविटी को बढ़ाने को के लिये प्राथमिकता देता है।

भारत-म्याँमार मुक्त संचरण व्यवस्था समाप्त होने की संभावना

भारत सरकार म्याँमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त संचरण व्यवस्था (Free Movement Regime) को समाप्त करने और संपूर्ण क्षेत्र में एक व्यापक स्मार्ट बाड़ लगाने की व्यवस्था शुरू करने की योजना बना रही है।

- 2018 में लागू की गई मुक्त संचरण व्यवस्था (Free Movement Regime- FMR), भारत-म्याँमार सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों को बिना वीज़ा के एक-दूसरे के क्षेत्र में 16 किमी. तक जाने की अनुमति देती है।
  - वे एक साल की वैधता वाला बॉर्डर पास दिखाकर सीमा पार कर सकते हैं और दो सप्ताह तक यहाँ रह सकते हैं।

नोट :

- भारत और म्याँमार के बीच 1,643 किलोमीटर (मिज़ोरम 510 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर व नगालैंड 215 किलोमीटर) की सीमा है तथा दोनों तरफ के लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध है।

तेलंगाना में बाढ़ से पुरापाषाणकालीन औजारों का पता चला

तेलंगाना के मुलुगु ज़िले में हाल ही में आई बाढ़ से पुरापाषाणकालीन क्वार्टज़ाइट औजारों की एक नई खोज हुई है। औजार एवं कुल्हाड़ियाँ जलधारा के रेतीले तल में पाई गईं जो बाढ़ के बाद सूख गया था।

- ये कुल्हाड़ियाँ मुलुगु ज़िले के गुर्रेवुला और भूपतिपुरम गाँवों के बीच की धारा में पाई गईं।
  - जीवाश्म विज्ञानियों के अनुसार, पत्थर की कुल्हाड़ी प्रारंभिक या निम्न पुरापाषाण काल की है और लगभग 30 लाख वर्ष पुरानी है।
- पुरापाषाण युग लगभग 33 लाख वर्ष ईसा पूर्व का है, जिसकी अवधि 10,000 वर्ष है। पुरापाषाण काल के शिकारी संग्रहकर्त्ता लकड़ी काटने तथा जीविका के लिये जानवरों का शिकार करने हेतु भारी क्वार्टज़ाइट और बड़े औजारों का उपयोग करते थे।
- इसके अलावा, वर्ष 1863 में ईस्ट इंडिया कंपनी की भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण टीम ने मद्रास (वर्तमान चेन्नई) के निकट अत्तिरमपक्कम में एक पुरापाषाण स्थल की खोज की।
  - तब से पुरापाषाण संस्कृति को मद्रास हस्त-कुल्हाड़ी उद्योग या मद्रासियन संस्कृति का नाम दिया गया है।

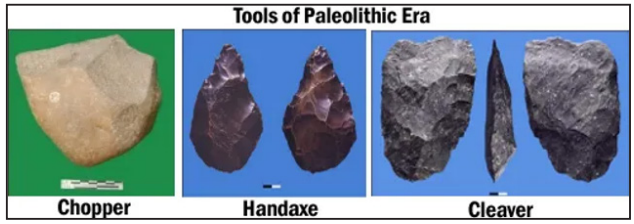

2023 रिकॉर्ड स्तर पर सबसे गर्म वर्ष

2023 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष माना गया है, जो वैश्विक जलवायु प्रतिरूप और अत्यधिक मौसम की घटनाओं के लिये महत्त्वपूर्ण निहितार्थ के साथ 2016 के रिकॉर्ड को पार कर गया है।

- 2023, 1850-1900 पूर्व-औद्योगिक स्तर के औसत से लगभग 1.48□C अधिक गर्म था।
  - लगभग 50% दिन समान आधार रेखा से 1.5□C से अधिक गर्म थे।
- 2023 में रिकॉर्ड तापमान के कारण बड़े पैमाने पर गर्मी, बाढ़, सूखा और जंगल की आग लगी।
  - भूमध्य सागर, मैक्सिको की खाड़ी, हिंद महासागर, उत्तरी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक महासागर के अधिकांश क्षेत्रों सहित विभिन्न समुद्री क्षेत्रों में गर्म लहरें महसूस की गईं थीं।
- 2023 में अल-नीनो की शुरुआत ने तापमान को बढ़ाने में भूमिका निभाई।
  - अल-नीनो एक प्राकृतिक मौसमी घटना है जो पूर्वी प्रशांत महासागर में सतह के जल को गर्म करती है, जो उच्च वैश्विक तापमान बढ़ाने में योगदान देती है।

बोतल बंद पानी में नैनोप्लास्टिक संदूषण

संयुक्त राज्य अमेरिका के नवीनतम अध्ययन द्वारा बोतलबंद पानी के बारे में एक चिंताजनक वास्तविकता का पता चला है, जिसमें संभावित स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को रेखांकित करने वाले सैकड़ों हज़ारों नैनोप्लास्टिक कणों (nanoplastic particles) की उपस्थिति को उजागर किया गया है।

- एक लीटर बोतलबंद पानी में 110,000 से 370,000 नैनोप्लास्टिक कण होते हैं। इनमें से लगभग 90% कण नैनो आकार के हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिये अधिक खतरा उत्पन्न करते हैं।
- नैनोप्लास्टिक्स माइक्रोप्लास्टिक्स से भी छोटे होते हैं, जिनका आकार 1 माइक्रोमीटर से भी कम होता है।
  - माइक्रोप्लास्टिक्स (5 मिलीमीटर और 1 माइक्रोमीटर के बीच) के विपरीत, नैनोप्लास्टिक्स हृदय और मस्तिष्क तक पहुँचने से पहले आँतों तथा फेफड़ों से सीधे रक्तप्रवाह में जा सकता है।

नोट :

- अध्ययन में पाया गया कि बोतलबंद पानी में सामान्य प्लास्टिक जैसे पॉलियामाइड, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीइथाइलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट (PET) बोतलबंद पानी से माइक्रो-नैनो प्लास्टिक के संपर्क में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
  - डिस्पोज़ेबल पेय की बोतलों में उपयोग किया जाने वाला PET गर्मी के संपर्क में आने या निचोड़ने पर पानी में घुल सकता है।

उच्च न्यायालय की मंज़ूरी: यक्षगान मेला पूरी रात हेतु फिर से शुरू

एक सदी से भी अधिक पुराना यक्षगान मेला, कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के पालन के अधीन अनुमति दिये जाने के बाद, दक्षिण कन्नड़ में कतील दुर्गापरमेश्वरी प्रसादिता यक्षगान मंडली 14 जनवरी, 2024 से पूरी रात का शो फिर से शुरू हो जाएगा।

- यक्षगान कर्नाटक का एक अनोखा नृत्य-नाट्य प्रदर्शन है। इसमें परंपरागत रूप से पुरुषों को सभी भूमिकाएँ निभाते हुए दिखाया गया है। लेकिन, महिलाएँ अब इन मंडलियों का हिस्सा हैं।
- मुख्य तत्त्वों में रामायण या महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों की प्रासंगिक कहानियाँ शामिल हैं।
  - चंदे, हारमोनियम, मैडेल, ताल और बाँसुरी जैसे संगीत वाद्ययंत्र इन प्रदर्शनों के साथ होते हैं।
- सालिग्राम मेला, धर्मस्थल मेला और मंदारथी मेला जैसे विभिन्न प्रसिद्ध मंडल पूरे वर्ष यक्षगान का प्रदर्शन करते हैं।

निलंबित राज्यसभा सांसदों से जवाब मांगेगी विशेषाधिकार समिति

राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति ने हाल ही में समाप्त हुए संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विशेषाधिकार हनन के आरोप में निलंबित 11 सदस्यों से प्रतिक्रिया/जवाब मांगने का निर्णय लिया।

- राज्यसभा में विशेषाधिकार के प्रश्नों से निपटने की प्रक्रिया राज्यों की परिषद् में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम187 से 203 में निर्धारित की गई है।
  - विशेषाधिकार का प्रश्न सभापति की सहमति प्राप्त करने के बाद ही सदन में उठाया जा सकता है।
- संसद और उसकी समितियों के साथ-साथ उनके सदस्यों के पास कुशल कामकाज के लिये आवश्यक अधिकार, विशेषाधिकार एवं प्रतिरक्षाएँ हैं। हालाँकि ये अधिकार संसदीय कामकाज के लिये आवश्यक कार्यों तक ही सीमित हैं और सदस्यों को सामान्य सामाजिक दायित्वों से मुक्त नहीं करते हैं।
- विशेषाधिकार समिति एक स्थायी समिति है। यह सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जाँच और उचित कार्रवाई की अनुशंसा करती है।
  - लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं।

विश्व हिंदी दिवस

प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाने वाला विश्व हिंदी दिवस, हिंदी बोलने वालों के विशाल योगदान और भाषा के वैश्विक महत्त्व का सम्मान करता है।

- हिंदी भाषा संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार साल 1949 में बोली गई थी। विश्व हिंदी दिवस का उद्घाटन 2006 में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्त्व में हुआ था। तभी से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा है।
  - अंग्रेज़ी के साथ-साथ हिंदी भी भारत की आधिकारिक भाषा है।
  - भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में हिंदी सहित 22 आधिकारिक भाषाएँ हैं।
- हिंदी इंडो-यूरोपीय भाषा समूह की इंडो-आर्यन शाखा से संबंधित है।
- वर्ष 2018 में मॉरीशस के पोर्ट लुइस में विश्व हिंदी सचिवालय (World Hindi Secretariat) भवन का उद्घाटन किया गया।
- वर्ष 1949 में भारत की संविधान सभा द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाए जाने वाले दिन को चिह्नित करने के लिये भारत में हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है।
- मंदारिन और अंग्रेज़ी के बाद यह देखा गया है कि हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है।

नोट :

वन्य चमगादड़ों पर पवन टर्बाइनों का प्रभाव

जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा किये गए एक हालिया अध्ययन में वन्य चमगादड़ों की गतिविधि पर पवन टरबाइनों के प्रभाव का पता चला है।

- चमगादड़ प्रजातियों के तीन शिकार स्थानों का अध्ययन किया गया: संकीर्ण-स्थान, खुले-स्थान (कुछ बाधाओं वाले खुले क्षेत्रों में शिकार करने की विशेषता) और परिवर्तनशील हवा की स्थिति के अंतर्गत 80 से 450 मीटर के दायरे में सीमावर्ती/किनारों वाले-स्थान (पृष्ठभूमि/बैकग्राउंड वस्तुओं के निकट शिकार करने की विशेषता)।
- संकीर्ण स्थान पर शिकार ढूँढने वाले चमगादड़, जो विशेष रूप से वन्य निवास पर निर्भर हैं, की परिचालन पवन टरबाइनों में हवा की गति बढ़ने के कारण गतिविधि में 77% की गिरावट दर्ज की गई है।
  - सीमावर्ती/किनारों वाले-स्थान और खुले स्थान पर शिकार ढूँढने वाले चमगादड़ों में परिहार /परहेज व्यवहार नहीं देखा गया, जो निवास-विशिष्ट अनुक्रिया का संकेत देता है।
  - पवन टरबाइन रोटर्स द्वारा उत्सर्जित शोर को परिहार व्यवहार के एक महत्त्वपूर्ण कारण के रूप में पहचान की गई।
- पवन टरबाइन, जो राष्ट्रीय जलवायु रणनीतियों में एक प्रमुख तत्त्व है, विश्व भर में वन स्थलों पर तेज़ी से स्थापित किये जा रहे हैं, जो चमगादड़ जीवसंख्या के लिये संभावित चुनौतियाँ उत्पन्न कर रहे हैं।
- यह अध्ययन, प्रारंभिक अल्पकालिक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, परिचालन पवन टर्बाइनों के निकट क्षेत्रों में चमगादड़ गतिविधि पर संभावित दीर्घकालिक प्रभावों का संकेत देता है, विशेषकर अगर शोर उत्सर्जन इसका कारण है।

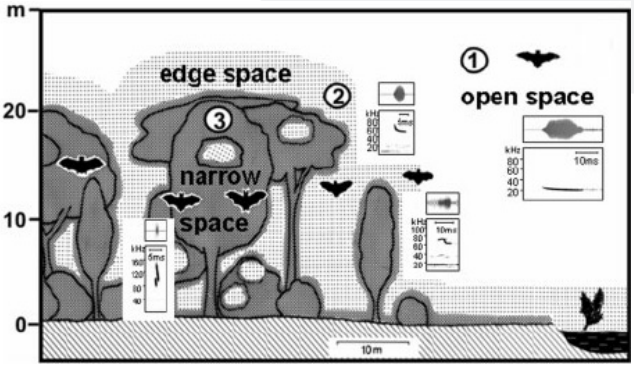

सिसल पत्तियाँ: मासिक धर्म स्वच्छता में एक हरित क्रांति

हाल ही में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अत्यधिक अवशोषक सामग्री बनाने के लिये सिसल के पत्तों का उपयोग करके एक अभिनव विधि तैयार की है, जो संभावित रूप से सैनिटरी नैपकिन में कपास, काष्ठ-गूदे और रासायनिक अवशोषक को प्रतिस्थापित कर सकती है।

- यह पर्यावरण-अनुकूल दृष्टिकोण व्यावसायिक विकल्पों की तुलना में अधिक अवशोषण क्षमता का दावा करता है, क्योंकि सिसल की कृषि हेतु कपास की तुलना में काफी कम जल की आवश्यकता होती है।
- सिसल एक ज़ेरोफाइटिक (मरुभूमियों या हिम क्षेत्रों जैसे शुष्क पारिस्थितिकी में पनपने के लिये अनुकूलित पौधों का एक समूह), अर्द्ध-वार्षिक पत्तों वाला रेशायुक्त (Semi-Perennial Leaf Fiber) उत्पादक पौधा है। इसके पत्ते मोटे, मांसल होते हैं और इनपर प्राय: मोमी परत का आवरण होता है।

राष्ट्रीय युवा दिवस, 2024

- स्वामी विवेकानन्द की जयंती के अवसर पर भारत प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाता है।
  - इस दिन को वर्ष 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में नामित किया गया था। इसका उद्देश्य युवाओं को सार्वजनिक मुद्दों से जुड़ने, आम आदमी की बात को समझने, अपनी राय तैयार करने और इसे स्पष्ट तरीके से व्यक्त करने के लिये प्रोत्साहित करना है।

नोट :

- राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह भारत में 12 से 16 जनवरी तक वार्षिक तौर पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन करता है।
  - इस वर्ष के उत्सव का विषय "विकसित भारत@2047: युवा के लिये, युवा के द्वार" है।
- स्वामी विवेकानन्द को उन महान भारतीय संतों में से एक माना जाता है जिन्होंने पश्चिमी दुनिया को हिंदू धर्म के बारे में बताया।
  - श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य के रूप में उन्होंने औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रीय एकीकरण पर बल दिया और उन्हें देश में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है।

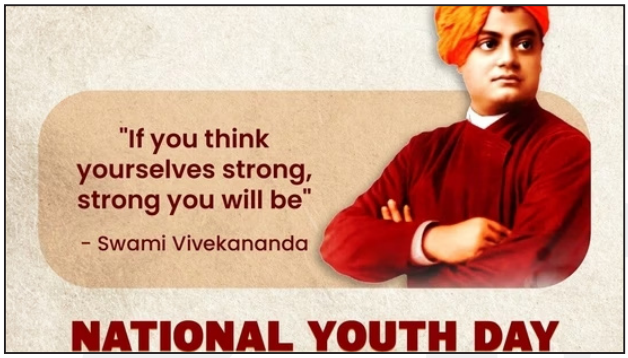

रेलवे के लिये स्टार्टअप

हाल ही में भारतीय रेल ने स्टार्ट-अप तथा अन्य संस्थाओं की भागीदारी के माध्यम से नवाचार के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण पहल की है।

- रेल मंत्रालय द्वारा "रेलवे के लिये स्टार्टअप" पहल शुरू की गई थी तथा भारतीय रेल इनोवेशन पोर्टल इस पहल का एक हिस्सा है।
  - इसका उद्देश्य भारतीय रेल की परिचालन दक्षता तथा सुरक्षा में सुधार के लिये भारतीय स्टार्टअप/MSME/नवोन्मेषियों/उद्यमियों द्वारा विकसित नवीन प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना है।
- रेल मंत्रालय का लक्ष्य भारतीय रेल की गुणवत्ता, विश्वसनीयता तथा रखरखाव संबंधी मुद्दों का समाधान करना है।
- नीति के तहत परियोजना के मद्देनजर बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights- IPR) का विशेष स्वामित्त्व स्टार्टअप/MSME/नवोन्मेषी/उद्यमी के पास होगा।

ICD 11 TM मॉड्यूल 2 की लॉन्चिंग: आयुष चिकित्सा का वैश्विक एकीकरण

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation- WHO) ने आधिकारिक तौर पर रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण 11, पारंपरिक चिकित्सा मॉड्यूल 2 का अनावरण किया है, जो इसके कार्यांवयन चरण की शुरुआत है।

- यह मॉड्यूल आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा से डेटा एवं शब्दावली को कूट के रूप में अनुक्रमित कर WHO ICD-11 वर्गीकरण में शामिल करता है।
  - आयुष (AYUSH) मंत्रालय ने WHO के सहयोग से आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा प्रणालियों से संबंधित बीमारियों को TM-2 मॉड्यूल के तहत वर्गीकृत किया है।
- WHO के अनुसार ICD-11 में पारंपरिक चिकित्सा शब्दावली को शामिल करने से पारंपरिक चिकित्सा और वैश्विक मानकों के बीच एक महत्त्वपूर्ण संबंध स्थापित होता है।

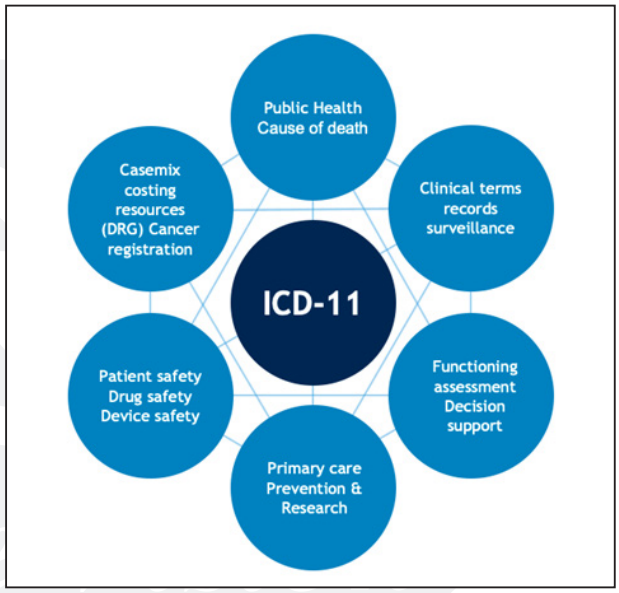

LAC के निकट ठंडे क्षेत्रों के लिये उन्नत 'पप टेंट' हेतु भारतीय सेना की योजना

भारतीय सेना ने -50 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले बर्फीले वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) की ऊँचाई पर सैनिकों के लिये 'पप टेंट (Pup Tents)' लगाने की योजना बनाई है।

- 'पप टेंट' पूर्वी लद्दाख, सिक्किम और सियाचिन ग्लेशियर जैसे अत्यधिक ठंडे मौसम की स्थिति में तैनात सैनिकों के लिये हैं।
- वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) वह सीमा है जो भारत और अक्साई चीन (चीन के अधिग्रहण वाला भारतीय क्षेत्र) के क्षेत्रों को विभाजित करती है।
  - इसे तीन सेक्टरों में विभाजित किया गया है: पूर्वी सेक्टर जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम (1346 किमी.) तक विस्तृत है, मध्य सेक्टर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश (545 किमी.) में है, और पश्चिमी सेक्टर लद्दाख (1597 किमी.) में है।

नोट :

इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड, 2023

हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation- ISRO) 'उत्कृष्ट उपलब्धि' की श्रेणी में को वर्ष 2023 के लिये "इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड" प्रदान किया।

- इस पुरस्कार ने विशेष रूप से चंद्रमा के अज्ञात दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग को उजागर करते हुए अंतरिक्ष अन्वेषण में ISRO के योगदान को मान्यता दी।
- इस कार्यक्रम में निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की उल्लेखनीय वृद्धि पर भी प्रकाश डाला गया जिसमें 190 स्टार्टअप्स द्वारा 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है।।

गंगीरेड्डू मेलम

गंगीरेड्डू मेलम, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में संक्रांति फसल उत्सव से जुड़ा एक पारंपरिक लोक प्रदर्शन है।

- रंग-बिरंगे फूलों एवं परिधानों से सुसज्जित बैल नृत्य का केंद्रीय विषय है। प्रदर्शन में स्थानीय लोककथाओं के साथ कहानी कहने के तत्त्वों को भी शामिल किया जाता है, जो क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं।
- फसल उत्सव 'संक्रांति' आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भोगी, संक्रांति तथा कनुमा के रूप में तीन दिनों तक मनाया जाता है।
  - संक्रांति, सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के पहले दिन को दर्शाती है, जो शीत अयनांत की समाप्ति एवं लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है।
  - संक्रांति देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग नामों से मनाई जाती है:

नोट :

स्पेसटाइम: ब्रह्मांड की ज्यामिति

स्पेसटाइम एक गणितीय मॉडल है जो अंतरिक्ष के तीन आयामों और समय के आयामों को एक इकाई में जोड़ता है।

- ब्रह्मांड की ज्यामिति के कारण सबसे बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड मानव अनुभव के पैमाने से भिन्न दिखता था।
  - मानव पैमाने पर, अंतरिक्ष-समय सपाट प्रतीत होता है, लेज़र से प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में यात्रा करेगी।
  - लेकिन सबसे बड़े पैमाने पर, हमारा स्पेसटाइम वास्तव में एक गोलाकार स्थान घेर सकता है।
  - यदि आप अपने सामने एक शक्तिशाली लेज़र चमकाते हैं और अविश्वसनीय रूप से लंबे समय तक प्रतीक्षा करते हैं, तो लेज़र से प्रकाश तकनीकी रूप से आपके पास वापस आ सकता है।
- अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के विशेष सिद्धांत में कहा गया है कि यदि दो पर्यवेक्षक A और B हैं, प्रत्येक के पास एक घड़ी है, जैसे कि A, B की तुलना में तेजी से चल रहा है (लेकिन तेज़ नहीं हो रहा है), तो A की घड़ी B की घड़ी की तुलना में कम समय मापेगी।

नोट :

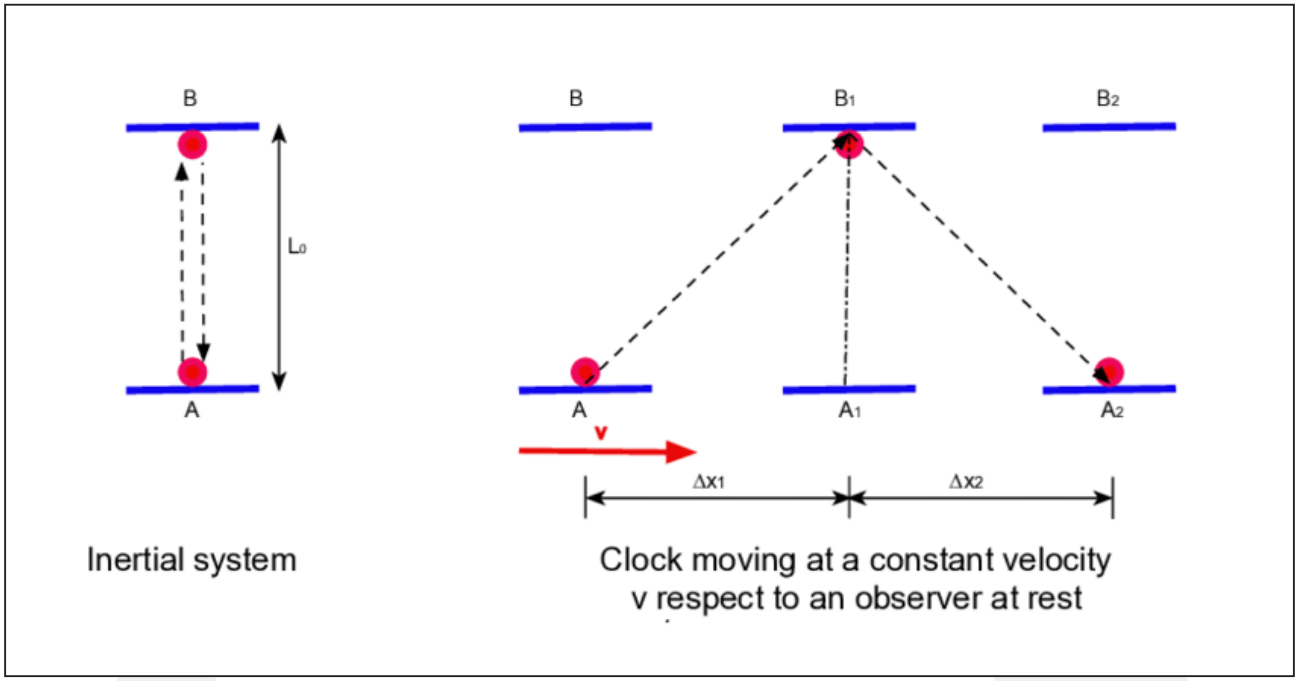

भारत 76वाँ सेना दिवस और 8वाँ सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मना रहा है

सेना दिवस: प्रतिवर्ष 15 जनवरी को उस दिन के उपलक्ष्य में "सेना दिवस" के रूप में मनाया जाता है,जब फील्ड मार्शल केएम करियप्पा ने वर्ष 1949 में अंतिम ब्रिटिश कमांडर-इन-चीफ से भारतीय सेना की कमान संभाली थी।

सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस: यह प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1953 में भारतीय सेना के पहले कमांडर-इन-चीफ फील्ड मार्शल केएम करियप्पा, जिन्होंने वर्ष 1947 के युद्ध में सेना को जीत दिलाई थी, औपचारिक रूप से सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे।

भारतीय वायु सेना AN-32 (K-2743)

भारतीय वायु सेना का AN-32 K-2743 विमान वर्ष 2016 में बंगाल की खाड़ी के ऊपर लापता हो गया था जिसका चेन्नई तट के पास हाल ही में मलबा पाया गया।

- राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (National Institute of Ocean Technology), जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तत्त्वावधान में कार्य करता है। इस संस्थान ने लापता An-32 विमान के अंतिम ज्ञात स्थान पर हाल ही में गहरे समुद्र में अन्वेषण क्षमता के साथ एक ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल (AUV) तैनात किया।
  - यह खोज मल्टी-बीम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग (SONAR), सिंथेटिक एपर्चर सोनार और हाई रिज़ॉल्यूशन फोटोग्राफी सहित कई पेलोड का उपयोग करके 3,400 मीटर की गहराई पर की गई। खोज के दौरान प्राप्त तस्वीरों का विश्लेषण किया गया और उन्हें An-32 विमान के अनुरूप पाया गया।
- AN-32 एक सोवियत मूल का सैन्य परिवहन विमान है जो वर्ष 1984 से भारतीय वायु सेना की सेवा में है।

अर्जेंटीना की मुद्रास्फीति में 200% से अधिक वृद्धि

हाल ही में जारी आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार दिसंबर, 2023 में अर्जेंटीना की वार्षिक मुद्रास्फीति दर 211% से अधिक हो गई जो 1990 के दशक की शुरुआत के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुँच गई, जहाँ देश अत्यधिक मुद्रास्फीति के दौर से उभर रहा था तथा खाद्य कीमतें विशेष रूप से तेज़ी से बढ़ रही थीं।

- मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिये पेसो मुद्रा का अवमूल्यन (Devaluation) किया गया जिसके बाद अर्जेंटीना की मासिक मुद्रास्फीति दर भी इस महीने 25.5% तक पहुँच गई जो पूर्वानुमान से थोड़ा कम है।

नोट :

- इसके परिणामस्वरूप अर्जेंटीना अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी वेनेज़ुएला से मुद्रास्फीति दर में आगे बढ़ गया जहाँ वर्षों की कठोर, अनियंत्रित कीमतों में वृद्धि के बाद वर्ष 2023 में मुद्रास्फीति अनुमानित 193% तक कम हो गई।
- हाइपरइन्फ्लेशन का आशय एक अर्थव्यवस्था के भीतर वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में अत्यधिक तथा तेज़ी से होने वाली वृद्धि से है जो अमूमन प्रति माह 50% से अधिक होती है।

Battling inflation in Argentina

Argentina's monthly inflation rate is at the highest level since the 1990s, while annual inflation has nearing 200%.

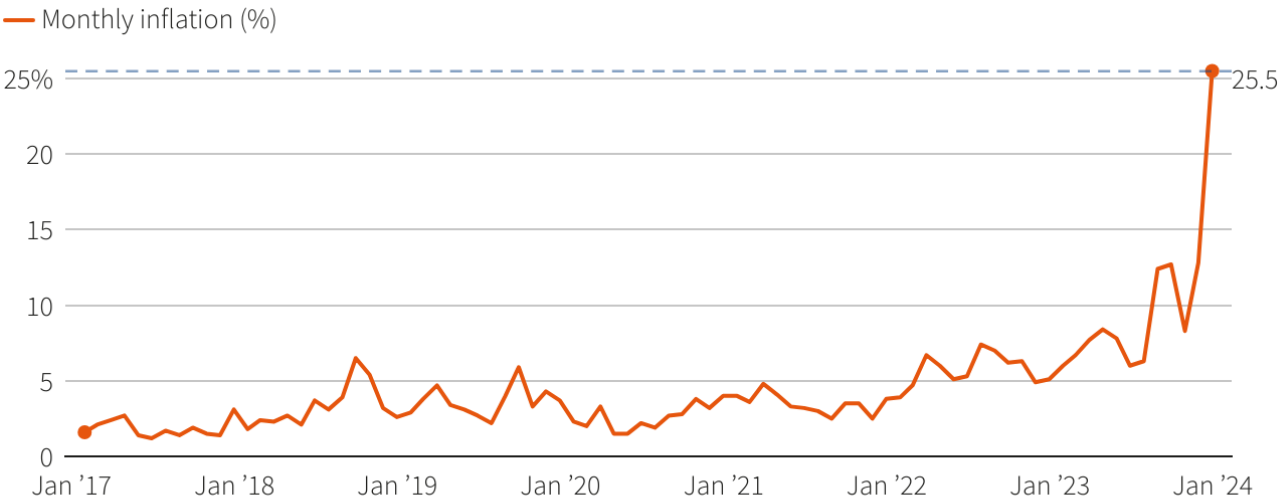

Source: Refinitiv Eikon, INDEC

नोट :